खण्ड-392, अंक-4
बुधवार, 15 चैत्र, शक संवत् 1911
(5 अप्रैल, 1989 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(नौवी विधान सभा, प्रथम सत्र 1989)

खण्ड 392 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1989

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1–2
प्रश्नोत्तर	3–53
नियम 311 एवं 110 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं को उठाने का प्रयास	
जनपद मुजफ्फरनगर में थाना गढ़ी पुख्ता के थानाध्यक्ष द्वारा बेगुनाहों का उत्पीड़न के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	54
अलीगढ़ जनपद में सिकन्दराराऊ क्षेत्र के बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों की मरम्मत के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	54–55
जनपद बलिया के थाना रसड़ा में हत्या चोरी, बलात्कार की घटनाओं के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	55
जनपद फैजाबाद में फर्जी हैसियत प्रमाण-पत्र बनाकर शराब का धन्धा करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	56
जनपद मुरादाबाद की हसनपुर तहसील मुख्यालय में डिग्री कालेज खोले जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	56
जनपद गाजीपुर के बाराचवर मरदह, कासिमाबाद ब्लाकों को आई0 सी0 डी0एस0 योजनान्तर्गत लिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	56
जनपद सीतापुर की लहरपुर ब्लाक के आदर्शनगर गांव में हुई अग्निकाण्ड की दुर्घटना के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	56–57
जिला झांसी की तहसील गरौठा में सिंचाई की सुविधा के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	57
बरेली नगर में बाईपास एवं ट्रान्सपोर्ट नगर की स्थापना के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	57
लखनऊ नगर में कानपुर रोड पर स्थित कृष्णानगर थाने में आशुतोषनगर से इन्द्रलोक कालोनी को जाने वाली सड़क की मरम्मत के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	57–58
जनपद बाराबंकी के परगना देवा के ग्राम मानपुर शाह की सार्वजनिक प्रयोग की भूमि पर अवैध कब्जों के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	58
बेसिक शिक्षा विभाग मुजफ्फरनगर में निरीक्षिका पद पर कार्यरत श्रीमती विलक्षणा चौधरी की ज्येष्ठता के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	58–59
जनपद सहारनपुर के गंगोही ब्लाक के बाढ़ी माजरा की बाढ़ से सुरक्षा के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	59
उन्नाव जिले की नहरों की सिल्ट सफाई में लाखों के घोटाले के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	59

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद बलिया की टाउन एरिया कमेटी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की खींचातान के कारण फैल रही अव्यवस्था के संबध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	59–60
नगरपालिका सांडी जनपद हरदोई की मार्ग-प्रकाश व्यवस्था के सबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	60
प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	60
शारदा सहायक पोषक नहर की लाईनिंग के अनियमित व्यय के संबंध में 301 के अन्तर्गत सूचना	61
जिला आजमगढ़ म सीहीपुर मार्ग पर कुंवर नदी पर पुल निर्माण के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	61
जिला बहराइच के नबावगंज ब्लाक के अन्तर्गत 20 सूत्रीय कार्यक्रम क क्रिया-न्वयन के घपले के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	61–62
जनपद बस्ती में शोहरतगढ़ क्षेत्र में बानगंगा नदी से निकाली गयी नहर में प्रयुक्त भूमि का मुआवजा किसानों को दिलाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	62
जनपद देवरिया के मरचहवा हत्याकाण्ड में पुलिस की निष्क्रियता के संबंध में औचित्य का प्रश्न	62–70
विधान भवन गेट नं0 3 पर स्कूटर इण्डिया के कर्मचारियों की महिलाओं द्वारा धरना दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	70
विधान परिषद में सदस्यों के रिक्त पदों पर चुनाव न कराये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	70–72
बस्ती जनपद के डिग्री कालेज के छात्रों पर लाठी चार्ज किये जाने विषयक सूचना पर श्री माता प्रसाद पाण्डेय द्वारा उठाया गया व्यवस्था का प्रश्न	72
सहकारिता विभाग की नियमावली को सदन के पटल पर न रखे जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	72–73
शिक्षा विभाग में फर्जी राजाज्ञा जारी किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	73–74
विशेषाधिकार की सूचनाओं पर शासन द्वारा निर्धारित समय के अन्दर उत्तर न दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	74–76
श्री शारदा प्रताप द्वारा स्कूटर इण्डिया के कर्मचारियों के बच्चों का विधान भवन गेट नं0 3 पर धरना देने के फलस्वरूप आवागमन अवरुद्ध होने संबंधी सूचना पर उठाया गया व्यवस्था का प्रश्न ..	77
विधायकों के शिकायती-पत्रों पर शासन द्वारा कार्यवाही न किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	77–78
उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 1989 (विधान परिषद से वापसी की सूचना)	78
न्यायालय फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1989 (विधान परिषद् स वापसी की सूचना)	79

विषय	पृष्ठ संख्या
प्रदेश के नागरिकों को अच्छी स्तर की सस्ती दवायें तथा सभी चिकित्सीय सुविधा एवं व्यवस्था सुदूर ग्रामीण अंचल तक उपलब्ध कराने हेतु सदन की एक समिति का गठन किये जाने के संबंध में संकल्प (जारी)	79–80
जिला चिकित्सालय फैजाबाद में एक महिला की मृत्यु में दोषी पायी गयी महिला की पुर्नानियुक्ति दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न ..	80–82
प्रदेश के नागरिकों को अच्छी स्तर की सस्ती दवायें तथा सभी चिकित्सीय सुविधा एवं व्यवस्था सुदूर ग्रामीण अंचल तक उपलब्ध कराने हेतु सदन की एक समिति का गठन किये जाने के संबंध में संकल्प (जारी) ..	82
सरकारी वाहनों के दुरुपयोग के संबंध में औचित्य का प्रश्न ..	82
प्रदेश के नागरिकों को अच्छी स्तर की सस्ती दवायें तथा सभी चिकित्सीय सुविधा एवं व्यवस्था सुदूर ग्रामीण अंचल तक उपलब्ध कराने हेतु सदन की एक समिति का गठन किये जाने के संबंध में संकल्प (अस्वीकृत) ..	82–98
श्री जनार्दन प्रसाद ओझा द्वारा मरचहवा हत्याकाण्ड के संबंध में मुख्य मंत्री द्वारा जनपद के सदस्यों के साथ अपने कक्ष में बैठक करने का आश्वासन दिये जाने के संबंध में उठाया गया व्यवस्था का प्रश्न ..	98–99
प्रदेश के नदियों के किनारे जंगलों में बसी मल्लाह जाति के आवास, खेती और रोजगार के अभाव तथा पुनर्वास की आवश्यकता हेतु नदी, बालू के ठेके और मछली पालन विभाग को सेवाओं में 50 प्रतिशत आरक्षण की संस्तुति का संकल्प (जारी)	99–104
उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1989 (जारी)	105–107
उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदार नाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1989 (पारित)	108
श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा, मरचहवा हत्याकाण्ड के संबंध में मुख्य मंत्री द्वारा जनपद के सदस्यों के साथ अपने कक्ष में बैठक करने का आश्वासन दिये जाने के संबंध में उठाया गया व्यवस्था का प्रश्न	108–109
उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, 1989 (पारित) ..	109–116
चीनी उद्योग के संबंध में एक रूप नीति अपनाने तथा गन्ना उत्पादकों, उपभोक्ताओं एवं श्रमिकों के शोषण को समाप्त करने हेतु केन्द्रीय सरकार से अविलम्ब आवश्यक कानून बना कर चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करने की सिफारिश के प्रस्ताव पर चर्चा का स्थगन ..	116
मण्डल आयोग की संस्तुतियों को जनहित में तुरन्त लागू किये जाने के प्रस्ताव पर चर्चा का स्थगन	116–117
राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन सरकारी वाहनों के दुरुपयोग के प्रस्ताव पर चर्चा का स्थगन	117
तम्बाकू विरोधी उपायों को व्यापक रूप से लागू करने और उस निमित्त संसद द्वारा विधि बनाने के लिये संस्तुति का संकल्प (स्वीकृत) ..	117–120
नियम 51 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनायें	120
जनपद जौनपुर के अपराधिक चरित्र के व्यक्ति द्वारा फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन प्राप्त करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में वक्तव्य	120–123

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद गोरखपुर में पुलिस कर्मियों द्वारा शासकीय आदेशों एवं सदन में मुख्य मंत्री द्वारा की गयी घोषणा के विरुद्ध कार्य करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में वक्तव्य का स्थगन	123
ग्राम शेखपुर, थाना छतारी, जिला बुलन्दशहर में दिनांक 15 फरवरी, 1989 को दो व्यक्तियों की हत्या किये जाने के संबंध में वक्तव्य ..	123–127
जनपद फैजाबाद की टाउन एरिया, गोसाईगंज के कर्मचारियों के वेतन का भुगतान समय से न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में वक्तव्य का स्थगन	127
गाजियाबाद में डा0 महेन्द्र सिंह राका की हत्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में वक्तव्य	127–129
जनपद आगरा के थाना मलपुरा की पुलिस चौकी ककुआ की पुलिस द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में वक्तव्य ..	129–137
जनपद बांदा के संभाग कर्वी को जिला बनाये जाने हेतु भूतपूर्व विधायक, श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा के आमरण अनशन के फलस्वरूप उनकी स्थिति चिन्ताजनक होने के संबंध में वक्तव्य	137–141
प्रदेश के लाखों बीड़ी मजदूरों को सरकारी नीति के विपरीत मजदूरी मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में वक्तव्य	142–144
आबकारी विभाग के अधिकारियों एवं शराब के ठेकेदारों की मिली भगत से शराब के ठकदारों से लगभग 70 करोड़ रुपये की वसूली न किये जाने के संबंध में वक्तव्य	144–147
जनपद हरदोई के 10 लाख गन्ना किसानों के गन्ने के मूल्य का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में वक्तव्य ..	147–153
सहकारी आवास समितियों द्वारा अनियमित और अवैधानिक रूप से आवास हेतु भूमि क्रय कर लाभ कमाने तथा निबन्धक सहकारी समितियों को वार्षिक लखा-जोखा न भेजने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में वक्तव्य	153–156
प्रदेश में बढ़ रहे शिक्षित बेरोजगारों की संख्या और कार्य के अवसर की कमी को देखते हुये सरकारी नौकरियों के लिये आयु सीमा 35 वर्ष कर दिये जाने संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा का स्थगन	156
जनपद वाराणसी के थाना सुरियावां, पुरानी बाजार में दिनांक 3 मार्च, 1989 को पड़ी डकैती एवं एक व्यक्ति की मृत्यु होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में वक्तव्य	156–160
बांदा जनपद के बदौसा थाना के अन्तर्गत ग्राम तुर्रा में शराब के नशे में धुत पुलिस कर्मियों द्वारा हरिजनों पर फायरिंग करने के फलस्वरूप एक हरिजन की मृत्यु तथा दो के घायल होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में वक्तव्य	160–165
जनपद उन्नाव के थाना पुरवा में एक हरिजन की हत्या एवं अन्य गांवों में हरिजनों को उत्पीड़ित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में वक्तव्य	165–169
सदन में कोरम का अभाव	169
नस्थियां	170–172

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 5 अप्रैल, 1989

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप लखनऊ, में 11 बजकर 2 मिनट पर दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे---

1--अकबर अहमद (डम्पी), श्री	नैनीताल
2--अकबर हुसैन बाबर, श्री	फैजाबाद
3--अरुण प्रताप सिंह, श्री	गोण्डा
4--अर्जुन सिंह यादव, श्री	जौनपुर
5--अलमेलु अम्माल, कुमारी	बस्ती
6--इन्द्र प्रताप सिंह, श्री	बहराइच
7--कमलेश कुमार पाठक, श्री	इटावा
8--किरन पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
9--किशन लाल, श्री	पीलीभीत
10--कृष्णवीर सिंह कौशल, डा0	आगरा
11--कलाश प्रसाद, श्री	गोरखपुर
12--कोकब हमीद, श्री	मेरठ
13--गंगा स्वरूप भटनागर, श्री	सीतापुर
14--गया प्रसाद वर्मा, श्री	इटावा
15--गुलाब सिंह, श्री	देहरादून
16--गोपाल दास यादव, श्री	इलाहाबाद
17--चेतराम गंगवार, श्री	बरेली
18--जगदीश नरायन, श्री	हमीरपुर
19--जफर अली नकवी, श्री	लखनऊ
20--जयदीप सिंह बरार, श्री	बरेली
21--जय नारायण शर्मा, श्री	मेरठ
22--देवेन्द्र सिंह, कुंवर	बिजनौर
23--नरेन्द्र सिंह, श्री	मेरठ
24--नरेन्द्र सिंह, चौधरी	कानपुर
25--नरेश पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं
26--निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर
27--पारसनाथ यादव, श्री	जौनपुर
28--पुष्पा देवी, श्रीमती	बदायूं
29--प्रेमीला बद्धवार मेहरा, श्रीमती	बदायूं
30--फजले मसूद, श्री	देवरिया
31--बलजीत सिंह, श्री	मथुरा
32--बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
33--बल्देव सिंह आर्य, श्री	उत्तरकाशी
34--बाबू लाल, श्री	गोण्डा

35—बेनीबाई, श्रीमती	झांसी
36—मनोहर लाल, श्री	उन्नाव
37—मयंकर सिंह, श्री	बहराइच
38—मलिक मोहम्मद कमाल युसुफ, श्री	बस्ती
39—मानबहादुर सिंह, श्री	गोण्डा
40—मुलायम सिंह यादव, श्री	इटावा
41—मैनेजर सिंह, श्री	बलिया
42—रमाकान्त, श्री	आजमगढ़
43— रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री	रायबरेली
44—राज बहादुर, श्री	जौनपुर
45—राजित प्रसाद यादव, श्री	वाराणसी
46—राजेन्द्र शर्मा श्री	मेरठ
47—राजेन्द्र सिंह श्री	अलीगढ़
48—राजेश कुमार खैरा, श्री	ललितपुर
49—राम अौतार मिश्र, श्री (उर्फ ननकू)	शाहजहांपुर
50—राम करन पटेल, श्री	वाराणसी
51—राम सजीवन, श्री	बांदा
52—विजय लक्ष्मी, श्रीमती	बलिया
53—विष्णु देव, श्री	आजमगढ़
54—वीरेन्द्र नाथ दीक्षित, श्री	कानपुर
55—वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर
56—वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
57—शतरुद्र प्रकाश, श्री	वाराणसी
58—शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर	कानपुर
59—शिव बालक पासी, श्री	रायबरेली
60—शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	गोरखपुर
61—शूरवीर सिंह सजवाण, श्री	टेहरीगढ़वाल
62—शेर बहादुर सिंह, श्री	फैजाबाद
63—संजय सिंह, डा0	सुल्तानपुर
64—सतीश अजमानी, श्री	खीरी
64—सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री	इलाहाबाद
65—सत्यपाल सिंह, श्री	शाहजहांपुर
66—सरजू प्रसाद सरोज श्री	प्रतापगढ़
67—सिकन्दर अली खां, नवाब	शाहजहांपुर
68—सुखदा मिश्रा, श्रीमती	इटावा
69—सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	रायबरेली
70—सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़
71—सैयद अली अशरफी, श्री	पीलीभीत
72—सैयद सईदुल हसन, श्री	बुलन्दशहर
73—हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली
74—हरशरन सिंह, श्री	मेरठ
75—हरिश्चन्द्र, हरीश जी, श्री	बस्ती

प्रश्नोत्तर

बुधवार, दिनांक 5 अप्रैल, 1989

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

उत्तर प्रदेश वित्त निगम द्वारा औद्योगिक इकाईयों को ऋण आदि बन्द कर दिया जा ना

**1--श्री सूर्य प्रताप शाही--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश वित्त निगम ने शीत गृहों, चावल मिलों आदि पर ऋण न देने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ? क्या यह भी सत्य है कि पिछड़े तथा शून्य जनपदों में लगाये जाने वाले औद्योगिक इकाई पर दी जाने वाली सबसिडी भी बन्द कर दी गई है जिससे पिछड़े जनपदों का औद्योगिक विकास ठप्प हो जायेगा ? यदि हां, तो ऐसा किन कारणों से निर्णय लिया गया ? क्या सरकार जनहित में इस निर्णय को वापस लेने हेतु उत्तर प्रदेश वित्त निगम को निर्देश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा, वन एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री जगदम्बिका पाल)--

जी नहीं । उ0 प्र0 वित्तीय निगम द्वारा शीत गृहों व चावल मिलों को ऋण न देने क कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

औद्योगिक रूप से पिछड़े तथा शून्य जनपदों में लागू केन्द्रीय पूंजी उपादान योजना का कार्यकाल अभी भारत सरकार द्वारा दिनांक 30-9-1988 के बाद नहीं बढ़ाया गया है । इन जनपदों में लगायी जाने वाली नान-मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया वाली इकाइयों को दी जाने वाली केन्द्रीय पूंजी उपादान सहायता भारत सरकार के पत्रांक 15 (4)/88-डीवीए-II, दिनांक 22-9-1988 द्वारा प्रतिबंधित कर दी गई है जिसमें शीत गृहों एवं राइस हलिंग आदि इकाइयों को सम्मिलित किया गया है । उक्त भारत सरकार के आदेश दिनांक 22-9-1988 में यह भी उल्लेख किया गया है कि राइस मिल्स आदि जिन्हें यदि औद्योगिक लाइसेन्स/पंजीकरण निर्गत किया जाता है तो उन्हें केन्द्रीय पूंजी उपादान प्रदान किये जाने हेतु पात्र माना जायेगा ।

संदर्भगत बिन्दु पर निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया गया है अतः प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार के निर्णय का पालन किया जाना है । फिर भी विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में भारत सरकार को लिखा गया कि उनके द्वारा लिये गये निर्णय से औद्योगिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा अतः वह कृपया अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने की कृपा करें ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मान्यवर, मेरा प्रश्न सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश की एक गम्भीर समस्या से सम्बन्धित है। केन्द्रीय सरकार द्वारा पिछड़े तथा शून्य जनपदों में जो केन्द्रीय उपादान दिया जाता था, उसको भी बन्द कर दिया गया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि उत्तर प्रदेश के 42 जनपदों में औद्योगिक इकाई लगाने का कार्य बन्द हो गया है। मेरे इस प्रश्न के उत्तर में कि "क्या यह भी सत्य है कि पिछड़े तथा शून्य जनपदों में लगाये जाने वाली औद्योगिक इकाई पर दी जाने वाली सबसिडी भी बन्द कर दी गई है जिससे पिछड़े जनपदों का औद्योगिक विकास ठप्प हो जायेगा ?" माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है "जी हां"। माननीय मंत्री जी ने केन्द्रीय सरकार से विचार करने के लिए कहा है, किन्तु 6 महीने हो गये केन्द्रीय सरकार से कोई विचार नहीं किया गया। सरकार स्वयं यह स्वीकार करती है कि औद्योगिक विकास ठप्प हो गया है ? मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस उपादान योजना को लागू करके सबसिडी देने के प्रश्न पर विचार करेंगी।

जगदम्बिका पाल--

.....मान्यवर, केन्द्रीय पूंजी उपादान योजना को स्टैण्ड करने के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने जो चिन्ता व्यक्त की है, मैं उनका इस ओर विशेष रूप से आभारी हूं कि इन्होंने प्रदेशीय सरकार किस तरीके से तरक्की करे, चिन्तन किया, इस सम्बन्ध में मैं उन्हें यह बताना चाहूंगा कि इस केन्द्रीय पूंजी उपादान योजना को कैसे आगे स्टैण्ड करे, इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी ने 12.-10-88 को भारत सरकार के माननीय उद्योग मंत्री को एक पत्र लिखा है कि 30-9-88 को यह केन्द्रीय पूंजी उपादान योजना समाप्त हो गयी है, उसे आगे कैसे स्टैण्ड किया जाय और श्रीमन् इस पत्र की प्रतिलिपि भारत सरकार के माननीय वित्त मंत्री को भी भेजी गयी है और यही नहीं मान्यवर एक पत्र माननीय मुख्य मंत्री जी ही द्वारा भारत वर्ष के माननीय प्रधान मंत्री जी को दिनांक 4-2-89 को भेजा है ताकि इसको आगे स्टैंड करें और अभी मेरे द्वारा भी एक पत्र वहां के सेक्रेटरी वित्त एवं उद्योग को लिखा गया है और अभी दो तीन दिन पहले इसी आशय का एक टेलेक्स भी मेरे यहां से भेजा गया है कि यह योजना आगे किस तरह लागू रहे। पूरे प्रयास माननीय मुख्य मंत्री जी की ओर से भी हो रहे हैं, मेरे द्वारा व शासन स्तर से भीबराबर प्रयास हो रहे हैं कि जो सुविधाएं इनको पहले से अनुमन्य हैं--और जिस श्रेणी के अन्तर्गत जो जनपद आते हैं और जो सुविधाएं उन्हें मिल रही थीं भविष्य में भी उसी प्रकार से मिलती रहें, इस आशय के प्रयास प्रदेशीय सरकार अपने स्तर से पूरे तौर पर कर रही है।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह---

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित शीतगृहों एवं चावल मिलों के संबंध में विचार हो रहा है, प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि जो ऋण पहले केन्द्रीय पूंजी उपादान योजना के अन्तर्गत दिये जाते थे, अब वह बन्द कर दिये गये हैं और आप स्वयं मान्यवर जानते हैं कि इससे कुछ दिन पहले जब इन शीतगृहों की कमी थी तो इस कमी के कारण आलू की कैसी दुर्दशा हुयी है प्रदेश में, जिसे माननीय कृषि मंत्री जी ने भी स्वीकार किया। यदि भारत सरकार से जो प्रदेश सरकार ने अनुरोध किया और उससे यदि वह सहमत नहीं होती है तो क्या ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार शीतगृहों को लगवाने के लिये कोई विशेष सुविधा प्रदान करेगी ?.....

श्री जगदम्बिका पाल—

मान्यवर मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो हमारे प्रदेश का वित्त निगम है, इसके द्वारा शीतगृहों व चावल मिलों को ऋण सुविधा सुलभ कराई जा रही है पहले से इसी प्रकार से इस वित्तीय वर्ष भी यह सुविधा सुलभ कराने हेतु लिखकर भेजा गया है कि 24 शीत गृहों और 16 चावल मिलों को ऋण दिये जाने संबंधी सुविधा सुलभ करायी जाये, इसके साथ साथ जो सुविधायें हम इन्हें पहले से दे रहे हैं, वह उसी प्रकार से चलती रहें । 1–10–82 से यह सुविधायें और लागू की गयी हैं, यह कि बिक्री कर से छूट की योजना 1–10–82 से लागू की गयी है दूसरे जेनरेटिग सेंट सी0 सडी योजना में भी 10 लाख रु0 की अधिकतम तक छूट देते हैं और इसी प्रकार से पायनियर–प्रेस्टिज इकाई योजना । इस पायनियर तथा प्रेस्टिज इकाई योजना के अन्तर्गत पहले भी यहां प्रश्न आये थे, इस संबंध में मैं यह बताना आवश्यक समझता हूं कि जनपदों में तहसील स्तर पर जहां पर एक करोड़ रुपयों के लागत का कोई उद्योग पहले स्थापित न हो वहां पर एक करोड़ रुपया अथवा उससे अधिक की लागत से स्थापित होने वाले प्रथम उद्योग पायनियर इकाई माना गया है । ऐसी पायनियर इकाई को उसकी कुल स्थायी पूंजी निवेश का 15 प्रतिशत भाग विशेष राज्य पूंजी उपादान के रूप में दिया जायेगा, जिसकी अधिकतम सीमा 15 लाख रु0 होगी तथा किसी भी जनपद में 25 करोड़ रुपया अथवा उससे अधिक पूंजी निवेश से स्थापित होने वाले इकाई को प्रेस्टिज इकाई माना जायेगा और उससे 15 प्रतिशत की दर से जिसकी अधिकतम सीमा 15 लाख रु0 होगी। तो श्रीमन् यह सारी छूट हम दे रहे हैं इस केन्द्रीय पूंजी उपादान योजना के अन्तर्गत जो भारत सरकार द्वारा लागू की जाती है और भारत सरकार द्वारा बढ़ाया नहीं जाता है । इस सम्बन्ध में आपके माध्यम से स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से निरन्तर प्रयास हो रहा है कि इसको आगे बढ़ाया जाये ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या माननीय मंत्री जो को जानकारी है कि केन्द्रीय उपादान योजना के अन्तर्गत जो धन आवंटित किया गया है, वह धन उद्योग शून्य जिलों में उद्योगों को लगाने में उपयोग नहीं किया गया है और इसी कारण से भारत सरकार ने इस योजना को बन्द कर दिया है ।

श्री जगदम्बिका पाल—

मान्यवर, यह सत्य से परे है । केन्द्रीय उपादान योजना के अन्तर्गत सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही हैं और जहां जहां पर यह सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही हैं, उनकी सूची मेरे पास है कि कितनी राहत दी गयी है । भारत सरकार अगर कोई स्कीम चलाती है, तो उसकी समय सीमा होती है । उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्रयास किया जा रहा है कि इसको बढ़ाया जाये ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

माननीय मंत्री जी यह बता दें कि इसको बन्द करने का क्या कारण है ?

श्री जगदम्बिका पाल—

मान्यवर, केन्द्रीय पूंजी उपादान योजना—भारत के अन्य प्रदेशों में भी लागू है और यह योजना सभी जगह बन्द की गयी है और उत्तर प्रदेश में भी बन्द हुई है । उत्तर प्रदेश सरकार निरन्तर यह प्रयास कर रही है कि इसको पुनः आरम्भ किया जाये जिससे उद्योगों को राहत दिलायी जा सके ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, प्रदेश में लगभग 62 लाख मीट्रिक टन आलू पैदा हुआ लेकिन जो शीतगृह हैं जो हमारे पास उपलब्ध हैं, उनकी कुल क्षमता 26 लाख मीट्रिक टन की है। आप उनको सबसडी दे नहीं रहे हैं। मेरा स्पष्ट प्रश्न है कि जो लोग इस प्रकार का उद्योग लगायें गे, उनको सरकार सबसिडी देगी, जिस प्रकार से पहले दी जाती रही है।

श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, जो मूल प्रश्न है, उसके उत्तर में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा शीत गृहों व चावल मिलों को ऋण न देने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। जो कोल्ड स्टोरेज हैं नान मैन्युफैक्चरिंग मिल हैं, उनको ऋण उपलब्ध कराने का प्रयास होता है। 24 शीतगृहों और 16 चावल मिलों को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

श्री अध्यक्ष--

5-5 लोग खड़े हैं, कितने आदमी एक साथ बोलेंगे ?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अनुपूरक उत्तर में स्पष्ट स्वीकार किया है कि शीतगृहों को नहीं दिया जायेगा और चावल मिलों को नहीं दिया जायेगा। मेरा कहना है कि अगर सरकार की नीति किसान को लाभ पहुंचाने की है, प्रदेश में 62 लाख मीट्रिक टन आलू पैदा हुआ और उसके शीतगृहों में भण्डारण की क्षमता 26 लाख मीट्रिक टन है और किसानों का आलू किस तरह से सुरक्षित हो इसके लिये जब तक आप सबसिडी की व्यवस्था नहीं करेंगे, कोल्डस्टोरेज नहीं बढ़ेंगे। यदि कोई भी किसान या कोई व्यक्ति अपनी निजी पूंजी से बैंकों से, व्यक्तियों से, फाइनेन्शियल कम्पनीज से लेकर कोल्डस्टोरेज बनाता है तो जैसे उनको पहले सबसिडी मिलती थी उसी प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार अपने स्तर पर सबसिडी देने की व्यवस्था करेगी ?

श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पुनः उत्तर स्पष्ट करना चाहता हूं। जो माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि केन्द्रीय उपादान योजना के अन्तर्गत जिनको सबसिडी मिलती थी क्या उनको सबसिडी दी जायेगी। इसके सम्बन्ध में मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं जैसा कि मैंने कहा कि केन्द्रीय उपादान योजना बन्द हो गई और उसको इक्सटेन्ड करने के लिये हम प्रयास कर रहे हैं। मान्यवर, जो कोल्ड स्टोरेज हैं, जो नान-मैन्युफैक्चरिंग इण्डस्ट्रीज हैं जैसे टेलरिंग, ड्राइक्लीनिंग, कारपेन्टरी, बान मेकिंग उड साइंग, सा मिल, साइंग आफटिम्बर, ज्वाइनरी, टिम्बर गुड्स, बुक बाइंडिंग आदि, इन सब पर 22-9-88 से भारत सरकार ने राहत देना बन्द कर दिया। हम प्रयास कर रहे हैं भारत सरकार से कि वह हमारे यहां इस स्कीम को प्रारम्भ करे।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

प्रदेश सरकार अपनी तरफ से क्या करेगी ?

श्री जगदम्बिका पाल--

अपनी तरफ से हम विचार कर लेंगे।

श्री गौरी शंकर भइया--

माननीय अध्यक्ष जी, केन्द्रीय उपादान योजना बन्द होने के पहले उद्योग शून्य जिलों को उद्योगों के लिये उत्तर प्रदेश सरकार सबसिडी देती थी। क्या माननीय मंत्री जी पूर्व की भांति उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह सबसिडी देने पर विचार करेंगे ?

श्री जगदम्बिका पाल--

यह तो जब वहां से अंतिम उत्तर आ जाय और यह मालूम हो जाय कि भारत सरकार इस केन्द्रीय उपादान योजना को इक्सटेन्ड नहीं कर रही है, तब विचार कर लेंगे और उत्तर प्रदेश सरकार इस प्रदेश में उद्योग लगाने की दृष्टि से क्या राहत दे सकती है,उस पर हम विचार कर लेंगे ।

श्री फजलुल बारी--

मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि जब तक केन्द्र से जवाब आता है उस वक्त तक उत्तर प्रदेश के बहुत से जनपद जो उद्योग में पिछड़े हुए हैं उनके लिये सरकार कोई विशेष योजना बनायेगी ? जैसे गोंडा है, बहराइच है और भी जिले हैं उनके लिये उद्योग लगाने की दृष्टि से स्टेट गवर्नमेन्ट अपनी तरफ से सबसिडी दे ।

श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, हम तो प्रदेश के प्रत्येक जनपद के उद्योगीकरण के लिये योजना बना रहे हैं हमने 8वीं पंचवर्षीय योजना में विकास खंड को इकाई माना है । 3 लाख उद्योग लगाने के लिये हम 8वीं योजना में विचार कर रहे हैं । केन्द्रीय उपादान योजना के सम्बन्ध में मान्यवर, मैं फिर से कह दूं कि हमने टेलेक्स भेजा है । मुख्य मंत्री जी ने प्रधान मंत्री जी से, उद्योग मंत्री जी से, वित्त मंत्री जी से बात की है और प्रयास किया है । इस सम्बन्ध में निर्णय हो रहा है ।

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

ओझा जी 20 मिनट इस सवाल पर हो गये हैं । अब आगे चलने दें । .....

(व्यवधान)

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार को चिन्ता कितनी है यह बात माननीय मंत्री जी के उत्तर से साफ हो गई है । केन्द्रीय उत्पादन योजना बन्द होने की वजह से मैं फिर बल दे रहा हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास ठप हो जायेगा भले ही आप 2 लाख का लक्ष्य रखें । कोई उद्योगपति या नया उद्यमी बिना सबसिडी के कोई उद्योग नहीं लगायेगा । यदि कारण है कि उत्तर प्रदेश वित्त निगम के निर्देशक मंडल ने अक्टूबर की बैठक में .....

श्री अध्यक्ष--

आप तो उदाहरण दे रहे हैं - सवाल पूछ लें ।

श्री सूर्य प्रताप शाही---

मान्यवर, वही कह रहा हूं । उस बैठक में इस तरह का निर्णय लिया है कि ऐग्रिकल्चरल बेस्ट इन्डस्ट्री को हम फाइनेन्स नहीं करेंगे । मैं जानना चाहता हूं कि इस तरह के 46 उद्योग हैं जिन पर केन्द्रीय सरकार ने यह निर्णय लिया है जिससे प्रभावित होकर पिकप और यू0 पी0 फाइनेन्शियल कारपोरेशन ने फाइनेन्स करना बन्द कर दिया है .....

श्री अध्यक्ष---

आप प्रश्न नहीं कर रहे हैं ।

श्री सूर्यप्रताप शाही :—

ईमानदारी पूर्वक यह उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है कि यहां औद्योगिक विकास हो। केन्द्रीय उपादान योजना को फिर से लागू करने के लिये इनको लिखते हुये 6 महीने हो गये जिसका कोई नतीजा नहीं निकला है। तो क्या आप प्रान्तीय पूंजी उपादान योजना लागू करेंगें, यदि नहीं तो क्यों ?

श्री जगदम्बिका पाल—

मान्यवर, जो ऐसी 46 की सूची उन्होंने बताई भारत सरकार से जो सुविधायें अनुमन्य थी .....

श्री अध्यक्ष :—

(एक माननीय सदस्य के बीच में खड़े होने पर) आप अपना स्थान लें मंत्री जी बोल रहे हैं और आप बीच में खड़े हैं।

श्री जगदम्बिका पाल :—

22 सितम्बर 88 के निर्णय के परिपेक्ष में कि यहां औद्योगिक वातावरण बने उस संबंध में सरकार ने उस संबंध में 13–12–88 फिर 28 फरवरी 89 को लिखा है और प्रयास हो रहा है कि केन्द्रीय पूंजी उपादान योजना उन उद्योगों को जो नान मैनूफैक्चरिंग की श्रेणी में आते हैं उनको सुविधायें अनुमन्य हों इस संबंध में प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मैं किसान विरोधी सरकार को सेंसर करता हूं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जब केन्द्र की पूंजी उपादान योजना बंद हो गयी तो इससे किसानों को चिंता हुई होगी तो उस चिन्ता को केन्द्र सरकार को पहुंचाई या नहीं अगर पहुंचाई तो कब पहुंचाई और क्या प्रयास किये।

श्री जगदम्बिका पाल:—

माननीय ओझा जी बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं मैं उनकी विद्वतता पर प्रश्न नहीं करता। लेकिन उससे पूर्व भी स्पष्ट कर चुका हूं कि केन्द्रीय पूंजी उपादान योजना बंद नहीं हुई है जो समय सीमा थी वह समाप्त हो गयी उसे एक्सटेड करने के लिये बार-बार कहा गया है और सरकार प्रयास कर रही है और यह अभी बंद नहीं हुई है।

सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश में टंकण परीक्षा में जमा करायी गयी परीक्षा शुल्क को वापस किया जाय।

**2—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके अधीनस्थ प्रमुख अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश में दिनांक 8–2–89 को होने वाली टंकण परीक्षा के विज्ञापन में प्रकाशित प्रोफार्मा में 60 प्रतिशत की मेरिट निर्धारित की गयी थी ? यदि नहीं, तो क्या सामान्य वर्ग–10 रुपया, पिछड़े वर्ग–5 रुपया तथा अनु0 जाति 2.50 रुपया का भारतीय पोस्टल आर्डर जो कि परीक्षा शुल्क के रूप में जमा करायी गयी है और जिन्हें परीक्षा से वंचित किया गया है। वापस करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री मुईद अहमद)—

विज्ञापन में 60 प्रतिशत की मेरिट का उल्लेख न होकर प्रारम्भिक स्क्रीनिंग का उल्लेख है। परीक्षा शुल्क के रूप में सामान्य एवं पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों से 5 रुपया तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु 2 रुपये की धनराशि निर्धारित की गयी है। विज्ञापन में यह स्पष्ट किया गया था कि शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।

श्री हृदय नरायन दीक्षित ––

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब किसी नौकरी के लिये विज्ञापन किया जाता है तो उसमें योग्यताओं का साफ साफ उल्लेख किया जाता है और उसमें 60 प्रतिशत मेरिट की बात नहीं थी यह उन्होंने स्वीकार किया है। तो इस बात को लेकर हजारों बेरोजगार लोगों ने निर्धारित राशि का पोस्टल आर्डर जमा कराकर आवेदन-पत्र दिये और उसके बाद जब कौल लैटर गये तो उसमें कहा गया कि 60 प्रतिशत में नहीं इसलिये नहीं बुलाया जा रहा है। तो पहले उसका उल्लेख विज्ञापन में नहीं था। तो क्या जिन लोगों ने बिना मेरिट जाने हुये आवेदन कर दिया उनका शुल्क वापस करायेंगे।

श्री मुईद अहमद :––

मान्यवर, विज्ञापन में स्क्रीनिंग का पूरा निर्देश था कि स्क्रीनिंग होगी इसलिये शुल्क वापस करने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री राम आसरे वर्मा––

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्क्रीनिंग का उल्लेख किया है तो वह पहले यह बता दें कि स्क्रीनिंग का आधार क्या बनाया गया और दूसरा जो पोस्टल आडर के माध्यम से पैसा इकट्ठा हुआ वह कितना था ?

श्री मुईद अहमद :––

मान्यवर स्क्रीनिंग का आधार बहुत लम्बा है उसमें एक यह है कि इण्टरमीडियेट में प्राप्त अंकों के प्रतिशत तथा उससे उच्चतर बी0ए0,एम0ए0 में प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 10 वां भाग जोड़ कर खेलों में खिलाड़ी के लिये 2 अतिरिक्त अंक, राज्य के खिलाड़ी के लिये 3 अतिरिक्त अंक एवं राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी के लिये 4 अतिरिक्त अंक। एक छटनी शुदा कर्मचारियों के लिये–एक वर्ष की सेवा के लिये 5 अतिरिक्त अंक, 2 वर्ष सेवा पर 10 अंक एव 3 वर्ष या अधिक सेवा के लिये 15 अंक अतिरिक्त दिये गये जिसका नियमावली में प्राविधान है इस प्रकार अभ्यर्थियों के अंक निकाले गये। समान्य एवं पिछड़ी जाति के जिन अभ्यर्थियों के 60 या उससे अधिक अंक आये हैं तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों को जिनके 55 या इससे अधिक अंक आये ह उन्हें टंकण परीक्षा एवं साक्षात्कार हेतु बुलाया गया है। यह सब स्क्रीनिंग के लिये था।

श्री राम आसरे वर्मा––

पोस्टल आर्डर से कितनी धनराशि इकठ्ठा हुई, यह बता दें ?

श्री मुईद अहमद––

मान्यवर; यह सूचना नहीं है, देखना पड़ेगा।

श्री मित्रसेन––

मान्यवर, उत्तर से स्पष्ट हो गया कि अभ्यर्थियों को नहीं मालूम था कि 60 प्रतिशत मेरिट में जो नहीं आये हैं तो चयनित नहीं होंगे। जब विज्ञापन में यह बात स्पष्ट नहीं थी और प्रार्थना पत्र के साथ शुल्क दे दिया, तो मंत्री जी आपको इसे वापस करने में क्या कठिनाई है ?

सिचाई मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)––

मान्यवर, विज्ञापन में लिखा था कि धन वापस नहीं होगा।

श्री गौरी शंकर भैया--

मान्यवर, अखबारों में साफ था कि 60 प्रतिशत का कोई बंधन नहीं था। यह सीधे सीधे अभ्यर्थियों को चीट किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि कुल कितने प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये और उसमें कितने लोगों को आपने परीक्षा में बैठने की अनुमति दिया ?

श्री मुईद अहमद--

मान्यवर, कुल 33,139 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये जिसमें 2596 को परीक्षा के लिये बुलाया गया स्क्रीनिग के आधार पर और इसमें सामान्य जाति के 1,270, अनु0 जाति अनु0 जनजाति के 484 पिछड़ी जाति के 311 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित-200 और सेना के विकलांग 331 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था।

श्री हृदय नरायन दीक्षित--

मान्यवर, सीधा प्रश्न था कि विज्ञापन में जब मेरिट का उल्लेख नहीं था जिसको पढ़कर बेरोजगारों ने आवेदन किया, तो सरकार की गलती है कि 60 प्रतिशत का विज्ञापन में क्यों उल्लेख नहीं किया गया ? इस प्रकार अभ्यर्थियों के साथ धोखा करके लाखों रुपये जमा किये गये और हड़प लिये गये, कितना रुपया जमा हुआ इसकी भी जानकारा नहीं है। इस लिये जब सरकार की गल्ती है तो क्या मंत्री जी उन अभ्यर्थियों को जो परीक्षा में नहीं बैठे हैं उनको परीक्षा में बैठायेंगे या उनका पैसा वापस करेंगे ? इसका आश्वासन दे दें।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

मान्यवर, सामान्य जाति के लोगों से 19,793 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये, तो एक शून्य बढ़ा दें कुल धनराशि मालूम हो जायेगी। अर्थात् 1,97,930 रूपये जमा हुआ है। 7,132 अनुसूचित जाति के आए, जिसका ढाई रूपया था, तो दो रूपये का 14 हजार हो गया और आठ आने से हो गया 3,500, तो इस तरह यह साढ़े 17 हजार 18 हजार हो गया। पांच हजार पिछड़ी जाति के थे और इनका करीब 25 हजार रूपया हो गया। अब यह किसी ने हड़पा नहीं, यह उत्तर प्रदेश शासन की ट्रेजरी में गया।

(प्रश्न सं0 2 लेने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

आप हमेशा इतना समय ले लेते हैं कि समय की लोग शिकायत करते हैं कि हमारा प्रश्न आता ही नहीं, अब हम क्या जबाब दे।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*1--श्री महेन्द्र भाटी--

(9वें बुध के लिए स्थगित)

जनपद नैनीताल के काशीपर क्षेत्र के आबकारी निरीक्षक द्वारा देहाती इलाकों में मद्य निषेध लागू होने पर भी अंग्रेजी शराब की दुकान खुलवाया जाना--

*2--श्री माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सुख पाल पाण्डे, श्री मूल चन्द्र, श्री सुन्दर लाल तथा श्री भोपाल सिंह--

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि काशीपुर (नेनीताल) क्षेत्र के आबकारी निरीक्षक ने अपने क्षेत्र के देहाती इलाकों में जहां मद्य निषेध लागू है वहां भी अग्रेजी शराब के थोक एवं फुटकर दुकानें खुलवा दी ह तथा इन दूकानों को खोलने के लिये

आबकारी निरीक्षक ने सबल संस्तुति की थी ? यदि हां, तो क्या सरकार इस नियम विरूद्ध कार्य के लिये आबकारी निरीक्षक को दण्डित करने पर विचार कर रही है ?

वित्त एवं न्याय व विधायिका राज्य मंत्री (श्री ओमप्रकाश रिछारिया)--

जनपद नैनीताल में नैनीताल नगर पालिका, हल्द्वानी, काठगोदाम, काशीपुर रूद्रपुर, रामनगर, टनकपुर, भोवाली, किच्छा, सितारगंज, खटीमा, बाजपुर, जसपुर तथा गदरदपुर के नगरीय क्षेत्रों में मद्य-निषेध लागू नहीं है। शेष क्षेत्र में मद्य-निषेध लागू है। जनपद नैनीताल में काशीपुर क्षेत्र के देहाती इलाकों में जहां मद्य-निषेध लागू है, उपभोक्ताओं के लिये कोई भी देशी अथवा विदेशी मदिरा की दुकान नहीं खोली गई है। परन्तु विदेशी मदिरा की थोक बिक्री का एक अनुज्ञापन एफ0 एल0-2 जिलकिया (रामनगर) में गत वर्षों से कार्यरत है। विदेशी मदिरा के थोक ज्ञापन से किसी प्रकार की फुटकर बिक्री नहीं होती और इसके केवल फुटकर बिक्री के ज्ञापन एफ0 एल0-5 एवं होटल/बार के ज्ञापन एफ0 एल0-6 व एफ0 एल0-7 को आपूर्ति की जा सकती है। जो मद्य-निषेध से मुक्ति, क्षेत्र में स्थित है। अतः इससे मद्य-निषेद्य नीति का कोई उल्लंघन नहीं होता।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, मेरा स्पष्ट सवाल था, आबकारी निरीक्षक ने अपने देहाती क्षेत्रों में जहां मद्यनिषेध लागू है, अपने अधिकारों का उल्लंघन करके संस्तुति करके दुकान खुलवा दी, उसके बारे में आपने कोई जवाब नहीं दिया। तो जिस क्षेत्र में मद्यनिषेध लागू है और वह मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, वहां पर इसका थोक लाइसेंस देने की क्या आवश्यकता पड़ी ? आपने लिख दिया बार एवं होटल, तो मैं अब यह जानना चाहता हूं कि वहां पर कितने होटल और कितने बार हैं और कितने पांच सितारा होटल हैं, जिसके लिये आपने थोक लाइसेंस रामनगर में, वहां पर जारी किया है ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

श्रीमन्, रामनगर नगरीय क्षेत्र में यह मद्यनिषेध लागू नहीं है, लेकिन जहां पर यह हुआ है उससे यह बाहर है और वहां गांवों में मद्यनिषेध लागू है और नीति में यह है कि जहां पर मद्यनिषेध एरिया लागू है, जहां पर होलसेल का लाइसेंस दिया जा सकता है फुटकर बिक्री का नहीं। यहां पर इस तरह की दुकानें बन्द रहती हैं, लेकिन थोक व्यापार किया जा सकता है चिलकिया से पिथौरागढ़ की जहां पर नहीं है, इंगलिश वाईन वहां पर ओपेन है। वह पर एफ0 एल0-2 का लाइसेंस दिया हुआ है, ताकि सूदूर के इलाके जो रोड्स से कनेक्टेड है, वहां पर वह पहुंच सके हैं।

श्री माता प्रसाद पान्डेय--

ऐसा लगता है कि मंत्री जी की तरफ से कोई गलती है, इसलिये वह इसको मानने वाले नहीं हैं। पिथौरागढ़ में नहीं लागू है तो वहां पर कोई-थोक लाइसेंस आपने दे रखा हैं या नहीं दे रखा है ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

मान्यवर, जो पहाड़ी एरिया है इसका कोई न कोई गेटवे है कुमाऊं और अल्मोड़ा जाने के लिये नैनीताल में गेट वे है इसी तरह से हल्दवानी में चार गेट वे हैं।

श्री फजलुल बारी--

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि एक क्षेत्र में एक आबकारी निरीक्षक कितने दिन रह सकता है, वहां पर एक निरीक्षक पांच साल से बना हुआ है, और वह अनियमितताऐं कर रहा है।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

यह तो जानकारी नहीं है। जहां मद्य निषेध है वहां बिक्री करने का अधिकार है ही नहीं।

श्री फजलुल बारी--

मान्यवर, मैंने पालिसी के बारे प्रश्न नहीं किया मेरा सीधा सवाल है कि जिस स्थान के संबंध में प्रश्न किया गया है वहां का निरीक्षक पांच साल से वहीं बना हुआ है, तो ऐसा क्यों है ? एफ0 एल0-2 लाइसेंस उसको इसलिये दिया गया है वह ग्रामीण क्षेत्रों में शराब बिकवाकर सरकार को आमदनी कराये।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

मद्य निषेध एरिया में एफ0 एल0-2 हो सकता है या नहीं, इसका उत्तर मैंने दे दिया है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी को इसकी जानकारी है कि कुछ विशेष दुकानों को लाइसेंस दिया जाता है, इसमें ऐसा होता है कि एक दुकान के नाम से रजिस्ट्रेशन होता है और एक दुकान के नाम से तीन चार दुकानें चलाई जाती हैं हमारे यहां पड़तावल मेंप्चार और घुप्पली में दो दुकाने हैं, तो मंत्री जी को क्या जानकारी है, कि इस तरह से दुकाने चल रही हैं ?

श्री ओमप्रकाश रिछारिया--

विना लाइसेंस के कोई दुकान नहीं चल सकती है उसका स्थान और सब चीजों को देखकर ही लाइसेंस दिया जाता है।

फैजाबाद जनपद के कटेहरी एवं भीटी विकास खण्डों में नलकूपों पर विद्युत एवं विभागीय कमी एवं भ्रष्टाचार की शिकायत।

*3--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिलाधिकारी फैजावाद को संबोधित प्रश्नकर्ता का दिनांक 13-5-88 का पत्र जिसमें कटेहरी तथा भीटी विकास खण्डों में नलकूपों पर विद्युत् एवं विभागीय कमी तथा भ्रष्टाचार के कारण किसानों को होने वाली कठिनाइयों की शिकायत की गई है, मिल गया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक कोई कार्यवाही न किये जाने का कारण क्या है और सरकार शिकायतों की जांच कब तक करा लेगी ?

श्री मुईद अहमद--

जी हां। कार्यवाही की गई है तथा नलकूप वार विवरण संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

श्रीमन् माननीय मंत्री जी ने देखा है कि कई-कई दिनों तक नलकूप खराब रहते हैं, तो क्या माननीय मंत्री जी विभागीय अधिकारियों, को निर्देश देंगे, कि कोई नलकूप 15-20 दिन, ज्यादा खराब न रहे क्योंकि इससे किसानों के सामने सिंचाई की समस्या उत्पन्न हो जाती है ?

श्री मुईद अहमद---

यह आदेश हो चुका है । लेकिन अगर विद्युत दोष होता है तो उसमें विलम्ब हो जाता है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ.....पर)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।]

*1---श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री राम गोविन्द चौधरी तथा श्री मैनेंजर सिंह---

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।)

सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के छटनी शुदा कृषि प्रसार निरीक्षकों का समायोजन

*2---श्री राम आसरे वर्मा---

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग के छटनी शुदा सहायक कृषि प्रसार निरीक्षकों की 450 कर्मचारियों की एक सूची कृषि सेवा वर्ग-3 के पदों पर समायोजित करने के लिये सन् 1985-86 में उ0प्र0 शासन को दी गयी थी जिनमें से 252 लोग समायोजित किये गये ? यदि हां, तो शेष लोगों के समायोजन के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मुईद अहमद---

सन् 1985-86 में 454 कर्मचारियों की सूचियां विभिन्न पत्रों द्वारा भेजी गई थीं । कृषि विभाग द्वारा 252 लोग समायोजित किये गये ।

शेष लोगों को अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-3 की उपलब्ध रिक्तियों के 25 प्रतिशत पदों पर सम्प्रति नियुक्त करने के शासन के आदेश हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा---

मान्यवर, जो माननीय मंत्री जी ने 252 लोगों को समायोजित करने की बात कही है तो कब तक इन लोगों को समायोजित किया गया है, किस वर्ष तक समायोजित किया गया है ?जो लोग शेष हैं उनको समायोजित करने के बारे में कौन सी व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री मुईद अहमद---

मान्यवर, कृषि विभाग में 25 प्रतिशत रिक्तियां इनके लिये रखी गयीं हैं जैसे जैसे पद खाली होंगें यह लोग समायोजित होते जायेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि 25 प्रतिशत पदों पर इन लोगों को समायोजित किया जायेगा । होता यह है कि शासन नीति तो बना देता है पर उसका अनुपालन ठीक से नहीं होता है । तो जो शासन ने नियुक्ति के सम्बन्ध में नीति बनायी है उसके अनुपालन, अनुश्रवण को सुनिश्चित कराने की कृपा करेंगे ।

श्री मुईद अहमद---

मान्यवर, कृषि मंत्री जी ने स्वयं विधान सभा में यह आश्वासन दिया है कि 25 प्रतिशत का रिजर्वेशन है और 25 प्रतिशत पदों पर इनको समायोजित किया जा रहा है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, आदेश तो शासन कर देता है लेकिन आदेशों का क्रियान्वयन नहीं होता है । क्या आप इस चीज को देखेंगे कि जो आदेश आपने दिये हैं उनका कार्यान्वयन हो रहा है या नहीं ?

श्री मुईद अहमद--

मान्यवर, आदेशों का कार्यान्वयन होगा, इसको सुनिश्चित किया जायगा ।

श्री हृदय नरायन दीक्षित--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि शेष लोगों को अधीनस्थ कृषिसेवा संवर्ग-3 की उपलब्ध रिक्तियों के 25 प्रतिशत पदों पर नियुक्त करने के शासन के आदेश हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि यह आदेश जब से हुए हैं तब से प्रति वर्ष कितनी रिक्तियां हुई हैं औरइन रिक्तियों की सम्प्रेक्षा में कितने लोगों को नियुक्त किया गया है ?

श्री मुईद अहमद--

252 लोगों को नियुक्त किया गया है और आगे भी नियुक्तियां होती रहेंगी ।

श्री हृदय नरायन दीक्षित--

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह आदेश किस वर्ष हुए और हर साल कितनी रिक्तियां हुईं तथा कितने लोग नियुक्त हुए ?

श्री लोकपति त्रिपाठी --

मान्यवर, इनके लिये नये पद सृजित नहीं किये गये हैं । जैसे लोग रिटायर होते हैं और पद उपलब्ध होते हैं वैसे वैसे नियुक्ति की जाती है । जो उपलब्ध पद हैं उसमें 25 प्रतिशत पद इनके लिये आरक्षित हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है । मैंने पूछा था कि जो 252 लोगों को नियुक्त किया गया है उनके समायोजन की अंकित तिथि क्या है, अंकित कड़ी कब पूरी की गयी है ?

श्री मुईद अहमद--

मान्यवर, 1985-86 में हुई है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, आप स्वयं देखें कि 85-86 में 252 लोगों को समायोजित किया गया, तो जो लोग बचे हैं, इन तीन सालों में एक भी अभ्यर्थी को समायोजित नहीं किया गया । क्या माननीय मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करेंगे कि जब तीन सालों में एक व्यक्ति को भी समायोजित नहीं कर पाये हैं, तो आगे आने वाले समयों में कितने लोगों को समायोजित कर पायेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

श्रीमन् जो उपलब्ध पद हैं, उसमें जो रिक्तता होगी, उस रिक्तता में 25 प्रतिशत इसमें समायोजित होंगे । अब जब-जब रिक्तता होगी, तब-तब लोग समायोजित होते रहेंगे ।

बांदा नजपद के मारों बांध की खांचा माइनर के निर्माण में अधिगृहीत भूमि का मुआवजा देने की मांग :

*3--श्री राम सजीवन--(अनुपस्थित)--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेगें कि बांदा जिले में मारो बांध की खांचा माइनर के निर्माण के लिए कितने किसानों की कितनी-कितनी जमीन अधिग्रहीत की गई थी ? इसका निर्माण-कार्य कब पूरा हो गया ? किसानों को अभी तक जमीनों का मुआवजा न दिये जाने के क्या कारण हैं ? मुआवजा न देने के लिये कौन दोषी है तथा उनके विरुद्ध अभी तक कोई प्रभावी कार्यवाही क्यों नहीं की गई ? मुआवजा कब तक दिया जायेगा ?

सिंचाई मंत्री (श्री लोक पति त्रिपाठी)--

जनपद बांदा में मारो बांध की खांचा माइनर के निर्माण हेतु 6 कृषकों को 4.45 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की गई थी जिसका विवरण निम्न प्रकार है:--

कृषकों का नाम		भूमि एकड़ में
1--श्री देवती आदि	..	2.29
2--श्री राम आसरे आदि	..	0.24
3--श्री चिल्लू आदि	..	1.38
4--श्री भेरों व रामसुहावन	..	0.32
5--श्री श्याम सिंह आदि	..	0.21
6--श्री श्रीकृष्ण	..	0.01
	योग ..	4.45

खांचा माइनर का निर्माण मारो बांध परियोजना के अन्तर्गत माह मार्च, 1975 में पूर्ण हुआ। कृषकों को, धन के अभाव में, भूमि के मुआवजे का भुगतान नहीं किया जा सका। अब मुआवज की धनराशि का भुगतान भूमि अध्याप्ति अधिकारी बांदा को मार्च, 1989 में कर दिया गया है और उनके द्वारा किसानों को भूमि के मुआवजे का भुगतान शीघ्र कर दिया जायगा। समय से मुआवजा न देने के लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध जांच कर कार्यवाही की जायगी।

मे0 सिन्थेटिक एण्ड केमिकल्स लि0 बरेली में रबर फैक्ट्री लगा देने हेतु अधिगृहीत की गयी भूमि के अप्रयुक्त भाग को वापस किया जाना।

*4--डा0 दिनेश जौहरी--

क्या उद्योग मंत्री को जानकारी है कि लगभग 27 वर्ष पूर्व बरेली जनपद में स्थित सिन्थेटिक एण्ड केमिकल्स लि0 रबर फैक्ट्री लगने के लिये कृषकों की बहुत सी भूमि अधिग्रहीत की गई थी जिसके कुछ भाग में फैक्ट्री लगाई गई बाकी भूमि वर्षों से खाली पड़ी थी व जनवरी, 1988 से उस पर फैक्ट्री द्वारा प्लांटेशन लगाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी कृषकों की जो भूमि फैक्ट्री इस्तेमाल नहीं कर रही है उसे कृषकों को वापस करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगदम्बिका पाल--

उ0प्र0 शासन द्वारा 1960 में ग्राम भिटौरा-नवगवां उर्फ फतेहगंज पश्चिमी, माधवपुर माफी, कुरतारा एवं रुकुमपुर, तहसील व जनपद बरेली की 1381 एकड़ भूमि अध्याप्त करके मे0 सिन्थेटिक एण्ड केमिकल्स लि0 बरेली को स्थानान्तरित की गयी, उसमें से 100 एकड़ भूमि बार्डर सिक्योरिटी फोर्स को 1982 में दी जा चुकी है। शेष 1281 एकड़ भूमि में से लगभग 929 एकड़ भूमि का उपयोग इकाई द्वारा वर्तमान प्लान्ट, हाउसिंग कालोनी रेलवे साइडिंग, एफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट एण्ड लैगून्स, स्टाफ वर्कर्स, क्वाटर्स, बैंक, पुलिस-स्टेशन, आदि,

ट्रक, बसों व टैंकरों की पार्किंग हेतु स्थान व प्लान्टेशन पर्यावरण हेतु किया गया है व इकाई द्वारा प्रदूषण के नियंत्रण हेतु ग्रीन वेल्ट हेतु वृक्षारोपण कराया गया है। मे0 सिन्थेटिक एण्ड केमिकल्स लि0, वरेली को भारत सरकार द्वारा आशय-पत्र सं0 510 (86) दिनांक 23–6–86 द्वारा इकाई के उत्पादन में विस्तार हेतु जारी किया गया है, जिसके लिये इकाई का रिक्त 352 एकड़ भूमि की आवश्यकता बताई गई है। अतः कोई भूमि अप्रयुक्त रहने की सम्भावना नहीं है।

डा0 दिनेश जौहरी––

मान्यवर, यह भारत सरकार से जो स्वीकृति मिली है, 23–6–86 को मिली है, श्रीमान् 3 वर्ष हो गये और फैक्ट्री का विस्तार नहीं किया गया, यह भूमि अभी तक खाली पड़ी है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि फैक्ट्री का विस्तार कार्य कब तक शुरू हो जायगा और उसमें क्या-क्या विस्तार होगा, उसमें क्या कोई नई चीज भी लगायेंगे ?

श्री जगदम्बिका पाल––

मान्यवर, भविष्य के लिये विस्तार की जो योजनायें हैं, वह इस प्रकार हैं :––

ए––स्टार्यारिन प्लान्ट का 24,000 एम0 टी0 ए0 के लिए विस्तार।

बी––एस0 बी0 आर0 प्लान्ट का 80,000 एम0 टी0 ए0 के लिए विस्तार। इसके लिए आशय पत्र 23–6–86 को प्राप्त हो गया है।

सी––40,000 एम0 टी0 ए0, एच0 डी0 पी0 ई0 / एल0 एल0 डी0 पी0 ई0 प्लान्ट। प्रदेश सरकार द्वारा इस हेतु 900 लाख लीटर प्रति वर्ष एल्कोहल की आपूर्ति का आश्वासन दिया गया है।

डी––30,000 एम0 टी0 ए0 पोली स्टार्यारिन प्लान्ट।

ई0––300 लाख लीटर प्रति वर्ष इण्डस्ट्रियल अल्कोहल की डिस्टीलरी / इसकी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है। इस तरह से मान्यवर, यह सारे कार्य प्रस्तावित हैं। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कमिट कर दिया है, जो उसे अल्कोहल देना है।

डा0 दिनेश जौहरी––

मान्यवर, जो विस्तार कार्य हो रहा है, उसमें कितने नये लोगों को रोजगार मिल जायेंगे ?

श्री जगदम्बिका पाल––

आवश्यकतानुसार मान्यवर।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त––

मान्यवर, संदर्भित फैक्ट्री के बारे में अभी विगत दिवस इसी विधान सभा में कई मामले उठे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 1986 में जो आशय पत्र मिला है, उसमें किस-किस कार्य के विस्तार की बात है ? मान्यवर, मेरी जानकारी है कि आशय पत्र की अवधि समाप्त हो जाने के कारण कार्य व्यपगत हो गया है। मैं आप के माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या दुबारा उन्होंने भारत सरकार को इसकी अवधि बढ़ाने के लिये लिखा है ? इस संबंध में माननीय मंत्री जी को जानकारी है, तो वह बताने की कृपा करेंगे ? मान्यवर, जब आशय पत्र की अवधि समाप्त हो चुकी है, तो किस तरह से वह विस्तार करेंगे ?

श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, जिन लोगों की भूमि ली गयी थी, उनमें से 118 लोगों को स्थायी रोजगार मिल चुका है। 9,000 मी0 टन प्रति वर्ष स्टायरिन उत्पादन का प्लान्ट लग गया है। 30,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष एस0 बी0 आर0 (सिन्थेटिक रबर, लेटेक्स व बूटाडीन) का प्लान्ट लग गया है। 2,000 एम0 टी0 ए0 नाइट्रायल रबर प्लान्ट तथा बूटाडीन कैटे-लिस्ट का प्लान्ट आदि भी लगा दिये गये हैं।

इस प्लान्ट के उत्पादन का काम प्रारम्भ हो गया है और इसके जो अन्य बाई प्रोडक्शन है उसके सम्बन्ध में जो सबसिडरी प्लान्ट का प्राविधान है उसके सम्बन्ध में कार्यवाही चल रही है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, जो नया 86 में आशय पत्र मिला है उसमें किस किस का विस्तार होना था और उनमें से ही कुछ भी कार्य का विस्तार हुआ है। हमारी जानकारी के अनुसार आशय-पत्र की अवधि व्यतीत होने के कारण काम व्यपगत हो चुका है यह नये के बारे में बताये ?

श्री जगदम्बिका पाल--

जो भविष्य के लिये विस्तार की योजना होगी उसमें मैंने पूर्व मे भी आश्वस्त किया था कि उनके संबंध में कार्यवाही शुरू हो गयी है और उसमें उत्तर प्रदेश सरकार को जितना एलकोहल देना था उसमें भी कमिटमेन्ट हो गया है और उसमें कार्यवाही चल रही है।

[बुधवार, दिनांक 5 अप्रैल, 1989 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*1--श्री जयदीप सिंह बरार,

(दिनांक 22-2-89 को अल्प0 सं0 ता0 प्र0 सं0 1 द्वारा उत्तरित)

ग्रेट ब्रिटेन की ओवरसीज डेवलपमेंट एसोसियेशन द्वारा विद्युत आपूर्ति हेतु मुख्य शर्तें एवं आपूर्ति

2--हृदय नरायन दीक्षित--

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्रेट ब्रिटेन की ओवरसीज डेवलपमेन्ट एसोसियेशन नामक किसी एंजेन्सी की सहायता कानपुर की विद्युत आपूर्ति को चुस्त दुरुस्त करने के लिये ली जा रही है ? यदि हां, तो उक्त एजेन्सी की शर्तें क्या है ? क्या इस एजेन्सी की सहायता से अन्य महानगरों, नगरों व ग्रामीण इलाकों की भी विद्युत आपूर्ति नियमित किये जाने की वार्ता चल रही है ?

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री राम औतार दीक्षित)--

जी हां।

उक्त एजेन्सी की मुख्य शर्तें निम्नलिखित हैं:--

1--कानपुर विद्युत आपूर्ति की सुधार विस्तार योजना की कुल अनुमानित लागत रु0 80.96 करोड़ में से उक्त एजेन्सी द्वारा रु0 17.79 करोड़ की सहायता दी जायेगी।

2--उक्त रु0 17.79 करोड़ की सहायता में से रु0 11.86 करोड़ (विदेशी मुद्रा) की सहायता ग्रेट ब्रिटेन से आयातित सामान के रूप में होगी। शेष रु05.93 करोड़ की सहायता उक्त एजेन्सी द्वारा भारतीय रुपयों में दी जायगी।

3- इस योजना की शेष धनराशि 63.17 करोड़ का प्रबन्ध उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद को करना होगा।

जी नहीं।

श्री हृदय नरायन दीक्षित--

श्रीमन्, ग्रेट ब्रिटेन की ओवरसीज डेवलपमेन्ट एजेन्सीज से एक सौदे के सम्बन्ध में उत्त प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के माध्यम से विदेश में स्थिति इस एजेन्सी से सम्पर्क किया था, या भारत सरकार के जरिये वहां की जो ब्रिटिश सरकार है उससे सम्पर्क किया गया था और दूसरा प्रश्न यह है कि जब अनुरोध किया गया था तो क्या केवल कानपुर महानगर को चुना था या उत्तर प्रदेश के अन्य भी महानगर हैं उनका भी उल्लेख था और तीसरा प्रश्न है कि यह जो ब्रिटिश सरकार की कम्पनी है इसने कानपुर महानगर को ही क्यों चुना ?

श्री राम औतार दीक्षित--

यह ग्रेट ब्रिटेन ने उत्तर प्रदेश में एक शहर जिसके विद्युत के सुधार के संबंध में उन्होंने चुना था उन्होंने केवल एक शहर कानपुर को चुना दूसरे शहर को नहीं चुना।

श्री हृदय नरायन दीक्षित--

क्या भारत सरकार के जरिये या सीधे अनुरोध किया था ?

श्री राम औतार दीक्षित--

मान्यवर, भारत सरकार से ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी अपने उत्तर में यह बताया है कि ग्रेट ब्रिटेन की इस एजेन्सी ने कानपुर महानगर को विद्युत पूर्ति के सिलसिले में चुना तो माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि कानपुर को ही क्यों चुना उनको इस कानपुर को ही चुने जाने का कौन सा मानक ग्रेट ब्रिटेन की इस एजेन्सी ने अपनाया ? कानपुर उद्योगपतियों की बस्ती है क्या उद्योगपतियों की उस बस्ती से ग्रेट ब्रिटेन का भी कोई हित निहित है ?

श्री राम औतार दीक्षित--

मान्यवर, माननीय सदस्य को तो शायद यह ज्ञात हो कि कानपुर केवल उद्योगपतियों की बस्ती नहीं है मजदूरों की भी बस्ती है और जहां तक चुनने की बात है यह ग्रेट ब्रिटेन को अपनी इच्छानुसार कानपुर को चुना और आपके माध्यम से मैं सदन को यह भी बता दूं कि विद्युत सुधार के सम्बन्ध में और भी कई एजेन्सी हैं जिसने दूसरी जगह को चुना है उदाहरण के लिये टाटा कंसलटेंसी ने बनारस को चुना तो यह तो उनके ऊपर निर्भर है।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से दो चीजें जानना चाहता हूं एक तो इन्होंने अपने उत्तर में बताया है कि 11.86 करोड़ विदेशी मुद्रा का इस ग्रेट ब्रिटेन से आयातित सामान के रूप में होगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो सुधार विद्युत आपूर्ति में होना है, उसके लिये कौन सा आयातित सामान 11.86 करोड़ की विदेशी मुद्रा से मंगाया जा रहा है दूसरे अन्य किन किन नगरों में विदेशी एजन्सियों से सुधार कराने की योजना है और उनका चयन किस आधार पर किया गया ?

श्री राम औतार दीक्षित--

मान्यवर, यह प्रश्न केवल कानपुर से संबंधित है। जैसा कि मूल प्रश्न में देखे कि ग्रेट ब्रिटेन की ओवरसीज डेवलपमेंट एसोसियेशन नामक किसी एजसी की सहायता कानपुर की विद्युतआपूर्ति को चुस्त दुरुस्त करने के लिये ली जा रही है, यह केवल कानपुर का प्रश्न था जहां तक सामान का प्रश्न है, उसमें जो भी विद्युत आपूर्ति में आवश्यक होगा, वह सामान ब्रिटेन के माध्यम से सप्लाई होगा।

श्री अध्यक्ष—

काफी समय हो चुका है, आप कृपा करके बैठें।

श्री हृदय नरायन दीक्षित—

मान्यवर, यह जो 17.79 करोड़ है, यह कर्ज के रूप में है, या अनुदान के रूप में और यह 5.93 करोड़ की जो सहायता दी गयी है, इसका उपयोग सुनिश्चित करने के लिये क्या कम्पनी के अभियन्ता रहेंगे या हमारे अभियन्ता ही उसको देखेंगें ?

श्री अध्यक्ष—

खड़े होने से पहले आज्ञा ले लीजिये। आप खड़े हो जाते है और प्रश्न करना शुरू कर देते है।

श्री हृदय नरायन दीक्षित—

मान्यवर, मेरा मूल प्रश्न था।

श्री अध्यक्ष—

कितने सवाल कीजियेगा ? दिन भर इस पर सवाल करते जायं।

श्री हृदय नरायन दीक्षित—

मान्यवर, आप पूरक प्रश्न पर दो बार अनुमति देते हैं।

श्री राम औतार दीक्षित—

मान्यवर, यह जो ब्रिटिश हाई कमीशन, नई दिल्ली के माध्यम से ओवरसीज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा भारत सरकार को दी जाने वाली सहायता के रूप में है।

श्री हृदय नरायन दीक्षित—

कर्जे के रूप में है या अनुदान के रूप में?

श्री राम औतार दीक्षित—

सहायता के रूप में।

बांदा जनपद के पनहाई बांध का निर्माण

*3—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले के पनहाई बांध जिसका निर्माण 1979 से प्रारम्भ कर उस पर लगभग पैंतालीस लाख रुपये व्यय किये जाने के बाद कार्य बन्द करा दिया गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इसका निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ करा कर पनहाई बांध को शीघ्र पूर्ण कराये जाने के आदेश करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुईद अहमद—

बांदा जनपद में पनहाई टैंक परियोजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य 1979 से डी0पी0ए0पी0 के अन्तर्गत प्रारम्भ किया गया था। इस परियोजना के निर्माण कार्य पर वर्ष 1984-85 तक 33.25 लाख रुपये का व्यय हुआ है, न कि 45.00 लाख रुपये का। तत्पश्चात डी0पी0ए0पी0 के अन्तर्गत धन उपलब्ध न होने के कारण कार्य बन्द करना पड़ा।

परियोजना को पुनरीक्षित कर पूरा कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह---

मान्यवर, मा0 मंत्री जी के उ त्तर के संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि पनहाई टैंक की योजना कुल कितने रुपये की थी और पुनरीक्षितहोने पर कितने तक जाने की सम्भावना है ?

श्री मुईद अहमद---

मान्यवर, पहले यह योजना 29.25 लाख की बनी थी, अब 74.28 लाख की पुनरीक्षित योजना है।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह---

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने लिखित उत्तर में पढा है कि लगभग 33 लाख रुपया खर्च खर्च हो चुका है। योजना उससे कम की थी, मात्र 30 लाख की थी। उससे अधिक जो धन 1984-85 तक खर्च हो चुका है तो अब पुनरीक्षित कराने की क्या आवश्यकता है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी---

मान्यवर, 1979 से 1989 तक 10 वर्ष का अन्तराल हो गया। कीमतें बढ़ गयी हैं। स्वीकृत धन भी एक मुश्त नहीं मिला।वर्ष 1979-80 में इस पर चार लाख कुछ हजार रुपया मिला, 1980-81 में 11 लाख, 1981-82 में 3.85 लाख, 1982-83 में 5 लाख, 1983-84 में 4 लाख और 1984-85 में 43 हजार रुपया मिला। एक मुश्त धन मिला होता तो जरूरत पूरा हो जाता।

श्री औसान सिंह---

योजना को पुनरीक्षित कराया जा रहा है, पुनरीक्षण का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ? 1989-90 वित्तीय वर्ष में कार्य प्रारम्भ करा देंगे ?

श्री मुईद अहमद---

इसी वित्तीय वर्ष में आदेश कर दिये गये ह, योजना को पूरा कर दिया गया है। 41 लाख रु0 की अतिरिक्त व्यवस्था कर दी गयी है।

श्री कुंवर मानवेन्द्र सिंह---

41 लाख रु0 की आपने व्यवस्था करा दी, इसके बाद तो पुनरीक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ? कब तक कार्य पूर्ण होने की उम्मीद की जाय ?

श्री लोकपति त्रिपाठी---

30 जून 1990 तक यह पूर्ण हो जायगा।

प्रदेश के कतिपय जनपदों के लाइसेंस धारियों द्वारा आबकारी राजस्व का भुगतान

*4---श्री सूर्यप्रताप शाही---

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1985-86 के आबकारी राजस्व का भुगतान आजमगढ़, इलाहाबाद, मिर्जापुर तथा रायबरेली के लाइसेन्सधारियों ने अब तक नहीं किया है जिससे विभाग को लगभग 90 लाख रुपये की क्षति हुई है ? इन लाइसेन्सधारियों के इस अनियमितता की जानकारी मिलने के बाद भी वसूली के लिये प्रभावी कदम न उठाने के कारण क्या है ? क्या सरकार इस परिप्रेक्ष्य में सख्त कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो क्या और कब ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया---

प्राप्त सूचनानुसार भुगतान बकाया नहीं है। प्रश्न नहीं उठता।

श्री सूर्य प्रताप शाही---

मैं जानना चाहता हूं कि आबकारी राजस्व का, इस वित्तीय वर्ष को छोड़कर, कितना राजस्व बकाया है और किन-किन ठेकेदरों के ऊपर बाकी है ? जब आपने इतनी विस्तृत सूचना दे दी, तो वह सूचना का श्रोत क्या रहा ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया---

इन शहरों में जहां का प्रश्न किया था, आजमगढ़ में 1985-86, 1986-87 में कोई भी बकाया नहीं है। मिर्जापुर में 1985-86 में कोई बकाया नहीं है। रायबरेली में 1985-86 में कोई बकाया नहीं है। इलाहाबाद में 1985-86, 1986-87 में कोई बकाया नहीं है।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

इन वर्षों के पहले का आबकारी राजस्व बाकी है?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

श्रीमन् 1985-86 का प्रश्न किया गया था। यह 1984-85 में आजमगढ़ में बकाया नहीं है। मिर्जापुर में 1984-85 में 33,602 रु0 की राशि बकाया है लेकिन यह श्रीमन् पूरी की पूरी 33602 न्यायालय से स्थगित है। रायबरली में 1984-85 में 3 हजार रु0 देशी शराब का बकाया था यह भी न्यायालय से स्थगित है। इलाहाबाद में कोई बकाया नहीं है।

मोहन गोल्ड वाटर ब्रीवरीज लि0 लखनऊ के मालिकों द्वारा प्राविडेन्ट फंड, ग्रेच्इटी आदि आदि में हेरा-फेरी एवं गबन किये जाने पर मुकदमा चलाये जाने पर विचार

*5--श्री अशोक वाजपेयी, श्री भोपाल सिंह, श्री वीरेन्द्र सिंह (एटा) श्री कौशिक रमाशंकर---

श्री यदुनाथ सिंह, श्री शारदानन्द अंचल, श्री भगौती सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मोहन गोल्ड वाटर ब्रीवरीज लि0 लखनऊ के मालिकों ने मजदूरों के प्रोवीडेन्ट फण्ड एव ग्रेच्युटी की धनराशिमें हेराफरी ही नहीं बल्कि उसका गवन कर उसे जमा न किया है? यदि हां, तो क्या सरकार इस अपराध के लिये कम्पनी के मालकों को गिरफ्तार कर मुकदमा चलाने पर विचार कर रही है ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री शारदानन्द अंचल--

मान्यवर, आप सवाल देखने का कष्ट करें, सीधा सवाल है 29-11-1988 को दिया गया सवाल है, लखनऊ से सूचना प्राप्त करनी है। माननीय मंत्री जी [××] मत्री है, [×××] में हैं कि नहीं यह हम नहीं जानते हैं। प्रश्न का उत्तर देने में उदासीन हैं। यह बतायेंगे कि सूचना के आ जाने के बाद क्या दोषी अधिकारियों के खिलाफ ग्रेच्यूटी पेंशन-गबन करने का मुकदमा कायम करने की कृपा करेंगे ?

नोट--[××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

मान्यवर, माननीय सदस्य नशे में रहते हैं कि नहीं यह तो मुझे नहीं मालूम। यह सवाल लेबर मिनिस्ट्री का था। मेरे पास जब आया तो लेबर वालों से पूछा। जैसे ही सूचना प्राप्त हो जायेगी, आपको बता दिया जायेगा ।

श्री मूल चन्द्र--

यह सूचना कब से एकत्र की जा रही है और कब तक सूचना प्राप्त हो जाने की सम्भावना है ?

अध्यक्ष--

इस सत्र से सूचना एकत्रित की जा रही है और उस सत्र तक एकत्र हो जायगी।

आगरा जनपद के कतिपय विकास खण्डों का विद्युतीकरण किया जाना

*6--श्री बदन सिंह--

क्या ऊर्जा मन्त्री को जानकारी है कि आगरा जनपद के ब्लाक फतेहपुर सीकरी अछनेरा और अकोला ब्लाक में प्रश्नकर्ता द्वारा चयनित 5-5 गांव प्रति ब्लाक वार वर्ष 1987-88 1988 के लिये विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत किये गये थे ? यदि हां, तो उन चयनित ग्रामों का विद्युतीकरण हेतु अभी तक न करने का क्या कारण है ? क्या यह सही है कि ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु विद्युत खम्भे व तार आदि सामान आगरा में इस समय उपलब्ध नहीं है? यदि हां, तो सामान वहां उपलब्ध न कराने का क्या कारण है ?

श्री राम औतार दीक्षित--

जिला विद्युत सलाहकार समिति द्वारा ब्लाक फतेहपर सीकरी 5, अछनेरा में 9 तथा अकोला में 7 ग्रामों का वर्ष 1987-88 में विद्युतीकरण हेतु चयन किया गया था। विकास खण्ड अछनेरा में 5 तथा अकोला में 2 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। शेष ग्रोमों का विद्युतीकरण संसाधनों की कमी के कारण नहीं किया जा सका।

अल्यूमिनियम की उपलब्धता कम होने से वांछित मात्रा में कन्डक्टर प्राप्त नहीं हो रहा है।

श्री बदन सिंह--

मान्यवर, उत्तर को पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, पढ़ा हुआ मान लिया गया ।

श्री बदन सिंह--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जनपद आगरा के अछनेरा ब्लाक में कौन-कौन 9 ग्राम चुने गये थे और किन 5 गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है तथा अकोला ब्लाक के 7 गांव कौन-कौन से चुने गये थे तथा किन दो गांवों में विद्युतीकरण कर दिया गया है ?

श्री राम औतार दीक्षित--

मान्यवर, विकास खण्ड अछनेरा में पथरी, मिलावटी, नागरी, पवदारी आदि गांवों में विद्युतीकरण कर दिया गया है तथा अकोला ब्लाक में रिठौरा तथा जयगारा गांवों में विद्युतीकरण हो गया है।

श्री बदन सिंह--

मान्यवर, अकोला और अछनेरा ब्लाक के 5 और 2 गांवों में विद्युतीकरण कर दिया गया है, हालांकि 4 एक ब्लाक में रह गये हैं और 3 एक ब्लाक में रह गये हैं लेकिन फतेहपुर सीकरी ब्लाक के किसी भी ग्राम का विद्युतीकरण नहीं किया गया है जबकि वहां के ग्राम जौताना, पाली, साथा आदि में लोगों ने कनेक्शन फीस का 30-30, 40-40 हजार रुपया जमा कर दिया है, तो क्या इन गांवों में शीघ्र विद्युतीकरण कराने की कृपा करेंगे ?

श्री राम औतार दीक्षित--

हम तो पूरे प्रदेश के सभी गांवों में विद्युतीकरण करवायेंगे ।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी बड़े उदार है और यह बिना किसी सामान के विद्युतीकरण करने के लिये तैयार हैं। इतने बड़े उदार आदमी से प्रश्न करना भी बड़ा मुश्किल काम है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि माननीय बदन सिंह ने जैसा कहा है कि आगरे में सभी जगह ऐसी समस्या है और वर्ष 87 से किसी नये गांव का चयन नहीं हुआ है। कुटीर ज्योति योजना जो है, उसे वहां के विधायक तक नहीं जानते हैं। वर्ष 87 में जो चयनित सूची थी, उसी को अभी तक पूरा नहीं किया गया है, क्या आपने उसको पूरा करने के लिये कोई प्रभावी योजनां बनायी है ? साथ ही जिन गांवों का यहां उल्लेख किया गया उसके आलावा भी बहुत से ग्राम रह गये हैं, जिनका उल्लेख मैं यहां नहीं करना चाहता, तो क्या माननीय मंत्री जी यह पता लगाकर कि चयनित सूची क्यों आज तक पूरी नहीं की गयी, उसको पूरा करवाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री राम औतार दीक्षित --

मान्यवर, माननीय सदस्य ने 2-4 गांवों के संबंध में पूछा था कि विद्युतीकरण करायेंगे। इस प्रश्न के जवाब में मैंने जवाब दिया था। वैसे जो सुविधानुसार आते रहेंगे, उनको कराते रहेंगे। जहां तक राणा जी के प्रश्न का संबंध है, तो मैं बताना चाहता हूं कि जनपद आगरा में 87-88 में एल0 टी0 लाइन बिछाकर 87 गांवों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसमें से 15 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है और इसी वर्ष 505 निजी नलकूपों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उसमें से 75 का विद्युतीकरण हो गया है। जहां तक आगरे का प्रश्न है, जो गांव हमने किये हैं, उसकी हमारे पास सूची उपलब्ध है। माननीय सदस्य का कहना है कि वहां कोई गांव हुआ ही नहीं, तो ऐसी बात नहीं है और एल0 टी0 लाइन बिछाकर 86 गांवों का विद्युतीकरण का लक्ष्य वर्ष 87-88 में रखा गया था। इसके अलावा जिला विद्युत सलाहकार समिति ने 128 गांवों का चयन किया था।

उसमें से भी हमने कुछ गांवों को चयनित करके उनका विद्युतीकरण भी कर दिया है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, 1987-88 में विद्युत सलाहकार समिति द्वारा आगरा की जो सूची बनायी गई थी, उस बैठक में मैं भी था और श्री विजय सिंह राणा जी भी थे। उसमें जिन गांवों का चयन किया गया, उसमें से अभी तक मेरे क्षेत्र में, दयाल बाग के क्षेत्र में व आगरा जनपद में उन गांवों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है, यह बात सही है। उस बैठक के बाद अभी तक कोई बैठक नहीं हुई है। क्या माननीय मंत्री जी बैठक कराने व जिन गांवों का अभी विद्युतीकरण नहीं हो पाया है, उनका विद्युतीकरण कराने की कृपा करेंगे ?

श्री राम औतार दीक्षित ---

मैं आज ही आगरा के सी0 जेड0 ई0 को निर्देशित करूंगा कि वह तुरन्त इसकी बैठक को आमंत्रित करें। जहां तक उन गांवों का प्रश्न है, पिछले दिनों हमारे पास कुछ कंडक्टर की कमी थी। विधान सभा में इसका प्रश्न भी आया था तो उस समय भी मैंने कहा था कि 500 टन एल्युमिनियम हमें हिन्डाल्को से मिल गया है और 500 टन भविष्य में मिलने जा रहा है, जबकि हमारी आवश्यकता 3200 टन की है। ज्यों-ज्यों हमें एल्यूमिनियम उपलब्ध होता जायेगा, हम अपने विद्युतीकरण के लक्ष्य को पूरा करते जायेंगे।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, जो गांव बच गये हैं, उन पर तो माननीय मंत्री जी विदयुतीकरण करने का आश्वासन दे दें।

श्री राम औतार दीक्षित --

अभी हमने आगरा को कुछ कंडेक्टर भेजे हैं और शीध्र ही कुछ कंडेक्टर और भेज दिये जायेंगे।

श्री राकेशधर त्रिपाठी--

मान्ययवर, अभी माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि हम सभी जगह विद्युतीकरण कर देंगे। 1985 में इलाहाबाद में जिन गांवों में खम्भे गिरवा दिये गये हैं, क्या उन्हीं में ही माननीय मत्री जी विद्युतीकरण करने का कष्ट करेंगे ?

श्री राम औतार दीक्षित--

मान्यवर इलाहाबाद में खम्भे गिरवाने के लिये तो तमाम कार्य हुये हैं। माननीय कुंवर रेवती रमणसिह जी ने भी गिरवाये हैं।

इलाहावाद में जितने गांवों को हमने लक्ष्य के अन्तर्गत रखा है, उन्हें हम शीघ्र ही विद्युतीकरण करने जा रहे हैं।

श्री राकेशधर त्रिपाठी--

मान्यवर, 1985 में जिन गांवों में खम्भे गिरवा दिये गये हैं, सिर्फ उन्हीं गांवों में आप विद्युतीकरण करवा देंगे। लक्ष्य तो हम जानते हैं कि आपने एक ब्लाक में केवल 3 गांव लिये हैं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न आगरा था अब इलाहाबाद भी इसमें आ गया। श्री बदन सिहजी आप अन्तिम प्रश्न कर लें।

श्री बदन सिह--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से जो सवाल पूछा जाता है उसका वह जवाब नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश के गांवों में विद्युतीकरण करवायेगे। मैने साफ तौर पर बताया कि फतेहपुर सीकरी ब्लाक के सांथा, पाली, जोताना अकोला तथा अछनेरा ब्लाक के अमेधोपुरा गांव के लोगों ने 40-40 हजार रूपए जमा कर दिये हैं, परन्तु आज तक इन गांवों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है। इसलिये क्या माननीय मंत्री जी इन गांवों का प्राथमिकता के आधार पर विद्युतीकरण करवा देंगे ?

श्री राम औतार दीक्षित --

फतेहपुर सीकरी के जिन गांवों की चर्चा की है, उनमें से जोताना में कार्य प्रगति पर है और जिनमें बता रहे हैं कि 40-40 हजार रु0 जमा किया है, अपेक्षा करता हूं कि जिस गांव ने विद्युत कनेक्शन के लिये 40 हजार रु0 जमा किया हो, उसकी सूचना दे दें, एक हफ्ते में बिजली लगवा देंगे।

(श्री अध्यक्ष द्वारा "तारांकित प्रश्न संख्या-7" पुकारे जाने पर घोर व्यवधान।)

श्री अध्यक्ष--क्या इसी प्रश्न पर चलते रहेंगे ?

श्री राम गोविन्द चौधरी--

एक प्रश्न और दे दीजिये।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

एक सुझाव देना चाहता हूं, प्रश्न नहीं पूंछूगा।

(घोर व्यवधान)

श्री बदन सिंह--

उत्तर दिलवा दीजिये, मैं बैठूंगा नहीं।

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने कह तो दिया कि अगर रुपया जमा है तो एक हफ्ते में करा देंगे।

श्री अध्यक्ष--

40 हजार रू0 जमा कर दिया क्यों नहीं विद्युतीकरण हुआ है ?

(व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी--

आप संरक्षण दें। जानना चाहता हूं कि मंत्री जी आज प्रसन्नचित्त हैं क्योंकि उनको ऊर्जा मिल रही है। क्या पूरे प्र देश मे हर ब्लाक में 5 गांवों को चयनित किया है, चूंकि आज उनको ऊर्जा मिल रही है, क्या इस खुशी में सबमें विद्युतीकरण कराने की घोषणा करेंगे ?

(कुछ सदस्यों द्वारा सदन में गलत ढंग से खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग सदन में ठीक से बैठे।

श्री राम औतार दीक्षित--माननीय, मा0 राम गोविन्द चौधरी मेरे अभिन्न मित्र हैं लेकिन जहां तक प्रश्न के उत्तर का विषय है ,उसका उत्तर तो मैंने दे दिया। हमारा सतत् प्रयत्न रहेगा कि जो भी गांव चयनित हुए हैं, उनके सामान की उपलब्धता होने पर अवश्य विद्युतीकरण कर दिया जाय।

(घोर व्यवधान)

श्री दंदन सिंह--

यह विद्युतीकरण नहीं कर रहें है, आप आदेश दे दीजिये, निर्देश दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष---

उन्होंने कह तो दिया है, अब आप बैठें।

(श्री अध्यक्ष द्वारा "तारांकित प्रश्न संख्या-7" पुकारा गया किन्तु प्रश्नकर्ता सदस्य सदन मे उपस्थित नहीं थे।

जनपद बांदा में करवी तहसील में पैसुनी नहर परियोजना का निर्माण

*7--श्री राम सजीवन (अनुपस्थित)--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले में करवी तहसील के अन्तर्गत प्रस्तावित पैसुनी नहर परियोजना के निर्माण के लिये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्रियों के बीच 1977 में एक समझौता हुआ था ? यदि हां, तो समझौता होने के बावजूद अभी तक उक्त बांध पर निर्माण कार्य शुरू क्यों नहीं किया गया ?

श्री लोक पति त्रिपाठी--

जी हां।

पैसुनी नहर परियोजना केन्द्रीय जल आयोग को स्वीकृत हेतु प्रस्तुत की गई थी। पैसुनी नदी मध्य प्रदेश से वह कर आती है, इसके पानी के उपयोग पर मध्य प्रदेश ने आपत्ति की है, जिसके अनुसार केन्द्रीय जल-आयोग ने इस योजना को अर्न्तराज्जीय विवाद के कारण अपनी सूची से निकाल दिया इस परियोजना के स्वरूप में आंशिक परिवर्तन कर इसको पैसुनी नहर परियोजना (आल्टरनेटिव) के नाम से बनाया गया। पैसुनी नदी से प्राप्त जल के आंकड़ों का विस्तृत अध्ययन कराया गया, जिससे निष्कर्ष निकला है कि पैसुनी नदी में जल की मात्रा पर्याप्त नहीं है। तदनुसार इस परियोजना को अव्यवहारिक आंका गया। जल के आभाव के कारण पैसुनी नहर परियोजना का निर्माण कार्य संभव नहीं है।

*8--श्री विजय सिंह राणा--

(दि0 15-2-89 को नियम 29(4) के अन्तर्गत ता0प्र0 सं0 2 द्वारा उत्तरित)

प्रदेश में धान की खरीद का लक्ष्य का निर्धारण

*9---श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी---

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री कृपया बतायें कि उन्होंने वर्ष 1987-88, 88-89 में प्रदेश में धान की खरीद का लक्ष्य कितना निर्धारित किया है और किस-किस माध्यम से खरीद की जानी है ? इस खरीद के लिये किसानों को अदा किये जाने वाले पैसे की क्या व्यवस्था की गई है ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

प्रदेश में धान की खरीद मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत उसी दशा में की जाती है जब धान का बाजार भाव घोषित समर्थन मूल्य से कम होता है अतः धान की खरीद के लिये कोई नियमित लक्ष्य नही निर्धारित किया जाता है।

धान की खरीद के लिये प्रतिवर्ष क्रय एजेंसियों को नियुक्ति की जाती है और उनके लिए कैश क्रेडिट के द्वारा धान की व्यवस्था की जाती है।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वर्ष 1987-88 और 88-89 में धान का घोषित मूल्य कितना था और बाजार भाव कितना था ?

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, वर्ष 1987-88 में साधारण धान का 150 रु0, फाईनधान का 154 रू0 तथा सुपर फाईन धान का 158 रू0 था। वर्ष 1988-89 में साधारण धान का 160 रु0 तथा सुपर फाईन धान का 170 रु0 था। बाजार का भाव इन दोनों से अधिक था।

श्री अध्यक्ष--

अब प्रश्नों का समय समाप्त।

*10--डा0 दिनेश जौहरी--

(21 वें मंगलवार के ता0 प्र0 से0-17 पर स्थानान्तरित)

*11--श्री महावीर सिंह राणा--

(दि0 18-3-88 के अल्प सूचित ता0 प्र0 सं 1 द्वारा उत्तरित)

जनपद गाजीपुर के अन्धऊ पावर स्टेशन पर रखे 40 एम0बी0 ट्रान्सफार्मर का चोरी से बेचा जाना

*12--श्री मैनेजर सिंह--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद अन्तर्गत अन्धऊ पावर स्टेशन पर रखे 40 एम0 बी0 ए0 के ट्रान्सफार्मर का लाखों रुपये का विदेशी तेल कर्मचारियों की मिलीभगत से चोरी से बेच दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त के संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ?

ऊर्जा मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सिंचाई विभाग उ0 प्र0 में विगत तीन वर्ष में पुनर्नियुक्ति प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या

*13--श्री दीपचन्द्र सोनकर--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सिंचाई विभाग में विगत 3 वर्ष में कितने अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा वृद्धि अथवा पुनर्नियुक्ति दिया गया है ? क्या उनके सेवा-वृद्धि अथवा पुनर्नियुक्ति के प्रक्रम में विभागाध्यक्ष की सहमति एवं चरित्र पंजिका का ध्यान रखा गया है ? यदि हां, तो कितने में ? यदि नहीं, तो क्यों !

श्री लोक पति त्रिपाठी--

सिंचाई विभाग के अन्तर्गत विगत 3 वर्षों में अर्थात् 31-3-89 तक कुल 6 अधिकारियों तथा 4 कर्मचारियों को पुनर्नियुक्ति स्वीकार की गयी है। इस अवधि में किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी को सेवावृद्धि नहीं दी गयी है।

नोट:--नत्थी 'घ' के तारांकित प्रश्न संख्या 9 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

वर्तमान शासनादेशों के अन्तर्गत जनहित में किसी अधिकारी/कर्मचारी को सेवावृद्धि अथवा पुनर्नियुक्ति स्वीकार करने के लिये विभागाध्यक्ष की सहमति आवश्यक नहीं है किन्तु प्रश्नगत अवधि में विभागाध्यक्ष सहित जिन 6 अधिकारियों को जनहित में पुनर्नियुक्ति दी गयी, उनमें से 3 अधिकारियों के सम्बन्ध में विभागाध्यक्ष द्वारा भी संस्तुतियां की गयी थीं और इनको पुनर्नियोजन स्वीकार करते समय इनकी चरित्र पंजिका में अंकित सुसंगत प्रविष्टियों को भी ध्यान में रक्खा गया था। इसी प्रकार विभाग के 2 कर्मचारियों के सम्बन्ध में विभागाध्यक्ष से प्राप्त संस्तुतियों के आधार पर उनकी चरित्र पंजिका में अंकित गोपनीय प्रविष्टियों को विचार में लेते हुए कार्यहित व जनहित में तथा अन्य 2 कर्मचारियों को जनहित में पुनर्नियोजन स्वीकर किया गया है।

जनपद आगरा के ग्राम दतौजी में टापा खुर्द नाले से हो रहे कटान को रोकने की मांग

*14--श्री रघुवर दयाल वर्मा--

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के तहसील फिरोजाबाद के ग्राम दतौजी में फिरोजाबाद नाले के बहाव से कटाव शुरू हो गया है जिससे ग्राम दतौजी की आबादी के मकान कटने लगे है? क्या यह सही है कि वर्ष 88 के वर्षाकाल में श्रीमती हरमेजी विधवा का मकान भी इस कटान से कटकर गिर गया और नाले में बह गया है? यदि हां, तो शासन ने गांव के आबादी को बचाने हेतु एवं नाले के कटाव को रोकने के क्या कदम उठाये? यदि नहीं तो क्यों?

श्री लोक पति त्रिपाठी--

आगरा जनपद के तहसील फिरोजाबाद में फिरोजाबाद नाम का कोई नाला नहीं है, अपितु फिरोजाबाद शहर के निकट से इस विभाग का टापा खुर्द नाला प्रवाहित होता है जो ग्राम दतौजी से लगभग 1.0 कि0 मी0 पहले ही यमुना नदी के प्राकृतिक खारों म मिल जाता है। तत्पश्चात् इसमें आये वर्षा का जल प्राकृतिक खारों से प्रवाहित होकर यमुना नदीं में मिल जाता है। ग्राम दतौजी यमुना नदी के प्राकृतिक खारों में स्थित है, अतः नाले के जल प्रवहन से कटान का प्रश्न ही नहीं उठता है।

जी नहीं। श्रीमती हरमेजी का मकान वर्षा ऋतु में वर्षा के कारण गिरा था, नाले के कटान से नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

*15---श्री अमिताभ अनिल दूबे--

(9वें बुधवार के लिये स्थगित)

जनपद इलाहाबाद में ज्ञानपुर पम्प नहर परियोजना के प्रारम्भ किये जाने एवं अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा देने की मांग

*16--श्री राकेश धर त्रिपाठी--

*क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद के अन्तर्गत ज्ञानपुर पम्प नहर परियोजना प्रारम्भ होने में विलम्ब हो जाने का क्या कारण है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेगें कि उक्त परियोजना में अधिग्रहीत किसानों की भूमि का मुआवजा सभी किसानों को दे दिया गया है? यदि नहीं, तो इसका भुगतान कब तक करा दिया जायेगा? मुआवजा भुगतान में बिलम्ब करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करेगी?

श्री लोक पति त्रिपाठी----

सूचना एकत्र की जा रही है।

*17--श्री इम्तियाज मोहम्मद खां--
(9वें बुधवार के लिये स्थगित)

प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में कतिपय खाद्य सामग्रियों का वितरण

*18--कुंवर रेवती रमण सिंह--

क्या खाद्य मंत्री के जानकारी है कि विगत तीन माहों स ग्रामीण इलाकों में गेहूं, चावल, चीनी एवं मिट्टी के तेल की बहुत ही दिक्कत हो गयी है और इसका वितरण नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो ग्रामीण इलाकों में उक्त आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने व सही वितरण कराने के संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री हुकुम सिंह--

गत तीन महीनों (दिसम्बर, 1988 जनवरी तथा फरवरी, 1989) में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में गेहूं, चावल, चीनी, मिट्टी तेल के वितरण की स्थिति सामान्यतः ठीक रही है।

ग्रामीण क्षेत्रों में उक्त आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा जन वितरण कार्य पर प्रभावी नियंत्रण रखने की व्यवस्था पहले से ही की गयी है।

उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम, लखनऊ डिपो के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी घोषित किये जाने तथा स्थाईकरण की मांग

*19--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम, लखनऊ डिपो के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी घोषित किये जाने एवं उनके स्थायीकरण का प्रकरण प्रदेश सरकार द्वारा गठित वेतन समिति में विचाराधीन था ? यदि हां, तो शासन द्वारा वेतन समिति की घोषित सिफारिशों में इन कर्मचारियों के बारे में निर्णय न लिए जाने के क्या कारण है तथा इन कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी के बराबर समस्त सुविधायें कब तक उपलब्ध करा दी जायेंगी ?

श्री हुकुम सिंह--
जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

कल्याण निगम के डिपो कर्मचारियों तथा राज्य कर्मचारियों की सेवाओं में बहुत अन्तर है। इसलिये राज्य कर्मचारियों को अनुमन्य सुविधाएं उक्त डिपो कर्मचारियों को उपलब्ध कराने का प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय सरकार की तरह बिना विकास प्राधिकरण के स्वीकृति की बनाये गये आवासों को दिये गये विद्युत कनेक्शनों को काटने की व्यवस्था का लागू किया जाना

*20--श्री राज किशोर सिंह--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार की तरह बिना विकास प्राधिकरण की स्वीकृति के बनाए गये मकानों को दिए गए विद्युत कनेक्शनों को काटने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश शासन के भी विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त व्यवस्था कब तक लागू होगी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

जी नहीं। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् "उपभोक्ता नियमावली 1984" के अनुच्छेद 3 (क) एवं (ख) के अनुसार परिसर के स्वामी अथवा विधिक अध्यासी को विद्युत् कनेक्शन दिया जाता है।

अतारांकित प्रश्न

उन्नाव जनपद के कतिपय ब्लाकों में विश्व बैंक परियोजना के अधीन सरकारी ट्यूबवेल लगाने की मांग

1—श्री हृदय नरायन दीक्षित —

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जनपद के ब्लाक असोहा व नवाबगंज, विकास खंण्डों को मिलाकर विश्वबैंक परियोजना के अधीन सरकारी ट्यूबवेल लगाने की कोई योजना वर्ष 87–88 में बनाई गई थी ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि उक्त योजना के अन्तर्गत 25 ट्यबवेल का एक कलस्टर प्रस्तावित था ? यदि हां, तो प्रश्नकर्ता के विभान सभा क्षेत्र के ग्राम निमौचा में प्रस्तावित ट्यूबवेल क्यों नहीं लगाया गया ? मंत्री जी ट्यूबवेल्स मंत्री जी ट्यबवेल्स को प्रश्नकर्ता के क्षेत्र में कहा और कब तक लगवायेंगे ?

श्री लोक पति त्रिपाठी—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता । 6

जनपद रामपुर के कोसी नदी के तल में लगे सफेदे के वृक्षों को कटवाने की मांग

2 —श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है जनपद रामपुर में कोसी नदी के तल में रेलवे पुल तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर निर्मित सड़क के पुल के बीच के हिस्से पर हजारों की तादाद में सफेदे के पेड़ लागा दिए गये है तथा वह इस समय काफी बड़े हो गये है ? यदि हां, तो क्या इन पेड़ों से नदी के पाट में जल प्रवाह को कोई रुकावट पैदा हुई है ? यदि नहीं, तो क्या नदी के शेष भाग में भी ऐसा वृक्षारोपण किया जायगा ? यदि रुकावट पैदा हुई है तो इस गलत स्थान पर वृक्षारोपण करने के लिये कौन जिम्मेदार है ? क्या बाढ़ के समय जल प्रवाह में इस रुकावट के अंदेशों तथा उसके सम्भावित दुष्परिणामों को देखते हुये मंत्री जी इन पेड़ों को तत्काल कटवाने का आदेश देंगे ?

श्री लोक पति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री खुन्नी लाल पुत्र की नेतराम निवासी ग्राम महतोष तहसील बिलासपुर जनपद रामपुर के आम के बाग के पास ईंट के भट्टे का लाइसेंस दिया जाना ।

3—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री खुन्नी लाल पुत्र श्री नेतराम निवासी ग्राम महतोष तहसील बिलासपुर जिला रामपुर ने दि0 2–9–88 को एक प्रार्थना पत्र परगनाधिकारी बिलासपुर को दिया था जिसकी एक-एक प्रतिलिपि उसी दिन जिलाधिकारी रामपुर तथा जिला पूर्ति अधिकारी रामपुर को भी भेजी थी जिसमें उन्होंने सभी अधिकारियों से ग्राम महतोष में स्थित उनकी कृषि भूमि में लगे आम के बाग की सुरक्षार्थ उस बाग के निकट ईंट भट्टे का लाइसेन्स न दिए जाने हेतु आग्रह किया था ? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना पत्र पर क्या कार्यवाही की गई तथा क्या ईंट भट्टे के उक्त लाइसेन्स जारी न करने के आदेश किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह--

श्री खुन्नी लाल का प्रार्थना-पत्र दिनांक 2-9-1988 परगनाधिकारी बिलासपुर रामपुर को प्राप्त हुआ था जिसपर जांचोपरान्त यह पाया गया कि प्रश्नगत ईंट भट्ठा लगाये जाने से उनके बाग को कोई क्षति नहीं होगी। फलतः श्री खुन्नी लाल का उक्त प्रार्थना-पत्र निरस्त करते हुए प्रश्नगत स्थान पर ईंट भट्टे का लाइसेन्स स्वीकृत किया गया।

जनपद गोरखपुर एवं देवरिया में बहने वाली गण्डक नदी के कतिपय घाटों पर पुल का निर्माण

4--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या सिंचाई मंत्री को इस बात की जानकारी है कि गोरखपुर में एवं देवरिया जनपद में बहने वाली छोटी गण्डक को विभाग ने अपने नियंत्रण में ले लिया है ? यदि हां, तो जनहित में काशी छपरा टेढ़वा, बालाबाबा का घाट हरदीछपरा एवं बेलवाघाट पर जो दोनों जनपदों को जोड़ते हैं पुल बनाये जाने का प्रकरण विभाग में विचाराधीन है ? यदि हां, तो उनके निर्मणि कब प्रारम्भ होंगे ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री लोक पति त्रिपाठी--

प्रदेश की सभी नदियां राजस्व विभाग के नियंत्रण में होती हैं। छोटी गण्डक पर सुधार हेतु गण्डक परियोजना के अन्तर्गत 234-34 लाख रूपये से सात पुलों का निर्माण किया गया है।

जी नहीं। प्रस्तावित सभी पुलों का निर्माण पूरा हो चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद के अधीन हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना कासिमपुर अलीगढ़ के कार्यालय अधीक्षक (श्री शिव लाल शर्मा) एवं सहायक अभियन्ता (श्री उमाकान्त शर्मा) के विरुद्ध उ0 प्र0 मजदूर संघ के शिकायती पत्र पर जांच

5--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के अधीन हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना कासिमपुर, अलीगढ़ में कार्यरत श्री शिवलाल शर्मा (कार्यालय अधीक्षक) एवं श्री उमाकान्त शर्मा (सहायक अभियन्ता) के विरुद्ध उत्तर प्रदेश विद्युत मजदूर संघ एवं का शिकायती पत्र सं0 229/ उ0 प्र0 वि0 स0 संघ दिनांक 22-9-1988 शासन/विद्युत परिषद, को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो यूनियन के पत्र में वर्णित आरोपों/शिकायतों की जांच करायी गयी है ? यदि हां, तो जांच का निष्कर्ष क्या हैं ? यदि नहीं, तो आरोपों की जांच कब तक पूर्ण करा ली जायेगी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

जी हां।

आरोपों/शिकायतों की जांच हेतु महाप्रबन्धक हरदुआगंज, कासिमपुर (अलीगढ़) को निर्देश दिये जा चुके हैं।

जांच निकर्ष्ष परिषद् को अभी तक प्राप्त नहीं हो सके हैं।

शीघ्र ही पूर्ण कराने का प्रयास जारी है।

6--श्री शारदा प्रताप--

(9 वें बुधवार के लिये स्थागित)

उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद के अधीन विद्युत परिषद बाल विद्यालय (माण्टेसरी) कासिमपुर अलीगढ़ में नियुक्त सहायक अध्यापिकाओं के नाम वेतनमान का निर्धारण

7--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अधीन विद्युत परिषद् बाल विद्यालय (माण्टेसरी) कासिमपुर, अलीगढ़ में दिनांक 1-7-76 के पश्चात् राजकीय वेतनमान रु0 200-320 में कुछ सहायक अध्यापिकाओं (प्रशिक्षित) तथा वेतनमान रु0 250-425 के 2/3 वेतन पर कुछ सहायक अध्यापिकाओं (अप्रशिक्षित) की नियुक्तियां की गयी हैं ? यदि हां, तो इन अध्यापिकाओं के क्या नाम है ? क्या यह सही है कि इन अध्यपिकाओं को बाद में 1-7-76 से रु0 230-380 का वेतनमान (राजकीय) दिये जाने का प्रबन्धक ने आदेश किया है ? यदि हां, तो यह वेतन-मान उत्तर प्रदेश शासन अथवा विद्युत परिषद् के किस आदेश के अनुसार दिया गया है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

जी हां ।

सहायक अध्यापिकाओं के नाम निम्न हैं :--

1--अजरानी अग्रवाल
2--इन्द्रा सक्सेना
3--शान्ता सचदेवा
4--साधना रस्तोगी
5--उर्मिला सक्सेना
6--राजेश रानी पाराशर (अप्रशिक्षित)
7--स्वदेश आस्टा तदैव

जी हां ।

सहायक अध्यापिकाओं को वेतनमान रू0 230--380 शासन अथवा विद्युत् परिषद् के आदेशों से नहीं वरन् विद्यालय की प्रबन्ध समिति में अनुशंसा से दिया गया ।

8--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अधीन विद्युत परिषद् बाल विद्यालय (माण्टेसरी) कासिमपुर, अलीगढ़ में प्रारम्भिक रूप से रु0 200-320 के वेतनमान एवं रु0 250-425 2/3 वेतनमान के में नियुक्त सहायक अध्यापिकाओं को 1-4-1979 से सी0 टी0 वेतनमान रू0 530-810 प्रबन्ध समिति द्वारा दे दिया गया है ? यदि हां, तो क्या प्रबन्ध समिति का यह निर्णय विद्युत परिषद् के आदेश संख्या-77 डब्लू0 वी0/एस0 ई0 वी0 (ए/एस) 18/85-109 डब्लू0 वी0सी0/77 दिनांक 22-2-1985 के अन्तर्गत लिया गया है ? यदि नहीं, तो इन अध्यापिकाओं को परिषदाज्ञा दिनांक 22-2-85 के अनुसार दिनांक 1-4-79 से क्या वेतनमान देय है । इस वेतनमान में अध्यापिकाओं का वेतन निर्धारण कब तक कर दिया जायेगा ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

जी हां ।

जी नहीं ।

परिषदाज्ञा दिनांक 22-2-85 के अन्तर्गत इन अध्यापिकाओं को 1-4-89 से वेतन-मान रु0 425-604 देय था ।

चूंकि वे उच्चतर वेतनमान में हैं इसलिए प्रश्न नहीं उठता ।

9--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अधीन विद्युत परिषद् बाल विद्यालय (मान्टेसरी) कासिमपुर अलीगढ़ में राजकीय सी0 टी0 वेतनमान रु0 250-425 में कुछ सहायक अध्यापिकाओं की नियुक्तियां दिनांक 1-7-76 एवं उसके पश्चात् की गयी है ? क्या यह भी सही है कि विद्युत परिषद् ने आदेश सं0 1744/पी/रा0 वि0 प0/30-4पी/86 दिनांक 30-11-1987 द्वारा सहायक अध्यापिका/अध्यापिकाएं (सी0 टी0 ग्रेड) का दिनांक 1-4-84 से वेतनमान रू0 1200-30-1350-40-1550-50-1800 निर्धारित किया गया है ? यदि हां, तो क्या इन वेतनमानों में वेतन निर्धारण हेतु 9 सहायक अध्यापकाओं (सी0 टी0 ग्रेड) में दिनांक 15-6-1988 को विकल्प-पत्र विद्यालय प्रबन्धक को दे दिया है ? यदि हां, तो इन अध्यापिकाओं का वेतन निर्धारण अभी तक न करने के लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं ? अध्यापिकाओं का वेतन निर्धारण कब तक कर दिया जायगा ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

जी हां।

जी हां (केवल माध्यमिक विद्यालयों की सी0 टी0 ग्रेड अध्यापिकाओं के लिये) जूनियर हाई स्कूल एवं प्राइमरी स्कूल एवं अध्यापिकाओं के लिये वेतनमान रू0 1100-1575 अनुमन्य किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिन आठ अध्यापिकाओं ने अपना विकल्प-पत्र दे दिया है उनका वेतनमान रू0 1100-1575 में वेतन निर्धारण किया जा चुका है। शेष का वेतन निर्धारण तद्नुसार किये जाने की प्रक्रिया अन्तिम चरण में है।

बांदा जनपद के ग्राम दहिनी के पास बागेन नदी पर सिंचाई की सुविधा हेतु लिफ्ट योजना लगाने की मांग

10--श्री राम सजीवन--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले की करवी तहसील में ग्राम गढ़ीघाट व ग्राम दहिनी के पास बागेन नदी पर लिफ्ट योजनाएं लगाने तथा किसानों को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु सर्वे-प्लान तैयार कराये जायेंगे। यदि हां, तो दोनों स्थानों पर बीस-बीस क्यूसिक से अधिक की योजनाएं कब तक तैयार करा ली जायेंगी।

श्री लोक पति त्रिपाठी--

जी नहीं। बागेन नदी का अधिकांश जल ग्रहण क्षेत्र मध्य प्रदेश का होने के कारण भविष्य में जल उपलब्धता सुनिश्चत न होने के कारण तथा बागेन नदी यमुना नदी की सहायक नदी होने के फलस्वरूप उसमें से 1 जनवरी से 30 जून तक पानी के प्रयोग करने पर प्रतिबन्ध होने कारण लिफ्ट योजनायें बनाना संभव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

11-- 12--श्रीराम सजीवन--

(9 बे बुधवार के लिये स्थगित)

भगवाभीट स्केप जनपद फैजाबाद में कतिपय स्थानों पर स्वीकृत पुलों का निर्माण

13---श्री राम सजीवन---

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि भगवाभीट स्केप स्थित जनपद फैजाबाद में पूरा बाजार, मड़ना, रामपुर पुजारी, काजीपुर होते हुए दिलासी गंज से घाघरा में गिरता है जिसकी लम्बाई कुल लगभग 14 कि0 मी0 है मात्र एक पुल का अभी तक निर्माण किया गया है ? अवागमन की विकट समस्या को देखते हुए हजारों लोगों का आवागमन अवरूद्ध होने के बावजूद अभीतक एक ही पुल निर्मित किये जाने का क्या कारण है ? इस पर योजना पर कुल कितने पुल प्रस्तावित हैं ? कितने का बनना अवशेष है निर्माण में विलम्ब का क्या कारण है ? क्या सरकार शीध्र पुलों का निर्माण कराने पर विचार करेगी ।

श्री लोक पति त्रिपाठी---

भगवाभीट स्केंप जनपद फैजाबाद में पूरा बाजार, मड़ना, रामपुर पुआरी, काजीपुर होते हुए दिलासी गंज के समीप घाघरा नदी में गिरता है जिसकी कुल लम्बाई 16.6 कि0 मी0 है जिस पर 6 पुलों का निर्माण हो चुका है ।

इस परियोजना पर कुल 9 पुल प्रस्तावित हैं तीन पुलों का निर्माण अवशेष है । धन की सीमित उपलब्धता के कारण सभी पुलों का निर्माण नहीं हो सका है । शेष पुलो का निर्माण शीध्र किये जाने का प्रस्ताव है ।

जनपद बांदा के नरैनी तहसील के कतिपय गांवों में ढीली विद्युत लाइनों को ठीक कराया जाना

14---श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा---

क्या ऊर्जा मंत्री कृपा बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्रांक ग 021819/डी0 एम0/दि0 23-10-87 तहसील नरैनी के ग्राम भाऊ तथा ग्राम नन्द वारा में विद्युत के तार ढीले होने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो विद्युत दुर्घटना से बचाने के लिये क्या अविलम्ब विद्युत लाइन के तारों को कड़ा कराया जायेगा ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह---

प्रश्नगत पत्र परिषद् शासन में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है ।

प्रश्नगत ग्रामों की ढीली विद्युत् लाइनों को यथा शीध्र सही करा दिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

15---श्री एहतिशाम वली खां---

(स्पष्ठीकरण हेतु हटाया गया)

16---श्री राम विशुन आजाद---

(9वें बुधवार के लिये स्थगित)

17---श्री बुनियाद हुसैन अंसारी---

(विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त)

बांदा जिले में करवी तहसील में पयस्वनी नदी पर सिंचाई की सुविधा हेतु 20 क्यूसिक से बड़ी योजना के निर्माण का प्रस्ताव की स्वीकृति

18--श्री राम सजीवन--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगें कि बांदा जिले की करवी तहसील में सरगुवा गांव के दक्षिण की ओर पयस्वनी नदी पर बीस क्यूसिक से बड़ी योजना निर्मित करके किसानों को सिंचाई सुविधाए उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है ? यदि हां, तो कब तक इसको स्वीकृति प्रदान कर दी जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोक पति त्रिपाठी--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

19--श्री राम चन्द्र बक्श सिंह--

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त) ।

प्रदेश में विद्युत परिषद, के बड़े बकायेदारों की संख्या एवं बकाये धनराशि के विवरण की जानकारी

20--श्री राम चन्द्र बक्श सिंह--

क्या ऊर्जा मंत्री विधान सभा के प्रथम सत्र 89 के पहले बुधवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 142 के उत्तर के सन्दर्भ में कृपया बतायेंगे कि उत्तर में वर्णित 606 उपभोक्ताओं पर परिषद् का कुल कितना रुपया बाकी है तथा परिषद् के क्रय से 20 बड़ेबकाये-दार कौन हैं और उन पर कितना रुपया अलग-अलग बाकी है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

606 उपभोक्ताओं पर परिषद् का रु0 234.62 करोड़ बाकी था ।

20 बड़े बकायदारों के नाम तथा बकाया राशि निम्नवत् है:--

	(लाख रु0 में)
1--जल संस्थान	8187.00
2--सिंचाई विभाग	4725.00
3--मे0 कनाडिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0, रेनूकूट ..	1954.40
4--मे0 मोदी उद्योग समूह, मोदीनगर	922.00
5--नगर पालिका स्थानीय निकाय	920.00
6--बिहार राज्य	1119.90
7--मे0 हिण्डालको, रेनूकूट, मिर्जापुर	893.00
8--मे0 स्वदेशी काटन मिल, कानपुर	362.00
9--एफ0 सी0 आई0, गोरखपुर	309.82
10--यू0 पी0 स्टेट कारपोरेशन, चुर्क	107.53
11--यू0 पी0 स्टट कारपोरेशन, डाला	192.04
22--अधिक्षण अभिवन्ता ट्रेक्शन, इलाहाबाद	140.63
13--मे0 कौल इण्डिया, लि0	84.49
14--मे0 यू0 पी0 सी0सी0एल0, देहरादून	80.58
15--कजरहट सीमेन्ट कारपोरेशन, चुनार	75.88
16--मंसूरी देहरादून प्रदेय उपक्रम, देहरादून	71.72
17--मे0 भगवान इण्डस्ट्रीज, लखनऊ	68.32
18--मे0 मुजफ्फरनगर स्टील लि0, मुजफ्फरनगर ..	56.32
19--अजन्ता टेक्सटाइल, मेरठ	45.68
20--तायल स्टील प्रा0 लि0, मुजफ्फर नगर .. .	41.99

प्रदेश में राज्य कल्याण कर्मचारी कल्याण निगम के डिपो कर्मचारियों के कार्य को उ० प्र० राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम को हस्तान्तरण एवं वेतन निर्धारण

21--श्री राम आसरे वर्मा---

विधान सभा के प्रथम सत्र 1989 के प्रथम बुधवार के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न स0-16 के उत्तर के तारतम्य में क्या खाद्य मंत्री बतान की कृपा करेंगे कि सम्बन्धित कर्मचारियों को शासन द्वारा आदेशित वेतनमान (राज्य हथकरघा निगम के बराबर) कब से दिया गया है तथा उपरोक्त वेतनमान राज्य कर्मचारी कल्याण निगम डिपो के कर्मचारियों को सुचारु रूप से प्राप्त भी हो रहा है अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो इसमे विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्री हुकुम सिंह---

राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के डिपो कर्मचारियों को हथकरघा निगम के समान वेतनमान शासनादेश स0 सी0-3385/29-3-525/82, 17 दिसम्बर, 1988 द्वारा 21 मई, 1987 से स्वीकृत कर दिये गये हैं पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण की प्रक्रिया की जा रही है।

जनपद बाराबंकी में हरिजन बाहुल्य क्षेत्रों में विद्युतीकरण की मांग

22---श्री अर्जुन सिंह यादव---

22--विधान सभा के प्रथम सत्र 1989 के 1ले बधवार के लिए निर्धारित श्री धनराज यादव के अतारांकित प्रश्न सख्या 13 के उत्तर में संदर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम-बहरौली मजरा मुख्य ग्राम बेलहरी, जनपद बाराबंकी में वित्तीय अभाव में विद्युतीकरण सम्भव नहीं है तो क्या मंत्री जी 89-90 के वित्तीय वर्ष में उक्त मजरे का बिद्युतीकरण हेतु धन की व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह---

जी नहीं।

सीमित संसाधनों के कारण अभी संभव नहीं है।

जनपद सुल्तानपुर के शारदा सहायक खण्ड-के अन्तर्गत 16 सुल्तानपुर में ढुलाई की गयी सीमेन्ट के भुगतान की गयी धनराशि के अपव्यय के सम्बंध में महालेखाकार उ० प्र० द्वारा प्रमाणित रिपोर्ट की जांच

23---श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर में शारदा सहायक खण्ड-16 के अन्तर्गत वर्ष 1982 में चुर्क सीमेन्ट फैक्ट्री से ढुलाई की गयी सीमेन्ट की ढुलाई के भुगतान में कितने धन का अपव्यय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश ने प्रमाणितकिया है ? इस रिपोर्ट की कोई विवभागीय जांच हुई ? यदि हां, तो क्या तथ्य प्रकाश में आये तथा तथ्यों के आधार पर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री लोकपति त्रिपाठी---

जनपद सुल्तानपुर के शारदा सहायक खण्ड-16, सुल्तानपुर के अन्तर्गत वर्ष 1982 में चुर्क सीमेंन्ट फैक्ट्री से ढुलाई गई सीमेन्ट के भुगतान में रु0 75,000 के अपव्यय की गणना महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा की गयी थी। जांच की जा रही है।

मुजफ्फरनगर खण्ड में नहर गंगा मुजफ्फरनगर में पूर्व अधिशासी अभियन्ता (श्री सुरेश चन्द्र गिरि) द्वारा की गयी अनियमितताओं की जांच एवं कृत कार्यवाही

24—श्री राकेश धर त्रिपाठी तथा श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुजफ्फरनगर खण्ड गंगानहर मुजफ्फरनगर में पूर्व अधिशासी अभियन्ता (श्री सुरेश चन्द्र गिरि) द्वारा किये गये अनियमितताओं के पत्रों और इश्तहारों की जांच शासनादेश दिनांक 25 अप्रैल, 1988 द्वारा प्रमुख अभियन्ता (भ्रष्टाचार विरोधी प्रकोष्ठ) सिंचाई विभाग, उ0प्र0 द्वारा करायी गयी जो अधीक्षण अभियन्ता प्रथम मण्डल, मेरठ द्वारा 1 सितम्बर, 1988 में की गयी तथा शासनादेश दिनांक 12 सितम्बर, 1988 द्वारा इन सभी शिकायतों की जांच सिंचाई विभाग के मुख्य प्राविधिक परीक्षक द्वारा करायी गयी, जो दिनांक 20-12-88 को हुई ? इन दोनों जांचों में क्या-क्या अनियमितता पायी गयी तथा पायी गयी अनियमितताओं के आधार पर दोषी कर्मचारियों और अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं हुई, तो क्यों ?

श्री लोक पति त्रिपाठी—

जी हां।

अधीक्षण अभियन्ता द्वारा की गई प्रारम्भिक जांच में तत्कालीन प्रभारी सहायक अभियन्ता श्री गिरि के विरुद्ध फर्जी भुगतान करने, अधिकारों के दुरुपयोग करने, वित्तीय अनियमितता, गलत सूचना देने, तथा एक कर्मचारी श्री सुशील कुमार के प्रति पक्षपातपूर्ण रुख अपनाने की अनियमितायें प्रथम दृष्टया पाई गईं। सबंधित अवर अभियन्ता, उप-राजस्व अधिकारी तथा जिलेदार के विरुद्ध भी आरोप आंशिक रूप से प्रमाणित हुए।

मुख्य प्राविधिक परीक्षक ने अपने पत्र दिनांक 13-2-89 में अपनी आख्या एवं संस्तुति प्रेषित करते हुए शासन को यह सूचित किया कि चूंकि अभिलेखों के आधार पर विस्तृत जांच अधीक्षण, अभियन्ता द्वारा की गई है, अतः अधीक्षक, अभियन्ता के जांच आख्या पर मुख्य अभियन्ता की टिप्पणी प्राप्त करके प्राविधिक संपरीक्षा कोष्ठ की आख्या के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही की जाय।

मुख्य अभियन्ता (गंगा) को निर्देश दे दिया गया है कि वे अधीक्षक, अभियन्ता, प्रथम मण्डल, सिंचाई कार्य, मेरठ की जांच आख्या पर अपनी आख्या तथा संस्तुति प्रमुख अभियन्ता के माध्यम से शासन को भेज दें। वांछित आख्या एव संस्तुति शासन में प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

अधीक्षण अभियन्ता प्रथम मंडल सिंचाई कार्य मेरठ का मुख्य अभियन्ता को पूर्व अधिशासी अभियन्ता श्री सुरेशचन्द्र गिरि द्वारा की गयी अनियमितताओं आदि के संबंध में लिखे गये गोपनीय-पत्र पर कार्यवाही

25—श्री राकेश धर त्रिपाठी तथा श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधीक्षण अभियन्ता प्रथम मण्डल, सिंचाई कार्य मेरठ का मुख्य अभियन्ता को लिखा गया गोपनीय पत्र अ0 शा0 पत्रांक : 8709/1 ई 17/मु0 नगर दिनांक 29-7-88 द्वारा पूर्व अधिशासी अभियन्ता सुरेश चन्द्र गिरि द्वारा नाला नरा दन्धेड़ा दतियाना की पुनरोद्धार परियोजना पर उच्च अधिकारियों को गुमराह करने एवं सरकारी धन के दुरुपयोग व गम्भीर अनियमितायें करने के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर शासन द्वारा कोई कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो विलम्ब का कारण क्या है ?

श्री लोक पति त्रिपाठी---

जी हां ।

मुख्य अभियन्ता (गंगा), सिंचाई विभाग, उ0 प्र0, मेरठ द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम मण्डल, सिंचाई कार्य, मेरठ को श्री सुरेश चन्द्र गिरि का स्पष्टीकरण प्राप्त कर अपनी संस्तुति भेजने के आदेश दिये गये थे । अधीक्षण अभियन्ता ने श्री गिरि का स्पष्टीकरण प्राप्त कर अपनी रिपोर्ट मुख्य अभियन्ता (गंगा) को प्रेषित की परन्तु उक्त आख्या शासन में प्राप्त नहीं हो सकी थी और इसी बीच श्री राम गोविन्द चौधरी, सदस्य विधान सभा के पत्र पर विचार करने के उपरान्त शासनादेश संख्या-239 एम0 ए0/88-23-सि0-10-228/87, दिनांक 12 सितम्बर, 88 द्वारा प्रश्नगत मामले से सम्बन्धित सभी शिकायतों की जांच सिंचाई विभाग के मुख्य प्राविधिक परीक्षक को सौप दी गई ।

तदनुसार शिकायतों की जांच दो प्राविधिक परीक्षकों द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 20-12-88 से 23-12-88 की अवधि में मुजफ्फरनगर जाकर की गई तथा अधीक्षण अभियन्ता द्वारा की गई उपर्युक्त जांच से सम्बन्धित आख्या भी उनके द्वारा प्राप्त की गई ।

मुख्य प्राविधिक परीक्षक ने अपने पत्र दिनांक 13-2-89 में अपनी आख्या एवं सस्तुति प्रेषित करते हुए यह सूचित किया है कि चूंकि अभिलेखों के आधार पर विस्तृत जांच अधीक्षण अभियन्ता द्वारा की गई है, अत: अधीक्षण अभियन्ता की जांच आख्या पर मुख्य अभियन्ता की टिप्पणी प्राप्त करके प्राविधिक संपरीक्षा कोष्ठ की आख्या के परिपेक्ष्य में कार्यवाही की जाय मुख्य प्राविधिक परीक्षक को आख्या स्वीकार करके मुख्य अभिन्यता (गंगाको निर्देश दे दिया गया है कि वे अधीक्षण अभियन्यता, प्रथम मडल, सिंचाई कार्य, मरठ की जांच आख्याव उस पर अपनी आख्या तथा सुंस्तति प्रमुख अभियन्ता के माध्यम से शासन को भेज दें ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सिंचाई विभाग उ0 प्र0 में सहायक अभियन्ता के कथित, पदों को अवर अभियन्ता संवर्ग के पदों की प्रोन्नति द्वारा भरे जाने की मांग

26--कौशिक रमा शंकर --

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई बिभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) संवर्ग के 90 पद, अवर अभियन्ता (यांत्रिक) संवर्ग से प्रोन्नति करके भरे जाने हेतु रिक्त है ? यदि हां, तो यह कब तक भरे जायेंगे ? क्या शासन को यह ज्ञात है कि पिछले पांच वर्षों से इस प्रकार कोई प्रोन्नति नहीं की जा सकी है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) के 90 पदों को अवर अभियन्ता (यांत्रिक) प्रोन्नति देकर भरे जाने का प्रस्ताव प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग से प्राप्त हुआ है ।

इस प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है प्रोन्नति श्रेणी के रिक्त पदों को शीघ्रातिशीघ्र भरे जाने की कार्यवाही प्रगति पर है । फरवरी, 1984 के पश्चात् अवर अभियन्ता (यांत्रिक) से सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) के पदों पर प्रोन्नति द्वारा कोई चयन इस कारण नहीं किया जा सका क्योंकि अवर अभियन्ता (यांत्रिक) से सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) के पदों पर प्रोन्नति हेतु 30-6-87 तक की गणना के आधार पर इनका कोटा पूर्ण था, परन्तु तत्पश्चात् इनका कोटा कुल सवर्ग का 33-1/3% प्रतिशत के आधार पर गणना के फलस्वरूप प्रोन्नति कोटा के लिये पद अधिक उपलब्ध हुए हैं ।

जनपद रामपुर के तहसील शाहाबाद के गांव मधुकर, सेफनी में विद्युत उप केन्द्र लगाये जाने की मांग

27--श्री जागन सिंह--

क्या उर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर के तहसील शाहबाद क्षेत्र के मधुकर एवं सेफनी गांवों में विद्युत उप केन्द्र लगभग 10 वर्षों से स्वीकृत किये जा चुके हैं लेकिन उनका निर्माण अभी प्रारम्भ भी नहीं हुआ है? निर्माण कार्य शुरू न कराये जाने का क्या कारण हैं ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह---

अभी जनपद रामपुर के तहसील शाहबाद के ग्राम मधुकर एव सेफनी में विद्युत उपकेन्द्र स्वीकृत नहीं है। अतः उनका निर्माण प्रारम्भ कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

28--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

(9वें बुधवार के लिये स्थगित)।

ड्रेनेज खण्ड बस्ती द्वितीय द्वारा कतिपय स्थानों पर पुलिया का निर्माण

29--श्री त्रियुगी नारायण मिश्र---

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ड्रेनेज खण्ड बस्ती द्वितीय के अधिकारियों द्वारा 1983-84 में कटिसहरी, गोरेडीह मझौरा तथा डोमरैला पर पुलिया का निर्माण प्रारम्भ किया गया परन्तु आज तक उस पर स्लैप नहीं पड़ा है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी---

जनपद गोरखपुर में गरया ड्रेन पर ड्रेनेज खण्ड द्वितीय बस्ती के सहायक अभियन्ता तृतीय द्वारा 83-84 में ग्राम कटिसहरी, गोरेडीह एव मझौरा पर तथा वर्ष 1984-85 में ग्राम डोमरैला पर पुलिया के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया गया था। पुलियों का निर्माण स्लैब लेबिल के निचले स्तर तक पूर्ण हो गया है परन्तु स्लैब नहीं पड़ा है।

इन पुलियों पर अवर अभियन्ता व सहायक अभियन्ता की शिथिलता के कारण स्लैब नहीं पड़ पाये हैं जिसके लिये उनके विरुद्ध कार्यवाही की जारही है। उपरोक्त चारों पुलियों का स्लैब कार्य जून 1989 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

जनपद गोंण्डा के श्री जगत पाल सिंह को विकलांग कोटे के अन्तर्गत सस्ते गल्ले की दुकान के आवंटन हेतु मा0 मंत्री खाद्य एवं रसद के कथित पत्र पर कार्यवाही

30--श्री प्रभु दयाल प्रधान---

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 5-12-1988 को माननीय खाद्य तथा आपूर्ति मंत्री ने जिलाधिकारी व जिला पूर्ति अधिकारी, गोण्डा को श्री जगत पाल सिंह को विकलांग कोटे के अन्तर्गत कोई सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान न्याय पचायत धनावा के अन्तर्गत दिये जाने के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो क्या श्री सिंह को विकलांग कोटे में दुकान आवंटित कर दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह---

माननीय राज्य मंत्री, खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा दिनांक 5-12-1988 को श्री जगतपाल सिंह के प्रार्थना-पत्र पर जिला पूर्ति अधिकारी, गोण्डा को यह आदेश दिये गये थे कि प्रार्थी विकलांग है तथा शीघ्र नियमानुसार कार्यवाही करायें

जिला खाद्य परामर्शदात्री समिति जनपद गोंडा की दिनांक 29-1-1989 की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि न्याय पंचायत में दुकानों की रिक्तियां विज्ञापित कराकर ही प्रार्थना-पत्र आमन्त्रित किये जायें एवं तत्पश्चात् चयन समिति की अगली बैठक में दुकानें आवंटित करने पर निर्णय लिया जाय। इसके परिणाम स्वरूप न्याय पंचायत धनावां में किसी दुकान का अभी तक आवंटन नहीं किया गया है।

31--कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

(6वें सोमवार में अता 0 प्र 0सं 0 167 के अन्तर्गत स्थानातरित

32--डा 0 बंगाली सिंह--

(9वें बुधवार के लिये स्थगित)।

सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो अधिष्ठान में विशेष कार्याधिकारी के पद का सृजन

33--चौधरी महाराज सिंह, श्री बाबूराम यादव, श्री जगमोहन सिंह यादव, श्री शारदानन्द अंचल तथा श्री गया प्रसाद वर्मा--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो अधिष्ठान में विशेष कार्याधिकारी का कोई पद है ? यदि हां, तो उस पद की अनिवार्य अर्हतायें एवं वरीयता क्या है ? क्या यह पद पूर्व में रखे वेतनमान से निम्न वेतनमान में सृजित किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)--

सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो अधिष्ठान में विशेष कार्याधिकारी का एक नि:संवर्गीय अस्थायी पद विद्यमान है। उ0प्र0 सचिवालय में प्रवर वर्ग सहायक के पद पर कार्यरत ऐसा कर्मचारी जिसे वित्तीय एवं कार्मिक विषयों/नियमों का ज्ञान/अनुभव हो तथा सार्वजनिक उद्यमों एवं स्वशासी संस्थाओं की कार्यप्रणाली/रूप-रेखा से भली भांति परिचित हो।

वर्तमान में इस पद को पूर्व में सृजित पद के वेतनमान से निम्नतर वेत नमान में मितव्ययिता के दृष्टिकोण से सृजित किया गया है।

जनपद जौनपुर में ग्राम निजामुद्दीनपुर का विद्युतीकरण किया जाना

34--कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री जगत नारायण दुबे विभाग संगठन मंत्री निजामुद्दीन पुर जौनपुर के दिनांक 26-10-87 के पत्र पर तत्कालीन राज्य मंत्री ऊर्जा ने अधीक्षण अभियन्ता विद्युत जौनपुर को ग्राम निजामुद्दीनपुर का विद्युतीकरण तत्काल कराये जाने के आदेश किये थे ? यदि हां, तो उक्त ग्राम का विद्युतीकरण अब तक न कराये जाने का क्या कारण है तथा इसका विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायगा ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

जी हां।

वर्ष 1988-89 में प्रश्नगत ग्राम को विद्युतीकरण हेतु ले लिया गया था परन्तु संसाधन के अभाव में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका। संसाधनों की उपलब्धता पर ग्राम का विद्युतीकरण निर्भर है।

35--श्री महावीर सिंह राणा--

(7वें शुक्रवार में अता 0प्र 0सं 0 51 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

36--श्री महावीर सिंह राणा--

(7वें शुक्रवार में अता 0 प्र 0 सं 0 52 के अन्तर्गत स्थानान्तरित) ।

उ0 प्र0 अधिनियम 13 में संशोधन करके विकलांग मकान मालिकों को मकान का कब्जा दिलाने की मांग

36---कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र 0 अधिनियम 13 मेंसंशोधन कर विकलांग मकान मालिकों के हित में उनके मकान, उनकी आवश्यकता पर बिना मुकदमेबाजी के उन्हें खाली कराकर दिलाये जाने पर शासन विचार कर रहा है जिससे विकलांग मकान मालिक अपने सम्पत्ति के अधिकार का अधिक मानवीयता से उपयोग कर सके ? यदि हां, तो यह संशोधन कब तक कर दिया जायगा ?

श्री हुकुम सिंह--

जी हां । मामले में यथाशीघ्र निर्णय लिया जायेगा ।

उ0 प्र0 राज्य सीमेन्ट निगम को हो रहे घाटे का विवरण, उत्पादन बढ़ाने एवं घाटा कम करने हेतु किये गये प्रयास

37--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र 0 राज्य सीमेन्ट निगम में उत्पादन में वर्ष 1984-85 से वर्ष 1987-88 तक लगभग 82.8 करोड़ रुपय का घाटा हुआ है ? यदि हां, तो क्या निगम को होने वाला घाटा कम करने के लिए प्रयास किया गया ? यदि हां, तो क्या ? क्या यह सत्य है कि निगम हेतु लाभकारी नीति न अपनाकर हालटेक श्री तालचेकर, जे 0 के 0 सीमेन्ट फैक्ट्री के श्री अजीत ठाकुर एवं ओरिएण्ट सीमेन्ट फैक्ट्री के श्री कैलाश नाथ को उ0 प्र 0 राज्य सीमेन्ट निगम के निदेशक मण्डल में निदेशक बनाकर चुनार चुर्क सीमेन्ट फैक्ट्री को निजी सीमेन्ट मालिकों के हाथ बेचने का प्रयास किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो श्री तालचेकर, श्री ठाकुर श्री नाथ को निदेशक नियुक्त करने का औचित्य क्या है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

वर्ष 1984-85 से वर्ष 1987-88 तक की अवधि में उ0 प्र 0 राज्य सीमेन्ट निगम में कुल 68.23 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है ।

निगम द्वारा उत्पादन को बढ़ाने एवं उत्पादन लागत को कम करने के सभी सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं ।

निगम द्वारा घाटा कम करने हेतु जो प्रयास किये जा रहे हैं उनका विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है ।

जी नहीं ।

श्री के 0 वी 0 तालचेकर, डा 0 अजीत के 0 ठाकुर एवं श्री कलाश नाथ सीमेन्ट उद्योग जाने माने तकनीकी विशेषज्ञ हैं जिन्हें सीमन्ट उद्योग में काम करने का दीर्घ अनुभव है । इन तीनों की तकनीकी योग्यता एवं अनुभव का लाभ प्राप्त करने के लिये उन्हें निदेशक मण्डल में निदेशक रखा गया है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 172 पर)

श्री विशेश्वर दयाल मिश्र वरिष्ठ लिपिक उन्नाव खण्ड उन्नाव शारदा नहर के विरुद्ध कुंवर मानवेन्द्र सिंह, विधायक के पत्र पर जांच

38--श्री कामेश्वर उपाध्याय--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री विश्वेश्वर दयाल मिश्र वरिष्ठ लिपिक उन्नाव खण्ड उन्नाव शारदा नहर के विरुद्ध कु0 मानवेन्द्र सिंह विधायक का शिकायती पत्र नवम्बर, 1988 में सिंचाई मंत्री/सचिव सिंचाई को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोक पति त्रिपाठी--

जी हां । शिकायती पत्रों पर जांच की जा रही है ।

सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली की अवहेलना के तहत (जिला पूर्ति अधिकारी कानपुर नगर (श्री यमुना शंकर मिश्र) के विरुद्ध जांच

39--श्री मैनेजर सिंह--

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री यमुना शंकर मिश्र जिला पूर्ति अधिकारी कानपुर नगर जब अप्रैल 1987 में दुर्घटनाग्रस्त हुए तो क्या वह कानपुर के एक व्यापारी के साथ उसी की मारुती कार द्वारा लखनऊ की सैर करने आये थे ? क्या उन्होंने सम्बन्धित व्यापारी के साथ लखनऊ आने की अनुमति अपने जिलाधिकारी से प्राप्त की थी ? किसी जिलापूर्ति अधिकारी का अपने विभाग के एक व्यापारी के साथ उसी की कार में यात्रा करना सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली की अवहेलना होने के कारण शासन ने श्री मिश्रा के विरुद्ध इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह--

प्रश्नगत प्रकरण की जांच अभी प्रक्रिया में है । अतः इस स्तर पर इस सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

उ0 प्र0 राज्य कताई मिलों के संयुक्त प्रबन्ध निदेशक (जे0 एम0 डी0) के विरुद्ध मुख्य आरोपों की जानकारी

40--श्री जय नारायण तिवारी--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य कताई मिलों के संयुक्त प्रबन्ध निदेशक (जे0 एम0 डी0) इस समय निलम्बित कर दिये गये है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध मुख्य आरोप क्या हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जी हां ।

श्री आर0 सी0 गुप्ता संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, यू0 पी0 स्टेट स्पि0 मिल्स कं0 नं0-1 को दिनांक 26-12-88 को निलम्बित किया गया था ।

श्री गुप्ता के विरुद्ध एन्सियेन्ट इंडिया एवं उसकी सहायक कम्पनियां, जो श्री आर0 सी0 गुप्ता के पुत्र श्री अश्विनी कुमार द्वारा संचालित बतायी जाती हैं, के स्टोर सामान जैसे ट्रालीज, पुली, बाबिन्स इत्यादि सामानों की आपूर्ति कम्पनी नं0-1 की इकाईयों में कराया जाना तथा अनियमित रूप से साधू राम एण्ड कम्पनी भटिडा से विभिन्न दिनांकों को रूई क्रय किये जाने अथवा कराये जाने के आरोप हैं ।

जनपद फैजाबाद में अकबरपुर स्थित कताई मिल कं0 नं0–1 घटित गोलीकांड के घटना की जानकारी

41––श्री जय नारायण तिवारी––

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1979 में 14 अप्रैल को अकबरपुर, जनपद फैजाबाद की राज्य कताई मिल नं0-1 पर घटी गोली काण्ड घटना के सम्बन्ध में तत्कालीन मुख्य अधिशासी अभियन्ता कताई मिल ने विभाग को जो रिपोर्ट भेजी है, उनको तथा घटना के सम्बन्ध में जिलाधिकारी फैजाबाद द्वारा अपने क्रैश वायरलेस के पुष्टि में जो रिपोर्ट शासन को भेजी है, को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे तथा यह भी बताने की कृपा करेंगे कि क्या मुख्य अधिशासी ने अपनी रिपोर्ट में घटना के पूर्व परगनाधिकारी व क्षेत्रीय उप पुलिस अधीक्षक का मिल प्रांगण में अपनी फोर्स के साथ उपस्थित होना स्वीकार किया है और जिलाधिकारी फैजाबाद ने अपने क्रैश वायरलेस की पुष्टि में भेजे गये पत्र में घटना के लिए जिम्मेदार तत्कालीन मुख्य अधिशासी अभियन्ता को माना है? यदि हां, तो मुख्य अधिशासी अभियन्ता के विरूद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी––

दिनांक 14 अप्रैल, 1979 को अकबरपुर स्थित कताई मिल कं0 नं0-1 में घटी गोली काण्ड की घटना के सम्बन्ध में तत्कालीन मुख्य अधिशासी श्री आर0 सी0 गुप्ता द्वारा विभाग को दिनांक 16-4-79 को जो रिपोर्ट प्रेषित की गई थी, उसमें इस तथ्य का उल्लेख किया गया था कि तत्कालीन परगनाधिकारी व सर्किल आफीसर (पुलिस) घटना के समय मिल के प्रशासनिक भवन में थे ।

उक्त गोली काण्ड की घटना के विषय में तत्कालीन जिलाधिकारी, फैजाबाद द्वारा दिनांक 16-4-79 को शासन को जो रिपोर्ट प्रेषित की गयी थी उसमें यह इंगित किया गया था कि तनावपूर्ण स्थिति में मुख्य अधिशासी का योगदान था ।

कोई कार्यवाही नहीं की गई थी ।

घटना एवं उससे उत्पन्न संबद्ध विषयों के सम्बन्ध में तत्कालीन, उप मुख्य मंत्री जी (उद्योग) की अध्यक्षता में दिनांक 19-5-79 को एक उच्च स्तरीय बैठक हुयी थी, जिसमें अन्य के अतिरिक्त, यह भी निर्णय लिया गया था कि श्री आर0 सी0 गुप्ता मुख्य अधिशासी को हटाये जाने का औचित्य नहीं है ?

42––श्री यदुनाथ सिंह––

[दिनांक 22-2-89 को अतारांकित प्रश्न संख्या 19 द्वारा उत्तरित]

रामगढ़ (गोरखपुर) परियोजना की कुल स्वीकृत अनुमानित लागत एवं व्यय का ववरण

43––श्री हृदय नरायन दीक्षित तथा श्री हरिशंकर तिवारी––

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामगढ़ (गोरखपुर) परियोजना की कुल स्वीकृत अनुमानित लागत क्या है और इसमें अबतक कितना रुपया व्यय किया ? क्या यह सच है कि जितनी धनराशि व्यय हुई है काम उससे बहुत कम हुआ है । यदि नहीं, तो क्या योजना के प्रारम्भ काल से अब तक ठेकेदारों की सूची और उन्हें हुए भुगतान का विवरण सरकार सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी––

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ड्रेनेज प्रखण्ड गोरखपुर द्वारा योजना में किये गये कथित घाटे की जांच

44--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या सिचाई मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता ने 12 फरवरी, 1989 को अपने पत्र द्वारा अधिशासी अभियन्ता श्री शर्मा ड्रेनेज प्रखण्ड, गोरखपुर को सूचना दी है कि प्रखण्ड द्वारा कराये गये 50 लाख रु0 की योजना में भारी घपला हुआ है एवं सम्बन्धित कागजात को जब्त कर पूरी जांच करायी जाय ? यदि हां, तो क्या समस्त अभिलेख जब्त कर जांच की कार्यवाही शुरू की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

ड्रेनेज प्रखण्ड, गोरखपुर में माननीय विधायक जी का दिनांक 12-2-89 को कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है और न ही ड्रेनेज प्रखण्ड, गोरखपुर में कोई श्री शर्मा नाम के अधिशासी अभियन्ता या सहायक अभियन्ता कार्यरत हैं ।

माननीय विधायक जी का पत्र दिनांक 20-2-89 मुख्य अभियन्ता (गण्डक) को दिनांक 20-2-89 को प्राप्त हुआ है जिसमें मखनहा बांध में कार्यरत अवर अभियन्ता श्री राम बिलास मिश्रा द्वारा फर्जी मस्टर रोल बिना निविदा एवं अन्य निर्देशों के पूरा किये, करीब 50 लाख रुपये के कार्य कराने एवं उसमें भारी गोलमाल एवं घपला की बात कही गई है । इसके अलावा समस्त अभिलेख नियंत्रण में लेने एवं खुली जांच कराने का भी उल्लेख किया गया है ।

श्री राम बिलास मिश्रा, अवर अभियन्ता के विरुद्ध एक अन्य शिकायतकर्ता की शिकायत के सन्दर्भ में मखनहा बांध पर वर्ष 1988-89 में कराये गये कार्यों की प्रारम्भिक जांच अधिशासी अभियन्ता ड्रेनेज प्रखण्ड, गोरखपुर द्वारा माह फरवरी, 1989 में की गई । शिकायत सही नहीं पाई गई तथा कार्य में कोई अनियमितता नहीं पाई गई । फलस्वरूप अभिलेखों के सील बन्द कर नियंत्रण में लेने का प्रश्न नहीं उठता है परन्तु माननीय विधायक जी के शिकायती पत्र में उठाये गये बिन्दुओं पर दो अधिशासी अभियन्ताओं की जांच समिति मुख्य अभियन्ता (गण्डक) द्वारा नियुक्त कर दी गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देहरादून के ग्राम फांगसी में टूटे लकड़ी के खंभों को बदलवाकर विद्युत आपूर्ति की मांग

45--श्री सुखपाल पाण्डे--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देहरादून जनपद में डोईवाला विकास खण्ड के ग्राम-फांगसी में बिजली की लाइन के लकड़ी के खम्भे टूट जाने के कारण आधे ग्राम में गत छः माह से विद्युत् आपूर्ति नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो मंत्री जी यथाशीघ्र लकड़ी के खम्भों को बदलवाने के आदेश निर्गत कर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

जी नहीं, देहरादून जनपद के विकास खण्ड डोईवाला के ग्राम फागसी में दो लकड़ी के खम्भे टूट जाने के कारण केवल एक उपभोक्ता को विद्युत् आपूर्ति नहीं की जा रही है ।

लकड़ी के खम्भों को बदलने का कार्य प्रगति पर है परन्तु कार्य पूर्ण होने पर भी उक्त उपभोक्ता को विद्युत आपूर्ति तब तक सम्भव नहीं हो सकेगी जब तक कि वह समस्त विद्युत बिलों का भुगतान न कर दें ।

उन्नाव जनपद के पुरवा तहसील में श्रवणताला ड्रेन की रीमार्डलिंग योजना के अन्तर्गत किये गये कार्य के लिये भुगतान का विवरण

46--श्री हृदय नरायन दीक्षित--

क्या सिंचाई मंत्री विधान सभा के वर्ष 1989 के प्रथम सत्र के प्रश्नकर्ता के तीसरे बुधवार के तारांकित प्रश्न संख्या-5 के उत्तर के सम्बन्ध में बतायेंगे कि सरवन ताल ड्रेन की खुदाई में रास्ते में पड़ने वाली झीलों की लम्बाई क्या है ? झीलों के नाम क्या हैं ? खुदाई का भुगतान कितनी लम्बाई का हुआ है ? कुल भुगतान कितना हुआ है ? क्या यह सच है कि वे झीले सरवन ड्रेन के रास्ते में नहीं पड़ती हैं ? घोटाले के इस प्रकरण के दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री लोक पति त्रिपाठी--

सरवन ताल ड्रेन की खुदाई में रास्ते में पड़ने वाली झीलों, तालाबों अथवा अन्य स्थानीय निचले भाग का कुल लम्बाई 2 मील 2 फरलांग 230 फिट थी जिसमें कार्य नहीं कराया गया। सरवन ताल ड्रेन मुख्यत: बसहा डिप्रेशन तथा पुरेन ताल (सरवन ताल) को जोड़ती है। खुदाई का भुगतान 15 मील, 6 फर्लांग 430 फ़ीट में हुआ है। कुल भुगतान 6,07,552.70 रुपये हुआ है। जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता है।

सरयू एवं राप्ती नदी की बाढ़ से बचाव की योजना की जानकारी

47--श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरयू और राप्ती नदी की बाढ़ से बचाव के लिए सरकार किसी योजना को बनाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोक पति त्रिपाठी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद रायबरेली के देवपुरी माइनर के निर्माण में अधिगृहीत भूमि के मआवजा का भुगतान किया जाना

48--श्री राकेशधर त्रिपाठी--

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद रायबरेली में तहसील महराजगंज के अन्तर्गत नहर कोठी बछरांवा में आने वाली देबपुरी माइनर जो ग्राम थुलेड़ी से होकर जाती है को बने हुए लगभग 5 साल हो गये हैं ? यदि हां, तो उक्त माइनर में पड़ने वाले किसानों के खेतों का मुआवजा उन्हें दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सच है कि जिलाधिकारी राय बरेली ने अपने पत्र संख्या 27 / आठ / वि0भू0अ0आ0 (सा0स0), दिनांक 19-3-87 को विशेष कार्याधिकारी सिंचाई विभाग, कार्यालय मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 को किसानों को मुआवजा दिलाये जाने के सन्दर्भ में धारा-4 व 6 के प्रकाशन हेतु भेजा है ? यदि हां, तो सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अब तक कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री लोक पति त्रिपाठी--

मुआवजा अभी नहीं दिया गया है। जनपद राय बरेली में देवपुरी माइनर के निर्माण से सम्बन्धित धारा 4(1) व 6(1) की विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है। उक्त विज्ञप्तियों का राजकीय गजट में प्रकाशन व अभिनिर्णय घोषित होने के उपरान्त कृषकों को मुआवजा वितरित कर दिया जायेगा।

अवर अभियन्ता श्री रामपति शारदा सहायक खण्ड–43, फैजाबाद के स्थानान्तरण का स्थगन

49––श्री राकेशधर त्रिपाठी–––

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रामपति अवर अभियन्ता, शारदा सहायक खण्ड-43 फैजाबाद का स्थानान्तरण शिकायतों के अधार पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा किया गया था ? यदि हां तो शासन के आदेश का पालन करते हुए विभाग द्वारा उक्त अवर अभियन्ता को कार्यमुक्त कर दिया गया है ? यदि हां तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोक पति त्रिपाठी–––

जी हां । वर्णित खण्ड के श्री रामपति, अवर अभियन्ता का स्थानान्तरण प्रमुख अभियन्ता द्वारा किया गया था जिसे विचारोपरान्त दिनांक 30-4-89 तक के लिए स्थगित किया गया है ।

बस्ती जनपद के बखरा झील की जल भराव की समस्या के निदान हेतु प्रस्तावित धनराशि तथा चोरमा नाले को गहरा कराने हेतु आवंटित धनराशि के विवरण की जानकारी

50––श्री राजकिशोर सिंह–––

क्या सिंचाई मंत्री विधान सभा के प्रथम सत्र 1989 के तीसरे बुधवार के लिये निर्धारित प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्न संख्या-3 के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के खलीलाबाद कस्बे के उत्तर स्थित बखिरा झील के जल-भराव की समस्या के निदान के लिए प्रस्तावित योजना के लिए कुल कितना धन स्वीकृत हुआ है और निर्माण कार्य किस विभाग को दिया गया है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि चोरमा नाले को गहरा करने का कार्य प्रारम्भ हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोक पति त्रिपाठी––

तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा चोरमा नाले की योजना 34.41 लाख रुपये की स्वीकृत हुई है जिसमें कार्यों की लागत 30.73 लाख रुपये है वर्ष 1988–89 हेतु 12.00 लाख का आवंटन हुआ । निर्माण कार्य सिंचाई विभाग द्वारा सम्पादित कराया जा रहा है । जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देहरादून के ग्राम घमण्डपुर में फेल हुए नलकूप का पुनः छिद्रीकरण करके कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जाना

51––श्री सुखपाल पाण्डे––

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देहरादून में विकास खण्ड डोईवाला के ग्राम घमण्डपुर में नलकूप फेल हो जाने पर पुनः नलकूप का छिद्रीकरण किया गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि एक वर्ष से भी अधिक अवधि व्यतीत होने पर भी सन्दर्भित नलकूप द्वारा कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध क्यों नहीं करायीं जा सकी है ?

श्री लोक पति त्रिपाठी––

जी हां, जनपद देहरादून के विकास खण्ड डोईवाला के ग्राम घमण्डपुर में राजकीय नलकूप संख्या-18 डी0डी0 के फेल हो जाने पर उसका पुनः छिद्रीकरण तथा पम्प हाऊस का निर्माण कार्य माह 1/88 में पूर्ण कर लिया गया है । विद्युत विभाग द्वारा कूप का उर्जीकरण न किये जाने के कारण कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है ।

जनपद बरेली के ग्राम खमरिया के निकट बहुगुल (पश्चिमी) नदी पर कच्चे बांध के स्थान पर पक्का बांध बनाने की परियोजना को स्वीकृति कराकर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने की माँग

52---श्री जयदीप सिंह बरार---

विधान सभा के प्रथम सत्र 1989 के दूसरे बुधवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या-3, नत्थी (ग) के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत बांध के स्थान पर पक्का बांध बनाने के औचित्य को सरकार स्वीकार करती है ? यदि हां, तो इस परियोजना को विस्तृत रिपोर्ट, सिंचाई विभाग को अनुसन्धान तथा अन्वेषण इकाई बरेली से तीन माह, अथवा जो शीघ्रातिशीघ्र समय शासन निर्धारित करे, के भीतर मंगाकर परियोजना की स्वीकृति तथा इस पर कार्य प्रारम्भ करने की घोषणा सरकार तत्काल करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोक पति त्रिपाठी---

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

52---(अ) श्री जयदीप सिंह बरार---

विधान सभा के प्रथम सत्र 1989 के दूसरे बुधवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या-3, नत्थी (ग) के उत्तर के सन्दर्भमें **क्या** सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत मामले में कच्चे बांध के स्थान पर पक्का बांध बनाने का मामला नए सिंचन संकर्म के निर्माण का मामला नहीं है जो इसे केन्द्रीय जल आयोग को स्वीकृति हेतु भेजा जाए ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इस बांध के निर्माण को शासन के स्तर से अविलम्ब प्रारम्भ कराने का कष्ट करेंगे ? क्या यह सही है कि यह पुराना सिंचन संकर्म है तथा पक्के बांध के बनाने में इसका आधुनिकीकरण होगा तथा आधुनिकीकरण के मामले में केन्द्रीय जल आयोग की स्वीकृति की नियमानुसार आवश्यकता नहीं है ? यदि हां, तो क्या शासन अविलम्ब उक्त पक्के बांध का निर्माण करायेगा ?

श्री लोक पति त्रिपाठी---

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो विभाग के अधिकारियों को सभी निगमों निदेशक मंडल में विशेष आमंत्री अथवा निदेशक के रूप में नामित किये जाने की मांग

53---श्री शफीकुर्रहमान वर्क---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक उद्यम विभाग के अधिकारी राज्य उद्यमों के बोर्ड पर विशेष आमंत्री अथवा निदेशक के रूप में नामित हैं और प्रबन्ध बोर्डों की बैठकों में भाग ले रहे हैं ? यदि हां, तो उनकी सहायक कम्पनियों / सहायक संस्थाओं हेतु भी यह व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या विशेष आमंत्री एवं निदेशक को निगमों / उपक्रमों के अधिनियम विशेष में समान दर्जा है ? यदि नहीं, तो नामित किये जाने वाले अधिकारी को केवल निदेशक के ही रूप में नामित करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

जी हां ।

जी नहीं ।

सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो में श्रेणी-1 के अधिकारियों की संख्या पर्याप्त न होने के कारण यह व्यवहारिक नहीं है कि सभी उद्यमों को मुख्य कम्पनियों तथा उनकी सहायक कम्पनियों के निदेशक मण्डल में निदेशक अथवा विशेष आमंत्री के रूप में ब्यूरो के अधिकारीगण भाग ले सकें ।

जी नहीं । निगमों के आर्टिकिल्स आफ एसोसियेशन अधिनियम में निदेशकों को निर्धारित संख्या, प्राविधान एवं रिक्तियों को दृष्टिगत रखते हुए निगमों के निदेशक मंडल में ब्यूरो के अधिकारियों को निदेशक के रूप में नामित करने के संबंध में यथाशीघ्र विचार कर लिया जायेगा ।

अन्य प्रश्न नहीं उठता ।

54:–श्री राम आसरे वर्मा––

('माननीय सदस्य द्वारा वापस ले लिया गया ।).

55––श्री अवधेश प्रसाद––

(6वें सोमवार में अतां0 प्र0 सं0 170 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।)

जनपद एटा के विधान सभा क्षेत्र जलेसर के कतिपय माइनरों में टेल तक पानी न पहुंचने की शिकायत

56––श्री प्रेम पाल सिंह––

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा विधान सभा क्षेत्र जलेसर में सौना माइनर, गोंथुआ माइनर, सकरौली माइनर, उडेरी माइनर, राजवली माइनर, पोडरी माइनर आदि की टेल तक पानी कभी नहीं पहुंचता है और किसानों की फसल सूख जाती है ? क्या मंत्री जी इन माइनरों की टेल तक पानी पहुंचवाने के आदेश देंगे और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी––

जनपद एटा विधान सभा क्षेत्र जलेसर में सोना माइनर, गोथुवा माइनर (गोथुआ नहीं), सकरौली राजवाहा सिकरौला (माइनर नहीं) उडेरी माइनर, रजावली माइनर व पोडरी माइनर आदि की टेलों पर पानी पहुंचता है । रबी 1396 (1988–89) में किसानों की फसल सूखने की कोई सूचना नहीं है ।

टेल तक अधिक से अधिक जल पहुंचे, इसके लिये विभाग प्रयत्नशील है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

क्योंकि कोई अधिकारी दोषी नहीं है ।

देवरिया जनपद के कसया के निकट कसया में हलूडीह ड्रेन पर पुल के निर्माण में अनियमितता के आरोप की जांच

57––श्री सूर्य प्रताप शाही––

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि देवरिया जनपद के कसया के निकट गण्डक नहर 10 द्वारा कसया मल्लूडीह ड्रेन पर ग्राम प्रेमवलिया हतवा के निकट पुल का निर्माण कराया जा रहा है ? क्या यह सच है कि दिनांक 14–5–88 को अवर अभियंता, श्री मुकेश कुमार श्रीवास्तव और ठेकेदार को उपस्थिति में बिना समुचित प्रकाश की व्यवस्था किय रात्रि में कार्य हो रहा था और उसी दिन रात्रि के समय फाउन्डेशन पर मिट्टी गिरने

से दब कर रईस निवासी ग्राम-रामनगर बाजार की तत्काल मृत्यु हो गयी और मुन्ना पुत्र यसुफ मिस्त्री निवासी कसया तथा नगीना पुत्र जान मोहम्मद निवासी प्रेमवलिया गम्भीर रूप से घायल हो गये ? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त पुल के निर्माण में की जा रही धांधंली और अनियमितता के विरुद्ध तत्कालीन जिलाधिकारी, देवरिया ने 26 मई, 1988 को मुख्य अभियन्ता, गण्डक , सिंचाई विभाग, गोरखपुर से उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी लोगों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही हेतु पत्र लिखा था ? यदि हां, तो क्या जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच निष्कर्ष क्या है ? यदि नहीं, तो जांच न कराने का कारण क्या है ?

श्री लोक पति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद गोण्डा के नेवलगढ़ एवं पकड़ी परियोजना के निर्माण की मांग

58—श्री अरुण प्रताप सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में वर्ष 1962 में चित्तौड़-गढ़ परियोजना के साथ नेवलगढ़ परियोजना एवं पकड़ी परियोजना की स्वीकृति प्रदान की थी और कमाण्ड एरिया निर्धारित किया था ? यदि हां, तो अभी तक नेवलगढ़ एवं पकड़ी रिजर्वायर पर कार्य प्रारम्भ क्यों नहीं किया गया ? कमाण्ड एरिया में सिंचाई की सुविधा किन स्रोतों से प्रदान की जायेगी और कब तक ?

श्री लोक पति त्रिपाठी—

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता है । प्रश्नगत कमाण्ड एरिया में सिंचाई सविधा देने के बारे में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है । जहां तक नलकूपों द्वारा सिंचाई का प्रश्न है, इस क्षेत्र में अन्वेषणात्मक छिद्रण कराने के बाद ही कार्यवाही की जायगी ।

पूर्व सरयू नहर खण्ड (द्वितीय) से स्थानान्तरित अवर अभियन्ता (श्री लक्ष्मी प्रसाद यादव) द्वारा सम्पूर्ण चार्ज दिये जाने एवं अवशेषों के भुगतान की मांग

59—श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंग कि पूव सरयू नहर खण्ड (द्वितीय) से स्थानान्तरित अवर अभियंता (श्री लक्ष्मी प्रसाद यादव) ने अपना संपूर्ण चार्ज अभी नहीं दिया ? यदि नहीं, तो विभाग ने सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त करने हेतु क्या-क्या कार्यवाही की तथा उनके द्वारा छोड़े गये अधूरे कार्यों को सम्पूर्ण कराने की क्या कार्यवाही की गई तथा उनके द्वारा कराये गये किन-किन कार्यों का अंतिम भुगतान बाकी है । इन बकायों का भुगतान कब तक किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोक पति त्रिपाठी—

जी हां । अभी आंशिक कार्यभार सौंपा है । अवशेष भण्डार के हस्तगत न करने के कारण रु0 2,59,240 की धनराशि अवर अभियन्ता के नामे प्रकीर्ण अग्रिम में डाली गयी है और अभिलेख नहीं दिये हैं उसके लिये उन्हें लिखा गया । अधूरे कार्य पूरे कराये गये । रुपये 3050 के मिट्टी के अधूरे कार्य की माप पुस्तिका एवं सम्बन्धित अभिलेख प्राप्त करने हेतु अवर अभियन्ता को लिखा गया । मिट्टी के, ट्यूबेलर शैड में टाइ लगाने के एवं प्रान्तीय मार्ग पुल के कार्यो के अन्तिम भुगतान बाकी है । अन्तिम भुगतान हेतु कार्यवाही प्रगति पर है ।

जनपद फैजाबाद में टांडा स्थित थर्मल प्रोजेक्ट टांडा से प्रभावित पेड़ों के बकाये प्रतिकर के भुगतान की मांग

60--श्री गोपी नाथ वर्मा--

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 28-7-83 रजि0 प0सं0 2660 ग्राम दरवेशपुर, तह0 व परगना टांडा, जनपद फैजाबाद में स्थित थर्मल प्रोजेक्ट टांडा से प्रभावित पेड़ों का बकाया प्रतिकर न दिये जाने से संबंधित आवेदन पत्र के साथ प्रश्नकर्ता का कोई पत्र प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो क्या संबंधित मामले पर उचित कार्यवाही के पश्चात् पड़ों का प्रतिकर भुगतान कर दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

इस विषय में जानकारी प्राप्त की जा रही है एवं यदि पेड़ों का प्रतिकर बकाया है तो उसका भुगतान कर दिया जायगा ।

जनपद गोण्डा के चित्तौड़गढ़ बांध परियोजना में अधिग्रहीत भूमि से संबंधित काश्तकारों की संख्या और उनके आश्रितों को नौकरी में लिये जाने की मांग

61--श्री अरुण प्रताप सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में चित्तौड़गढ़ बांध परियोजना में किन-किन काश्तकारों की भूमि अधिग्रहीत की गई थी और क्या उनके आश्रितों को परियोजना में नौकरियां दी गयीं ? यदि नहीं, तो क्या उनके आश्रितों को नौकरी दी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लोक पति त्रिपाठी--

जी हां । विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी गोण्डा के सूचना के अनुसार चित्तौड़-गढ़ बांध परियोजना में अब तक कुल 1209 काश्तकारों की भूमि अधिग्रहीत की गयी । जी नहीं । इस संबंध में परीक्षण किया जा रहा है ।

जनपद गोण्डा के कबही नाले पर लिफ्ट निर्माण की मांग

62--श्री अरुण प्रताप सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 9 मार्च, 1987 को मुख्य अभियंता पूर्वी नहर एवं बाढ़ को पत्र लिखा था कि जनपद गोण्डा के कबही नाले पर एक लिफ्ट स्कीम का निर्माण कराया जाय ? यदि हां, तो क्या मुख्य अभियन्ता ने मुख्य अभियन्ता नलकूप पूर्व को अपने पत्र संख्या-एम0 128/मु0अ-पूनबा0 पी-1 दिनांक 8 अप्रैल, 1987 को सर्वेक्षण कराकर अग्रिम कार्यवाही करने का आदेश दिया था ? यदि हां, तो इस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री लोक पति त्रिपाठी--

जी हां । जी हां । अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल फैजाबाद द्वारा सर्वेक्षण कराया गया जिससे यह निष्कर्ष निकाला कि लिफ्ट नहर का निर्माण कराया जाना उपयुक्त नहीं है ।

विधान सभा क्षेत्र मिल्कीपुर, फैजाबाद के ओला वृष्टि से प्रभावित किसानों को दी गयी छूट का विवरण

63--श्री मित्र सेन--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मिल्कीपुर, फैजाबाद में फरवरी, 1988 में ओला वृष्टि से हुई क्षति के कारण सिंचाई में किसानों को कितनी छूट दी गई ? रा0 नलकूप प्रथम तथा द्वितीय खण्ड फैजाबाद द्वारा उक्त क्षेत्र में दी गयी छूट की धनराशि अलग-अलग क्या है ? काश्तकारों को उक्त छूट न मिलने का क्या कारण है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

विधान सभा क्षेत्र मिल्कीपुर, जनपद-फैजाबाद में माह फरवरी, 1988 में ओला वृष्टि से हुई क्षति से सिंचाई खण्ड, फजाबाद के अन्तर्गत पड़ने वाले 17 ग्रामों के सिंचित नहरी क्षत्र में रु 0 29,152.83 धनराशि की छूट दी गई है। नलकूप खण्ड-प्रथम एवं द्वितीय, फजाबाद के अन्तर्गत 36 ग्रामों में रु 0 48,156.75 धनराशि की छूट दी जानी है। राजकीय नलकूप खण्ड प्रथम तथा द्वितीय खण्ड, फैजाबाद द्वारा सिंचित क्षत्र में छूट देने की धनराशि क्रमश: रु 0 15,172.85 एवं 32,983.90 है। सिंचाई खण्ड, फैजाबाद द्वारा खरीफ 1396 फसली (1988-89) की जमाबन्दी में छूट की धनराशि रु 0 29,152.83 का अमल दरामद कराकर तह सीलदार, बीकापुर को माह दिसम्बर 1988 में भजी जा चुकी है। राजकीय नलकूप खण्ड प्रथम तथा द्वितीय खंड, फैजाबाद में 48,156.90 रु 0 धनराशि की छूट जिलाधिकारी, फैजाबाद की स्वीकृति के उपरान्त दी जायगी।

माइनर निकालने हेतु बांदा जनपद के ग्राम लहुरेटा के ग्राम प्रधान का कथित पत्र

64--श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ बांदा जनपद के ग्राम लहुरेटा के ग्राम प्रधान श्री सादिक हुसैन का पत्र संख्या ए-180/सि0/88, दिनांक 6-4-88 माइनर निकालने के संबंध में सिंचाई राज्य मंत्री को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो माइनर का सर्वेक्षण किस कर्मचारी/अधिकारी द्वारा कराया गया तथा सर्वेक्षण एवं प्राक्कलन रिपोर्ट क्या है और कब तक माइनर बनने का कार्य प्रारम्भ हो जायगा ?

श्री लोक पति त्रिपाठी---

जी हां। माइनर निकालने के संबंध में सर्वेक्षण कार्य श्री सैय्यद वाजिद अली जैदी, अवर अभियन्ता द्वारा किया गया। सर्वेक्षण के पश्चात् विचारोपरान्त यह पाया गया कि माइनर निकालने का प्रस्ताव साध्य नहीं है।

बांदा जनपद के ग्राम प्रेमपुर में असिंचित भूमि की सिंचाई के लिये माइनर निकाले जाने का प्रस्ताव

65---श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा---

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि संयुक्त सचिव श्री देवेन्द्र सिंह सिंचाई अनुभाग (4) उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ने अपने पत्रांक अर्द्धशा0 प0 सं0-3182/87-23-सि0 4-28 वी0 आई0 पी0, दिनांक 23 जून, 1987 द्वारा प्रश्नकर्ता को अवगत कराया है कि बांदा जनपद के महुआ ब्लाक के ग्राम प्रेमपुर की असिंचित भूमि सिंचाई के लिये माइनर निकालने के संबंध में बिन्दु नं0-2 पर जिस क्षेत्र के कुलाबे से माइनर निकाल कर सिंचाई सुविधा प्रदान किये जाने की मांग कृषकों द्वारा की जा रही है वह प्रश्नगत क्षेत्र कुलाबे के कमाण्ड क्षेत्र के बाहर है ? यदि हां, तो क्या उस क्षेत्र की सींच वसूली विगत वर्षों में नहीं की गयी ? यदि की गयी है, तो क्या इस संपूर्ण प्रकरण की जांच उच्च अधिकारियों द्वारा कराई जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोक पति त्रिपाठी---

जी हां। बांदा ब्रांच से निकली अलिहा राजबाहे के कुलावा नं0-2 के कमाण्ड में ग्राम बांसी व ग्राम प्रेमपुर है का क्षेत्र आता है। ग्राम देवरार व ग्राम पहाड़पुर का क्षेत्र इस कुलाबे के कमाण्ड क्षेत्र से बाहर है। ग्राम देवरार की सींच बांदा ब्रांच, तरखरी

माइनर व मऊ माइनर से की जाती है। ग्राम पहाड़पुर की सींच बांदा ब्रांच पहाड़पुर तथा तरखरी माइनर से की जाती है जिसकी सींच कर की वसूली नियमानुसार की जाती है।

इस संबंध में अधीक्षण अभियंता, सिंचाई कार्य मण्डल, बांदा ने संयुक्त निरीक्षण हेतु प्रश्नकर्ता सदस्य से कोई तिथि निर्धारित किये जाने का अनुरोध दिनांक 30-1-89 को पत्र भेजकर किया है। प्रश्नकर्ता ने अभी तक कोई तिथि निर्धारित किये जाने की सूचना नहीं दी है।

नलकूप खण्ड द्वितीय फैजाबाद के अधिशासी एवं सहायक अभियंता द्वारा क्षेत्रीय दौरे के नाम पर फिजूलखर्ची के आरोप की जांच

66—श्री मित्र सेन—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप खण्ड द्वितीय फैजाबाद के अधिशासी अभियंता तथा सहायक, अधि0 अभियन्ता ने मार्च, 1988 से 4 जनवरी, 89 तक क्षेत्रीय दौरे पर कितना यात्रा भत्ता प्राप्त किया है और गाड़ी के डीजल, पेट्रोल तथा मरम्मत में कुल कितना खर्च दिखाया है? क्या यह सही है कि जिन नलकूपों के निरीक्षण के नाम पर मात्र भत्ता तथा गाड़ियों की मरम्मत और डीजल पेट्रोल का व्यय दिखाया गया है वह फर्जी एवं फिजूल खर्ची का है? क्या इसकी जांच कराकर कृषकों और प्रतिनिधियों से इसे सत्यापित कराने की कार्यवाही करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोक पति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

टिहरी बांध निदेशालय द्वारा बेनाप भूमि पर बने भवनों के प्रतिकर का भुगतान अनियमित रूप से किये जाने पर कार्यवाही।

67—श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

क्या सिंचाई मंत्री को विदित है कि टिहरी बांध निदेशालय ने एक व्यक्ति श्री किशन सिंह के नगरपालिका टिहरी के शौचालय के ऊपर निर्मित खाक का भुगतान रु0 80,000 सम्बन्धित बांध विभाग के अधिकारियों से मिल कर ले लिया है जिसमें शौचालय भी सम्मिलित है? यदि हां, तो नगर महापालिका के शौचालय का भुगतान किसी व्यक्ति को किये जाने का क्या औचित्य है? क्या शासन संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोक पति त्रिपाठी—

शासन की नीति के अनुसार टिहरी नगर स्थित बेनाप भूमि पर बने भवनों के प्रतिकर का भुगतान किया जा रहा है। टिहरी नगर के सर्वे के समय मौके पर नगरपालिका का शौचालय नहीं था, बल्कि श्री किशन सिंह का मकान पाया गया जो कि बेनाप भूमि में बनाया गया जिसके आधार पर सर्वेसीट तैयार कर मूल्यांकन की कार्यवाही की गयी तद्नुसार भवन स्वामी को रु0 74,160.00 की राशि वर्ष 1987 में भुगतान की गयी है। श्री किशन सिंह द्वारा भुगतान से पूर्व इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया कि संबंधित भवन पर पूर्ण स्वामित्व उसका है। भुगतान के पश्चात् नगरपालिका की आपत्ति प्राप्त हुयी तथा इस संदर्भ में जांच के आदेश दिये जा रहे हैं।

केन्द्रीय सरकार को ग्रोथ सेन्टर के सूची में से गोरखपुर जनपद का नाम निकाल दिये जाने पर आपत्ति

68--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि ग्रोथ-सेन्टर की जो सूची केन्द्रीय सरकार को भेजी जानी थी, उसमें गोरखपुर जनपद का भी नाम था किन्तु अब जो सूची भेजी गई है उसमें गोरखपुर जनपद का नाम निकाल दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जी नहीं ।

69--श्री बालेश्वर--

[9वें बुधवार के लिये स्थगित] ।

नियम 311 एवं 110 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं का उठाने का प्रयास

श्री अध्यक्ष--

नियम 311 के अन्तर्गत दो सूचनायें और नियम 110 के अन्तर्गत एक सूचना प्राप्त हुई है । मैं तीनों की अनुज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

(व्यवधान)

मैं कोई अनुज्ञा नहीं दे रहा हूं, न 311 की और न 110 की ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री शारदा नन्द अंचल--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

जो आप बोल रहे हैं, वह लिखा नहीं जायेगा ।

श्री शारदा नन्द अंचल--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

आप चाहते हैं कि सदन स्थगित कर दें ? क्या चाहते हैं आप ! मैं इसकी अनुज्ञा नहीं दे रहा हूं, कुछ नहीं लिखा जायगा । रोज-रोज आप लोगों ने प्रक्रिया बना ली है कि 311 लें, 110 लें । मेरी कोई अनुज्ञा नहीं है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

[× × ×]

श्री शारदानन्द अंचल--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी अनुज्ञा नहीं देता हूं । कुछ नहीं लिखा जायगा ।

नोट :--[×××]यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

जनपद मुजफ्फरनगर में थाना गढ़ी पुख्ता के थानाध्यक्ष द्वारा बेगुनाहों का उत्पीड़न के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

आज नियम 301 के अन्तर्गत 56 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, इसमें शलाका के आधार पर 21 सूचनायें स्वीकार की गयी संबंधित सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं--

1--श्री अमीर आलम खां
2--श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी
3--श्री श्रीप्रकाश
4--श्री अकबर हुसैन बाबर
5--श्री कौशिक रमा शंकर
6--श्री रतन स्वरूप राही
7--श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी
8--कुवर मानवेन्द्र सिंह
9--डाक्टर निनेश जोहरी
10--श्रीमती प्रेमवती तिवारी
11--श्री नंगा राम
12--श्री हरेन्द्र सिंह
13--श्री राम शरण दास
14--श्री हृदय नरायन दीक्षित
15--श्री शारदानन्द अंचल
16--श्री हरिशंकर तिवारी
17--श्री कर्नल केशरी सिंह
18--श्री बेनी प्रसाद वर्मा
19--श्री मोहम्मद मसूद खां
20--श्री देवतादीन
21--श्रीमती कमला साहनी

श्री अमीर आलम खां--

[मान्यवर, जनपद मुजफ्फरपुर इस समय अपराध का गढ़ बना हुआ है। वहां डकैती, लूट, राहजनी रोज की घटना बन गयी है परन्तु अपराध कर्मियों के विरुद्ध पुलिस कोई भी कार्यवाही नहीं कर पा रही है। बल्कि पुलिस के अपराध कर्मियों से संबंध हैं।

अभी ग्राम--गर्धेवड़ा, थाना--गढ़ीपुख्त, में थानाध्यक्ष ने अपनी मौजूदगी में अपने अपराध कर्मियों द्वारा डकैती डलवायी तथा बाद में सज्जन लोगों को फंसाकर उनसे पैसा लूट रहा है। क्षेत्राधिकारी के हस्तक्षेप पर भी थानाध्यक्ष नहीं मान रहा है। तत्काल शासन की ओर से प्रभावी कार्यवाही आवश्यक है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से तत्काल से प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं।]

अलीगढ़ जनपद के सिकन्दराराऊ क्षेत्र में बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों की मरम्मत के संबंध में 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी--

[मान्यवर, गत वर्ष अति वृष्टि एवं बाढ़ से गम्भीर रूप से क्षतिग्रस्त सिकन्दरा राऊ क्षेत्र के मार्गों की विशेष मरम्मत हेतु सा0 नि0 वि0 द्वारा कोई भी कार्यवाही न किये जाने से यातायात अवरुद्ध है, जनता को कटिनाई हो रही है। जनपद के अधिकांश बड़े तालों एवं नदियों का टेल क्षेत्र होने के कारण बाढ़ से सर्वाधिक क्षति इस तहसील में होती है। अस्थायी खंड सा0 नि0 वि0 अलीगढ़ के अन्तर्गत नागलाजलाल कपशिया मार्ग, हैरतर-बरतर--टठोईडिया मार्ग, अगसौली स्टे0 बरगवा मार्ग आगरा जलेसर रोड से सिधौली--पोशमार्ग, तथा अस्थायी खंड हाथरस के अन्तर्गत पुरदिल नगर हसायन मार्ग, हसायन कायम मार्ग मुकुरी--रहिमानपुर मार्ग, पी0 बी0 मार्ग से बसई मार्ग आदि मार्गों को विशेष क्षति पहुंची है। इन मार्गों की विशेष मरम्मत कराया जाना अविलम्ब आवश्यक है। सा0 नि0 वि0 द्वारा इन मार्गों पर अनुरक्षण एवं वार्षिक मरम्मत का कार्य भी नहीं कराने से उक्त खड़ंजा लगे पक्के मार्ग विशेष रूप से क्षतिग्रस्त होने से जनता को कठिनाई हो रही है।

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः उक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर शासन से कार्यवाही की मांग करता हूं।

जनपद बलिया के थाना रसड़ा में हत्या, चोरी, बलात्कार, की घटनाओं के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्री प्रकाश--

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के जनपद बलिया के थाना रसड़ा के क्षेत्र के फरवरी एवं मार्च 1889 में दर्जनों डकैतियां, लूट, छिनौति, हत्या, चोरी, एवं बलात्कार की ओर आकर्षित करना चाहता हूं डकैती ग्राम सडौली एवं रसूलपुर एवं लाखों रुपयों की चोरी हुई। 6 फरवरी, 1989 को हरिजन महिला के साथ बलात्कार एवं ग्राम प्रधानपुर में घर में महिला की हत्या और 18-3-1989 को छात्रा अर्चना त्रिपाठी की कार से दुर्घटना में हत्या की गयी, लेकिन प्रभारी थाना रसड़ा के निरीक्षक एवं जनपद के अन्य पुलिस अधिकारियों ने कोई कार्यवाही नहीं की।

उपरोक्त घटनाओं में अधिकांश रिपोर्ट तक दर्ज नहीं करायी गई। इन घटनाओं से रसड़ा क्षेत्र की हजारों जनता में रोष एवं क्षोभ व्याप्त है। धरना एवं प्रदर्शन भी किया गया, समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गयी जिससे जनता में असुरक्षा भी भावना एवं जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है।

अतः आपसे निवेदन है कि आप सरकार को निर्देशित कर अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही कर उच्चस्तरीय जांच कराने का कष्ट करें, जिससे जनजीवन सामान्य हो।]

जनपद फैजाबाद में फर्जी हैसियत प्रमाण-पत्र बनाकर शराब का धन्धा करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अकबर हुसैन बाबर--

[मान्यवर, जनपद फैजाबाद में पिछले कई वर्षो से जाली हैसियत प्रमाण-पत्र बनाकर शराब का अवैध धन्धा कर रहे हैं इन शराब खानों में कई जिलों के कुख्यात अपराधी शरण पा रहे हैं जिससे जनपद की शान्ति व्यवस्था को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। वर्ष 1985-86-87-88 में श्री कृष्णानन्द सिंह पुत्रश्री कामता सिंह बलदेव सिंह, चन्द्रभान सिंह व अन्य कई लोगों ने अकबरपुर तथा गोसाईगंज ग्रुप में शराब का ठेका लेने के लिये जिस हैसियत प्रमाण-पत्रों का प्रयोग किया है जाली हैं। इनमें से अधिकांश प्रमाण-पत्र जनपद आजमगढ़ से प्राप्त किये गये हैं। हैसियत प्रमाण-पत्र में दर्शाये गये नाम व पते पूर्णतः गलत हैं। शराब के अवैध धन्धे से उपपुलिस अधीक्षक इन्सपेक्टर तथा सभी बड़े अधिकारियों का पैसा बंधा हुआ है। जिला अधिकारी को नीलामी के दिन एक लाख रुपया अधिक मिलता है तथा होली एवं दीपावली पर विशेष उपहार मिलता है इसी कारण इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हो पाती। सेलटैक्स एवं इनकम टैक्स की खाली चोरी के हैसियत प्रमणा-पत्र का उपयोग किया गया है।

मैं इस अवलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से सदन के संज्ञान में लाते हुए शासन से मांग करता हूं कि जाली हैसियत प्रमाण-पत्रों की उच्च स्तरीय जांच कराते हुए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करने तथा जाली हैसियत प्रमाण-पत्रों द्वारा प्राप्त किये गये ठेकों को निरस्त किवा जाय।]

नोटः-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद मुरादाबाद की हसनपुर तहसील मुख्यालय में डिग्री कालेज खोले जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कौशिक रमाशंकर—

[मान्यवर, जनपद मुरादाबाद के अन्तर्गत तहसील हसनपुर पढ़ाई-लिखाई की दृष्टि से एक पिछड़ी तहसील है। पूरी तहसील में एक भी डिग्री कालेज नहीं है। तहसील में इण्टर कालेज अनेक हैं और शिक्षा का स्तर अच्छा है। किन्तु इन इन्टर कालेजों से निकलने वाले अच्छे विद्यार्थियों को डिग्री कोर्स करने के लिये अत्यन्त कष्ट उठाना पड़ता है। दूसरे स्थानों में प्रवेश कठिनाई से मिल पाता है। बहुत से अच्छे विद्यार्थी वंचित रह जाते हैं किन्तु जो प्रवेश पा जाते हैं. दूरी के कारण, बड़े कष्ट से अध्ययन करते हैं।

तहसील के मुख्यालय में सुखदेवी इन्टर कालेज नामक संस्था है जिसके पास पर्याप्त भवन है और पर्याप्त भूमि है। कालेज की प्रबन्ध समिति और भी आर्थिक अथवा भवन सम्बन्धी आवश्यकताओं एवं औपचारिकताओं को पूर्ण करने में पूरी तरह से सक्षम है और तत्पर भी।

शिक्षा विभाग को आवश्यक प्रस्ताव प्रबन्ध समिति ने प्रेषित भी किया है। शिक्षा विभाग ने संस्था की स्थिति के विषय में जांच भी कर ली है। क्षेत्र की आवश्यकता तथा आवश्यक भूमि-भवन की उपलब्धता को देखते हुये सरकार से मांग करता हूं कि हसनपुर में डिग्री कालेज की शीघ्र स्थापना की जाय।]

जनपद गाजीपुर के बाराचवर, मरदह, कासिमाबाद ब्लाकों को आई० सी० डी० एस० योजनान्तर्गत लिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रतनस्वरूप राही—

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान जनहित में अविलम्बनीय लोक महत्व में जनपद गाजीपुर के विकास खंड बाराचवर, कासिमाबाद, मरदह के हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के आई० सी० डी० एस० (आंगन बाड़ी) योजना के अन्तर्गत शामिल करने हेतु आकर्षित करना चाहता हूं। जनपद गाजीपुर में तीनों विकास खंड बहुत पिछड़े एवं अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या अधिक है। इस संबंध में कई बार लिखित रूप से अधिकारियों को दिया जा चुका है लेकिन अभी तक उक्त ब्लाकों को इन कार्यक्रमों में शामिल नहीं किया गया है। इसलिये इस पूरे क्षेत्र के हजारों जनता में काफी रोष एवं क्षोभ व्याप्त है जिससे वहां की जनता ने संबंधित अधिकारियों के सामने धरना एवं प्रदर्शन भी किया।

अतः आप से निवेदन है कि सरकार को निर्देश देने का कष्ट करें कि उपरोक्त तीनों विकास खंडों को आई० सी० डी० एस० (आंगनबाड़ी) कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल कर लिया जाय जिससे इस क्षेत्र के अनुसूचित जाति एवं महिलायें इसका लाभ उठा सकें।]

जनपद सीतापुर की लहरपुर ब्लाक के आदर्शनगर गां। में हुई अग्निकांड की दुर्घटना के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—

[मान्यवर, आपके माध्यम से इस अलिम्बनीय लोक महत्व की सूचना सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। जनपद सीतापुर जिले में ग्राम आदशनगर, विकास खंड लहरपुर, तहसील सोतापुर में दिनांक 3 अप्रैल, 1989 को पूरे गांव में आग लग गयी जिससे 85 परिवार बेघर

नोट:—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

हो गये पूरा गांव जल कर राख हो गया, महिला श्रीमती रामपति और तमाम जानवर जल कर मर गये, दूसरे दिन तक आग जलती रही गांववासियों के पास न रहने को न खाने को है, वे लोग बाग में पड़े हैं। अभी तक जिला प्रशासन ने कोई सहायता नहीं पहुंचाई है।

अतः इस लोक महत्व की ओर शासन एवं सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए मांग करता हूं कि तत्काल हस्तक्षेप कर तुरन्त ग्राम आदर्श नगर के निवासियों को खाने एवं रहने की व्यवस्था कराई जावे तथा आर्थिक सहायता दिलाई जावे।]

जिला झांसी की तहसील गरौठा में सिंचाई की सुविधा के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

कुवंर मानवेन्द्र सिंह---

[मान्यवर, झांसी जिले की गरौठा तहसील में सिंचाई के साधन उपलब्ध कराना अति आवश्यक है। गुरसराय नहर तहसील के एक चौथाई भाग को ही पानी दे पाती है। तहसील के लगी हुई कई नदियां बहती हैं इनसे लिफ्ट परियोजनायें चालू की जा सकती हैं। बेतवा नदी पर डिग़ौली, देवरी तथा कुड़री ग्राम में, धसान नदी पर कचीर, बरारू एवं सुजानपुरा ग्रामों में छोटी लिफ्ट नहरें बनवाये जाने स ही तहसील के कुछ और भागों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। सिंचाई के अभाव में हर वर्ष सूखा पड़ जाता है। इस वर्ष सखा पड़ने से जनता परेशान है तथा उसमें भयंकर रोष व क्षोभ व्याप्त हो गया है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर शासन से आवश्यक कार्यवाही कर गरौठा तहसील को नदियों से पानी लिफ्ट कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की मांग करता हूं।[

बरेली नगर में बाईपास एवं ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डाक्टर दिनेश जौहरी---

[मान्यवर, बरेली महानगर में बाईपास व ट्रांसपोर्ट नगर न होने से सड़क दुर्घटनाएं दिनों-दिन बढ़ती जा रही हैं। सारा ट्रैफिक नगर के बीच से तेज रफ्तार से निकलता है। ट्रकें भी नगर में ही खड़ी होती हैं। अनेकों लोग दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं। स्कूली बच्चे, आफिस जाने वाले कर्मचारियों और महानगर में आते-जाते देहाती क्षेत्रों से नागरिकों की जान सुरक्षित नहीं रह गयी है। वर्तमान सत्र में मेरे एक प्रश्न के उत्तर में सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि गत एक वर्ष में महानगर में 183 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं जिसमें लगभग 74 लोग मारे गये हैं।

अतः मैं मांग करता हूं कि बरेली महानगर में लखनऊ–दिल्ली मार्ग का बाईपास व ट्रान्सपोर्ट नगर यथा शीघ्र बनाया जाये।]

लखनऊ नगर में कानपुर रोड पर स्थित कृष्णानगर थाने में आशुतोषनगर से इन्द्रलोक कालोनी को जाने वाली सड़क की मरम्मत के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ह

श्रीमती प्रेमवती तिवारी---

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान लखनऊ कानपुर रोड पर स्थित कृष्णानगर थाने से आशुतोषनगर, इन्द्रलोक कालोनी, हाइडिल कालोनी को जाने वाली सड़क की तरफ आकर्षित करना चाहती हूं। गत वर्ष इस सड़क का जीर्णोद्धार किया गया

नोट:---[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लेकिन सड़क के दोनों तरफ नालियां न बनने के कारण वर्षा तथा घरों का पानी सड़क पर आ जाता है जिस कारण सड़क क्षतिग्रस्त हो गयी है और जगह-जगह से टूटने लगी है। इस सड़क को जितना ऊंचा बनाना चाहिये था वह भी नहीं बनी है। जिस कारण से भी सड़क का लेवल नीचा होने से भी पानी भर जाता है। अतः मेरी मांग है कि जनहित को ध्यान में रखते हुये इस सड़क का रख-रखाव करने के लिये तुरन्त व्यवस्था की जाय अन्यथा उस पर किया हुआ व्यय व्यर्थ हो जायेगा। इस सड़क के दोनों ओर नालियों का निर्माण कराया जाय तथा सीवर लाइन बिछायी जाये ताकि जो पानी भराव से मच्छर आदि पैदा होने से बीमारियां फैलती हैं उनका बचाव हो सके।]

जनपद बाराबंकी के परगना देवा के ग्राम मानपुर राह की सार्वजनिक प्रयोग की भूमि पर अवैध कब्जों के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नंगाराम--

]मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के सामने एक अति महत्वपूर्ण लोक महत्व का प्रश्न यह लाना चाहता हूं कि ग्राम मानपुर राह, परगना देवा, तहसील नवाबगंज, जिला बाराबंकी में स्थित खसरा संख्या-101 जो चकरोड है उस पर कुछ सवर्ण व्यक्तियों ने अवैध कब्जा कर रखा है जिससे आवागमन बंद हो गया है। इसी प्रकार से खसरा संख्या 65 जो ग्रामवासियों को अपना गोबर आदि डालने के लिये खाद के गड्ढों के लिये छोड़ा गया था पर केवल एक सवर्ण ने अकेले ही कब्जा कर रखा है। इसी तरह से खसरा संख्या 67 जो आबादी की भूमि है और जिस पर 1986 तक कोल्हू लगाया जाता था और ग्रामवासी अपना गन्ना पेरते थे उस पर कुछ सवर्णों ने कब्जा करके मकान बनवाना शुरू कर दिया है। इसी तरह से खसरा सं0 113, 99, 70 पर भी अनाधिकृत कब्जे हो गये हैं।

सवर्णों के इन अत्याचार भरे कृत्यों से ग्रामवासी क्षुब्ध हैं और किसी दिन वर्ग संघर्ष की स्थिति भी आ सकती है। अतः सदन के संज्ञान में यह मामला लाकर अनाधिकृत कब्जों को तुरन्त हटवाने की मांग करता हूं।]

बेसिक शिक्षा विभाग मुजफ्फरनगर में निरीक्षिका पद पर कार्यरत श्रीमती विलक्षणा चौधरी की ज्येष्ठता के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरेन्द्र सिंह--

[मान्यवर बेसिक शिक्षा विभाग मुजफ्फरपुर में कार्यरत सहा0 बालिका विद्यालय निरीक्षिका श्रीमती विलक्षणा चौधरी नियुक्ति के आधार पर वरिष्ठ हैं, को वरिष्ठता सूची में नीचे रख दिया गया है। इस संबंध में बार-बार श्रीमती विलक्षणा चौधरी द्वारा शिक्षा निदेशक (बेसिक) को प्रत्यावेदन भेजने के पश्चात् भी कोई कार्यवाही नहीं हो पाई। इस समय शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। सहायक निदेशक भ्रष्ट अधिकारियों के संरक्षक बने हुये हैं। यहां कार्यरत दूसरी सहा0 बा0 वि0 निरीक्षका कु0 कमलेश गुप्ता जिनके विरुद्ध सत्तापक्ष के विधायक श्री बाबूसिंह द्वारा आरोप-पत्र दिनांक 21-1-89 तथा 8-2-89 के द्वारा सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) को गम्भीर शिकायतें दी गई हैं। परन्तु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही न कर उसे कनिष्ठ होते हुए भी वरिष्ठता सूची में ऊपर रखकर वहां चार्ज दिला दिया गया जो शासन के नियमों के प्रतिकूल है। शिक्षा विभाग के इस कृत्य से जनपद में बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत अधिकारी एवं शिक्षक वर्ग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होना अत्यन्त आवश्यक है।

नोट:--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार तुरन्त प्रभावी कदम उठाकर कार्यवाही करने की कृपा करें।]

जनपद सहारनपुर के गंगोही ब्लाक के बाढ़ी मजरा की बाढ़ सुरक्षा के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामशरण दास--

[माान्यवर, जनपद सहारनपुर के ब्लाक गंगोही के ग्राम बाढ़ी मजरा के बीच में एक बहुत ही बड़ा तालाब है। इस वर्ष घनी वर्षा के कारण यह तालाब इस कदर भर गया कि गांव की आबादी को खतरा बन गया है। चूंकि इस तालाब की निकासी का कोई रास्ता नहीं है। यह तालाब गांव की आबादी के बीच में है। जिससे इसके चारों तरफ बने सभी मकान खतरे में हैं और कुछ गिर भी गये हैं। सैकड़ों मकान खतरे में है। यही नहीं इसके किनारे बनी लाखों रुपये की मस्जिद भी खतरे में है। उसकी दीवारों में भी दरार पड़ गई है। मस्जिद में जाने के रास्ते भी कई तरफ से बन्द हो गये हैं।

अतः मैं आपके माध्यम से इस लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं और मांग करता हूं कि इस तालाब की चारों तरफ पक्की दीवार बनायी जाये तथा पानी निकासी की व्यवस्था की जाये जिससे गांव की आबादी तथा मस्जिद बच सके।].

उन्नाव जिले की नहरों की सिल्ट सिंचाई सफाई में लाखों रुपये के घोटाले के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हृदय नरायन दीक्षित ---

[मान्यवर, उन्नाव जिले में नहरों की सिल्ट सफाई में वर्ष 88-89 में करोड़ों रुपये के घपले किये गये हैं और फर्जी मस्टररोल बनाकर जनता के धन की लूट की गई है जिससे पूरी नहर प्रणाली के चौपट हो जाने की आशंका पैदा हो गई है।

पुरवा विधान सभा क्षेत्र में मौरावां-आसीवन ब्रान्च की मुख्य शाखा तक ग्राम-पढ़ई अकोहरी जय सिंह खेड़ा तक 14 माह से पानी नहीं पहुंचा इस ब्रान्च की इस विधान सभा क्षेत्र की सभी माइनरों, रजबहों में फर्जी कागज तैयार कर के सफाई दिखाई गयी है। इसी प्रकार पुरवा ब्रान्च के सभी रजबहों माइनरों में बिना सफाई ही फर्जी मस्टररोल तैयार किये गये हैं और सरकारी धन का अपव्यय हुआ है।

सिंचाई कार्य प्रभावित हो रहा है आगे भी होते रहने के अविलम्बनीय लोक महत्व की समस्या को आदरणीय सदन के संज्ञान में लाते हुए आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं।

जनपद बलिया की टाउन एरिया कमेटी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की खींचतान के कारण फैल रही अव्यवस्था के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शारदानन्दन अंचल--

[मान्यवर, बलिया जनपद के हमारे विधान सभा क्षेत्र की टाउन एरिया कमेटी बिल्थरा रोड के चेयरमैन और सदस्यों के चुनाव के पश्चात् लगा कि नगर का विकास करने के लिये योजना और कार्यक्रम चलाये जायेंगे लेकिन चुनाव के बाद से ही चेयरमैन व बहुत से सदस्यों

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

में आरोप-प्रत्यारोप के कारण नगर प्रशासन अस्त-व्यस्त हो गया है टा0ए0 चयरमैन व बक्शी में भी आरोप-प्रत्यारोप चल रहा है। आरोप है कमेटी की सहमति प्राप्त किये बिना जल कल पम्प हाउस मरम्मत, पुर्जों की खरीददारी के नाम पर 14,500 रुपये का अनियमित भुगतान हो गया है लेकिन वे खरीदे गये सामान टा0 ए0 कार्यालय के संज्ञान में नहीं हैं। टान्सफार्मर की आवश्यकता टा0 ए0 को नहीं थी लेकिन फर्जी बिल बाउचर के द्वारा ट्रान्सफार्मर के नाम पर भी 10,800 रुपये का भुगतान हो गया है। जल कल मोटर जला दिखला कर कमेटी की सहमति के बिना मरम्मत के नाम पर 2,600 रुपये भुगतान हो गया है। यह भी आरोप है कि टा0 ए0 का 14 किलोग्राम तांबे का तार बेचकर टा0 ए0 के खाते में जमा नहीं किया गया है। मोटर की बेयरिंग के नाम पर 400 व 1900 रुपये भुगतान दिखलाये गये हैं इस गम्भीर स्थिति से टा0 ए0 का काफी नुकसान हो रहा है तथा विकास कार्य लम्बित पड़ा है। कोई बैठक नहीं हो पा रही है। फर्जी हस्ताक्षर व शिकायतों की जांच न होने से उस नगर प्रशासन का कार्य प्रभावित हो रहा है।

अत: इस लोक महत्व के मामले को माध्यम से मा0 सदन के संज्ञान में लाते हुए समाधान की मांग करता हूं।]

नगरपालिका सांडी जनपद हरदोई की मार्ग प्रकाश व्यवस्था के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरिशंकर तिवारी (बिलग्राम)--

[मान्यवर, नगर पालिका सांडी जिला हरदोई द्वारा शासन से मार्ग प्रकाश हेतु प्राप्त 50,000.00 रु0 व सड़क अनुदान 2,00000.00 रु0 का उपयोग मार्ग प्रकाश व सड़क निर्माण में न करके अन्य मद में जिला अधिकारी की प्रशासनिक स्वीकृत न लेकर खर्च की है। नजूल की भूमि की व्यवस्था शासनादेश के अनुसार न करके अपने मेल के व्यक्तियों को अध्यक्ष कब्जा करा रहे हैं। जिससे नगर पालिका को लाखों रुपये की हानि हो रही है। अध्यक्ष नगर पालिका के इन कार्यों से असंतोष बढ़ रहा है। कृपया इस पर कार्यवाही करें व चर्चा करायें।]

प्रदेश के भूतपर्व सैनिकों के पुनर्वास के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कर्नल केशरी सिंह--

[मान्यवर, लोक महत्व के संवेदनशील विषय पर मैं माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय प्रदेश का 22 लाख भूतपूर्व सैनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के काल्याण व पुनर्वास सम्बन्धित शासनादेश के खुले उल्लंघन का शिकार हो रहे और उपेक्षित महसूस कर रहे हैं जो लोक हित में नहीं है। इस सम्मानित सदन में दिनांक 10 जुलाई 1987 को तारांकित प्रश्न संख्या 5 के सन्दर्भ में सम्मानित पीठ द्वारा दिये गये निर्देशों पर शासन ने अब तक कोई कार्यवाही नहीं की है। उसी प्रकार भूतपूर्व सैनिकों के लिये श्रेणी "ग" एवं "घ" की सेवाओं में 3 प्रतिशत आरक्षण के विपरीत मात्र .00001 प्रतिशत का आरक्षण अभी तक पूरा हो सका है और शासन इस विषय में कोई भी प्रभावशाली कार्यवाही नहीं कर रहा है। इन उपेक्षाओं से भूतपूर्व सैनिक निराश हैं और उन्हें आक्रोश है।

अत: इस लोक महत्व के प्रश्न पर शासन द्वारा तुरन्त समुचित कार्यवाही करा करके भूतपूर्व सैनिकों के हितों की रक्षा की जाय जिससे उनमें व्याप्त असंतोष को कम करके उन्हें राष्ट्रनिर्माण में लगाया जा सके।]

नोट:--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

शारदा सहायक पोषक नहर की लाइनिंग के अनियमित व्यय के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

[मान्यवर, वर्ष 1987 में शारदा सहायक पोषक नहर में लाइनिंग के लिये निविदाय आमंत्रित की गयी थीं जिसमें मेसर्स एफ0 सी0 सी0 ने 70 करोड़ में पूरा कार्य करने की निविदा दी थी और उसकी निविदा स्वीकृत भी हो गयी परन्तु कार्य नहीं करा पाये। अन्य ठेकेदारों की निविदाओं पर उसी वर्ष कार्य कराया गया जो मेसर्स एफ0 सी0सी0 से कम रेट पर था अन्य ठेकेदारों के कार्य से सम्पूर्ण कार्य 54 करोड़ रुपये में पूरा हो रहा है। अभी तक लाइनिंग का आधा कार्य हुआ है। इस वर्ष मेसर्स एफ0 सी0 सी0 को कार्य दिया जा रहा है जिस पर 4 प्रति0 महंगाई भी दी जायेगी। इस प्रकार 16 करोड़ रूपये इस कार्य पर अधिक व्यय होने का अनुमान है। यह कार्य अधिकारियों की सांटगांठ से हो रहा है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को माननीय अध्यक्ष व सदन के संज्ञान में लाकर मैं उच्चस्तरीय जांच की मांग करता हूं।]

जिला आजमगढ़ में सीहीपुर मार्ग पर कुंवर नदी पर पुल निर्माण के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मोहम्मद मसूद खां--

[मान्यवर, नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करते हुये निवेदन करना है कि जनपद आजमगढ़ में लखनऊ बलिया रोड से संजयपुर बाजार मुस्तफाबाद खुदहना, उबियारी सीहीपुर आदि सड़क जाती है। बीच में कुंवर नदी में पड़ती है। सड़क अभी अधूरी पड़ी है और कुंवर नदी का पुल न बनने से बरसात में हमेशा कुछ आदमी डूब कर मर जाते हैं। सड़क का काम भी स्वीकृति होने के बाद भी नहीं कराया जा रहा है और पुल के निर्माण की स्वीकृति भी नहीं दी जा रही है इसी लखनऊ बलिया रोड पर रानीसराय और आजमगढ़ शहर के बीच से मझगांवा ग्राम जो बहुत बड़ी आबादी का गांव है उसकी भी सड़क योजना आदि में जाती है। परन्तु वह सड़क का काम नहीं हो रहा है। बीच नालों का पुल भी नहीं बन रहा है। इस गांव के लोगों को भी बरसात के दिनों में नाव दुर्घटना के समय कई जाने गवानी पड़ती है। जनता में कार्य न करने के कारण काफी असंतोष व आक्रोश है। यदि इस कार्य को शीघ्र नहीं कराया गया तो जनता का सड़कों पर दुर्व्यवस्था और कानून व्यवस्था में बाधा डालने की मुझे आशंका है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न के माध्यम से सदन व सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए मांग करता हूं कि सजरपुर, सीहीपुर मार्ग कुंवर नदी के पुल के साथ व मझगांवा रोड में नालों पर पुल के साथ शीघ्र बनवाने की कष्ट करें।]

जिला बहराइच के नवाबगंज ब्लाक के अन्तर्गत 20 सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन के घपले के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री देवता दीन--

[मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से नियम 301 के अन्तर्गत निम्नलिखित लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं।

नोटः--[ ] यह अंश पड़ा हुआ माना गया।

जनपद बहराइच के विकास खंड नवाबगंज के करीमगज दूंधापुर से सुमेरपुर का नाला निर्माण तक बाबागंज में स्वीकृत तालाब सौरहिया का निर्माण ठेकेदारों द्वारा कराकर 20 सूत्री कार्यक्रम की नीति के विरूद्ध स्थानीय श्रमिक वर्ग ने मजदूरों के प्रति अन्याय किया जा रहा है। उक्त ग्रामों का निर्माण मस्टररोल के आधार पर न कराकर सरकार के 20 सूत्री कार्यक्रम की नीति के विरूद्ध ठेकेदार द्वारा कराये जाने पर स्थानीय जनता को मजदूरी वंचित किया जा रहा है। यह भी बताना चाहता हूं कि उक्त कार्यों के विकास खडों के स्वीकृत धनप्राप्त होने के पूर्व ही ठेकेदारी पर आरम्भ करा दिया गया। इस प्रकार की अनियमितता का स्थानीय जनता में रोष एवं क्षोभ व्याप्त है।

सदन के माध्यम से मेरा अनुरोध है कि स्थानीय मजदूरों के प्रति उदारपूर्ण नीति को अपनाने के ध्येय से उक्त कार्य को मस्टररोल की प्रथा का अनुसरण करके पूरा कराया जाय। साथ ही इस विषय को सदन के संज्ञान में लाकर स्थानीय जनता के अधिकारों का हनन करने वाले दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की मांग करता हूं।

जनपद बस्ती में शोहरतगढ़ क्षेत्र में बानगंगा नदी से निकाली गयी नहर में प्रयुक्त भूमि का मुआवजा किसानों को दिलाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना।

श्रीमती कमला साहनी--

मान्यवर, मैं आपका ध्यान लोक महत्व प्रश्न पर आकर्षित करते हुए कहना चाहती हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र शोहरतगढ़ बस्ती के बान गंगा नदी से दो दशक पूर्व नहर निकाली गई किन्तु आज तक बसहिया ग्राम के किसानों को जमीन का मुआवजा नहीं दिया गया। मुआवजा न मिलने से जनता में घोर आक्रोश एवं निराशा व्याप्त है।

अतः आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए किसानों को उनका मुआवजा तत्काल दिलाने का निर्देश सरकार को देने का अनुरोध करती हूं।]

जनपद देवरिया के मरचहवा हत्याकाण्ड में पुलिस की निष्क्रियता के संबंध में औचित्य का प्रश्न

नियम 300 के अन्तर्गत निम्नांकित सदस्यों की 15 सूचनायें प्राप्त हुई हैं :--

1--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त
2--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री हर्ष वर्धन
3--श्री सूर्य प्रताप शाही
4--श्री अनुग्रह नारायण सिंह
5--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त
6--श्री अनुग्रह नारायण सिंह तथा अन्य सदस्यगण
7--श्री गोपी नाथ वर्मा
8--श्री सरदार सिंह
9--श्री काशी सिंह ऐरी
10 - श्री कौशिक रमा शंकर
11 - श्री राज किशोर सिंह
12 श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी
13--श्री शारदा नन्द अंचल
14--श्री हृदय नरायन दीक्षित।
15--श्री राम आसरे वर्मा

नोट:--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मुझे बड़े अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि कल जब इस आदरणीय सदन में मरचहवा के नरसंहार के बारे में यहां पर चर्चा हो रही थी, उस समय माननीय मुख्य मन्त्री जी ने भाषण दिया। मंत्री उस समय सरकार द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी उत्तर भाषण दे रहे थे अपने उत्तर भाषण को देने के बाद माननीय सदस्यों को उन्होंने सुना और मान्यवर हमने स्पष्ट आरोप लगाया था कि उस में पुलिस की भूमिका जबर्दस्त रही है, इसको सुनने के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ नहीं कहा। मान्यवर, जब कभी भी कहीं कोई घटना होती है तो वहां पर पुलिस को दंडित अवश्य किया जाता है और कुछ जिम्मेदारी निर्धारित की जाती है।

मान्यवर, यह "मरचहवा नरसंहार काण्ड" एक बहुत बड़ी साजिश पुलिस जन द्वारा की गयी है परन्तु फिर भी माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा इस पर कोई भी कार्यवाही करने की घोषणा नहीं की गयी। इसलिये मान्यवर मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह कल ही स्पष्ट रूप से जानना चाहता था कि दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध दोषी पुलिस जनों के विरूद्ध अब तक क्या कार्यवाही हुयी। शासन स्तर से तो इसका कोई भी समाधान करायें समुचित उत्तर दिए बिना ही वह सदन से बाहर चले गये तो मान्यवर मैंने कल भी इस बात को कहा था कि इस तरह से पुलिस कर्मियों के पाप पर पर्दा क्यों डाला जा रहा है, माननीय मुख्य मंत्री जी पता नहीं किन लोगों के दबाव में आ गये हैं। वहां पर---इतनी भीषण घटना घटती रही लोगों का खुले आम नर-संहार होता रहा। पुलिस एक तो मौके पर समय से पहुंची नहीं दूसरे जब वहां पर काफी समय बाद पहुंचे भी हैं तो भी कोई कार्यवाही उनके द्वारा नहीं की गयी यह कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, इससे मान्यवर सरकार की नीति का पूरा पूरा परिचय मिलता है कि दोषी कर्मचारियों के ऊपर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी। मान्यवर इससे महत्वपूर्ण मामला और कोई हो नहीं सकता है, इस मामले को लेकर पूरे प्रदेश में एक जिज्ञासा है कि इन दोषी पुलिस जनों पर आखिर क्या कार्यवाही होती है, इसलिये मेरा मान्यवर आपके माध्यम से यह अनुरोध है कि इस मामले में तत्काल कार्यवाही की जाए, यह हमारी-आपसे प्रार्थना है,

(इस समय 12 बजकर 25 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुये।)

कि आप माननीय मुख्य मंत्री जी को यहां बुलाएं और वह यहां आकर इस सदन में अब तक इस ओर की गयी कार्यवाही को अवगत कराए.....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

चर्चा तो कल इस पर हो गयी थी, ठीक है 1-1 मिनट में अपनी अपनी बात को कह लीजिए.....

(व्यवधान)

श्री कौशिक रमा शंकर---

मान्यवर यह मसला बहुत ही गम्भीर है, इसलिये इस मसले पर कम से कम 2-2 मिनट का समय दे दीजिए मान्यवर यह मामला बहुत ही गम्भीर है, यह "बेहमयी" घटना या काण्ड के बाद दूसरी घटना है नर-संहार की, लेकिन वहां पर तो दोषी कर्मियों के प्रति कोई न कोई कार्यवाही-अवश्य हुई थी, इसलिये मैं कहता हूं कि यह नारायण दत्त तिवारी वह माननीय मुख्य मंत्री जी नहीं रहे हैं जो पहले थे और आज इस बात की वहां पर आम चर्चा हो रही है कि गोरखपुर, देवरिया केन्द्र शासित जिले हो गये हैं और प्रदेश भर में कई जगहों

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पर केन्द्र शासित प्रशासन हो गया है जो किसी के सहारे पर नहीं स्वयं में अपना प्रशासन चला रहे हैं, जिन पर माननीय मुख्य मंत्री जी का कोई नियंत्रण नहीं रहा और इतनी भी हिम्मत उनके अन्दर बाकी नहीं रहीं है कि वह किसी के विरूद्ध कोई न्यायिक कार्यवाही कर सकें । दूसरी बात मैं मान्यवर माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या कोई एस0 पी0 अपने ही गृह जनपद में रह सकता है उसकी पोस्टिगं उसी जनपद में हो सकती है, जहां का वह रहने वाला है .....

.....(व्यवधान).....

एक सदस्य--

मान्यवर मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है.....

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इस घटना के समय के बारे में जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि शाम 6 बजे की यह घटना है, मान्यवर यह घटना 6 बजे की नहीं बल्कि 7 बजे की है और वहां पर पुलिस जो पहुंची है वह 12 बजे पहुंची है जबकि यह घटनास्थल पुलिस के स्थान से लगभग 5 किलो0 मी0 ही दूरी पर है, इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस जुर्म की क्या सजा पुलिस कर्मियों को दी गयी है, आप कहते हैं कि पुलिस प्रशासन से बात करेंगे, केन्द्र सरकार से बात करेंगे, यह सब मान्यवर फालतू बातें हैं, सरकार निकम्मी हो गयी है, पुलिस पर इनका कोई नियंत्रण बाकी नहीं रहा, एस0पी0 देवरिया के प्रति कार्यवाही करने की इनके अन्दर हिम्मत नहीं है आपके माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, आप माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलावें और इसका स्पष्टीकरण हो, जब तक एस0पी0 देवरिया को नहीं हटाया जाता है, तब तक कोई भी कार्यवाही नहीं हो सकती है । यह छोटे और बड़ों की लड़ाई है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने वही घिनौना बयान दिया है और उन्होंने जाति संघर्ष की ओर इशारा किया है जिस पत्र की चर्चा माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया है, वह फर्जी है और पुलिस ने इसको मैन्युफैक्चर किया है ।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि वह भूमिहीन और भूमिपतियों की लड़ाई है । मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप माननीय मुख्य मंत्री जी को बुलायें, उनको सदन में तलब करें और जब तक वह नहीं आते है, सदन नहीं चलेगा । आज अखबारों में आया है कि वह वासुदेव गैंग लखनऊ आ गया है और हमारी हत्या होने वाली है । वहां का पुलिस कप्तान हम लोगों की हत्या कराना चाहता है, यह मेरी सूचना है और मेरा आरोप है । इसलिये आप मुख्य मंत्री जी को सदन में तलब करें और वह स्पष्टीकरण दें । हम लोगों के जीवन का सवाल है, इसलिये आप मुख्य मंत्री जी को जरूर तलब करें और एस0पी0 देवरिया को तुरंत हटायें और इसकी सी0 बी0 आई से जांच करायें ।

*श्री सूर्य प्रताप साही--

मान्यवर, यह बड़ा ही गम्भीर मामला है और इसलिये आप माननीय मुख्य मंत्री ज को निर्देश दें कि इस महत्वपूर्ण चर्चा के समय वह यहां पर उपस्थित रहें । माननीय मुख्य मंत्री जी जिस प्रकार से इस अमानुषिक घटना के चर्चा के दौरान सदन से चले गये वह संसदीय व्यवहारों के प्रतिकूल है । पुलिस ने जो पत्र दिखाया है, वह फर्जी है । यह बात मैंने कल उसी समय कही थी, लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा था कि आप

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

को कहने का अवसर मिलेगा, तब इसे कह सकते हैं, लेकिन वह चर्चा के दौरान ही चले गये है। इस सरकार का पुलिस पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। माननीय सदस्यों ने पुलिस के कुकृत्यों का जिक्र यहां पर किया है और जब वह अपने क्षत्र में जायेंगे तो उनकी जान पर हमला हो सकता है। मान्यवर, आप जानते हैं कि गौरी बाजार के विधायक श्री रणजीत सिंह की हत्या हुई, उसमें पुलिस की साजिश थी। क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह चाहते हैं कि देवरिया के विधायकों की हत्या हो, क्या वह चाहते हैं कि सामाजिक कार्यकर्ताओं की हत्या हो। वहां पर चारो ओर से पी0 ए0 सी0 मौजूद थी, पुलिस के लोगों को पता था, एस0 पी0 को पता था, उसको जानकारी थी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गयी। आप सी0 बी0 आई0 से इसकी जांच करा दें, तो सारे तथ्य सामने आ जायेंगे। क्या मुख्य मंत्री जी चाहते हैं कि फिर से कत्ले आम हो, इतनी गम्भीर चर्चा है, लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी सदन में उपस्थित नहीं हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप माननीय मुख्य मंत्री जी को सदन में बुलावें, और उनकी अनुपस्थिति में सदन को चलते रहने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री हर्ष वधन—

मान्यवर, कल मरचहवा काण्ड पर चर्चा हुई और उस पर सरकार की जो सम्वेदन शीलता है, वह उजागर हुई। आज माननीय मुख्य मंत्री जी नहीं हैं। बड़े बड़े मियां, छोटे मियां शुभान अल्ला वाली कहावत है। वहां पर 13 आदमी मारे गये हैं। कोई सरकार की तरफ से कार्यवाही न होने के कारण जितने पुलिस के अधिकारी हैं उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। यह समझते हैं कि मुख्य मंत्री जी के आगे पीछे घूमकर, उनका राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करके ही जो चाहे कर सकते हैं और हमारा कुछ होने वाला नहीं है। यह स्थिति आज पूरे प्रदेश में है। देवरिया में जो यह घटना हुई है उसमें मुख्य मंत्री जी ने अपनी वाक पटुता का परिचय दिया है। मान्यवर, कल भी मैंने कहा था और आज फिर कह रहा हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी जब नेता विरोधी दल की हैसियत से यहां पर बैठते थे उस समय एक नारायणपुर कांड हुआ था उसकी दुहाई दे रहे थे और बनारसी दास की सरकार से इस्तीफा मांग रहे थे। आज देवरिया में 13 आदमी मार दिये गये हैं, उसके बारे में आपको कोई चिन्ता नहीं है।

मान्यवर, इस देश में यह परम्परा रही है कि एक रेल दुर्घटना होने पर देश के रेल मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था। उसी पुलिस अधीक्षक ने जिसने सदन के सदस्य रणजीत सिंह की हत्या करायी थी, उसी पुलिस अधीक्षक ने इस देश के एक सम्मानित नेता देवरहा बाबा के तीन-तीन शिष्यों, लोगों को कतल कराया उसको आप संरक्षण दे रहे हैं। उस पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध यह सरकार कोई कार्यवाही करने में अपने को अक्षम पा रही है। मान्यवर, मैं आपके जरिये यह मांग करता हूं कि यदि आप इस सदन की गरिमा को कायम रखना चाहते हैं तो जो 13 व्यक्ति देवरिया में मारे गये हैं उनका खून इस बात का गवाह है और यह मांग कर रहा है कि जो इसके अपराधी हैं उनके खिलाफ, पुलिस अधीक्षक के खिलाफ अविलम्ब सख्त से सख्त कार्यवाही की जाय। यह सरकार उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर पा रही है। इसलिये मैं मांग करता हूं कि इस सारी चर्चा में भाग लेने के लिये माननीय मुख्य मंत्री जी का यहां आना जरूरी है।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

जिनको सूचना है, उनको बुलवायेंगे।

(व्यवधान)

(श्री अनुग्रह नारायण सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री माता प्रसाद पांडेय—

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि वह एस0 पी0 जिम्मदार तो हैं ही किन्तु आई0 जी0 और डी0 आई0 जी0 ये दोनों वहां पर गोरखपुर मंडल में अपराधों को बढ़ाने में निरन्तर सहयोग दे रहे हैं, इसलिये इनको भी हटाया जाना चाहिये। यही नहीं, उनके खिलाफ अपराधिक मुकदमा भी दायर होना चाहिये।

*श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

मान्यवर, शास्त्रों में लिखा है कि बकवासियों का वाक विलास, कंजूसों का धन और कायरों का बाहु बल किसी के काम नहीं आता। यह बहुत ही शालीन मुख्य मंत्री नारायण दत्त तिवारी के ऊपर पूरा का पूरा खरा उतरता है। मान्यवर, जब से तिवारी जी मुख्य मंत्री हुये हैं उत्तर प्रदेश में हत्याओं का दौर चल गया है। 8 फरवरी से यह विधान सभा चल रही है और इसके पहले मेरठ में लगभग 1 दर्जन लोगों की सामूहिक हत्या दो घटनाओं में हुई। फिर उसके बाद मान्यवर, आपके जिले के बगल में 11 लोगों की सामूहिक हत्या हुई। उनका खून अभी सूखा भी नहीं था कि देवरिया में 13 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। जहां एक तरफ यह दुर्घटनायें हो रही हैं वहीं दूसरी तरफ आर्थिक अपराधी और माफिया सरगना यहां पर जहरीली शराब का धन्धा चला रहे है। इससे प्रदेश के अन्दर 200 मौतें हो चुकी हैं हजारों लोक आंखें दबा चुके हैं। इस जहरीली शराब के पीछें जो षड़यंत्र हैं उनका खुलासा नहीं किया गया और तीन दिन से हम लोग चर्चा में भाग नहीं ले पा रहे हैं। इस प्रकार पूरे प्रदेश के अन्दर नपुंसकता का दौर चल रहा है। सारे नागरिक क्षुब्ध और भयभीत हैं। हम लोग विधान सभा में बैठकर चर्चा करते हैं, इन पर कार्यवाही की मांग करते हैं और उसके बाद जब कोई कार्यवाही नहीं होती है तो इस सदन से भी लोगों का जनता का विश्वास उठना स्वाभाविक है। इस औचित्य के प्रश्न को आपके सम्मुख रखकर मैं मांग करता हूं कि आप मुख्य मंत्री जी को बुलावें। उनके कार्यकाल में जो उनके षड़यंत्र से अपराधों का दौर यहां पर चल रहा है उसको रोकने की कोशिश कीजिये और दोषी अपराधियों के खिलाफ तुरन्त कार्यवाही करनेके निर्देश जारी करें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, हम लोगों की सूचना आपको 10 बजे मिल गयी होगी और उसकी सूचना माननीय मुख्य मंत्री जी को भी पहुंच गयी होगी। हम लोगों की साफ साफ मांग थी कि मुख्य मंत्री जी को बुलाया जाय। लेकिन आश्चर्य हो रहा है आदरणीय सदन में मुख्य मंत्री तो दूर गृह विभाग का कोई भी मंत्री नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप यह उचित नहीं समझते हैं मुख्य मंत्री जी को और गृह मंत्री जी को तत्काल यहां आहूत किया जाय। जितने भी माननीय सदस्य यहां बोले हैं सबने अपने अपने विचार दिये और सबने एक ही बात पर बल दिया कि माननीय मुख्य मंत्री को तत्काल यहां आना चाहिये। यहां पर गृह मंत्री और गृह राज्य मंत्री भी नहीं हैं तो क्या तत्काल उनको सूचना देना आवश्यक नहीं है।

(व्यवधान)

---

*वक्ताने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं व्यवस्था दे दूं.....

*श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

श्रीमन्, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने जो सवाल उठाया है उसे आप देख लें। इससे हमारे सारे सदन की मान और प्रतिष्ठा क्या रहेगी ? इस प्रदेश और देश की जनता क्या समझेगी यह आप देख लें । आये दिन हमारे साथ जब जरा सा दुर्व्यवहार हुआ तो हम तत्काल मुख्य मंत्री और गृह मंत्री को बुलाते हैं और वह आते हैं और आप भी विशेषाधिकार का मामला बनता हो या न बनता हो समिति को सुपुर्द करते हैं लेकिन जब 13 लोगों की जघन्य हत्या हो गयी तो उसके लिये यहां पर वह न हों यह कहां तक उचित है ? इस सरकार की घोषित नीति भी रही है कि ला-एण्ड आर्डर असफल होने की हालत में एस0एस0पी0 और कलक्टर को उत्तरदायी ठहराया जाता है। इस समय यहां पर न मुख्य मंत्री हैं न गृह मंत्री और न गृह राज्य मंत्री है तो कहीं आपका कोई अंकुश रहेगा या नहीं हमारा न सही आपकी पीठ का कोई सम्मान करेंगे या नहीं ? यहां पर आपकी पीठ से समय समय पर निर्देश भी जाते रहे हैं कि जिस विभाग से संबंधित सूचना होगी उस विभाग से संबंधित कैबिनेट मंत्री अवश्य रहेगा । तो आपके निर्देशों की भी अवहेलना हो रही है। माननीय गुप्त जी ने सही सवाल उठाया इस पर आप व्यवस्था दें कि आपका कोई अंकुश रहेगा या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष--

(श्री रामशरण दास के खड़े होने पर) में व्यवस्था तो दे दूं ।

श्री राम शरण दास--

मेरा निवेदन सुन लें । कभी तो कोई आप अच्छा काम करो.....

श्री उपाध्यक्ष--

आपने यह जो खिताब दिया है इसके खिलाफ में कैसे जा सकता हूं ?

श्री राम शरण दास--

अम्मार साहब आपकी तरफ [x x x] हैं ज्योंही उन्होंने आंख से इशारा किया और [XXX] गये....

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

आ गये हैं।

श्री राम शरण दास--

हमारे स्टेट मिनिस्टर साहब क्या कहेंगे वह बेचारे ऐसे हैं गृह मंत्री के पीछे पीछे जैसे पीकदान वाला घूमता फिरता है। मुख्य मंत्री नहीं तो कम से कम गृह मंत्री को ही बुला लीजिये। (व्यवधान) क्यों कहलवाते हैं आपकी हैसियत क्या है जैसे पीकदान वाला जाता है। मेरा आपसे भी निवेदन है कि [x x x] अब समय आ गया है सरकार बदलनेवाली है हम आपको स्पीकर बनाना चाहते है [×××]

श्री उपाध्यक्ष--

स्पीकरशिप के लिये आप ही ठीक रहेंगे ।

नोट :--[×××]यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।
वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री कौशिक रमाशंकर--

संसदीय कार्य मंत्री जी को कहिये उनको निर्देशित कीजिये । इतना अहम सवाल उठा है माननीय संसदीय कार्य मंत्री को आप निर्देशित नहीं कर रहे हैं । ऐसे मौके पर जब सब मांग कर रहे हैं मुख्य मंत्री जी को बुलाने की । नियम 300 के अन्तर्गत ऐसे मसले आते हैं जिसमें उनका रहना जरूरी है .... उन्होंने जो भाषण कल मरचहवा कांड पर दिया उस पर सवाल उठा था, मुख्य मंत्री जी यहां नहीं है और संसदीय कार्य मंत्री को आप निर्देशित नहीं कर रहे हैं, कृपा करके निर्देशित करें कि मुख्य मंत्री जी सदन में आयें ।

श्री अम्मार रिजवी--

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो औचित्य का प्रश्न उठाया है, कल इस पर विस्तृत रूप से चर्चा हो चुकी है । इसको गम्भीरता को देखते हुए मुख्य मंत्री जी स्वयं वहां गये और लौट कर इच्छा व्यक्त की कि इस चर्चा में वह स्वयं रहना चाहते हैं कल पूरे समय र हे । श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने कहा कि चर्चा समाप्त होने से पहले ही चले गये । कार्यवाही आप देख लें, आपने स्वयं उस समय घोषणा की थी कि चर्चा समाप्त हो चुकी है । मद सं0 24 पुकार चुके हैं और जब श्री गुप्त जी ने मुख्य मंत्रीजी से कहा था- आप पुलिस कर्मियों के खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं, "तो खड़े होकर मुख्य मंत्री जी ने कहा था, मैं कार्यवाही को पढ़ना चाहता हूं" जैसा मैंने कहा अभी तक सुरक्षा देने की बात है, जांच कौन करे, किसका दोष है, देखना पड़ेगा और जांच के बाद जो दोषी पाये जायेंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी, जांच के उपरांत कार्य वाही होगी । " तो इस प्रकार सारा प्रकरण चर्चा का कल ही समाप्त हो चुका था । इस-समय चर्चा का कोई औचित्य नियम 300 में नहीं बनता है । मुख्य मंत्री जी यहां क्यों मौजूद नहीं हैं, गृह मंत्री क्यों नहीं हैं, यह दो प्रश्न उठाये गये ? श्री कौशिक ने कहा मुझे निर्देशित करें, जो आपका निर्देश होगा, शिरोधार्य होगा । लेकिन कोई भी मिनिस्टर कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी के तहत उस सब्जेक्ट का मिनिस्टर यहां रहे यह कोई जरूरी नहीं है जवाब दे सकता है इसमें सैकड़ों रूलिंग्स हैं और कई बार तय हो चुका है ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मेरा नाम लिया गया है, इसलिये मैं सफाई दे दूं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

अब मैं अपनी व्यवस्था दे दूं । आप लोग बैठ जांय । श्री गुप्त जी सफाई की कोई जरुरत नहीं है । मैं व्वयस्था पर निर्णय दे दूं ।

(व्यवधान)

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

व्यवस्था का प्रश्न है कि अभी संसदीय कार्य मंत्री ने कल की कार्यवाही का वह अंश सुनाया जो मुख्य मंत्री जी ने कहा था । मैं इस संबंध व्यवस्था चाहता हूं कि जांच की बात उन्होंने किया, जांच कौन सी एजेंसी से करायेंगे, जांच का क्या टर्म्स आफ रेफरेन्स होगा आदि बातों की कोई चर्चा, जिक्र नहीं है जिसको बतायें ? और पुलिस कप्तान देवरिया वहां जब तक रहेगा और जब वह श्री रणजीत सिंह की हत्या करा सकता है । तो बिना उसके

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हत्या कल हमारी भी हत्या हो सकती है और शाही जी की भी हत्या हो सकती है । तो जबतक उसको नहीं हटाया गया तो जांच क्या होगी ? मामूली दरोगा के खिलाफ भी जांच नहीं होती है जब तक वह न हटे, तो इतने बड़े अधिकारी के मामले में क्या हो सकती है ? जब तक पुलिस कप्तान देवरिया नहीं हटाया जाता, जांच का कोई औचित्य नहीं होगा । तो क्या यह सरकार देवरिया के पुलिस कप्तान को हटाकर जांच करा रही है ? ये केन्द्र शासित जिले है, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इसमें प्रदेश की कोई एजेंसी जांच नहीं कर सकती है । सी0 बी0 आई0 के अलावा कोई एजेंसी ऐसी नहीं है, जो उसकी जांच कर सके तो क्या पुलिस कप्तान को हटाकर यह सरकार सी0 बी0आई0 से जांच कराने का आश्वासन दे रही है ?

(घोर-व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

मुझे व्यवस्था देने दीजिए, एक सवाल गुप्ता जी ने उठाया है. . .

(व्यवधान)

आप चाहते हैं तो मै सुनता रहूंगा, जबतक चाहें आप व्यवस्था उठावें ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

(व्यवधान)

]x x x]

श्री उपाध्यक्ष--

इस तरह से कार्यवाही नहीं चल पायेगी । व्यवस्था मैं पहले दे दूं (व्यवधान) आपको सुन लूंगा, जिनका नाम है उनको सुन लूंगा, लेकिन व्यवस्था मुझे दे लेने दीजिए । अनुग्रह नारायण जी बैठ जाइये । अनुग्रह नारायण जी यह ठीक नहीं है । जो कुछ आप बोलने का प्रयास कर रहे हैं लिखा नहीं जायगा (व्यवधान) जिले का मामला हो, कहीं का मामला हो मै बुलवा दूंगा ।

मरचहवा कांड के बारें में जो गुप्त जी ने प्रश्न उठाया, उस पर हमारी यह व्यवस्था यह है कि उस काण्ड पर कल चर्चा पूरी हो चुकी है । आपका, माननीय मुख्य मंत्री जी का भाषण, नियम 54 के उपरान्त समाप्त हो जाता है । अध्यक्ष पीठ से किसी सदस्य या किसी मंत्री को सदन में आने रहने का निर्देश नहीं दिया जा सकता, नहीं दिया जाता है । जहां तक पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही का सवाल है, मुख्यमंत्री जी ने जांच कराने और कार्यवाही कराने की बात कह दी है ।

(श्री सूर्य प्रताप शाही, श्री हर्ष वर्धन , श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री हृदय नरायन दीक्षित, श्री बालेश्वर आदि विपक्षी सदस्य सदन के फ्लोर पर मुख्य मंत्री के विरुद्ध नारे लगाने लगे और कार्यवाही किये जाने की मांग करने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

नोट :--[xxx]यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं अब सदन को डेढ़ बजे तक के लिये स्थगित करता हूं ।

(इस समय 12 बजकर 55 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 1 बजकर 30 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी ।

(1 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, जो मामला है वह बहुत ही ज्यादा दुखद है और गम्भीर भी है, जैसा मैंने स्वयं निवेदन किया था मैं समझता हू इसमें माननीय मुख्य मत्री जी से परामर्श होना बहुत ही आवश्यक है, और गोरखपुर और देवरिया के विधायकगण चार बजे के आस पास माननीय मुख्य मंत्री जी के कक्ष मे उनसे मिल ले और इस संबधं में अपनी राय भी बता दें, हम समझते हैं कि इसमें कोई न कोई निष्कर्ष निकल ही आएगा ।

विधान भवन के गेट नम्बर 3 पर स्कूटर इंण्डिया के कर्मचारियों की महिलाओं द्वारा धरना दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री काशी सिंह ऐरी—

मान्यवर विधान सभा के गेट–2 पर और दारुल शफा के गेट पर, स्कूटर्स इण्डिया से संबंधित, जितनी उनके घरों की महिलायें थीं, उनका धरना चल रहा है वह दस बजे से बैठी हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी नहां गये और न ही उनकी बात सुनी है, सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि वहां नहीं गया है । वहां विस्फोटक स्थिति पैदा होने जा रही है । मुझे कहते हुए शर्म आ रही है कि एक भी महिला कांस्टिबिल वहां नहीं है हजारों महिलायें वहां हैं, अगर वह गेट खोलकर अन्दर आ जाती हैं तो पुलिस उन पर डडे बरसाएगी लाठी-चार्ज कर देगी । हम जानना चाहते हैं कि सरकार ने इस पर अब तक क्या कार्यवाही की है कितने प्रतिनिधियों से मिले हैं ? मान्यवर, मैं उनकी समस्याओं के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि उसमें तो यह कह देगे स्कूटर इडिया के निजी-करण का मामला केन्द्र सरकार से संबंध है, तो जो अब तक कार्यवाही की गई है वह बता दे ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं सूचना दूंगा ताकि आप निर्णय दें तो उसमे आसानी हो जाए । मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने महिला मंडल से मिलने को कहा था और वह उनसे मिलेंगे । उनके प्रतिनिधि इस समय मुख्य मंत्री जी के विजिटर्स रुम में सम्मानपूर्वक बैठे हैं और चाय पी रहे हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं उनसे मिलेंगे और उनका ज्ञापन स्वीकार करेंगे ।

विधान परिषद् में सदस्यों के रिक्त पदों पर चुनाव कराये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री कौशिक रामाशंकर—

मान्यवर, विधान परिषद् का गठन अधूरा है लगभग 50 फीसदी स्थान विधान परिषद् के रिक्त हैं । श्री मान् यह संवैधानिक मामला है । स्थानीय निकायों के चुनाव हो चुके हैं ग्राम्य विकास मंत्री ने हाउस में और दूसरी जगहों पर भी एलान किया है

कि विधान परिषद् के चुनाव जो स्थानीय निकायों के जरिये होने हैं उनको शीघ्रातिशीघ्र सम्पन्न करायेंगे, लेकिन कोई तिथि घोषित नहीं की गई। विधान परिषद् अधूरी गठित है। फलस्वरूप विधान मंडल अधूरा गठित है। माननीय मुख्य मंत्री जी को पता नहीं किस कारण खतरा है। वह तो कांग्रेस पार्टी विधान मंडल के नेता हैं और नेता रहेंगे, फिर वह स्थानीय निकायों के चुनाव की घोषणा क्यों नहीं कर रहे हैं ? यह सरकार की लापरवाही है। नामिनेशन होने चाहिये वह भी नहीं हुए हैं। तो माननीय मंत्री जी विधान परिषद् के चुनाव कब करायेंगे यह बता दें ?

*श्री शारदानन्द अंचल---

मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण औचित्य का मामला है विधान परिषद् के पचास पद रिक्त हैं। जिसमें उन स्थानीय निकाय, क्षेत्र के जहां से परिषद् सदस्य आने हैं वहां के लोगों को अपने प्रतिनिधि के अभाव में बहुत दिक्कतें हो रही हैं ग्राम प्रधान टाउन एरिया के सदस्य, जिला परिषद् के सदस्य, जिनको चुनकर भेजना है, उनके अभाव में वह अपनी समस्याओं को सरकार के संज्ञान में नहीं ला पा रहे हैं। जिस तरह से विधान सभा के सदस्य अपने मतदाताओं की समस्याओं को विधान सभा में सज्ञान में लाकर समस्याओं के समाधान की मांग करते हैं और उसमें बहुत सी समस्याओं का समाधान भी हो जाता है लेकिन विधान परिषद् के मतदाता इस समय अपने अधिकार से वंचित हैं इसलिये मैं इस प्रश्न को औचित्य के प्रश्न के रूप में सदन के संज्ञान में लाते हुये इसके समाधान की मांग करता हूं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)---

मान्यवर, यह औचित्य का प्रश्न तो बनता नहीं श्रीमन् आप स्वयं जानते हैं क्योंकि यह दूसरे सदन का मामला है।

श्री कौशिक रमाशंकर---

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। यह दूसरे हाउस का मामला नहीं है, यह संविधान से संबधित मामला है।

श्री राम शरण दास---

मान्यवर, हमारा एक हिस्सा अधूरा है उसको पूरा करवाइये। 12 जो नामिनी राज्यपाल महोदय के हैं वह तो मुख्य मंत्री जी को ही करने हैं। क्या कठिनाई है कि उनको नहीं कर रहे हैं। यह तो हम जानते ही हैं कि उन पर आप अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को करेंगे। आप उन पर पत्रकारों, साइन्टिस्टों को नामिनेट करें। इसमें क्या कठिनाई है ?

श्री अम्मार रिजवी---

मान्यवर, जहां तक औचित्य के प्रश्न का संबंध है, नियम 300 के अन्तर्गत कोई प्रश्न उसी विषय के संबंध में उठाया जा सकता है, जो नियमों या संविधान के ऐसे अनुच्छेद के जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, के निर्वाचन या प्रवर्तन के संबंध में हो और उसमें ऐसा प्रश्न उठाया जाय जो तत्समय सदन के समक्ष हो। तो मान्यवर, इस पर तो आपको निर्णय करना है। लेकिन जहां तक चुनाव की बात है ग्राम सभा या अन्य कोई भी चेयर जो डमोक्रेसी की है नहीं बची है जिसका चुनाव न करवा दिया गया हो। जहां तक विधान परिषद् की बात है जो रिक्तियां हैं उनका भी चुनाव जल्दी ही कराया जायगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कौशिक रमाशकर---

अगर आप तारीख न बता सकें तो महीना बता दीजिए कि कब तक करवा देंगे ?

श्री अम्मार रिजवी---

मान्यवर, महीनों का तो ख्याल कौशिक जी रखते हैं, मुझे महीना नहीं मालूम है लेकिन जल्दी ही कराये जायेंगे ।

श्री राम आसरे वर्मा---

मैंने एक औचित्य के प्रश्न की सूचना दी थी ।

श्री उपाध्यक्ष---

जब नम्बर आयेगा तब बोल लें ।

बस्ती जनपद के डिग्री कालेज के छात्रों पर लाठी चार्ज किये जाने विषयक सूचना पर श्री माता प्रसाद पाण्डेय द्वारा उठाया गया व्यवस्था का प्रश्न

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय---

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । कल आपकी आज्ञा से मैंने कार्यस्थगन प्रस्तुत किया था । मैंने कहा था कि बस्ती के सभी कालेज बन्द हैं, तमाम विद्यार्थी अपराधिक मामलों में बन्द हैं । लड़कों की मांग थी कि मामले की उच्चस्तरीय जांच करायी जाय तथा वहां के एस0 डी0 एम0 तथा डी0 वाई0 एस0 पी0 का स्थानान्तरण किया जाय तथा मुकदमें वापस लिये जांय । गृह मंत्री जी कल अनभिज्ञ थे कोई जवाब कल नहीं दिया था । अगर इस पर कार्यवाही न की गयी तो यह आन्दोलन जिले भर में फैल जायेगा । परीक्षायें होने वाली हैं । मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आप जांच करायें और जो मुकदमें गलत चलाये गये हैं उनको वापस करवा दें । मान्यवर आपने कोई व्यवस्था नहीं दी थी केवल कल मुझे समय दिया था । मेरा निवेदन है कि गृह मंत्री जी वह मुकदमें वापस करवायें ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)---

जो माननीय माता प्रसाद जी ने कहा, उसकी जांच करा कर, जो ऐसे मुकदमे पाये जायेंगे उन्हें वापस कराया जायगा ।

सहकारिता विभाग की नियमावली को सदन के पटल पर न रखें जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मैंने एक औचित्य के प्रश्न की सूचना दी थी, जैसा कि अभी संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा, यह औचित्य का प्रश्न है । संविधान की जिन धाराओं से सदन का कार्य विनियमित होता हो और नियमावली से संगत हो, उस दृष्टि से मेरा औचित्य का प्रश्न पूर्ण तया नियमानुकूल है । संविधान के जिन अनुच्छेदों से यह नियमावली बनी है, उसके नियम 176 को देखने की कृपा करें । उसमें यह दर्शाया गया है कि जो भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, प्रतिनिहित विधायन है, उसके संबंध में जो भी नियमावली, अधिसूचनायें, विज्ञप्तियां जारी होंगी, वह सब नियम 176 के अन्तर्गत आदरणीय सदन के समक्ष रखी जायेगी ।

सहकारिता विभाग द्वारा 22 फरवरी, 1989 को अधिसूचित एक अधिसूचना की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं । यह सदन की मेज पर अभी तक नहीं आई, क्योंकि यह सरकार अपने काले-कारनामों को छिपाना चाहती है । उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव एक्ट में प्राविधान है कि सहकारिता विभाग में बैंकों में जो भी नियुक्तियां होंगी, वह संस्थागत सेवा मण्डल उच्चपदस्थ, राज्य नेताओं तथा अधिकारियों के अभिभावकों को चयनित नहीं कर पाये हैं, इसलिये और दरवाजे से

*वक्ता ने भषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नियमों में कोई प्राविधान न होते हुए भी इनकारपोरेट इंडिपेन्डेन्ट बाडी, एक शोध मण्डल गठित किया है, उसके मैनेजमेंट ट्रेनीज को प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया जा रहा है। यह भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मामला है। इससे मंत्री जी की निजी छबि बिगड़ रही है। माननीय सहकारिता मंत्री तो उसके आदी हैं। कल इन्हो की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इनका घेराव किया इनके ऊपर आरोप लगाया कि फतेहपुर सहकारी बैंक के अध्यक्ष को इसलिये इन्होंने हटा दिया कि वह किसी जगह इनके राजनैतिक प्रतिद्वन्दी रहे थे। मैं आरोप लगाता हूं कि यह अपने चहेते लोगों को नौकरी देने के लिये नियमों की हत्या की गयी है। इसलिये यह औचित्य का प्रश्न बनता है। इस पर मान्यवर व्यवस्था करने की कृपा करें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

माननीय गुप्ता जी ने जो मुख्य प्रश्न इस सिलसिले में उठाया है, वह यह है कि नियमावली सदन के पटल पर नहीं रखी गयी, इसलिए यह औचित्य का प्रश्न नियम 176 के अन्तर्गत बनता है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

यह तो उसका कारण है, जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में लाना चाहिए।

श्री अम्मार रिजवी---

आपके कहने का मतलब यह है कि उसे सदन के पटल पर रखा जाना चाहिए था, वह नहीं रखी गयी, जिससे मेम्बर अवगत नहीं रहे। मननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त ने जो तथाकथित चीज कही, उसके संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जो सारी नियमावली बनी, यह शासन द्वारा नहीं बनाई गयी, बल्कि कोआपरेटिव सोसायटीज ऐक्ट की धारा 122 के अन्तर्गत गठित की गयी। यह उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल द्वारा बनाई गयी थी। यह एक तरह से रेगुलेशन्स है यह जब बनता है, तो शासन के पास अनुमोदन के लिये भेजे जाते हैं, शासन उनको गजट में प्रकाशित करता है, उनको सदन के पटल पर रखना जरूरी नहीं है। यदि इस तरह के रेगुलेशन्स हमारे नियमों के अन्तर्गत आते है और उन्हें रखा जाना चाहिये, तो उन्हें रखना चाहिये, लेकिन मुझे पूरा बिश्वास है कि इस प्रकार के रेगुलेशन्स जो गजट में प्रकाशित हो जाते हैं, उन्हें सदन के पटल पर नहीं रखा जाता है। जो गुप्ता जी ने कहा कि इस प्रकार की नियुक्तियां हुईं, वह गलत तरीके से हुईं, यह प्रशासनिक मामला है इन नियुक्तियों के बारे में अलग से लिखकर दे दें उसको दिखवा लेंगे लेकिन यहां औचित्य का प्रश्न नहीं बनता।

शिक्षा विभाग में फर्जी राजाज्ञा जारी किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर अभी तक बहुत से फर्जी मामले प्रकाश में आये थे लेकिन एक फर्जी राजाज्ञा का प्रकरण प्रकाश में आया है। एक राजाज्ञा शिक्षा अनुभाग-5 से जारी हुई। यह सुशील चन्द्र, अनुसचिव के नाम से जारी हुई। मान्यवर, इसमें इसका विषय था--विशेष योग्यताधारी (स्पेशल टीचर्स अध्यापक) जिनकी नियुक्ति 1968 से पूर्व विषय अध्यापक पद पर हुई थी ऐसे विज्ञान, संस्कृत अध्यापकों को अप्रशिक्षित अध्यापक की गणना से मुक्त करना। 30-5-87 को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद्, ने इस बात को उजागर किया कि इस तरह की राजाज्ञा कोई जारी नहीं हुई। मान्यवर, सुशील चन्द्र के नाम से यह राजाज्ञा जारी हुई थी। उन्हीं के दस्तखतों से 22 अप्रैल, 1988 को एक कार्यालय ज्ञाप जारी किया गया जिसमें यह बताया गया कि राजाज्ञा संख्या 6-235/

15-5/521/81 दिनांक 21-5-85 जारी नहीं की गयी । मान्यवर, 87-88 में यह मामला प्रकाश में आया इस बीच में जो फर्जी राजाज्ञा थी इस राजाज्ञा के तहत तमाम कार्यवाही भी शिक्षा विभाग में की गयी । फतेहपुर में इस तरह की कार्यवाही सामने आई इस राजाज्ञा के अन्तर्गत एक अध्यापक दीक्षित जी, उनको निलम्बित भी किया गया । फतेहपुर और दूसरे जिलों में, गोरखपुर में भी इस तरह के प्रकरण सामने आये हैं । फर्जी राजाज्ञा के आधार पर जो कार्यवाही इस शिक्षा विभाग में प्रदेश स्तर पर हुई है उन कार्यवाहियों को निरस्त किया जाना चाहिये और इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि अगर फर्जी राजाज्ञाएं इस तरह से सामने आयेगीं तो शासन का कामकाज नहीं चल सकता है । मान्यवर, मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं और शासन का इस पर स्पष्ट अश्वासन चाहता हूं कि जो फर्जी राजाज्ञा प्रकाश में आई है और इसके तहत जो कार्यवाही की गयी फतेहपुर या दूसरे जिलों में, उनको निरस्त करने की क्या व्यवस्था करेंगे ?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमार बख्शी)--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जिस राजाज्ञा का इस समय उल्लेख किया है, मान्यवर, वह राजाज्ञा कभी भी इशू नहीं की गयी और यह मामला जिसका वह जिक्र कर रहे हैं वह बिल्कुल फर्जी था और इसलिये उसको इशू करने का प्रश्न नहीं उठता । उसके संबन्ध में उनको क्लीअर करने के लिये यह राजाज्ञा इशू करदी गयी थी कि इस बारे में जो राजाज्ञा जिसके संबंध में रिफरेंस आपने दिया है 6-235/15-5-521/81 दिनांक 21-5-85 की कोई भी राजाज्ञा जारी नहीं की गयी थी। हमारी तरफ से इसका क्लारीफिकेशन भी निकाला गया था । मान्यवर, जब कोई राजाज्ञा यहां से निर्गत ही नहीं हुई है तो उस पर कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है परन्तु हमारे सम्मानित सदस्य को अगर कोई ऐसी घटना मालूम है कि उस फर्जी राजाज्ञा पर कोई कार्यवाही हुई है तो कृपया उसको इंगित करें । उसके संबंध में विभाग द्वारा जरूर कार्यवाही की जायेगी ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर मैंने स्पष्ट रूप से कहा, फतेहपुर जिले में राजाज्ञा के तहत कार्यवाही हुई है, इसी तरह से गोरखपुर की बात भी सामने आई है अन्य जिलों में भी हुआ होगा तो कोई ऐसा उपाय निकालेगी कि फतेहपुर जिले सहित अन्य जिले में अगर इस राजाज्ञा के तहत कोई भी कार्यवाही की गयी है चाहे योग्यता संबंधी है, या निलम्बन सम्बन्धी, उनको निरस्त करने के बारे में माननीय मंत्री जी स्पष्ट रूप से बता दें ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर मैंने अभी सविनय निवेदन किया कि वह राजाज्ञा जो मैंने कही है बिल्कुल फर्जी थी उसके सम्बन्ध मे अगर कोई कार्यवाही की गयी है, अगर हमें इसका संज्ञान होता हमारे पास कोई प्रतिवेदन आता है तो उस पर तत्काल न्यायोचित कार्यवाही की जायेगी । इसमें कोई संदेह नहीं है । इस संबंध में जांच भी करा लेंगे कि ऐसा क्यों हुआ ।

विशेषाधिकार की सूचनाओं पर शासन द्वारा निर्धारित समय के अन्दर उत्तर न दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

श्रीमन्, मेरा औचित्य का प्रश्न विशषधिकारों के बारे में है। श्रीमन् यह विपक्ष के हाथ में सबसे बड़ा अमोघ अस्त्र संसदीय लोकतन्त्र में कामरोको प्रस्ताव होता है, तो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सदन के सभी सदस्यों के लिये विशेषाधिकार और अवमानना का जो अधिकार मिला है, श्रीमन्, यह अमोघ अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, हमारे लिये, और श्रीमन्, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि इधर विशेषाधिकार हनन की जो सूचनायें हम देते हैं श्रीमन् आपके कार्यालय से संबंधित मंत्रियों या सदस्यों को जो सूचना जाती है, निर्धारित अवधि के अन्दर, बार बार अनुरोध के बावजूद, उन सूचनाओं पर संबंधित सदस्यगण अपनी टिप्पणी नहीं भेजते। स्थिति यह है कि एक एक सूचना 6–6 महीने से इसलिये लम्बित पड़ी है कि आपको टिप्पणी नहीं मिलती है सम्मानित सदस्यों की ।

श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी पीठ से जो अवधि निर्धारित की जाती है आपका कार्यालय जिस अवधि के अन्दर संबंधित सदस्यों से उनकी टिप्पणी की अपेक्षा करता है, अगर नहीं भेजते तो वह स्वयं में कन्टेम्प्ट है। इधर एक फैशन हुआ है कि माननीय मंत्रीजी बिना हिचक के सदन में गलत बयानी करते हैं और उस पर जब विशेषाधिकारी की सूचना दी जाती है, उसके जरिये से न केवल मंत्रियों को उनकी गलती का एहसास कराना चाहते हैं, बल्कि जिन समस्याओं और प्रश्नों के बारे में सदन में गलत बयानी हुई है, उन प्रश्नों और समस्याओं का उचित परिमार्जन चाहते हैं। उन समस्याओं के साथ न्याय चाहते हैं। लेकिन, श्रीमन् मंत्रीगण का उत्तर नहीं आता है तो न उन समस्याओं के साथ न्याय हो पाता है, न आपकी पीठ के निर्देशों का पालन हो पाता है मेरा अनुरोध है कि यह स्वयं में कन्टेम्प्ट है। सदस्यगण कुछ भी पढ़ लिख लें लेकिन उनके विशेषाधिकार के प्रश्नों को इतने हल्के ढंग से लिया जाता है कि लोग हंसते हैं। आज यह स्थिति है। मेरा कहना है कि मैंने 3 विशेषाधिकार की सचनायें बिजली मंत्री द्वारा जो गलत बयानी की गयी थी, उसके संबंध में सबूत की फोटो कापी लगाकर दी थी और आशा करता था कि आप जब विशेषाधिकार पर निर्णय देंगें तो मंत्रीजी खेद प्रकाश कर लेंगे। उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है लेकिन जिन प्रश्नों को उठाया गया उससे संबंधित लोगों के साथ न्याय हो जायगा। लेकिन 6 महीने से जवाब नहीं आया, इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि आप अपने निर्देशों का पालन नहीं करा पायेंगे, जो समय आप निर्धारित करते हैं,उसका अनुपालन सदन के सदस्य नहीं करेंगे तो हमारे अधिकारों की रक्षा आप कैसे करेंगे संरक्षण कैसे करेंगे, इस पर व्यवस्था चाहता हूं ।

*श्री राम गोविन्द चौधरी- –

मान्यवर, यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण औचित्य का प्रश्न है। सदस्यों को विशेषाधिकार इस सदन ने दिया है। नियमावली में भी है। जो एक विशेषाअधिकार मिला है, उसी विशेधाधिकार को पंगु बनाने का काम इस समय हो रहा है। इससे पहले जब विशेषाधिकार के प्रश्न सदन में आते थे तो परम्परा थी की जो सदस्य विशेषाधिकार की सूचना देते थे, उसी दिन उसकी ग्राह्यता के विषय में सदन में बात सुनी जाती थी और अगर ग्राह्य होता था तो विशेषाधिकार समिति को पीठ से उसी दिन संदर्भित कर दिया जाता था। अब एक नयी परम्परा पड़ गयी है विशेषाधिकार की जो सूचना दे दी जाती है, माननीय सदस्य जो विशेषाधिकार का प्रश्न दे देते हैं उस प्रश्न का क्या हुआ कब उसमें निर्णय लिया गया यह भी पता नहीं चलता जब आप सम्बन्धित अधिकारी या सदस्य या सम्बन्धित मंत्री से पूछ तांछ के लिये प्रक्रिया चलाये हैं। जब पूछेंगे जब उनकी सूचना आयेगी जब आप संतुष्ट होंगे, तब विचार करेंगे। दिन प्रति दिन वह संबंधित व्यक्ति जानबूझ कर विलम्ब करता है 3–4 महीने 6 महीने यहां तक कि 1 साल तक सूचना के अभाव में विशेषाधिकार हनन के अवमानना के प्रश्न लम्बित पड़े हुए हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मेरा एक मामला था 53 रायल होटल में पुलिस के जुल्म का था कई विधायकों के कमरे में वह घुसे थे। मैं व्यक्तिगत रुप से सचिव महोदय से मिला, उन्होंने कहा कि संबंधित कर दिया गया है। उसकी लिखित सूचना आज तक मुझे नहीं मिल पायी। नहीं पता चल पाया आज तक कि उस मामले में क्या हुआ ? प्रतिदिन मंत्री लोग इस हाउस में गलत बयानी करते हैं उत्तर भी गलत देते हैं मिथ्या उत्तर देते है उन पर जब विशेषयधिकार का प्रश्न माननीय सदस्य देते हैं तो उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। इसलिये मंत्री लोग बेलगाम हो गये हैं। है जो चाहे सदन में कह दें। विशेषाधिकार हनने की पहले जो प्रक्रिया थी जिस दिन विशेषाधिकार का प्रश्न आये, पीठ उसको सुने, ग्राह्यता की शर्तों को सुने अगर वह प्रश्न ग्राह्य है तो उसी दिन विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द कर दिया जाय और कहा जाय कि इस मसले को तत्काल निस्तारण किया जाय तब विशेषाधिकार की जो बात है वह प्रभावी हो भी सकती है। इसे पंगु बनाने से आये दिन विधान सभा में मंत्रीगण, जो अधिकारी गलत सूचना देते हैं, उसी तरह से यहां कह देते हैं। मनमाने तरीके से कह देते हैं, कोई कन्ट्रोल नहीं रह गया है। विशेषाधिकार हनन और अवमानना के मामले पर आप अपना संरक्षण दें। इस पर तत्काल कार्यवाही करने के विषय में मेरा व्यवस्था का प्रश्न हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, प्रजातन्त्र में जो विरोध पक्ष की भूमिका है वह उतनी ही महत्वपूर्ण है, जितनी सरकार की इस पक्ष की। माननीय तिवारी जी ने और माननीय राम गोबिन्द चौधरी जी ने जो बात कही, यह एक तरह से कुछ तरीके हैं सरकार को कहीं पर भी किसी भी पार्टी को हो पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेसी में सरकार को नियन्त्रित रखने के बहुत से तरीके हैं। हाऊस आफ कामन्स से लेकर जहां तक प्रजातन्त्र का मूल स्वरूप है, वैसे तो प्रजातन्त्र की बुनियाद हिन्दुस्तान ने रखी। एथेंस और स्पार्टा सब बाद में आये। भारत मे प्रजातन्त्र पंचायतों के रुप में उभरा। प्रिविलेज, ब्रीच आफ प्रिविलेज की की नोटिस देते हैं, वह अक्सर सीरियसनेस से नहीं ली जाती, जितनी लेनी चाहिये। मान्यवर, उस बात को स्वीकार करने में, सत्य को स्वीकार करना गलत नहीं होता पूरी तरह से प्रयास किया जायगा कि ब्रीच आफ प्रिविलेज के विषय में मंत्रीगण को नोटिस देते हैं नोटिस सरकार को जाती हैं, अधिकारियों को जाती हैं, यह निर्देश दिये जायेंगे कि उनको बहुत ही गंभीरता से लिया जाय। उनका शीघ्र अतिशीघ्र जवाब दिया जाय ताकि इसका निस्तारण समय पर कर सकें। माननीय तिवारी जी ने जो बात कही, मैं समझता हूं कि एक महत्वपूर्ण बात कही। राम गोविन्द जी ने बात कही। इसके प्रति जो हैं, वह पूरी तरह से सीरियसनेस के साथ, जितना ज्यादा हो सकता है, इसका जवाब दें। उम्मीद है कि भविष्य में इस तरह की शिकायत माननीय सदस्यगण को नहीं होगी।

श्री उपाध्यक्ष--

यह सही बात है कि जो जवाब सरकार का आता है विशेषाधिकार मामलों का काफी विलम्ब से आता है जिस माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने भी स्वीकार किया आगे से ध्यान रखें। सूचना में इतनी देरी न हो उसका अर्थ का अनर्थ ही हो जाता है आगे यह ध्यान रखा जाना चाहिये।

माननीय राम गोविन्द चौधरी जी ने कहा, जब यह कार्यवाही का अंग बन गया, कार्यवाही में घोंषणा हो जाती है, अलग से चिट्ठी नहीं जाती माननीय सदस्य को आपको देखना है तो वह कार्यवाही में है, आपका जो निस्तारण हुआ है।

श्री शारदा प्रताप द्वारा स्कूटर इण्डिया के कर्मचारियों के बच्चों का विधान भवन के गेट नं0 3 पर धरना देने के फलस्वरूप आवागमन अवरुद्ध होने संबंधी सूचना पर उठायी गयी व्यवस्था का प्रश्न

श्री शारदा प्रताप--

माननीय, एक व्यवस्था का सवाल है ।

श्री उपाध्यक्ष--

कहिये, क्या व्यवस्था है ?

श्री शारदा प्रताप--

माननीय, अभी काशी सिंह ऐरी जी ने स्कूटर इण्डिया के कर्मचारियों की पत्नियों और उनके बच्चों के द्वारा दारूलशफा के गेट के अन्दर धरना देने की बात बताई थी । माननीय, स्कूटर इंडिया कम्पनी मेरे क्षेत्र सरोजनी नगर में स्थित है । मैं वहां के मामले में माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय श्रम मंत्री जी से भी बात कर चुका हूं। लेकिन आज ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है कि दारूलशफा के गेट से निकलकर यह लोग विधान सभा के सामने मुख्य मार्ग पर आ गये हैं और मुझे ऐसा एहसास होता है कि सड़क जाम हो चुकी है और कहीं ऐसा न हो जाय कि यह गेट भी टूट जाय तथा ऐसी कोई गम्भीर घटना न घट जाय, जो इस प्रदेश के सरकार के मत्थे पर कलंक लगे । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था कि 5-7 महिलायें मुख्य मंत्री कक्ष में चाय पी रही हैं । माननीय शिक्षा मंत्री और परिवहन मंत्री जी दोनों वहां गये थे, और तुरन्तु वापस लौट आये ।

माननीय, स्थिति बड़ी भयंकर हो गयी है और दुध मुंहे बच्चे नारे लगा रहे हैं कि "पापा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, "मम्मी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं।" माननीय, इसको देखकर आंखों में आंसू आते हैं । मैं चुनौती भरे शब्दों में कहना चाहता हूं कि माननीय ससदीय कार्यमंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री, जो महिला हैं, अगर यह मां का हृदय रखती हैं । कृषि मंत्री जी यहां मौजूद हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी यहां मौजूद हैं, यह सब लोग वहां जाकर देख लें । कहीं ऐसा न हो जाय कि विधान सभा के आखिरी दिनों में कोई ऐसी घटना घट जाय, जो ठीक न हो । माननीय, मैं व्यवस्था चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी अविलम्ब उन लोगों को बुलाकर स्कूटर इंडिया कर्मचारियों से वार्ता करा दें और उनसे बात करें ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह संसदीय कार्य मंत्री का काम है, वह करेंगे ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

माननीय, माननीय मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं वह उनसे वार्ता करेंगे ।

विधायकों के शिकायती पत्रों पर शासन द्वारा कार्यवाही न किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

(श्री हृदय नरायन दीक्षित, श्री गोपीनाथ वर्मा, श्री काशी सिंह ऐरी, तथा श्री देवेन्द्र कुमार सिंह द्वारा एक साथ खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने पर-शोर-व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप लोग बैठिये, कोई ऐसा नहीं है, जिसको थोड़ा भी सुना जा सकें ।

श्री हृदय नरायन दीक्षित--

माननीय, बहुत महत्वपूर्ण मामला है ।

श्री उपाध्यक्ष--
अच्छा एक मिनट में अपनी बात खत्म करें । बाकी लोग बैठें ।

श्री गोपीनाथ वर्मा--
मान्यवर, संविधान-14 की बात है ।

श्री उपाध्यक्ष--
संविधान-14 से सदन नहीं चल रहा है, आप बैठे, दीक्षित जी अपनी बात कहें ।

श्री हृदय नरायन दीक्षित--
मान्यवर, मैंने जो औचित्य की सूचना दी है, वह विधायकों के द्वारा सरकार को लिखे गये पत्रों को गायब कर देने के संबंध में है मान्यवर, हमने सरकार को पत्र लिखा था, उन्नाव जनपद के सहकारी बैंक के प्रशासक द्वारा सरकारी जीप का दुरुपयोग करने के संबंध में है ।

श्री उपाध्यक्ष--
यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है कोई औचित्य का प्रश्न नहीं है । आप बैठें ।

श्री हृदय नरायन दीक्षित--
मान्यवर, यह प्रश्नों के संबंध में है । 3 अप्रैल को इसी आदरणीय सदन में की कार्य सूची में प्रश्न सख्या-64 व 107 मेरा लगा था ।

श्री उपाध्यक्ष--
दीक्षित जी, आप बैठे, उसमें कुछ नहीं है ।
(मद सख्या-3 पुकारे जाने पर) ।

श्री हृदय नरायन दीक्षित---
मान्यवर, आपने एक मिनट सुनने को कहा था, लेकिन आपने एक मिनट नहीं सुना, आप मेरी बात तो सुन लीजिये ।

(श्री राम आसरे वर्मा, श्री हृदय नरायन दीक्षित, श्री काशी सिंह ऐरी व श्री देवेन्द्र कुमार सिंह और श्री गोपीनाथ वर्मा के एक साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष,--
आधे लोग कहते हैं कि एजेन्डे का आगे का विषय लिया जाय । आप लोग कृपा करके बैठ जायं । कोई भी औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है । मैं सभी सूचनाओं को अस्वीकार करता हूं ।

उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 1989

सचिव, विधान सभा---
माननीय उपाध्यक्ष की आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 1989 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 3 अप्रैल, 1989 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 4 अप्रैल, 1989 को वापस प्राप्त हो गया ।

न्यायालय फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1989

सचिव, विधान सभा--

(2) न्यायालय फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1989, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा 3 अप्रैल, 1989 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 4 अप्रैल, 1989 को वापस प्राप्त हो गया है ।

प्रदेश के नागरिकों को अच्छी स्तर की सस्ती दवायें तथा सभी चिकित्सीय सुविधा एवं व्यवस्था सुदूर ग्रामीण अंचल तक उपलब्ध कराने हेतु सदन की एक समिति का गठन किये जाने के संबंध में संकल्प (क्रम गत †)

जनस्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)--

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने औषधियों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिये है, उन सुझावों का हम लाभ उठायेंगे। प्रत्येक जनपद म स्वास्थ्य समितियां बनाई गई है और उन समितियों में सी0 एम0 ओ0 डिप्टी सी0 एम0 ओ0 पुरुष व महिला चिकित्सालय को, चिकित्सालय अधीक्षक चिकित्सालयों की चिकित्सा सेवा व खरीददारी की व्यवस्था करते हैं। प्रदेश स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति बनी हुई है। जिसमें सचिव स्वास्थ्य, सचिव वित्त, सचिव, नियोजन सचिव, उद्योग महानिदेशक, निदेशक स्वास्थ्य विभाग इसके सदस्य है। यह व्यवस्था की गई है कि ये समितियां औषधियों के क्रय को रेट कंट्रोल के आधार पर पब्लिक सेक्टर से लोकल परचेज के आधार पर बजट के अनुसार करते हैं। इसके अतिरिक्त श्रीमन्, माननीय सदस्यों ने विशेष व्यवस्था के बारे में अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिये है। मैं इस सदन को सूचित करना चाहूंगा कि अब उत्तर प्रदेश शासन ने यह फैसला किया है कि प्रत्येक चिकित्सालय में चाहे वह उप केन्द्र हो, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हो या फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हो और चाहे जिले का चिकित्सालय हो, प्रत्येक जिले की अलग से समिति बनाई जायेगी ताकि इन समितियों से चिकित्सालयों की व्यवस्था की जा सके।

(भाषण के मध्य सर्वश्री हृदय नरायन दीक्षित, काशी सिंह ऐरी, गोपीनाथ वर्मा और श्री देवेन्द्र कुमार सिंह के सदन के फ्लोर की ओर बढ़ने से व्यवधान।)

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

मण्डल स्तर पर भी समिति बनी हुई और मण्डल स्तर पर भी औषधियों का क्रय किया जाता है। इसलिये मान्यवर, इन सारी व्यस्थाओं को रहते हुये सदन की कमेटी बनाने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। 1988-89 में 1500 उप केन्द्र थे, 1989-90 में 559 और खोल दिये जायेंगे, इस प्रकार टोटल इनकी संख्या 22212 हो जायेगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भी 1988-89 में 502 खुले और 1989-90 में 519 खोले जायेंगे इस प्रकार इनकी टोटल संख्या 3497 हो जायेगी.....

(श्री हृदय नरायन दीक्षित, श्री काशी सिंह ऐरी, श्री देवेन्द्र कुमार सिंह व श्री गोपीनाथ वर्मा के औचित्य के प्रश्न पर दी गयी अपनी सूचना पर बोलने की अनुमति न मिलने के विरोध में सदन के फ्लोर पर आकर समय देने की मांग करने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री उपाध्यक्ष--

आप लोग अपनी-अपनी सीटों पर वापस जायं।

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

60 प्रतिशत दवायें प्रदेश स्तर पर क्रय होती हैं और 40 प्रतिशत जिलों को आवंटित कर दी जाती हैं, जिला स्तर पर जो समिति है, वह क्रय करती है।

---

† दिनांक 13-7-87 को कार्यवाही से

(श्री हृदय नरायन दीक्षित तथा श्री गोपीनाथ वर्मा द्वारा अध्यक्ष पीठ की ओर बढ़ने का प्रयत्न करने पर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

मैं एक घंटे के लिये सदन को स्थगित करता हूं।

(इस समय 2 बजकर 10 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 1 घंटे के लिये स्थगित कर दी।

सदन की कार्यवाही 3 बजकर 10 मिनट पर अधिष्ठाता श्री कौशिक रमाशंकर के सभापति त्व में पुन: आरम्भ हुई।)

श्री अधिष्ठाता--

श्रीमन्, क्या है आपका ?

जिला चिकित्सालय फैजाबाद में एक महिला की मृत्यु में दोषी पायी गयी महिला को पुनर्नियुक्ति दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

*श्री गोपीनाथ वर्मा--

मान्यवर, मैंने औचित्य का प्रश्न उठाया था। मैंने निवेदन किया था कि मेरी बात को सुन लें। फैजाबाद के इस मामले में राजकीय महिला चिकित्सालय, फैजाबाद में श्रीमती शकुन्तला पाण्डेय के मामले में चर्चा के दौरान माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा था कि मामले की जांच मजिस्ट्रेटट के द्वारा कराकर, जो दोषी पाया जायेगा, उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया श्रीमती पाण्डेय दोषी पायी गयीं। किन्तु उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई बल्कि एक साल के लिये उनकी पुनर्नियुक्ति दे दी गयी। इस संबंध में मेरा कहना है कि जो दोषी पाया गया उसे कैसे एक साल के लिये पुनर्नियुक्ति दे दी गयी, इस पर मैं व्यवस्था चाहता हूं।

(श्री अधिष्ठाता द्वारा माननीय स्वास्थ्य मंत्री को बोलने के लिये पुकारा गया।)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मंत्री जी आप संक्षप में अपना भाषण दे लें।

श्री हृदय नरायन दीक्षित--

श्रीमन्, एक मिनट के लिये मेरी बात को भी सुन लें।

श्री अधिष्ठाता--

अभी उनका भाषण जारी है, उनकी बात हो लेने दीजिये तब आपकी बात को भी सुन लेंगे। औचित्य के प्रश्न को माननीय उपाध्यक्ष ने खारिज कर दिया है, लेकिन आप अपनी बात कहेंगे मा0 स्वास्थ्य मंत्री के भाषण के बाद, औचित्य के रूप में प्रश्न खारिज हो चुका है।

प्रदेश के नागरिकों को अच्छी स्तर की सस्ती दवायें तथा सभी चिकित्सीय सुविधा एवं व्यवस्था सुदूर ग्रामीण अंचल तक उपलब्ध कराने हेतु सदन की एक समिति का गठन किये जाने के संबध में संकल्प (क्रमागत)।

जनस्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री गोपी नाथ दीक्षित)--

ग्रामीण अंचलों तक दूरा दराज तक चिकित्सा सेवा की व्यवस्था करने के लिये सदन की कमेटी बनायी जाय, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कल मैंने इस संबंध में निवेदन किया था कि सदन की कमेटी की कोई आवश्यकता नहीं हैं। इसलिये कि जो व्यवस्था अब तक चल रही है उसमें इस प्रकार से मण्डल स्तर पर, प्रदेश के स्तर पर, जिला स्तर पर सब प्रकार

---

†दिनांक 13 जुलाई, 1987 की कार्यवाही से।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की कमेटियां बनी हुई हैं। प्रदेश स्तर पर जो कमेटी बनी हुई है उसमें स्वास्थ्य सचिव, वित्त सचिव, उद्योग सचिव भी हैं महानिदेशक और निदेशक स्वास्थ्य भी हैं। 60 प्रतिशत औषधि प्रदेश स्तर पर क्रय की जाती हैं और 40 प्रतिशत औषधि जिला स्तर पर बनी हुई कमेटी के द्वारा खरीदी जाती है। इस संबंध में सी0एम0ओ0 से लेकर डिप्टी सी0 एम0 ओ0 तक और महिला डाक्टर भी उसमें रहती हैं। औषधि रेट कंट्रेक्ट पब्लिक सेक्टर पर और लोकल परचेज के माध्यम से किया जाता है।

इसके अतिरिक्त प्रदेश के सभी चिकित्सालयों में, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से जिले में किसी प्रकार के चिकित्सालय है, श्रीमन् सब चिकित्सालयों की अल ग-अलग कमेटियां बनाने के लिये प्रस्ताव शासन के विचाराधीन हैं ताकि उनकी सम्पूर्ण व्यवस्था, देख रेख यह कमेटियां कर सकें, उनकी व्यवस्था को सुधार सकें। इस समय हमारे प्रदेश जो व्यवस्था है उसके अन्तर्गत संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट एलोपैथिक और आयुर्वेदिक शोध संस्थान जैसा कि हमारे चरक और सुश्रुत में वर्णित है, चिकित्सा व्यवस्था के अनुरूप साबित किया जा रहा है। होम्योपैथिक रिसर्च इंस्टीट्यट की स्थापना इस उद्देश्य से की जा रही है। हमारे प्रदेश में जंड़ी-बूटियां पहाड़ों पर होती है और 1/3 औषधियां केवल हमारे प्रदेश में बन पाती थीं और 2/3 औषधियां विदेशों से बन कर हमारे यहां आती थीं। और 2/3 औषधियां विदेशों से बनकर हमारे प्रदेशों में आती थी, इसीलिये यह होम्योपैथिक ड्रग रिसर्च इन्स्टीट्यूट की स्थापना की गयी है कि इस प्रकार की जितनी भी दवायें हैं, वह सब हमारे ही प्रदेश में बनायी जायं। इसी के साथ ही हमारे यहां पहाड़ी क्षेत्र की जड़ी-बूटियों के अनुसंधान संस्थान की स्थापना 17 करोड़ रु0 की लागत से की जा रही है, जिससे हमारे यहां की जड़ी बूटियों का समुचित रूप में प्रयोग हो सके।

श्रीमन् इसी प्रकार से प्राथमिक चिकित्सा के प्रोत्साहन के लिये एक योजना भारत सरकार को प्रस्तुत की गयी हैं और हमारा विश्वास है कि यथाशीघ्र ही यह प्राथमिक चिकित्सीय व्यवस्था भी हमारे प्रदेश में चालू हो जायेगी। श्रीमन् हमारे प्रदेश में 22 स्वास्थ्य केन्द्र इस समय काम कर रहे हैं और हमारा सुदृढ़ विश्वास है कि अगले वर्ष तक 502 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 559 उप प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने की योजना है, इस प्रकार हमारे प्रदेश में अगले वर्ष तक 22,212 उप केन्द्र हो जायेंगे और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 3,497 हो जायेंगे। श्रीमन् 30 हजार की आबादी पर मैदानी क्षेत्रों में इन प्रा0स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की जाती है और इसी प्रकार से 20 हजार आबादी वाले पहाड़ी क्षेत्रों में इन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की जा रही है और जहां तक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता है। 30 शैय्या वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की चिकित्सा व्यवस्था हम सुलभ करा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी माननीय गोपीनाथ वर्मा जी फैजाबाद से संबंधित किसी मामले पर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं मै आपके पास इनकी दरख्वास्त भिजवा रहा हूं, कृपापूर्वक इस पर जो आवश्यक कार्यवाही हो सके, उसे करा दें।

(व्यवधान)

श्री गोपीनाथ वर्मा—

मान्यवर, मुझे मामला स्वयं स्पष्ट करने का अवसर दे दें और फिर उस पर माननीय मंत्री जी .....(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

नहीं माननीय गोपीनाथ वर्मा जी कृपया विराजें मैंने स्वयं ही आपकी बात की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करा दिया है, अब जरुरत नहीं है किसी प्रकार के बोलने की..... कृपया विराजें.....(व्यवधान)

माननीय हृदय नरायन दीक्षित जी आप क्या कहना चाहते हैं ? आपने संकल्प के विषय में, जो कहना चाहते हों, उसे कृपया एक मिनट में कह दें ।

(व्यवधान)

सरकारी वाहनों के दुरुपयोग के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री हृदय नरायन दीक्षित--

नहीं मान्यवर, मुझे संकल्प के बारे में इस समय कुछ नहीं कहना है मैं तो औचित्य के प्रश्न पर बोलना चाहता था सिर्फ एक मिनट के लिये ..... कृपया सुन लीजिए.....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

फिर नहीं जब आपको संकल्प पर कुछ नहीं कहना है तो औचित्य के बारे में तो इसलिये कुछ भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि उसे तो मा0 उपाध्यक्ष जी ने खारिज कर दिया है, इसलिये इस पर तो कुछ नहीं बोल सकते हैं अगर संकल्प पर चाहें बोलना तो बोल सकते हैं.....

श्री हृदय नरायन दीक्षित--

मान्यवर, आज हमारे प्रदेश में सरकारी वाहनों का दुरुपयोग हो रहा है, हमारे उन्नाव जनपद के सहकारी बैंक के जो प्रशासक है, वह सरकारी जीप का दुरुपयोग कर रहे है, वह इस जीप पर बैठ कर नौटंकियों को देखने लिये ,मेलों को देखने के लिये व अन्य इसी प्रकार के कार्यो के लिये प्रयोग कर रहे है इसके लिये मान्यवर मैने दो पत्र लिखे और यहां पर औचित्य के रूप में भी प्रश्न उठाया लेकिन मान्यवर..... (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

यह औचित्य का प्रश्न तो आपका माननीय उपाध्यक्ष जी द्वारा खारिज हो चुका है ।

श्री हृदय नरायन दीक्षित--

मान्यवर, हमारी आधी बात तो हो ही गयी और आधी बात और सुन लीजिये सिर्फ आधे मिनट में .....(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

नहीं आपकी बात तो पूरी हो गयी, समझने वाले इसी से पूरी बात समझ लेंगे..... कृपया विराजें.....

श्री हृदय नरायन दीक्षित--

वह चिट्ठी मा0 मंत्री जी बता रहे है कि कहीं ,गायब हो गयी है, अगर हम उन्हें इसकी दूसरी प्रति दे दें तो वह कह रहे है कि इस पर फिर कार्यवाही हो जायेगी, तो मान्यवर,यह क्या, उत्तर पहले और चिट्ठी बाद में ? मान्यवर इस पर आप कुछ माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कहला दें ।

प्रदेश के नागरिकों को अच्छी स्तर की सस्ती दवायें तथा सभी चिकित्सीय सुविधा एवं व्यवस्था सबूर ग्रामीण अंचल तक उपलब्ध कराने हेंतु सदन की एक समिति का गठन किये जाने के संबंध में संकल्प (क्रमागत)

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

माननीय अधिष्ठाता महोदय माननीय गोपाल दास जी द्वारा प्रस्तुत सकल्प के समर्थन में मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । आज श्रीमन् इस सकल्प की आवश्यकता क्यों कर पड़ी,

---

†दिनांक 13 जलाई, 1987 की कार्यवाही से ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वह इसलिये पड़ी क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के बारे में जैसा कि माननीय मंत्री जी अपने विवरण के दौरान कह रहे थे, लेकिन मान्यवर मैं इनका बहुत आदर करता हूं क्योंकि यह एक बजुर्ग स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की जो पर फार्मेन्स आज होनी चाहिए थी वह नहीं है और जिस उद्देश्य से इस विभाग का यहां पर बजट रखा जाता है,वह अपने आप में सही तौर पर अपने लक्ष्य को पहुंच नहीं पा रहा है, जिसका परिणाम यह होता है कि ग्रामीणचलों में जहां पर उस क्षेत्र के हिसाब से या वहां पर प्रचलित बीमारी के हिसाब से जिन दवाओं की आवश्यकता होती है, वह नहीं पहुंच पा रही है, किस जहां पर जिस दवा की आवश्यकता अधिक है, प्रयोग व खपत अधिक है, उसके हिसाब से उन दवाओं की व्यवस्था होनी चाहिये ।.....

इस शासन की कोई स्पष्ट नीति नहीं है । मैं कहना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में मस्तिष्क का ज्वर अधिक होता है और उसका कारण यह है कि उधर जल भराव की समस्या जो है और अन्य जिलों में मस्तिष्क ज्वर की इतनी समस्या नहीं है, जितनी कि पूर्वी जिलों में है । सरकार की नीति इस प्रकार की होनी चाहिये कि सारे जिले लाभान्वित हों । इसलिए मैं चाहता हूं कि सदन की एक कमेटी बनायी जाय जो इन तमाम चीजों की छानबीन करें और वह अपनी रिपोर्ट दे और बतावें कि कहां पर कौन सी सुविधा दी जानी चाहिये । मैं माननीय मंत्री जी की आलोचना नहीं करता, हं वरिष्ट मंत्री हैं, लेकिन उनको इस ओर ध्यान देना चाहिये कि सेन्ट्रल पूल की जो दवायें एक अप्रैल, 1988 के बाद खरीदी जानी चाहिये थीं, वह खरीदी नहीं गयी हैं, जो उपकरण चाहिये थे, उनकी खरीद नहीं की गयी है । अस्पतालों में दवायें नहीं हैं, वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है, अगर एक कमेटी होती तो वह इन सारी चीजों को देखती और जहां पर कोई गड़बड़ी होती उसको दूर करती ।

मैं कहना चाहता हूं कि आपके जो सी0 एम0 ओ0 डिप्टी सी0 एम0 ओ0 और सेक्रेटरी हैं उनको जनता की कठिनाई की कोई परवाह नहीं रहती है । वह जो काम करते हैं, उसके लिये उनको पैसा दिया जाता है और वह जनता के प्रतिनिधि नहीं हैं, उन्हेंजनता की कोई परवाह नहीं रहती है । उन प्रतिनिधियों को चाहे इधर के हो और चाहे उधर के हों जनता चुन कर भेजती हैं और उनको जनता का ख्याल रहता है, वह जनता के दर्द को जानते हैं । माननीय मंत्री जी इसको अन्यथा न ले, मैं उनकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि जो लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन वर्ष 1986–87 का है, उसमें स्पष्ट दिया गया है कि जो रुपये का प्राविधान किया गया है, वह खर्च नहीं किया गया है । मैं बताना चाहता हूं कि उस रिपोर्ट में हैं कि वर्ष 1980–81 में बजट का प्राविधान 826.75 लाख रुपये था और खर्च किया गया केवल 146.36 लाख रुपया, वर्ष 1981–82 में प्राविधान 848.97 लाख का था और खर्च किया गया 414.84 लाख रुपया, वर्ष 1982–83 में प्राविधान 1,392.06 रुपये का प्राविधान था और खर्च किया गया 834.38 लाख रुपया, वर्ष 1983–84 में प्राविधान था रु0 1,896.84 का और खर्च किया गया 1512.87 लाख रुपये, वर्ष 1984–85 में प्राविधान था 2277.12 लाख रुपये का और खर्च किया गया 1409.12 लाख रुपये वर्ष 1985–86 में 1347.73 लाख रुपये का प्राविधान किया गया और व्यय किया गया केवल 1301.41लाख रुपये, और वर्ष 1986–87 में 763.02 लाख रुपये का प्राविधान किया गया और खर्च हुआ 685.40 लाख रुपये तो मान्यवर, जितना इनको रुपये का प्राविधान किया गया, वह उसको खर्च नहीं कर पाये ।

यह लोक लेखा समिति की रिपोर्ट है, इसकी प्रति मैं माननीय मंत्री जी को भेज रहा हूं, वह इसको देख लें । जो आई0 वी0 पी0 के अन्तर्गत 6 जिले हैं, उनमें भी पूरा रुपया खर्च नहीं हुआ है, ए0 जी0 की रिपोर्ट है । अगर सदन की कमेंटी कार्य करती है तो, इन सारी चीजों की छान बीन करती । इनकी विभाग में होता क्या है, कि किसी का बजट किसी मद में खर्च कर दिया जाता है, उलट फेर करते रहते हैं । आप देखें कि कितने इनके सेन्टर्स

हैं, जहां पर कोई डाक्टर नहीं है, दवा नहीं है और कोई सुविधा नहीं है। मान्यवर, मैं, कहना चाहता हूं कि जो मेडिकल मैनुअल है, उसके पैरा 33, 34 और 35 को आप देखें, उसमें इस चीज का प्राविधान किया गया है कि अगर 3 दिन डाक्टर अस्पताल में नहीं पहुंचता है, तो कम्पाउन्डर उसी पर्ची की दवा दे देगा और अगर 6 दिन नहीं आता है तो वह पर्ची नहीं बनायेगा और अस्पताल बन्द कर दिया जायगा। और जब आप एक तरफ सूची पढ़ते हैं कि हमारे पास बीस–बाईस सौ डाक्टरों की कमी है और दूसरी तरफ अस्पतालों की सूची बढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार की विसंगति को दूर करन क लिय सदन की एक कमेटी बनाना जरूरी है। इसलिये माननीय गोपाल दास जी ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हू और मत्री जी से आग्रह करता हूं कि जो भी बजट आप इस हेतु देते हैं उसकी वित्तीय स्वीकृति तुरन्त जारी करवा दे। यही स्थिति दवाओं की है। इस मामले मे हमारा प्रदेश पिछड़ जाता है। दवाओं की कीमत भी बढ़ जाती है। इसलिये जो बजट आपने अभी पास कराया है जो आने वाला वर्ष है उसकी वित्तीय स्वीकृतियां तुरन्त जारी करवा दें।

श्री काशी सिंह ऐरी––

मान्यवर, मेरा औचित्य का प्रश्न भी इसी के साथ सुन ले।

श्री अधिष्ठाता––

वह तो खारिज हो चुका है।

श्री काशी सिंह ऐरी––

मैं इसी के साथ उस विन्दु को भी माननीय मंत्री जी के सज्ञान मे लाना चाहूंगा। मान्यवर, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के बारे में माननीय गोपाल दास यादव जी ने जो सकल्प रखा है वह इसलिये रखा है कि मननीय मंत्री जी जो चिकित्सा व्यवस्था प्रदेश में करेंगे उससे जनता को लाभ होगा। श्रीमन्, यह एक गम्भीर बात है। ज्यों-ज्यों हम प्रदेश में स्वास्थ्य का बजट बढ़ाते जा रहे हैं, बजट बढ़ाने का दावा कर रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा कि हमारे ग्रामीण अंचल और पर्वतीय क्षेत्र में इस दिशा में कोई सुधार का कार्य उस गति से नहीं हुआ है। शहरी क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग के बारे में बहुत खराबियां हैं लेकिन ग्रामीण अंचल में सबसे बड़ी बात जो हमारे सामने है यह है कि आपकी चिकित्सा व्यवस्था मे बहुत कमी है। इस वजह से इस विभाग के अन्दर खराबियां फैली है। आप वहां पर चिकित्सकों की नियुक्ति आज भी नहीं कर रहे है। पर्वतीय क्षेत्र में मेरी निश्चित जानकारी है कि वहां आपने अंशकालिक डाक्टर हैं। अगर उनकी नियुक्ति होती तो वे क्लास–इ गजटेड अफसर होते। लेकिन उनको हाजिरी आज वो लोग ले रहे हैं जो वहां पर वार्ड ब्वाय के रूप में काम कर रहे हैं, फार्मेसिस्ट के रूप मे कामकर रहे हैं। ऐसी व्यवस्था आपने वहां पर की है। बहुत सारी जगहों पर अंशकालिक चिकित्सक भी नहीं है।

20 हजार का जो आपका मानक है कि इतनी अबादी पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र होगा उसके बारे में मैंने पहले भी कहा था कि इस मानक के हिसाब से वहां पर लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं हो पायेगी। यह मानक वहां के लिये बहुत अधिक है। इतने मे वहां के लोगो को स्वास्थ्य सेवाय उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। यदि आपको वहां पर चिकित्सा सुविधा दिलानी है तो आपको इस मानक में ढील देनी पढ़ेगी। आपने 20 हजार की आबादी का जो मानक रखा है वह फैली होती है इतने विस्तृत क्षेत्र मे फैली होती है। जिसमे कि बीच मे नाले पड़ते है, गड्ढे पड़ते हैं जिनमे एक जगह से दूसरी जगह जाने में कई दिन तक लग जाते हैं। बाज--बाज जगह पर जैसा कि मैं धारचूला का उदाहरण देना चाहता हूं। वहां पर एक कूटी गांव है। यदि आपने एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र धारचूला में बनाया तो कुटी गांव के लोगों को धार चूला आने में 4 दिन

तक का समय लग जायेगा । यदि कूटी गांव मे स्वास्थ्य केन्द्र होगा ता वहां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर पहुंचने में लोगों को 3/4 दिन लग जायेंगे । तब उस उस मरीज की क्या हालत होगी ? इसीलिये मैंने निवेदन किया था कि आप मानक मे ढील दे दें और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अतिरिक्त वहां पर अधिक से अधिक संख्या में एस0 ए0 डी0 या उप केन्द्र खोल दें ताकि लोगों को आपकी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके । आप वहां पर चिकित्सकों की व्यवस्था करें। दवायें भी वहां पर बहुत कम मिलती हैं। बजट बहुत कम है जो कि उस क्षेत्र की 1/4 अबादी के लिये भी पर्याप्त नहीं है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने डाक्टरों के लिये कम्पलसरी कर दिया है कि 5 साल पर्वतीय और ग्रामीण क्षेत्र में सेवा करनी पड़ेगी । तो आप अपनी व्यवस्था को ठीक करना चाहते हैं तो दो काम करने पड़ेंगे एक तो उनको जो चिकित्सक वहां जाते हैं विशेष प्रोत्साहन देना पड़ेगा चाहे वेतन के रूप में या भत्ते के रूप में और दूसरा उनको उन क्षेत्रों में काम करने के एवज में वह सुविधा देनी पड़ेगी कि वह आगे पढ़ाई कर सके जैसे पोस्ट ग्रेजुवेशन या स्पेशलाइजेशन कर सकें।

(समय 3 बजकर 30 मिनट)

श्री अधिष्ठाता--

आप समाप्त करें।

श्री काशी सिंह ऐरी--

दो मिनट में समाप्त करता हूं जब वहां चिकित्सिक जायेंगे तो तब हम समझेंगे कि आप लोगों की चिकित्सा के रूप में कुछ सेवा कर सकेंगे क्योंकि खाली व्यवस्था करने से काम नहीं चलेगा चिकत्सक वहां पहुंचे जब चिकित्सक नहीं पहुंचेगे तो कैसे सुविधा मिल पायेगी।

दूसरी बात में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की व्यवस्था के बारे में करना चाहता हूं हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बेरीनाग जो ब्लाक मुख्यालय है उसमें जब मैं विधायक होकर आया था तो उससे एक वर्ष पूर्व एक्स-रे मशीन आई थी लेकिन वह आजतक इंस्टाल नहीं हो पायी है उसे पांच साल होने को हैं। इस संबंध में मैने सदन में भी सवाल उठाया और जिला कमेटी में भी कहा लेकिन वह मशीन नहीं लग पाई है । तो हमें चिकत्सा व्यवस्था में भी सुधार करना होगा।

आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो उन्होंने जड़ी बूटियों को प्रोत्साहन देने की बात कही (लाल बत्ती होने पर) मैं खतम कर रहा हूं। जड़ी बूटियों का कारखाना आपने उत्तराव में खोला है मुझे खुशी है वहां खुला लेकिन उसकी जगह वहां पर होनी चाहिये जहां जड़ी बूटियां होती हैं अगर वहां खोलते तो ज्यादा महत्वपूर्ण होता क्योंकि कच्चा माल जहां आसानी से मिल सकता है। यही पर्वतीय क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि कच्चा माल वहां होता है और उसकी प्रोसैसिंग और उत्पादन मैदानी क्षेत्र में होता है। आप पर्वतीय क्षेत्र में उद्योग नहीं खोलना चाहते हैं। होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक दवा बनाने के कारखाने पर्वतीय क्षेत्र में खोले जाने चाहिये क्योंकि जड़ी बूटियां और कच्चामाल वहां होता है और वही जगह सबसे उपयुक्त है। हमारे पिथौरागढ़ के हिमालय के क्षेत्र में विविध प्रकार की जड़ी बूटियां पाई जाती है जैसे मुनस्यारी, धारचूला और डीडीहाट हैं वहांपर जड़ी बूटियों का अधिक उपयोग हो सके उसके लिये डीडीहाट में एक कारखाना और जड़ी बूटी संस्थान खोल दें तो उससे उस क्षेत्र की जनता का भी फायदा होगा और प्रदेश का भी हित होगा क्योंकि जड़ी बूटियां वहां ज्यादा मिलती है। इन शब्दों के साथ मैं इस बात पर बल देता हूं इस संबंध में एक समिति गठित की जाय ताकि ज्यादा सुझाव आ सकें।

श्री अधिष्ठाता:-- (श्री हृदय नारायन दीक्षित से --)

सूक्ष्म में अपनी वात कहें।

श्री हृदय नारायन दीक्षित :--

मान्यवर, माननीय गोपाल दास जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है वह बहुत छोटी सी मांग है कि प्रदेश के नागरिकों को अच्छी स्तर की सस्ती दवायें तथा सभी चिकित्सीय सुविधा एवं व्यवस्था को सुदूर ग्रामीण अंचलों तक उपलब्ध कराने के लिये एक विस्तृत योजना बनाने हेतु सदन की एक समिति का गठन किया जाय। तो यह बहुत बड़ी मांग नहीं है। मैं उनके इस संकल्प पर बल देना चाहता हूं और दो तीन बातें कहना चाहता हूं। गांवों के गरीबों को ठीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके इसके लिये तमाम घोषणायें यहां की गयी। हम और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी उन्नाव जनपद से आते हैं जब वहां की चिकित्सा सुविधा ही अत्यन्त खराब हो गयी है।

श्री अधिष्ठाता :--

आप तब तो वहीं बात कर लें।

श्री शारदा प्रताप--

दीक्षित जी उनके कमरे में चले जांय वहीं बात करलें।

श्री अधिष्ठाता--

दोनों उन्नाव के हैं वहीं बात कर लें।

श्री हृदय नारायन दीक्षित :--

वहां चिकित्सा सुविधा इतनी खराब हो गयी है कि कोई रोगी वहां भर्ती होना नहीं चाहता है। मैं एक उदाहरण देकर अपनी बात खतम करता हूं। हमारे क्षेत्र पुरवा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी डाक्टर एस0 सी0 कटियार का एक्सीडेंट हो गया वह पहले उन्नाव अस्पताल गये वहां ठीक व्यवस्था न होने के कारण वह कानपुर मेडिकल कालेज गये वहां भी व्यवस्था नहीं हो पायी तो फिर लखनऊ मेडिकल कालेज आये और वहां भी जब ठीक व्यवस्था नहीं हो पाई तो वह प्राइवेट वार्ड में भर्ती हो गये। और जो गाड़ी चला रहा था वह भी बुरी तरह से चोट खाकर पहले बेहोशी की हालत में उन्नाव में भर्ती हुआ जब उन्नाव अस्पताल के डाक्टरों ने ठीक से उसकी चिकित्सा व्यवस्था नहीं की तो वह भी लखनऊ भाग आये अब प्राइवेट चिकित्सा वह भी करा रहा है, यह बानगी है, पूरी प्रदेश का यही हाल है।

मान्यवर, विकलांगों से घूस ली जाती है और तब उनकी चिकित्सा की जाती है। आपके विभाग से एक अनुदान निर्धन विकलांगों को मिलता है। राम किशन कुरील जो मंत्री जी के जिले और हमारे क्षेत्र के ग्राम मझिगवासई का नवयुवक है उसकी आंख खराब है। उन्नाव के अस्पताल में वह गया। डा0 जैन आंख विशेषज्ञ हैं, उनसे मैंने अनरोध किया, सरकार की तरफसे उसको पत्र मिला था जिसमें कहा गया था कि आंख खराब हो तो जिला चिकित्सा अस्पताल से इनको विकलांग प्रमाण पत्र दे दिया जाये, सी0 एम0 ओ0 ने भी डा0 जैन पर दवाव डाला, वरिष्ठ चिकित्सा अधक्षिक ने दवाव डाला किन्तु उसको विकलांग प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। इस तरह की चिकित्सालयों की खराव व्यवस्था वहां है जहां स्वास्थ्य मंत्री रहते हैं। इन शब्दों के साथ श्री गोपाल दास यादव ने जो प्रस्ताव-रखा है कमेटी बनाने का उस पर मैं वल देता हूं।

श्री शफीकुर्रहमान वर्क--

अधिष्ठाता महोदय, श्री गोपाल दास यादव ने जो संकल्प सस्ती दवाईयों के संबंध में रखा है जिसमें मांग की गयी है कि किस तरह से गरीबों तक सस्ती और अच्छी दवाईयां

पहुंचे चूंकि यह देश और प्रदेश गरीबों और मजदूरों का है, इसमें आज भी गरीब बहुत ज्यादा और उनकी आय बहुत कम है, इसलिये सस्ती दवाओं की बहुत जरूरत है, इस संबंध में जो सुझाव आये हों मैं भी उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं और मांग करता हूं कि प्रदेश में ज्यादा सस्ती दवायें उपलब्ध करायी जांय।

मान्यवर, मैं यह भी मांग करता हूं कि छात्र संघ यूनानी मेडिकल कालेज, इलाहाबाद के छात्रों ने 1983 में इस बात की मांग की थी कि राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी कालेज, इलाहाबाद को इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जोड़ दिया जाये क्योंकि इसका एफीलियेशन कानपुर विश्वविद्यालय से है। जब यह पालिसी तय हो गयी है कि मेडिकल कालेज स्थानीय विश्वविद्यालयों से ताल्लुक रखेंगे तो आज तक आयुर्वेदिक एवं युनानी मेडिकल कालेज, इलाहाबाद को इलाहाबाद विश्वविद्यालय से क्यों नहीं जोड़ा गया है, इसलिये मैं मांग करता हूं कि आयुर्वेदिक एवं यूनानी कालेजों को स्थानीय विश्वविद्यालय इलाहाबाद से जोड़ दिया जाये। ताकि सभी सुविधायें मिल सकें। वहां आज भी छात्रों का कोर्स डेढ़ साल पीछे चल रहा है छात्रों ने हड़ताल की थी लेकिन उनकी मांगों को आज तक पूरा नहीं किया गया। इसलिये शासन इस पर ध्यान दे। इन शब्दों के साथ कि श्री गोपाल दास यादव ने जो संकल्प रखा है और जो मांग की है उसको पूरा किया जाय। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि दवाओं में जो भ्रष्टाचार है उसकी भी जांच कराई जाये, इसकी मैं मांग करता हूं।

श्री हरदेव---

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मा0 स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि पिछले बजट में गरीब और रूरल एरियाज के जो गरीब मरीज हैं जो आर्थिक रूप से पीड़ित हैं उनके इलाज के लिये एक जी0 ओ0 जारी किया गया था। लेकिन उसका कार्यान्वयन अभी तक नहीं हुआ है, वह यह है कि जिसकी आय 6 हजार रूपये वार्षिक तक होगी उसकी फ्री फूड और मेडिसिन की व्यवस्था प्रत्येक अस्पतालों में कराई जायेगी तथा जो डाक्टर एक स्थान पर किसी जनपद में किसी भी अस्पताल में तीन वर्षों से किसी क्षेत्र में कार्यरत हो उसे अन्य जनपदों में हटाया जाय तथा बलिया सदर और रसड़ा क्षेत्र से तो शीघ्र हटाये जांय। तो इस पर बल देते हुए चाहता हूं कि इस जी0 ओ0 को तत्काल प्रभावी कार्यवाही करके लागू कराया जाए। 6 हजार रूपया वार्षिक आमदनी वाला मरीज आदमी आज की महंगाई में शहरों में, वहां मेडिकल कालेजों में, इलाज आकर नहीं करवा सकता है। वह वहां इलाज कराने के बिल्कुल योग्य नहीं है। इसलिये मैं चाहूंगा कि फ्री मेडिसिन और फूड की व्यवस्था ऐसे आर्थिक पीड़ीतों को कराने की कृपा की जाए। इसके अलावा जो मेडिकल कालेज हैं, उनमें जो परीक्षाओं की कापी जांच में माईनस मार्क्स रखा गया है, उससे मेडिकल कालेजों के प्रवेश, अध्ययन में गिरावट आ रही है। अत: कापी-जांच से वह माईनस मार्क्स समाप्त किया जाय और अनुसूचित जाति के प्रवेश हेतु जो आरक्षण का कोटा हर मेडिकल कालेज में जो पूरा नहीं होता है, उसको अवश्य ही पूरा कराया जाए।

एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि सन् 87 से 88 में सिविल अस्पताल, लखनऊ में 50 मरीजों की आंखें अब तक फोड़ दी गयीं, जो बड़ी शर्मनाक बात है। इस सम्बन्ध में में चहता हूं कि एक विशेष मेडिकल बोर्ड बैठाकर इस मामले की गम्भीरता से जांच कराई जाए और वहां के जो दो सम्बन्धित डाक्टर्स–डाक्टर बी0 कुमार और डाक्टर आर0 एम0 सिह जो कार्यरत हैं जो पैसे के प्रलोभन में और फीस न पाने के कारण ऐसा किये हैं तुरन्त उन्हें जो दिया जाए। इनके कारण से लगभग 200 मरीजों की आखें अब तक खराब

हुई, उसमें 50 अनुसूचित जाति वर्ग के हैं। इसमें एक राम अवध दारूलशफा ए0 का चपरासी है और हमारे बलिया का एक आदमी है,श्री शिवदेवी जिनकी आंखें यहां खराब कर दी गयी फोड़ दी हैं, और एक धोबिन सिविल अस्पताल के सामने की है, उसकी भी आंखें नष्ट कर दी गयी हैं। इसलिये मैं इन सभी पीड़ित व्यक्तियों की क्षतिपूर्ति कराये जाने की मांग करता हूं। इस प्रकार गरीब आदमियों की आंखें सिविल अस्पताल में समाप्त कर दी जाती हैं। मान्यवर, इसमें मैं आपका संरक्षण चाहूंगा, सिविल अस्पताल, लखनऊ में 87–88 तक जितने आंख के आपरेशन हुए हैं वहां पर आंख के डाक्टरों ने पैसे के प्रलोभन में व फीस के लिये लोगों की आंखें खराब कर दी हैं, जिन्हें उन गरीबो को मेडिकल कालेज में निकलवाना पड़ा है। इसलिये उनको क्षतिपूर्ति दी जाए और ऐसी घटनाओं की मेडिकल बोर्ड से जांच कराई जाए, और उसके पहले इन दोनों डाक्टरों का ट्रांसफर करके पहाड़ी क्षेत्र में भेजा जाए और उनको कम्पलसरी रिटायर कर दिया जाए, नहीं तो वह कई सौ और लोगों की आंखे बंद कर देंगे। इस बारे में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को लिखित रूप में भी दे दूंगा।

श्री राजकिशोर सिंह––

मान्यवर हमारे प्रदेश में सचमुच गरीबों का इलाज ठीक से नहीं हो पाता है। इस वक्त गरीबों को दवाइयां नहीं मिल पाती हैं। आज मंहगी दिवाएं उन्हें यहां मिलना दुर्लभ बात है। बढ़िया यह होता कि यह सरकार निशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था करती, घोषणा करती, लेकिन निःशुल्क चिकित्सा तो दूर की बात रही, इन्होंने हर अस्पताल में खून की जांच, एक्सरे की जांच, मल की जांच आदि हर चीज की जांच में रेट लगा दिया है कि बिना इतना दिए कोई भी गरीब जांच नहीं करा सकता है। इनके यहां रजिस्ट्रेशन के लिये भी पैसा है हर अस्पताल में लिया जाता है मैं अच्छी दवाओं की बात तो दूर, जो मामूली दवाएं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर जाती हैं, वह भी बहुत कम हैं और जो हैं भी वह सब बजार में बिक जाती हैं। रोगियों को बाहर से दवा खरीदनी पड़ती है। कोई भी इंतजाम हमारी सरकार की तरफ से नहीं है, जिससे गांव के गरीबों को सस्ती दवाएं आसानी से उपलब्ध हो जाएं और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उनके लिये मुफ्त इलाज की व्यवस्था हो सके। अब हमारे प्रदेश में जो दवाओं की आपूर्ति के लिये सेन्ट्रल परचेज व सप्लाई विभाग है और स्वास्थ्य निदेशालय के महा निदेशक डाक्टर गुप्ता जी हैं, उन्होंने एक कम्पनी ग्रोसन फारमासियूटिकल्स से जो सन् 80–81 से ब्लैक लिस्टेड थी, काली सूची पर आ गयी थी लेकिन 1986 से फिर ब्लैक लिस्टेड कम्पनी को आदेश दिए गये हैं और दवा खरीदी गई। चार करोड़ रुपये की दवा 86 से 88 तक ग्रोशन फार्मासियूटिकल्स से खरीदी गई इसमे लाखों रुपये का मुनाफा महानिदेशक जो गुप्ता साहब हैं उन्होंने कमाया। और उनकी आज्ञा द्वारा चलने वाले लोगों ने कमाया। गुप्ता जी 30 अप्रैल को सेवा-निवृत होने जा रहे हैं लेकिन इसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई है मैंने लिखित रूप में स्वास्थ्य मंत्री को दिया है और टाइम्स आफ इण्डिया के 21–3–89 के पेपर की कटिंग दिया है जिसमें विवरण के साथ लिखा गया है कि कफ सीरप और जो जीवन रक्षा की दवायें हैं उनका कितना संकट बना हुआ है। जो ग्रोशन फार्मा है वह सप्लाई करता है अस्पतालों मे इतना भ्रष्टाचार है कि गरीब को अस्पताल में कहीं बेड नहीं मिलता है। मेरे यहां बनारस में कबीर चौरा अस्पताल है, बिल्कुल नरक बना दिया गया है बहुत गन्दगी वहां पर है। गरीबों की बात नहीं सुनी जाती है, उनको बेड नहीं मिलता है। इसी तरह से मान्यवर, सर्व सुन्दरलाल अस्पताल बनारस में है वहां की स्थिति को देखें। पूर्वांचल ही नहीं बिहार के लोग भी वहां आते हैं उन्हें भी आसानी से बेड नहीं मिलता है। गरीब लोग के पास ज्यादा पैसा नहीं होता है और हर चीज का पैसा चार्ज किया जाता है। अन्य जिलों की बात मैं नहीं करता लेकिन

मंत्री जी ने जनपद उन्नाव में पुरवा में महिला चिकित्सालय, है, लेकिन वहां कोई महिला चिकित्सक नहीं है। महिला चिकित्सालय में पुरुष चिकित्सक काम कर रहे हैं वहां वर्षों से महिला चिकित्सक आई ही नहीं। कई स्वास्थ्य कन्द्रों पर कम्पाउन्डर ही सारा कार्य देख रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री शारदा प्रताप--

माननीय सदस्य मोहाल दास जी ने जो संकल्प रखा है उसके समर्थन में, मैं अपनी कुछ बातें रखना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

चार बजे प्रस्तावक जो हैं वह अपना उत्तर भाषण देंगे। इसमें अभी दो तीन और माननीय सदस्य और बोलना चाहते हैं।

श्री शारदा प्रताप---

प्रदेश सरकार में आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियां जो चल रही हैं उनको पी0एच0सीज में कन्वर्ट कर दिया गया है और वहां पर एलोपैथिक डाक्टरों को पोस्टेड कर दिया गया है, लेकिन जो वहां के डाक्टर है वह उनको आने नहीं देते है। मान्यवर, मैं लखनऊ के बारे में बताना चाहता हूं दस चिकित्सालय दक्षिना शेखपुर, चन्द्रावल, बड़ा गांव है वहां इटौनी आदि डिस्पेन्सिरियां है वह भी 0एच सीज में परिवर्तित हुई है। चन्द्रावल और दखना के डाक्टर जो हैं वह निगोहा में बैठते है। मान्यवर, स्वास्थ्य मंत्री जी ने पिछले बजट में कहा था कि 5 हजार की आबादी वाले जो गांव है वहां पर प्रथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की व्यवस्था की जायगी। लेकिन स्थिति यह है कि वहां पर दवायें उपलब्ध नहीं हैं। यह जो ए0एन0एम0 सेन्टर है इनकी हालत और भी खसब है। मेरे यहां रहीम नगर पड़ियाना में मुरारी लाल की पत्नी दवा के अभाव में और कर्मचारियों के अभाव में उसने दम तोड़ दिया उसके बच्चा पैदा हुआ था और उसके बाद वह मर गया। अगर दवाओं आदि की व्यवस्था होती तो शायद वह बच जाती। मान्यवर, जितने भी चिकित्सालय पी0एच0सी0 में कन्वर्ट किये गये हैं या जो होम्योपैथिक अस्पताल है उनके डाक्टरों ने लखनऊ में अपने को संबद्ध करा रखा है। तो मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह दवाओं की व्यवस्था करें और दवाओं की व्यवस्था के साथ-साथ कर्मचारियों की भी व्यवस्था करें। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि 325 के मारपीट के मुकदमें जो होते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य कन्द्रों पर चिकित्सा होने के बाद जब लोग एक्सरे के लिये रेडियोलाजिस्ट के पास जाते हैं तो वह 300 रुपये लेकर 325 व 326 में कन्वर्ट कर देते हैं। उन्नाव जनपद के कार्यकर्त्ताओं ने इस सम्बन्ध में धमकी दी है जिसको स्वास्थ्य मंत्री जी जानते हैं। मैं इस संकल्प पर बल देता हूं।

श्री विजय सिंह राणा---

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। कम से कम 10 घन्टे, की कार्य सूची और है। जो बहस हो रही है यह मेडिकल बजट पर हो रही है या इस संकल्प पर हो रही है? पी0एच0सी0 जिला अस्पताल, मेडिकल कालेज पर चर्चा हो रही है। मेरा निवेदन है कि आप इस संकल्प तक माननीय सदस्यों को सीमित करायें।

श्री अधिष्ठाता---

आपकी बात व्यवस्था के अन्तर्गत न होते हुए भी काफी हद तक सही है। यह माननीय सदस्यों के विवेक पर निर्भर है आप और हम क्या कर सकते हैं। फिर भी जो सुझाव माननीय राणा जी ने दिया है वह अमल में लाने योग्य है। माननीय सदस्य इस संकल्प तक ही सीमित रहें।

श्री अमर चन्द्र--

मान्यवर, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने इस प्रदेश के करोड़ों-करोड़ों दरिद्रनारायण की सेवा करने का व्रत लिया है। इसी ऋंखला में ग्रामीण क्षेत्रों में पी0एच0सीज0 तथा शहरों में बड़े अस्पताल बनाये गये हैं। मेरे यहां बाह में 30 शैय्याओं वाले अस्पताल का निर्माण हुआ है लेकिन विगत दो वर्ष होने को आये वहां मात्र एक अधीक्षक की नियुक्ति हुई है और कोई नियुक्ति नहीं हुई है। इसके अलावा वहां उपयुक्त दवाओ की की भी व्यवस्था नहीं की गयी है। एक्सरे मशीन रखी हुई है उसकी स्थापना नहीं की गयी है। मेरा निवेदन है कि वहां पर सारी व्यवस्थायें करायी जायं। जयहिन्द।

श्री राकेश धर त्रिपाठी--

मान्यवर, मैं माननीय गोपाल दास यादव जी के संकल्प पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, सरकार की ओर से ग्रामीण अंचलों में गरीबों को दवा की सुविधा देने के लिये धन आवंटित किया जाता है। लेकिन अस्पतालों में डाक्टर नहीं रहते हैं और कम्पाउन्डरों को दोनों काम करने पड़ते हैं। आपको सबसे पहले विश्वास पैदा करना पड़ेगा कि डाक्टर वहां पर उपस्थित रहे और जब गांव का, देहात का कोई गरीब आदमी आवें, तो उसको दवा मिलने का और देखने का इन्तजाम हो। सबसे पहले तो यह शहर में ही रोग फैला था, अस्पताल में न जाकर नर्सिंग होम जाया करते थे, लेकिन अब यह रोग गांव और कस्बे में भी फैल रहा है। अगर गांव के सुदूर अंचल में इसकी सुविधा देना है, तो उसकी सुविधा उपलब्ध करायें। माननीय गोपाल दास यादव, के संकल्प का यही मकसद है। जो गांवों में दवायें जाती हैं, वह दुकानों पर बिकने के लिये चली जाती हैं। जिस डिब्बे में वह दवायें होती हैं, उस पर अस्पताल की मोहर होनी चाहिये। अगर इस तरह की दवाइयां पकड़ी जायं, तो उसे सील कर देना चाहिये और उनका लाइसेन्स कैंसिल कर देना चाहिये। सरकारी अस्पतालों कीस्थिति यह होगयी है कि डाक्टर जो प्रेसक्रिप्शन लिख देता है, वह दवा बाहर से लायें, एक्सरे हो, तो बाहर से करायें, जांच हो, तो बाहर से करायें, जैसे खून और पेशाब आदि की जांच कराना है, तो वे बाहर से करायें। अब स्थिति यहां तक पहुंच गयी है कि लोहे की खाट के अलावा सभी चीजें अपने पास से इन्तजाम करना पड़ता है। जिस तरह से आप कैम्प लगवाते हैं महीने, दो महीने के लिये, देहातों में आंख के आपरेशन के लिये, अगरइस कैम्प को व्यवस्थित ढंग से और अधिक समय तक लगवायेंगे, तो शहर से अधिक गांव के लोगों को सुबिधा मिलेगी।

चित्रकूट में एक प्राइवेट अस्पताल है, वहां पर प्रति वर्ष हजारों-हजार आदमी इलाज के लिए आते हैं, दो-तीन महीने वहां पर रह कर इलाज कराते हैं, 100–150 किलो मीटर से लोग वहां पर मरीज लाते हैं, अगर यह इन्तजाम आप ठीक समझते हैं, तो इसे आपको सुचारु ढंग से कराना पड़ेगा। दवाइयों के लिये एक और इन्तजाम करना पड़ेगा। आप जितना निर्धारित रुपया देते हैं, आपका सारा रुपया बड़े-बड़े अस्पतालों में रह जाता है, बहुत कम रुपया आप ग्रामीण अंचलों में दे पाते हैं। आपको यह तय करना पड़ेगा कि कितने बेड का अस्पताल कहां पर है, उसी के अनुपात में, धन आवंटित करे। दरअसल, इन लोगों का इस संकल्प पर कोई इन्टरेस्ट नहीं है, इसलिये ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। आयुर्वेदिक औषधियों और आयुर्वेदिक महाविद्यालय के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि जहां पर आयुर्वेदिक विद्यालय हैं, वहां पर अस्पताल खोल रखे हैं और दोनों का खर्च एक ही जगह दिखाकर धांधली करते हैं। हंडिया, जनपद इलाहबाद में आयुर्वेद अस्पताल और आयुर्वेदिक महाविद्यालय दोनों चल रहा है, जबकि अस्पताल वहां से स्थानान्तरित हो गया है, फिर भी दोनों एक ही स्थान पर चल रहा है। मान्यवर, वहां का सारा पैसा घपला कर दिया जाता है। माननीय गोपाल दास यादव के संकल्प पर मैं बल देता हूं और मंत्री जी से अपेक्षा करता हूं कि इन सुझावों पर वह अमल करेंगे।

*श्री सुखपाल पाण्डे--

माननीय अधिष्ठता महोदय यह जो प्रस्ताव भाई गोपाल दास जी ने रक्खा है वह बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है । मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोल दिये गये लेकिन उस पर डाक्टर नहींपहुंचे, कम्पाउण्डर नहीं है, कर्मचारी है और आज तक दवाई नहीं दी जा रही है । मैं कहना चाहता हूं, कि आपने ग्रामीण स्तर पर उनके मकान का किराया मामूली कर दिया है, आज गांवों में मकान नहीं मिल रहे हैं, अस्पतालों के लिये । यह गम्भीर समस्या है आप उनको किराया तो दीजिये जिससे अस्पतालों के लिये मकान मिल सकें । आपने डाक्टर तो 2-2, 3-3 नियुक्त कर दिये हैं लेकिन वहां डक्टरों ने तय कर लिया है कि एक हफ्ता तुम बैठोऔर एक हफ्ता हम बैठेंगे और एक हफ्ता गैरहाजिर रहा जाय । मान्यवर, आज गरीबों को दवाइयां नहीं मिलती हैं । मान्यवर, आप तो साढ़े तीन रुपया किलो दूध खरीदते हैं और वह दूध टेन्डर से लेकर उसमें पानी मिलाकर वह दे देते हैं या पाउडर मिलाकर देते हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय, सुखपाल पाण्डे जी संकल्प तो पढ़ लिया होता ।

*श्री सुखपाल पाण्डे--

जो आप गोश्त का टेन्डर देते हैं, दूध के टेन्डर देते हैं यह टेन्डर गुण्डे और असामाजिक तत्व लेते हैं और पानी मिलाकर देते हैं और वह मरीजों को नहीं मिल पाता है आपके डाक्टर घरों में प्रैक्टिस करते हैं, मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी की इस तरफ दृष्टि जाय । हरैया में 85 में एक एक्स-रे मशीन बैठायी गयी लेकिन एक भी एक्सरे नहीं हो सका,पैसा उसका पेमेन्ट हो गया ।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप बैठें ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

मान्यवर, मैं भाई गोपाल दास यादव जी के संकल्प का समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं कि इस कल्याणकारी राज्य में दवा की नि:शुल्क व्यवस्था होनी चाहिये किन्तुजो भी व्यवस्था है उसमें सस्ती और अच्छी ग्रामीण अंचलों तक दवा पहुंचे इसके लिये 2-3 सुझाव देता हूं । मान्यवर, हमारी पूरी चिकित्सा व्यवस्था एलोपैथिक के चंगुल में फंसी हुई है और एलोपैथिक चिकित्सा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के खूनी चंगुल में है यह बहुराष्ट्रीय कम्पनियां ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिये सस्ती दवाइयां बनाती हैं और बहुत महंगी बेचती हैं और हमारे जो कारखाने हैं वह दूसरे प्राइवेट कारखानों से बनी हुई दवाइयां लेते हैं इसीलिये उनकी गुणवत्ता कम होती है और मूल्य भी ज्यादा होता है । मान्यवर, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक चिकित्सा जो है इसमें दवा अच्छी हैं, सस्ती हैं और सटीक हैं इसलिये उनको प्राथमिकता देनी चाहिये । यदि आप देखें तो हमारे जो आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक डाक्टर सी०पी०एम०टी० के द्वारा प्रवेश पाते हैं, जिनके कम नम्बर होते हैं उनको आयुर्वेद और यूनानी में प्रवेश दिया जाता है और उसके ज्यादा जिसके नम्बर होते हैं उसको होम्योपैथिक में और उसके-बाद सबसे ज्यादा जिसके नम्बर होते हैं उसको एलोपथिक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश दिया जाता है । मैं कहना चाहता हूं कि जो भी लोग आयुर्वेदिक चिकित्सा में होम्योपैथिक चिकित्सा में रुचि रखते हैं उनकी अलग से प्रवेश परीक्षा ली जाय और जो एलो-

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पैथिक में चाहते हैं उनकी अलग से प्रवेश परीक्षा ली जाय । मान्यवर, सबसे पहली बात है कि आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक चिकित्सा को बढ़ावा देना चाहिये और जो दवाएं हमारी मौजूदा है उसके लिये सदन की एक कमेटी बना दी जाय या प्रत्येक क्षेत्र में जो अस्पताल हैं वहां एक रजिस्टर रखा जाय और वहां के विधायकों को यह अधिकार दिया जाय कि वहां दवाओं के सम्बन्ध में जो भी शिकायत मलदालाओं से, गरीबों से प्राप्त होती है वह उसको देखकर उस रजिस्टर में दर्ज करे और सरकार उसका निरीक्षण प्रत्येक माह करें और प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करे जिससे दवाओं की चोरी न हो सके ।

*श्री भगवानदीन कुशवाहा--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, शासन के आदेश थे कि हर तहसील हेड क्वार्टर पर महिलाओं का अस्पताल खोल दिया जायेगा लेकिन डेरापुर कानपुर देहात में आज तक महिला अस्पताल नहीं खोला गया है दूसरे जिला परिषद् खानपुर ढिलवल में अस्पताल खोला गया और दवाओं की व्यवस्था नहीं हुई । जिलाधिकारी कानपुर देहात ने उसके प्रान्तीयकरण के लिये लिखी है वह नहो किया गया है और दूसरी जो गम्भीर घटना हो गयी कानपुर के हैलेट अस्पताल में । वहां डाक्टरों को पैसा न देने के कारण जिन्दा बच्चे को सील करके मुर्दाघर में रख दिया गया और एक दूसरी घटना हो गयी कि पैसा न देने पर दूसरे बच्चे को सील करके मुर्दाघर में रख दिया । उनके घर वाले आये और जबरदस्ती मुर्दाघर में घुस गये और जिन्दा बच्चे को निकाला तो इतनी वहां पर लूट हो रही है कि जो पैसा नहीं दे पाता है उनके बच्चे को हैलेट अस्पताल में मुर्दाघर में रख दिया जाता है । तो इस पर मान्यवर, दूसरे जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, हाथ-पैर टूट जाते हैं तो 7-8 हजार रुपया हो तो इलाज करा पाते हैं इसलिये ऐसी व्यवस्था करें कि प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लग जाय, जो अस्पतालों में लोग करते हैं, उस पर रोक लग जाय और इस तरह का काम करने के बाद प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाई जाय ।

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

मान्यवर, आजकल दवाओं में कुत्ता काटने के इंजेक्शन के जिले अस्पतालों में काफी कमी है । बांदा में अस्पतालों में कई माह से कुत्ता काटने के इंजेक्शन नहीं हैं और जहां इंजेक्शन बनते हैं, वहां से लोगों को लाना पड़ता है । मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाओं का बजट बहुत कम दिया जाता है । एक एक अस्पताल के लिये 2-3 हजार की दवा दी जाती है । हमारा अनुरोध है कि आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक अस्पतालों में दवाओं का बजट बढ़ाया जाय और ज्यादा पैसा दिया जाय । दूसरा अनुरोध है कि अटैचमेन्ट की जो नीति शासन द्वारा निर्धारित की गयी है, गांव के अस्पाताल में कोई योग्य डाक्टर है तो जिलेअथवा कालेज में अटैचमेन्ट कर दिया जाता है । इस नीति को खतम किया जाय और जो जहां है, वहां नियमित रूप से काम करे ।

श्री अधिष्ठाता--

समाप्त करें ।

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

मान्यवर, लखनऊ मेडिकल कालेज में जैनरेटर की कमी है । जब विद्युत चली जाती है तो जेनरेटर न होने के कारण वहां के तमाम काम, आपरेशन और बड़े-बड़े काम रुक जाते हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता--

वर्मा जी बैठें ।

श्री हरि शंकर तिवारी--

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मा0 गोपाल दास यादव ने जो संकल्प रखा है मा0 सदस्यों की समिति गठित करने का, मैं इस पर मा0 मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इसके माध्यम से तमाम भ्रष्टाचार जो है उस पर नियंत्रण होगा। मैं गोरखपुर मेडिकल कालेज की चर्चा करना चाहूंगा उसके भ्रष्टाचार पर नियंत्रण आएगा । हमारे गोरखपुर मेडिकल कालेज में मान्यवर, दवाओं का पैसा गरीब लोगों को नहीं मिलता है प्राचार्य जी ने ढाई-ढाई सौ में ट्यूबलाइट्स की सप्लाई ली है और दस लाख रुपये का प्रति वर्ष खान-पान की वस्तुओं और सफाई के नाम पर घपला करते हैं । गोरखपुर जिला अस्पताल तो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है । वहां के जो जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, वह एक बार जो अभ्यर्थी एप्लाई करता है, रुपया घूस रूप में नहीं देता है तो सेलेक्शन नहीं करते हैं और फिर वही 10-20 हजार रुपये घूस दे देता है तो चुनाव कर लेते हैं । मैं चाहता हूं कि इस संकल्प के माध्यम से जो मा0 गोपाल दास यादव जी ने समिति के गठन का विचार रखा है, इसके द्वारा भ्रष्टाचार पर रोक लगे ताकि लोगों को दवा को सुविधा उपलब्ध हो सके और अन्य भ्रष्टाचार न हो ।

*श्री गोपाल दास यादव--

मान्यवर अभी मा0 मंत्री जी और मा0 सदस्यों ने सस्ती और गुणात्मक दवाओं और चिकित्सा सुविधा ग्रामीण अंचलों में कैसे पहुंची मान्यवर, इस पर काफी विचार आए और मैं समझता था कि मा0 मंत्री जी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप केन्द्र, डिप्टी सी0एम0ओ0, सी0एम0ओ0 की बात की, लेकिन सस्ती और गुणात्मक दवाओं की जो बात थी, मैंने कल भी अर्ज किया था कि जब तक, सब निदेशालय खुल गये हैं, जब तक औषधि नियंत्रण निदेशालय नहीं खुलेगा, तब तक इस पर नियंत्रण होने वाला नहीं है । इन्सपेक्टर सी0 एम0 ओ0 के अण्डर में रहेगा, उसका कैरेक्टर रोल सी0एम0ओ0 लिखेगा तो उसकी हिम्मत नहीं है कि नकली दवाओं को सैम्पलिंग कर ले । मैं उम्मीद करता था कि मंत्रीजी घोषणा करेंगे कि बहुत जल्द ही अलग स्वास्थ्य नियंत्रण केन्द्र खोलेंगे लेकिन इन्होंने घोषणा नहीं की । मैं कहना चाहता हूं कि मान्यवर, आज जिस तरह से मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार भूखा मरता है और पुजारी को सब जानते हैं, उसी तरह से कैमिस्ट, जो दवाओं की गुणवत्ता का निर्माता है उसको कोई नहीं जानता आपकी दवायें और चिकित्सा पद्धति इतनी महंगी है कि आम आदमी उसे अपना नहीं सकता । जो गरीब लोग हैं गरीब किसान हैं, वह भूखों मरते हैं । आप बिचौलियों की मदद करते हैं । जो एम0बी0बी0एस0 डाक्टर हैं मरीजों को लूटते हैं । दवा के नाम पर लूट कर रहे हैं । मेरे कहने का मतलब यह है कि दवा का निर्माण है, एक जब तक आप औषधि नियंत्रण केन्द्र का निदेशालय नहीं खोलेंगे, आप सस्ती और गुणात्मक दवा नहीं बना सकते । एक अलग निदेशालय खोलें जिससे कि जो अस्पतालों में निम्न स्तर की दवायें आती हैं स्पूरीयस ड्रग आती हैं उन पर नियंत्रण हो सके । ज्यादा से ज्यादा दवा की फैक्ट्रियां हैं जहां पर कोई लेबोरेट्री नहीं है । एक ही सेम्पुल की जांच करके इस तरह से चोरी करते हैं । एक औषधि नियंत्रण केन्द्र सेपरेट खोलें और उसके अन्दर जो क्वालिटी कंट्रोल का डायरेक्टर हो, वह जो डायरेक्टर होगा वह भी फारमासियुटिकल के आदमी हों यह नहीं कि वह फार्मेसी के आदमी हो एम0बी0बी0एस0 बिठा दें आई0ए0एस0 बिठा दे । जिसे दवा की जानकारी हो वह निदेशालय का निदेशक बने । हमारे देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन में वायदा किया था, आत्मा अलमा गये थे बड़ी वाहवाही लूट ली, हम यहां स्वच्छ जल मुहैया करेंगे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य शांति बनाये रखें ।

श्री गोपाल दास यादव--

आप की नदियों में कचरा गिर रहा है जलाशयों में गन्दगी है । मान्यवर एक ही जलाशय के अन्तर्गत आदमी के लिये पानी उपलब्ध है जानवर भी पीता है । मैं मानता हूं कि आदमी नहीं मरेगा । एक स्वस्थ राष्ट्र के लिये जब पानी गन्दा पियेंगे हजारों सैकड़ों लाखों जीवाणु पानी से जाते हैं और हर परिवार के अन्दर जो लोग पोते हैं मैं कहना चाहूंगा कि किसी को गैस एन्ट्राइटिस होती है, जानडिस होती है । आप कितना स्वच्छ पानी दे रहे हैं ? आप कहते हैं कि स्वच्छ पानी दे रहे हैं । ग्रामीण क्षेत्रों से आपके डाक्टर भाग रहे हैं, वहां के डाक्टरों को कितनी सुविधायें दे रहे हैं ? अधिकतर डाक्टर शहरों में ही जाना चाहते हैं ग्रामों में जाना नहीं चाहते हैं डाक्टरों को वहां सुविधा न देने से यह स्थिति है । आप कहें कि वहां के डाक्टरों को ग्रामीण मासिक भत्ता दिया जायगा, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जायगी, वहां पर उनके लिये शिक्षा की व्यवस्था की जायगी वहां के डाक्टरों को आप आवासीय सुविधा दीजिये । उसके साथ-साथ सुविधायें और भत्ते दीजिये । नान-प्रेक्टिसिंग एलाउन्स जो शहरों में देते हैं, दो बजे के बाद आप देखें, डाक्टर प्राइवेट पैरेलल हास्पिटल चलाते हैं । गांव क अन्दर जो डाक्टर हैं उनका 50 प्रतिशत नान-प्रैक्टिसिंग एलाउन्स बढ़वा दें तो मंत्री जी डाक्टर वहां पर रहना पसन्द करेंगे जो अन्य सम्बद्ध कर्मचारी हैं उनसे कम्पाउन्डर हैं नर्सेस हैं उनको भी आवासीय व्यवस्था कराइये वहां पर तब जाकर गांवों मे डाक्टर रुकना पसन्द करेंगे । अगर सुविधायें नहीं देंगें, वहां पर सारी व्यवस्थायें मुहैया नहीं करेंगे तो डाक्टर नहीं रुकेंगे । इसलिये उनकी ओर ध्यान दें । अगर आप चाहते हैं कि गांव के अन्दर मरीजों का इलाज हो चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो तो वहां के डाक्टरों को सुविधायें देनी पड़ेंगी तब जाकर डाक्टर गांव की ओर आकर्षित होंगे । बहुत तीर मारते हैं ।

मेडिकल कालेज के अन्तर्गत एक व्यवस्था है पोस्ट मार्टम की व्यवस्था है । 70 कि0मी0 दूर पर किसी का हत्या कर दो जाय तो उसका पोस्टमार्टम कहां होगा ? तहसील में पोस्ट मार्टम की व्यवस्था होनी चाहिये लेकिन व्यवस्था कहां है इलाहाबाद मेडिकल कालेज में ? डाक्टर 2 बजे के बाद मिलेंगे नहीं अपनी व्यवस्था देख रहे होंगे, 5 बजे गये तो 5 बजे के बाद कहेंगे कि पोस्ट मार्टम के लिये डी0 एम0 के आदेश लाइये । आपको क्यों पीड़ा होने लगी ? दिन में प्राइवेट प्रैक्टिस पर डाक्टर चले जायेंगे 5 बजे के बाद कहेंगे कि डी0 एम0 का आदेश पोस्टमार्टम के लिये नहीं लाये तो नहीं करेंगे । पोस्टमार्टम की व्यवस्था हर तहसील में हो । यह चिकित्सा सुविधा में आता है । मान्यवर, यह संकल्प के अन्तर्गत ही बोल रहा हूं । पोस्टमार्टम की व्यवस्था भी तहसील स्तर पर करानी होगी । और यही सबसे बड़ा नासूर बन जाता है ।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि प्राइवेट प्रैक्टिस का पूरा अभियान चल रहा है । अभी मंत्री जी बहाना करेंगे कि हाईकोर्ट से स्टे का आदेश है । मान्यवर, एक तरफ यह नान-प्रैक्टिसिंग एलाउन्स भी देते हैं । मेडिकल कालेज के अन्दर चिकित्सा सुविधा और चिकित्सा शिक्षा के नाम पर यह डाक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस चैम्बर में नहीं करते हैं बल्कि इन्होंने एक समानान्तर अस्पताल चला रखा है । मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि यह दोहरी व्यवस्था क्यों ? जबकि इसमें सामान सारा अस्पताल का ही होता है, वार्ड ब्वाय हास्पिटल का एक्स-रे टेक्नोशियन हास्पिटल का, मशीने हास्पिटल का हो होती है ? यह बात सभी माननीय सदस्य भी जानते हैं । यह प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले लोग दोहरी संस्था चला रहे है ।

मान्यवर, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वह तीर मारना छोड़ दें कि सी0एम0ओ0 ने दे दिया है, डिप्टी सी0एम0ओ0 दे दिया है। यह जाकर व्यवस्था देखें कि अस्पतालों में सस्ती और गुणात्मक दवायें कैसे उपलब्ध हो। मान्यवर, यह हम सब लोगों का नैतिक कर्तव्य है कि जो इस देश के 80 प्रतिशत गरीब लोग हैं, उनको सस्ती और अच्छी दवा उपलब्ध हो। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इस सदन की एक कमेटी बनाइये, आपके यहां डाक्टर भी हैं, अनुभवी लोग भी हैं, उसमें आप विपक्ष के लोगों को न रखिये, अपने ही तरफ के लोगों को रखलीजिये और इस कमेटी के माध्यम से कुछ काम करिये तथा जनता के नुमाइन्दों का मनोवल न गिराइये और साथ ही उन भ्रष्ट अधिकारियों का मनोबल न बढ़ाइये तभी गरीब को सस्ती और गुणात्मक दवा मिल सकेगी। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जो मैं आपसे खासतौर से कहना चाहता हूं कि जब आप मंत्री नहीं रहेंगे तो आप भी मेडिकल कालेज में गिड़गिड़ाते रहेंगे, कोई आपकी सुनेगा नहीं। इसलिये अभी आप जग जायें और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि एक स्पोर्टिंग में वे दखें और गरीब जनता को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करायें।

जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री गोपी नाथ दीक्षित)–

मान्यवर, लगभग 25 सम्मानित सदस्यों ने इस संकल्प के विषय में अपने विचार प्रकट किये हैं। इन विचारों में बहुत से ऐसे विचार हैं, जिन पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। जहां तक सदन की समिति बनाने का प्रश्न है। श्रीमन् विभाग की एक सलाहकार समिति होती है, जो पूरी तरह प्रदेश स्तर पर सलाह देता है और श्रीमन् इसी प्रकार जिला स्तर पर भी सलाहकार समितियां बनी हुई है वह जिला स्तर पर सब प्रकार की सलाह मशविरा देती हैं और इसमें जन प्रतिनिधि भी रहते हैं। इस प्रकार सदन की अलग से कोई समिति बनाने का न तो औचित्य है, न उसकी कोई उपयोगिता है। मान्यवर, यहां कहा गया कि आवंटित धन खर्च नहीं हुआ है। श्रीमान् औषधियों को क्रय करने के मामले में सावधानी बरती जाती है और औषधियां ठीक से परीक्षण करने के बाद ही खरीदी जाती हैं मान्यवर, धन जो आवंटित होता है, वह अगर बच जाता है, तो लैप्स नहीं होता है, उसे पी0एल0ए0 में जमा कर दिया जाता है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय––

पी0एल0ए0 कोई वैधानिक नहीं है, आप तो उसके ज्ञाता है, वह तो और अवैधानिक हो जाता है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित––

मान्यवर, पूर्वी जिलों में मस्तिष्क ज्वर की बीमारी फैली यह सही बात है। लेकिन उसको बहुत तत्परता के साथ कन्ट्रोल किया गया, वह भी उन्हें पता है। मस्तिष्क ज्वर, फाइलेरिया, मलेरिया के रिसर्च सेन्टर हेतु भारत सरकार के माध्यम से गोरखपुर में एक केन्द्र खोला जा रहा है, ताकि उसकी रोकथाम की पूरी व्यवस्था की जा सके। मान्यवर, डाक्टरों की बात कही गयी कि अधिकतर अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं, यह बात भी सही है। लगभग 5 हजार डाक्टर एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद के कम हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन से जल्दी चयन न होने के कारण इन डाक्टरों को अस्पताल में भेजने में कठिनाई हो रही थी। अब मंत्रिमंडल स्तर पर आयुर्वेदिक डाक्टरों की एडहाक नियुक्ति का निर्णय किया गया है, इसका विज्ञापन भी निकल गया है और चयन की तारीख तय होने वाली है और अभी पिछली बैठक में एलोपैथिक डाक्टरों को भी एडहौक पर नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है और इसका विज्ञापन भी निकलेगा हमारे। सम्मानित सदस्यों ने पहाड़ों पर डाक्टरों का विशेष रुप से उल्लेख किया है और वह बात भी सही है

अधिकांश डाक्टर जो पर्वतीय क्षेत्र के रहने वाले हैं, वे भी पर्वतीय क्षेत्र में रहना नहीं चाहते हैं, वे सब बड़े नगरों व शहरों में रहने के लिये उत्सुक हैं। इस समस्या के निदान के लिये यह कठोर निश्चय करना पड़ा है कि जो डाक्टर अपने 33 वर्ष के सेवा काल में 2 वर्ष पहाड़ों व ग्रामीण क्षेत्र में सेवा नहीं करेगा तो उसका प्रमोशन रोक दिया जायेगा। साथ ही दूसरा निश्चय यह भी करना पड़ा है कि इस समय जो छात्र एम0 बी0 बी0 एस0 में प्रवेश पा रहे हैं, उनसे बाण्ड भराया जा रहा है कि उन्हें 5 वर्ष तक ग्रामीण क्षेत्रों व पर्वतीय क्षेत्र में सेवा करना अनिवार्य होगा और यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो उन्हें 2 लाख रुपये सरकारी खजाने में जमा करना होगा। हमारा विश्वास है कि इसके बाद डाक्टरों की बहुत हद तक समस्या हल हो जायेगी। जहां तक पर्वतीय क्षेत्र के बारे में कहा गया है कि 20 हजार की आबादी का मानक बहुत अधिक है इस संबंध में गम्भीरता से विचार किया जा रहा है कि इस मानक को घटाया जाये ताकि लोगों को चिकित्सा सुविधा सुलभ हो सके।

हमारे श्री हरदेव भाई ने हरिजनों के बारे में कहा कि यह निश्चय किया गया है कि हरिजन भाइयों का अभी तक स्वास्थ्य विभाग में जो उनका कोटा आरक्षण का होता था, वह आरक्षण का कोटा उपयुक्त डाक्टरों के न मिलने के बाद भी अन्य वर्गों से भर दिया जाता था, परन्तु अब हरिजन भाईयों के कोटे को, यदि उपयुक्त डाक्टर नहीं भी मिल पायेंगे तो उन्हें खाली रखा जायेगा। दूसरी तरफ यह निर्णय किया गया है कि उन्हें इण्टरमीडिएट से लेकर एम0 बी0 बी0 एस0 तक की परीक्षा में कोचिंग करायी जायेगी ताकि वे स्टैन्डर्ड प्राप्त कर सकें और चयन में सफलता प्राप्त कर सकें।

उपकरणों की बात कही गई। उपकरणों की कमी है। यह हमारे संसाधनों से जुड़ा हुआ विषय है। जितने संसाधन विभाग के पास हैं उनको देखते हुए उपकरणों की व्यवस्था की जा रही है। दूसरी समस्या उपकरणों के रख-रखाव की है। उपकरणों के रख-रखाव के लिये अलग से एक कार्यशाला खोली जा रही है जिससे उपकरणों के रख-रखाव की समस्या दूर हो सके। हमारे भाई श्री हृदय नरायन दीक्षित जी ने सुझाव की बात कही, मैं इस संबंध में उनसे अलग से बात कर लूंगा, यदि कोई कमी होगी तो उसे दूर करने का प्रयास किया जायेगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में यूनानी चिकित्सा-पद्धति को जोड़ा जाय। इस संबंध में हम विचार करेंगे और यदि कोई इसमें वैधानिक कठिनाई नहीं हुई तो निश्चित रूप से हम इसकी व्यवस्था करा देंगे। श्री शारदा प्रताप जी ने जो सुझाव दिये हैं और डाक्टरों के बारे में श्री शर्मा जी ने जो सुझाव दिये हैं और दवाओं के बारे में जो सुझाव दिये हैं, इसकी हम व्यवस्था करायेंगे। श्री राकेश धर त्रिपाठी जी ने भी इससे मिलती जुलती बात कही है कि डाक्टर नहीं रहते। डाक्टरों के भवनों की समस्या है और जो डाक्टरों के भवन किराये पर लिये गये हैं, उनमें कई जगह उसका किराया नहीं दिया गया है। मैं इसे अलग से दिखवाऊंगा जहां किराया नहीं अदा किया गया है, उसकी हम यथाशीघ्र व्यवस्था करायेंगे। भवनों के निर्माण के संबंध में इस विभाग ने जो संकल्प लिया है, हमारी 1990 तक जो चेष्टा है, जितने भी हमारे चिकित्सालय हैं, उन सभी के भवनों का निर्माण करा दिया जाये। विशेषकर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण 8वी पंचवर्षीय योजना में करा दिये जायेंगे। हमारे साथी श्री भगवानदीन कुशवाहा जी ने डेरापुर महिला चिकित्सालय और हैलट अस्पताल के बारे में बताया है, जो दुर्घटना वहां पर हुई है, उसकी हम जांच करायेंगे।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह जी ने बताया कि एलोपैथिक दवाईयां मूल्यवान हैं। यह बात सही है कि आयुर्वेदिक व होम्योपैथिक दवाईयों की तुलना में एलोपैथिक दवाईयां मूल्यवान हैं। और खासकर होम्योपैथिक औषधियां नुकसान नहीं करती हैं यदि फायदा नहीं करती हैं तो। इसीलिये आयुर्वेदिक शोध संस्थान और अन्य संस्थानों की स्थापना इस देश में की जा रही है। इन सारी व्यवस्थाओ के बाद मैं ऐसा समझता हूं कि हमारे साथी गोपाल दास जी अपने संकल्प को वापस ले लेंगे। इस सदन की कोई समिति बनाने की आवश्यकता नहीं है ऐसा वह स्वयं समझते होंगे। उनके विशाल अनुभव का लाभ हम जरूर उठायेंगे।

श्री अधिष्ठाता--

गोपाल दास जी। क्या आप अपने संकल्प को वापस ले रहे हैं ?

श्री गोपाल दास यादव--

कोई प्रश्न नहीं उठता, मान्यवर।

(व्यवधान)

श्री हरदेव--

जो अस्पताल में पचासों हरिजनों की आंखें फोड़, दी गयी हैं, क्या उसकी जांच करवायेंगे ?

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठें हरदेव जी, आप मन्त्री जी से उनके कक्ष में मिल लीजियेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

अभी जब यादव जी ने भाषण शुरू किया था तो उन्होंने इलेक्ट्रोपैथी के बारे में कोई बात कही थी। क्या राज्य सरकार इस पैथी को, चूंकि यह सस्ती भी है, मान्यता देने पर विचार कर रही है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

केवल विचार ही नहीं कर रही है बल्कि भारत सरकार को संस्तुति भेज चुके हैं।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि इस सदन का निश्चित मत है कि प्रदेश के नागरिकों को अच्छी स्तर की सस्ती दवायें तथा सभी चिकित्सीय सुविधा एवं व्यवस्था सुदूर ग्रामीण अचल तक उपलब्ध कराने के लिये एक विस्तृत योजना बनाने हेतु सदन की एक समिति का गठन किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

(श्री अधिष्ठाता द्वारा मत संख्या-9 पुकारे जाने तथा श्री रघुवर दयाल वर्मा द्वारा बोलने के लिये खड़े होने पर।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, इसमें कितना समय लगेगा ?

श्री अधिष्ठाता--

ऐसा हो सकता है कि चर्चा शुरू करा दें। अगर सबकी राय होगी तो आगे के लिये कर देंगे।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

पिछले चार सालों से यह प्रस्ताव आ रहा है। इस पर चर्चा हो जाने दीजिये।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा द्वारा, मरचहवा हत्याकाण्ड के संबंध में मुख्य मंत्री द्वारा जनपद के सदस्यों के साथ अपने कक्ष में बैठक करने का आश्वासन दिये जाने के संबंध में उठाया गया व्यवस्था का प्रश्न

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, अभी माननीय अध्यक्ष जी के कक्ष में तय हुआ था कि 4 बजे के आसपास मुख्य मंत्री जी आयेंग और मरचहवा ग्राम की घटना के सम्बन्ध में बतायेंगे। इस समय 4.30 हुआ है जब कि 4 बजे तय हुआ था।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी भी इस समय सदन में नहीं हैं।

(सत्ता पक्ष को इंगित करते हुए)

आप माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को बुलवा लीजिये।

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री राम औतार दीक्षित)--

मान्यवर, संसदीय कार्य मन्त्री जी की आवश्यकता है ही नहीं।

श्री अधिष्ठाता--

मा0 ओझा जी ने जो सवाल उठाया है वह यह है कि आज सुबह देवरिया वाले मामले पर पुलिस अधिकारियों और कर्मियों के संबंध में मा0 संसदीय कार्य मन्त्री जी ने यह कहा था कि,--- :-

कि 4 या 4.30 बजे के लगभग माननीय मुख्य मंत्री जी आ जायेंगे अपने कक्ष में और उनके साथ देवरिया तथा गोरखपुर के सम्मानित सदस्यों की बैठक हो जायेगी, तब देवरिया वाले मामले पर बात हो जायगी। माननीय राम औतार दीक्षित जी, आप कृपा करके माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को बुलवा दीजिये।

(समय 4 बजकर 30 मिनट)

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री जगदम्बिका पाल)--

मान्यवर, साढ़े चार बजे के लिये कहा था तो इसमें दो-चार मिनट का इधर-उधर हो सकता है, इसमें ऐसी क्या बात है?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर यह हाजिरी लगाने की बात नहीं है विषय गंभीर है और इसकी गम्भीरता को देखते हुये इस आदरणीय सदन की भावना को देखते हुए ही संसदीय काय मंत्री ने कहा था। माननीय राम औतार दीक्षित जी को इसकी गम्भीरता का ज्ञान नहीं है तभी उन्होंने कह दिया कि इसे "कार्यवाही से निकाल दिया जाय।" यह कोई ऐसी-वैसी बात नहीं है।

श्री अधिष्ठाता--

अभी माननीय मुख्य मंत्री जी के कक्ष में बैठक होनी निश्चित हुई है इस समय 4.30 बज रहे हैं वह आ गये होंगे, आप कृपा करके दिखवा लें।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

माननीय अधिष्ठाता जी, अन्य भी 300 की सूचनायें लगी हुई हैं, उनको भी सदन में रखवा कर तब आप आगे के ऐजेण्डा को लें ।

श्री अधिष्ठाता---

यह कोई व्यवस्था नहीं है। माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी, कृपा करके आप दिखवा लें, माननीय मुख्य मंत्री जी आ गये हों यदि अपने कक्ष में , तो आप गोरखपुर और देवरिया के माननीय सदस्यों को इस विषय की सूचना दे दें।

प्रदेश की नदियों के किनारे जंगलों में बसी मल्लाह जाति के आवास, खेती और रोजगार के अभाव तथा पुनर्वास की आवश्यकता हेतु नदी, बालू के ठेके आदि और मछली पालन विभाग की सेवाओं में 50 प्रतिशत आरक्षण की संस्तुति का संकल्प (क्रमागत)†

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

मान्यवर, मैं अपने महत्वपूर्ण लोकमहत्व की चर्चा पर बोलने के लिये जो मुझे मौका दिया है, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। इस माननीय सदन में इस प्रस्ताव को लाते हुए मैं यह महसूस करता हूं कि नदियों के किनारे किनारे रहने वाले लोगों, बीहड़ में रहने वाले लोगों के आवास की एक विकट समस्या है और इसीलिये वे उपेक्षित हैं । यदि आप उनके आवास को देखे तो आपकों महसूस होगा कि वे लोग कैसी गरीबी में अपना जीवन बिता रहे हैं, न रहने के लिये झुग्गी, न झोपड़ी है, न कच्चे मकान है, पक्के मकान होना तो दूर की बात है। वे लोग इस दरिद्रतम वातावरण में रह रहे है क्योंकि हमारे प्रदेश में राज्य की सारी योजनायें सड़क के माध्यम से होकर गुजरती है।

नियोजन की जिम्मेदारी जिनके ऊपर है , उनके ऊपर नियोजन का इतना भार होता है कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सूचनाओं पर ही निर्भर करते हैं। नदियों के किनारे रहने वाले मल्लाह जाति के लोगों का जीवन गरीबी से भरा हुआ है। आजादी के इतने वर्षो के बाद भी उन लोगों की हालत दरिद्रतम हो गयी है। एक तरफ जहां लोग चांद पर जान की चर्चा कर रह हैं वही एक तरफ गरीब पाताल की ओर जा रहा है और अमीरी पहाड़ पर जा रही है।

अभी एक कुटीर ज्योति योजना चली है, उनको तो दीपक तक के दर्शन नहीं होते है। खेत कहा से उनके पास आये। सारी भूमि कटाव से ग्रसित है। वहां पर रहने तक के लिय मकान नहीं है। कटान के कारण मकान तक बनाने की नौबत नहीं आ पाती है। प्रदेश में कितने लोग नदियों के किनारे के रहने वाले है, जिनके मकान ढहते जा रहे हैं। लकिन शासन का ध्यान इस ओर नहीं जाता है तो श्रीमन इस भूमि कटाव के एक तरफ तो खेती तो कम हो रही है, लेकिन जब बाढ़ आती है तो इससे जो उनका नुकसान होता है, उसकी पूर्ति यह शासन क्या करेगा, लेकिन थोड़ी बहुत सहायता जो सहायता प्रदान भी की जाती है, उस सहायता के वितरण में भी बड़ी घपले बाजी होती है, लेकिन इनकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि रोजगार परख कैसे बनाया जाए ? शिक्षा की स्थिति यदि आप देखें इनकी देखें तो वह बहुत ही कम है करीब 2 प्रतिशत ही शिक्षा का स्तर इनका आता है तो जहां पर इतने कम लोग शिक्षित होंगे तो वहां पर आप स्वयं सोच सकते है कि उनकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्तर कैसा होगा जहां शिक्षा का प्रतिशत दशमलव शून्य दी है जबकि इन्ह आज भी एक पूर्व कालिक आजादी के इतिहास से जोड़ा नहीं गया है कि यह लोग जंगल के रहने वाले लोग है, मुगलों से लड़ाई लड़े अंग्रेजों से लड़े तो उसे भुलाने और दबाने को इन्हें लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग है, इसलिये इनके आगे यह लिख दिया गया कि यह जरायम पेशा कौम है और इस जराएम पेशा कौन लिख जाने से, यह बचारे जहां भी रोजगार और स्वतंत्रता के लिये लड़े जाते है तो उनकी कौम के आगे लिखा हुआ है कि यह

---

†दिनांक 13 जुलाई, 1987 की कार्यवाही से।

एक जराएम पेशा कौम है तब इन्हें फिर पुलिस उत्पीड़न का सामना करना पड़ता। और उस उत्पीड़न क यह बहुत बुरी तरह से शिकार होते है, हालांकि इनका कुसूर क्या है? कसूर यह है कि गजट में व अन्य सरकारी लेखों में इनके आगे जराएम पेशा लिखा हुआ है फिर भी आप आखिर विमुक्त जाति किसे कहेंगे, विमुक्त जातियों में यही जातियां तो आती हैं जैसे लोध है, गूजर है मल्लाह व अन्य जातियां हैं और सरकार ने इन्हीं जातियों को विमुक्त जातियों के नाम स घोषित किया है और इन्हें आरक्षण की सुविधाएं भी प्राप्त होनी चाहिये और यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर यह विमुक्त जाति की क्या परिभाषा है आपके यहां और हमारे लिये यह भी सोचने की बात है और एक मौलिक प्रश्न उठता है.....(व्यवधान).....माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी तो हमारी बात सुन नहीं रहे है, जो बहुत ही गम्भीर और विचारणीय है, वह तो बातें कर रहे हैं।

मान्यवर, इस देश के यदि भारतीय संविधान को उठाकर देखें तो इस संविधान के अन्तर्गत जो हमारी मान्यताएं हैं जिसे भारतीय संविधान के निर्माताओं ने इस संकल्प के साथ निर्माण किया था कि इस भू-भाग पर रहने वालों में से जिनका जीवन स्तर बहुत गिरा हो तो ऐसे लोगों को यह आरक्षण सुविधा प्रदान हो तो यह सुविधा कई वर्षों से किन लोगों को दी जा रही है क्योंकि ज्यादातर आपने ऐसे लोगों के सामने जराएम पेशा लिख लिया है तो मैं जानना चाहता हूं कि आखिर यह बजट जो लिया जाता है इन कार्यों के लिये लेकिन उनका प्रयोग इनके आरक्षण में हो नहीं रहा है तो आखिर यह बजट की राशि कहां जाती है, किन के जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिये प्रयोग की जा रही है। हालांकि इन संविधान निर्माताओं ने इन विमुक्त जातियों के उत्थान के लिये ही यह आरक्षण व्यवस्था लागू की थी कि जैसे जैसे यह लोग 10 वर्षों के भीतर ऊपर उठेंगे, इसकी आख्या प्राप्त कर ली जायगी कि ऐसे कितने लोगों को विकसित कर दिया गया है और अगर कुछ लोगों का अभी उत्थान नहीं हुआ है तो उन्हें पांच वर्षों का और अवसर दिया जाता है, लेकिन यदि कुछ लोग, इससे ऊपर उठे है उनका रहन-सहन व खान-पान सुधरा है शिक्षा का स्तर सुधरा है तो फिर इनके आगे के जो दूसरे बच्चे हैं उनको लिया जाएगा, लेकिन आज माननीय इस कांग्रेस पार्टी के अन्दर राजनैतिक दबाव के कारण हिम्मत नहीं है कि उनके नामों को हटाएं और उनके स्थान पर दूसरे नये लोगों को शामिल करें जिन्हे विकास की किरण का दर्शन नहीं हुआ है, जिससे संविधान की मंशा पूरी हो सके और जैसा कि माननीय तिवारी जी ने कहा है कि एक बड़े स्तर पर हड़कम्प मचा रखी है। इस लिये श्रीमन् मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो सच-मुच पिछड़ी हुयी विमुक्त जातियां और इनके कौम के आगे लिखा हुआ कि यह जराएम पेशा हैं उनको उठाया जाय, विकास से जोड़ा जाय और उन्हें आरक्षण प्रदान किया जाये तथा पुलिस उत्पीड़न से उनकी रक्षा हो। हमारे देश में ऐसा माना जाता है कि देश का और प्रदेश का यदि उच्च जाति का कोई व्यक्ति डकैत बन जाता है, तो उसकी पूरी बिरादरी डकैत नहीं हो सकती है, लेकिन अगर किसी छोटी जाति का कोई एक व्यक्ति डकैत बन जाता है तो उस सारी जाति को डकैत मानकर उत्पीड़न किया जाता है। तो मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जाति के नाम पर, छोटे बड़े के नाम पर उनकी पूरी बिरादरी को जरायम पेश माना जाता है और जरायम पेशा घोषित कर दिया जाता है। किसी एक व्यक्ति के पीछे जाति और बिरादरी के नाम पर अपराधी घोषित करना क्या न्यायपूर्ण है, लेकिन हमारे प्रदेश की मल्लाह जाति के नाम पर लिखा हुआ है कि वह अपराधी है। यह एक अभिशाप है, इससे हम लोगों को तकलीफ होती है, ओझा जी को तकलीफ होती है, और पाण्डेय जी को तकलीफ होती है और आप भी इस दुख को अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग सत्ता के मद में डूबे हुये हैं और सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। फूलन देवी का नाम डकैतों में आ गया, तो उस जाति के तमाम नवयुवकों को गोली

से भून दिया गया, उनके फर्जी इनकाउन्टर कर दिये गये । यह सामाजिक अभिशाप है। यह बहुत बड़ा दर्द है, कानून की अवज्ञा है। सत्तापक्ष में बैठने वाले लोग सत्ता के सुख के भोग के आगे अन्धे हो रहे हैं। इस भावना ग्रन्थी से लड़ना है।

मान्यवर, 1978 में, जब जनता पार्टी की सरकार थी, तो हम लोगों ने महसूस किया था कि ऐसे पिछड़े हुये लोगों के पुनर्वास की आवश्यकता है और उस समय यह तय किया गया था कि नदी, बालू के जो ठेके जिला परिषद द्वारा उठाये जाते हैं, उनमें शत प्रतिशत का आरक्षण मल्लाह जाति के लोगों को हो और उनके उत्थान के लिये, उनकी उन्नति के लिये मल्लाहों की सोसाइटियां बनायी गयीं और उन्हीं सोसाइटियों के माध्यम से उनको लाभ देने का प्रयास किया गया लेकिन बड़े आदमियों ने फर्जी सोसाइटियां बना डालीं और उनका शोषण करने लगे और मल्लाहों को ठेका नहीं मिल पाया। लेकिन आपकी सरकार ने यह कर दिया कि ठेका मल्लाहों को नहीं बल्कि सोसाइटियों को मिलेगा, लोग सुप्रीम कोर्ट में गये और वहां से आदेश हुआ। आपका जो जिला परिषद कानून था उसमें संशोधन किया गया, लेकिन उनको आज तक अमल में नहीं लाया गया, यह आपके लिये कलंक की बात है। जहां पर आप पुल बनाते है, वहां पर ठेका बड़े आदमी को दिया जाता है। ठेका बड़े से बड़ा आदमी ले लेता है, लेकिन मल्लाहों का नाम होता है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो जाली सोसाइटियां है और संघ के नाम जो लूटने का काम होता है, उसको आप बन्द करें। जो भी मंत्री बन जाता है, उसके पीछे दो संघ और 50 सोसाइटियां लग जाती है और वह उनका दोहन शुरू कर देता है। मैं इसका विरोध करता हूं, इस प्रकार की प्रवृत्ति उचित नहीं है। जिस सचिव ने इस प्रकार का आदेश दिया है क्या आप उसके खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे, आपकी सरकार अक्षम है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसका सर्वेक्षण करायें और उसके आधार पर कार्यवाही करायें। संविधान के अन्तर्गत जो वीकर सेक्शन है, उसके आरक्षण की सुविधा दी जाये, उसका 15 प्रतिशत का आरक्षण सुनिश्चित करें। छेदी लाल साथी की जो रिपोर्ट थी, उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी वह रद्दी की टोकरी में पड़ी हुई है। मंडल आयोग की रिपोर्ट पर ढेरों धूल जम गयी है। राजनीतिक रोटी सेकने की लालसा में अभी तक उसके पृष्ठों को खोलने की कोशिश नहीं की गई कि देखें उसमें क्या है। काका कालेलकर की रिपोर्ट का कोई पता नहीं चला। इस हिन्दुस्तान के पिछड़े वर्ग के लोगों को कब तक मूर्ख बनाकर शोषण करें और आप कब तक आप राजनीति की रोटी सेकना चाहते हैं, यह मैं कहना चाहता हूं। मान्यवर, दूसरी बात यह है कि नदियों के किनारे रहने वाले लोग जो कटाव से उत्पीड़ित है, पुलिस के उत्पीड़न से ग्रसित है उनके पुनर्वास की आज अत्यन्त आवश्यकता है। उनके लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर सड़कों का जाल बिछाया जाय, निर्बल वर्ग के लोगों के लिये आवास की व्यवस्था की जाय और उन क्षेत्रों में स्कूल खोले जायं। इन सब बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इनके लिये जब तक आप आरक्षण की व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक उनको इस प्रकार की आप कोई सुविधा नहीं दे सकेंगे। उन्हें रोजगार देने के लिये मैं आपसे निवेदन करुंगा कि औद्योगिक संस्थानों में उनके लिये आप आरक्षण की व्यवस्था करें कि उन्हें इतने प्रतिशत इस वर्ष के लोग रखे जायेंगे।

अन्त में एक बात और कहना चाहता हूं और उसके बाद मैं माननीय सदस्यों को सुनूंगा। फिर भी मुझे आप मौका देंगे। यदि आपकी सरकार सही माने में इन लोगों का उद्धार करना चाहती है तो आप एक सर्वेक्षण करा लें और जिलाधिकारियों और से भी पूरे प्रदेश में रिपोर्ट मंगा लें और उसके आधार पर आप आरक्षण नीति को सुनिश्चित कर दें और भारतीय संविधान के अनुच्छद 15 (4) और 16 (4) के अनुसार कार्य करें। यह मैं आपको बताना चाहता हूं। रोजगार परख सिद्धान्त आप उनके लिये बनायें, उसके लिये आपकी क्या नीति होगी। इसके अलावा आपके मत्स्य विभाग में जो पद है उनमें दुख इस बात

का है कि बीज के संबर्धन का कार्य मल्लाहों के लड़कों को दिया गया है और उसकी सुपर-वाइजरी का कार्य उच्च जाति के लोगों के लड़कों को दिया गया है। जिनको कोई ज्ञान नहीं होता उनको ऊपर कर दिया और जो काम कर रहे है उनको गड्ढे में डाल दिया। इस पर आपकी सरकार को शर्म होनी चाहिये। इस व्यवस्था को आप बदलें। इसलिय मान्यवर, मैं चाहता हूं कि 50 प्रतिशत आरक्षण उन लोगों के लिये स्पष्ट रूप से सुनिश्चित किया जाता चाहिये। मैं चाहूंगा कि पूरा सदन इस पर विचार करें। इन शब्द के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं

(श्री राम गोविन्द चौधरी के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता--

इस पर आपका कोई संशोधन नहीं है।

श्री राम गोविन्द चौधरी--

मैं इसका समर्थन करूंगा।

श्री अधिष्टाता--

पहले इसमें संशोधन प्रस्तुत हो जाने दें।

चौधरी लालता प्रसाद निषाद--

मान्यवर मैं आपकी अनुमति से इस संकल्प पर यह प्रस्ताव करता हूं कि उक्त संकल्प प्रारम्भ में आये शब्द और यह सदन के स्थान पर शब्द "इस सदन का मत है कि" रखे जायं और अन्त में आये शब्द 50 प्रतिशत आरक्षण की संस्तुति करता है, के स्थान पर शब्द यथा विधि वरीयता देने के लिये प्राविधान किया जाय रखे जायं।

(व्यवधान)

श्रीमन्, माननीय वर्मा जी ने जो संकल्प रखा है उसमें मछुवारों के आवास-विकास और उनकी तरक्की के लिये उनके मकान बनाने के लिये जो आज वे नदियों की तलहटी में रह रहे हैं और जहां नदियों से कटाव हो रहा है उसकी व्यवस्था करने के लिये और सत्स्य विभाग में उन्हें 50 प्रतिशत आरक्षण देने के सम्बन्ध में विमुक्त जाति के लोगों को सुविधा देने के लिये जो आपने कहा है उसके सम्बन्ध में मेरा आपसे अनुरोध है कि श्रीमन्, नदी घाटो का ठेका जो नौका चालन का अधिकार 1878 के नार्दन इंडियन फेरी एक्ट में अंग्रेजों ने छीन लिया था उसे हमारी जनप्रिय सरकार ने शासनादेश के द्वारा मछुवारों की सहकारी समितियों को देने का निर्णय लिया है और मछुवारे वहां पर काबिज है। कहीं कहीं ऐसी बात देखने में आ रही है कि पुराने ठेकेदार गरीब मछुवारों को मिला कर धोखे से मछुवारों के नाम फेरी चला रहे हैं।

मछुवारों के लिये जहां तक मकान बनाने की बात है हमारी सरकार ने फैसला लिया है और आदेश हो चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में इस साल 10 हजार मकान मछुवारों के लिये बनाये जायं। यह आदेश हर जनपद के मत्स्य विभाग अधिकारी के पास पहुंच गये हैं और वह लिस्ट बनायेंगे कि कितने मकान उनके लिये बनने है जैसे हरिजनों के लिये इंदिरा आवास की योजना है दो कमरे और एक छज्जा बनाने की व्यवस्था है।

श्रीमन् बालू खनन के संबंध में हमारी जिनप्रिय सरकार ने मछुवारों की समितियों को पट्टा देने के आदेश जारी कर दिये हैं। बहुत दिनों तक उसी आधार पर मछुवारों को बाल खनन का पट्टा मिलता रहा है.....

श्री रघुबर दयाल बर्मा—

1978 के पहले कब हुआ था यह बता दें ?

चौधरी लालता प्रसाद निषाद—

1978 में नहीं 1982 में.....

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

मेरे सवाल का जबाव नहीं दे रहे हैं बता दें 1978 से पहले कब था ?

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

उसका जबाव वह नहीं देना चाहते हैं आपने शंका ठीक उठाई।

चौधरी लालता प्रसाद निषाद—

आज भी बालू का पट्टा मिल रहा है लेकिन कहीं-कहीं पर ठेकेदार शासनादेश के खिलाफ हाईकोर्ट में चले गये जिसकी वजह से कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हो गयी हैं। मैं शासन से अनुरोध करूंगा कि वह इसमें योगदान करें और जो कठिनाइयां आ रही हैं उनको दूर किया जाये।

हमारी कांग्रेस सरकार ने आजादी के बाद जमींदारी उन्मूलन कानून बनाकर भूमि पर खेती करने वालों को सीरदारी और भूमिधरी का अधिकार दिलाया लेकिन मछुवारों को तालाबों में सिंघाड़ा और तालमखाना पैदा करने वालों को सीरदारी का अधिकार नहीं दिलाया, इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि शासन कोई ऐसा नियम बनाये जिससे नदी की तलहटी में बालू खनन, तरबुज और खरबूज की खेती करने वाले मछुवारों को सीरदारी का हक मिल सके।

श्री अधिष्ठाता—

दो मिनट में आप समाप्त करें।

चौधरी लालता प्रसाद निषाद—

माननीय वर्मा जी ने विमुक्त जाति के संबंध में एक बात कही। 1857 के गदर के बाद मल्लाहों को बहुत से जिलों में जरायम पेशा करने वाले घोषित कर दिया गया जो विमुक्त जाति के नाम से लिस्टेड हैं लेकिन मछुवारों को वह विमुक्त जाति की सुविधायें नहीं मिल रही हैं। मैं शासन से अनुरोध करूंगा कि विमुक्ति जाति के लिये जो सुविधा मिलती है उसको स्पष्ट करें और निराकरण किया जाये।

मान्यवर, विमुक्ति जाति के अलावा पूरे हिन्दुस्तान में मछुआरों को भिन्न-भिन्न नामों से परिगणित जाति में जाना चाता है। खास कर दिल्ली में मल्लाह शब्द परिगणित जाति में है और यह सुविधा हिन्दुस्तान के 12 प्रदेशों में भिन्न भिन्न नामों से मिलती है। परन्तु उत्तर प्रदेश में नहीं है। केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा है कि क्या इन्हें परिगणित जाति में रख दिया जाये ? मैं अनुरोध शासन से करता हूं कि वह अपनी स्वीकृति केन्द्र सरकार को भेजकर इन मछुवारों का हित करें।

*श्री राम गोबिन्द चौधरी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, श्री वर्मा जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है वह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिय कि जो लोग हजारों वर्षों से सम्पन्न थे, उनको रोजी रोटी की व्यवस्था थी, लेकिन वैज्ञानिक ढंग से आवागमन के साधन बढ़े जिससे उनकी रोजी रोटी बंद हो गयी। उनका मुख्य काम नाव चलाना था। नाव द्वारा सामान को उठाना, ले जाना, आदमी को इधर से उधर पार कराना यह मछुआरों का मुख्य धंधा था और इससे वह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। यहा सरकार दावा करती है कि जब से हिन्दुस्तान आजाद हुआ है तब से गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करन वालों की दशा में सुधार किया है, और बहुत से लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर थे उठाया है। लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस वर्ग के लोग जो गरीबी रेखा सें ऊपर थे और नीचे भी थ, तो जो ऊपर वह भी नीचे आ गय और जो नीचे थे उस समय में वह तो और नीचे चले गये है। जैसा मा0 सदस्य गाजीपुर बोल रहे थे, उन्होंने सरकार का पक्ष प्रस्तुत किया वह सही है। लेकिन जो वास्तव में समस्यायें हैं इनकी इस जाति के लोग अधिकांशत: नदियों के किनारे जंगलों में इनकी बस्तियां और गांव हैं। इसमें 90 प्रतिशत लोग भूमिहीन है और 80 प्रतिशत से अधिक लोग अनपढ़ हैं और आज भी अधिकांशत: अपनी जीविका खेतिहर मजदूर के रूप में व्यतीत कर रहे हैं।

मान्यवर, श्री वर्मा जी ने सही कहा है और सही है कि मछली मारने वाले नदियों के किनारे बालू का ठेका और देहातों में जो तालाबों में मछलियों का पट्टा हो रहा है 10–15 सालों का, उसमें कहना है कि 50 प्रतिशत आरक्षण इस वर्ग के लोगों का इसमें होना चाहिये।

मान्यवर, अभी माननीय सदस्य ने कहा था कि जिला परिषद् में नियम बना दिये गय हैं कि मछुआरों को समिति के माध्यम से ठेका दिया जाय। मै स्पष्ट कहना चाहता हुं कि एक और छूट करवा दे उसमें कि उनकी समिति बन जाय और उसको बैंक द्वारा या तो लोनिंग कराकर घाट बनाकर ठेका दें या ठेका हो जाय किन्तु वसूली करके ठेका का पैसा मछुआरें भरें वरना होता है कि समितियां, अधिकांशत: मछुआरे गरीब होते है और रोजी रोटो की उनकी समस्या है, इसलिये समितियां तो बन गयी है किन्तु समिति भी दूसरे लोग जो बनवायें है उनका पैसा लगा है जिससे मल्लाह केवल नाव खेने भर के मजदूर हो जाते ह और उन मछुआरों को कोई लाभ नहीं होता है बल्कि लाभ दूसरे लोग जो समिति बनवाये हैं वह ले जाते हैं।

श्री अधिष्ठाता––

आपका भाषण समाप्त हुआ है कि नहीं ?

श्री राम गोविन्द चौधरी––

श्रीमन्, मैंने तो अभी शुरू किया है।

श्री अधिष्ठाता––

आपका भाषण अगले गैर सरकारी वक्त जारी रहेगा।

श्री रामगोविन्द चौधरी––

जो तालाबों का पट्टा गांवों में हो रहा है, वह आज बड़े झगड़े का केन्द्र बना हुआ है। उनमें भी इनकी समितियों को हो पटटा दिया जाए।

श्री अधिष्ठाता––

आपका भाषण अगले गैर सरकारी दिन के लिये जारी रहेगा। इसलिये इस समय आप अपनी बात खत्म कर दें।

रामगोविद चौधरी––तो ठीक है।

उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1989

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री राम औतार दीक्षित)---

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर (संशोधन विधेयक, 1989) जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

श्रीमान्, यह मामूली सा संशोधन है। हम इसकी तारीख 31 दिसम्बर, 88 से 30 जून, 89 तक इसके द्वारा बढ़ाने जा रहे है। यह श्री वद्रीनाथ का जो मन्दिर है, वह देश की एकता और अखण्डता का प्रतीक है । तो इस सम्बन्ध में मैंने चाहा है कि तिरूपति और विश्वनाथ मन्दिर के आधार पर इसका अधिनियम बनायें और इसीलिये वहां पर हमारी ओर से हमारे कुछ अधिकारी लोग वहां गये थे, और वे वहां से विश्वनाथ मन्दिर और तिरूपति मन्दिर किस तरह चलाया जा रहा है, उसके अधिनियम वगैरह ले आये हैं। अब चूंकि अधिनियम बनाने में देरी हो रही है, इसलिए समय बढ़ाने के लिए सदन की अनुज्ञा मांगता हूं । मुझे आशा ही नहीं वरन् विश्वास है कि यह जो थोड़ा सा समय बढ़ाने की बात है, मांगता हू इसको सदन सर्वसम्मति से पारित कर देगा।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदार नाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1989, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ , को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन को प्रस्तुत करे। समितियों के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे। मान्यवर, जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि चारों धाम में से यह बद्रिका आश्रम भारत का एक प्रमुख एकता और अखण्डता का प्रतीक मन्दिर है। आदि शंकराचार्य जी ने इनकी स्थापना की थी, जिससे हमारा सम्पूर्ण भारत-पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक एक समझा जाए और यह मान्यता भी है कि मोक्ष प्राप्त करने के लिये चारों धाम की यात्रा मनुष्य के लिये आवश्यक है। इसका तात्पर्य यही है कि सभी भारतवासी भारत की एकता और अखण्डता को आस्था के साथ एकाग्र करें और और इसको एक समझें। लेकिन आज जो स्थिति हमारे सामने दिखाई पड़ती है, उसमें यह शंका पैदा होती है कि सरकार की तरफ से यह कोशिश है कि जिस विशिष्ट उद्देश्य के लिये यह बनाया गया था, उस उद्देश्य की पूर्ति में बाधा उत्पन्न कर दी जाए। इस के अलावा कोई दूसरा इसमें इनका उद्देश्य नहीं है।

पिछले सत्र में जो संशोधन विधेयक आया था, तो उस समय भी यह कहा गया था कि हम तिरूपति मन्दिर के आधार पर इसे ले जाना चाहते हैं और इसके लिये नया नियम बनाना है। इसकी हमे जरूरत है आप प्रवर समिति को हमारा प्रस्ताव सन्दर्भित करें और इसको यदि आप वास्तव में उस पैटर्न पर ले जाना चाहते है तो वह सब अभिलेख समिति को सौप दें, जिस समिति में दोनों पक्षों के लोग होंगे। इससे मात्र अधिकारियों के देखने की बात नहीं होगी। इससे कुछ अच्छी व्यवस्था हो जाएगी । इसलिये मैं यह कह रहा हूं कि वहां के जो रिचुवल्स है, हो सकता है उनमें उन अधिकारियों का विश्वास न हो, कर्मकाण्ड में उनका विश्वास नहो लेकिन जिनकी इसमें आस्था है , उनकी भावना को चोट लगती है। ऐसा ही एक मामला हमारे सामने आया है, शायद सरकार की जानकारी में भी आया हो। वहां के संबंधित सरकारी अधिकारियों की आस्था रिचूअल्स में और परम्परागत नियमों में नहीं है। और वहां भगवान बद्रीनाथ जी के भोग और पूजा में व्यवधान और खण्डन पैदा हो रहा है। शायद

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राजेन्द्र कुमार तुप्त--]

मंत्री जी को जानकारी हो, वहां एक परम्परा है कि बसन्त पंचमी के दिन स्वयं व्यक्तिगत रूप से वहां का मुख्य अधिकारी टिहरी नरेश के पास तिथि निर्धारण का पूर्ण प्रस्ताव लेकर जाता है। प्रस्ताव लेकर जाने पर टेहरी नगर के राज्य ज्योतिषी जो है, वह अपनी पत्रा से देखकर साइत निकालते है और घोषणा करते है कि कौन सी तिथि को मंदिर के कपाट खोले जायेंगे मान्यवर मैं बताना चाहूंगा कि बसन्त पंचमी को क्या हुआ कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी नहीं पहूंचे और टेहरी नरेश नरेन्द्र नगर आ गये और बसन्त पंचमी की प्रतीक्षा करने लगे। मंत्री जी को शायद इसकी जानकारी मिली हो कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी बसन्त पंचमी को महाराज के यहां नहीं गय और देहरादून चले गये और अपनी जगह उन्होंने प्रचार सचिव को अपनी जगह भेज दिया।

मान्यवर, जब वहां जाते हैं तो भगवान का सामान भी ले जाना होता है जैसे चरण पादुका और भगवान के वस्त्रादि, तो यह सामान भी जो प्रचार सचिव थे वह नहीं ले गये उन्होंने ज्योतिषी जी जो थे उनसे कहा कि आप तिथि बता दें कि कौन सी तिथि को मंदिर के कपाट खोले जायेंगे, तो यह बात अच्छी नहीं लगीं, महाराज को भी अच्छा नहीं लगा। कार्यकारी अधिकारी इसलिये वहां नहीं गये कि उनकी जो देहरादून में कोठी बन रही है उसका उसी दिन मुहूर्त था। कार्यकारी अधिकारी जो वहां की परम्पराओं का निर्वाह कराने के लिये वहां भेजे गये है उन्होंने बद्रीनाथ जी के मन्दिर के कपाट खोलन की तारीख निकलवाने से ज्यादा रुचि अपने घर के बारे में दिखाई ऐसे व्यक्तिको आपने वहां का कार्यकारी अधिकारी बना रखा है जिसको वहां की परम्पराओं से कोई वास्ता नहीं है। मान्यवर वहां पर विष्णु सहस्त्र नाम जाप अनवरत होना चाहिये। क्या हर समय वहां यह पाठ कानों में पड़ता है? "नहीं जो भारत की अखंडता और एकता में विश्वास करने वाले लोग है उनको ठेस लग रही है। आप बातें करते है तिरुपति की, वहां अरबों रुपया चढ़ता है और वह रुपया सामाजिक कार्यों में खर्च होता है क्या सरकार ने शंकराचार्यजी से यह वायदा किया था कि वहां पर हम किसी पीठ की स्थापना करेंगे जो अद्वैत दर्शन की प्रेरणा दें तथा हम सब को एक में बांधने की प्रेरणा दें। हमारे भारत का दर्शन, भिखारी को दखकर हमारा हाथ जेब में पहुंच जाता है, ममता आ जाती है और हम दया से भर जाते हैं हमारा पाश्चात्य दर्शन नहीं, कि हम सोचें कि भिखारी से हमें क्या फायदा मिलेगा। एक अध्यात्म, अद्वैत दर्शन से प्रेरित हो कर हमारा हाथ आगे बढ़ जाता है। इस प्रकार के अद्वैत दर्शन के प्रचार की कोई व्यवस्था नहीं है।

गढ़वाल मंडल विकास निगम के वहां पर रेस्ट हाउसेज बने हुये हैं वहां बड़े लोग जाकर बसेरा करते हैं लेकिन जो गरीब आदमी हैं वह पंडों के यहां चट्टी में रात बिताने को मजबूर है। धार्मिक भावना से ओत-प्रोत होकर गरीब लोग वहां जाते हैं। उस बर्फीले इलाके में झोपड़ियों में रात में पड़े रहते हैं उनके रहने का कोई समुचित स्थान नहीं है। जिस उद्देश्य को लेकर यह अधिग्रहीत किया गया था वह गड़बड़ियां आज भी है तथा आपके द्वारा नामिनेटेड लोगों के द्वारा की जा रही है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अभी रावल का विवाद क्यों हुआ था और कितने ही लोगों ने उसमें गन्दी भूमिका अदा की। सरकारी अधिकारी आपने वहां बैठा रखे है जिससे अव्यवस्था है इसलिये मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं। आप धार्मिक संस्थाओं के सब अभिलेख, इस कमेटी को सौप दें, आपका बहुमत है- आप कमेटी बना लीजिए मुझे कोई आपत्ति नहीं जिससे कमेटी में विचार हो जाए। रलिजस इन्डाउमेंट के बारे में केरल की सरकार ने एक नायर कमेटी बनाई। आप अपने अधिकारियों से कहें कि वह नायर कमेटी की रिपोर्ट पढ़ें और उन सब बातों को लेकर एक नया विधेयक बनायें इन्हीं शब्दों के साथ, मैं प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव पर बल देता हूं। हमारे और इनके कथन में भिन्नता हो सकती है लेकिन भावना एक है आप इसको प्रवर समिति को भेजें ताकि वहां सब बातों पर विचार हो जाए और सही ढंग से विधेयक बनाया जाए.....

श्री राम औतार दीक्षित--

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने जो अपेक्षायें की है, उन्हीं अपक्षाओं को लकर इस मंदिर को तिरुपति और विश्वनाथ के मन्दिर के आधार पर बनाया जा रहा है। जहां तक माननीय राजेन्द्र कुमार गप्त जी ने कहा, मेरे पास स्वयं यह विभाग रहा है। मैं जब इस विभाग का प्रभारी था उस समय मैंने कमेटी को डिजाल्व किया था। इस कमेटी के कार्य-कलापों से मैं संतुष्ट नहीं था। उसी समय बद्रीका धाम में जगतगुरु शंकराचार्य से मेरी बद्री विशाल के मंदिर में भेट हुई थी और उन्होंने कहा था कि इस मंदिर को आप इस पैटर्न पर बनाये ताकि इस मंदिर में सुधार हो सके। अभी इसमें बहुत सुधार होने की आवश्यकता है। माननीय सदस्य ने जैसा कहा, इस मंदिर की देखरेख में बड़ी अनियमिततायें होतीं थीं यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। चढ़ावा चढ़ता था, उसके संबंध में भी कुछ गड़-बड़ियां सामने आयीं थीं और साथ ही साथ जो उसकी कमेटी के सदस्य थे उन्होंने जिस तरीके से आने जाने में मार्ग व्यय और तमाम इस तरीके से जो पैसा वहां की कमेटी के माध्यम से दुरुपयोग किया गया उससे मैं स्वयं संतुष्ट नहीं था इसीलिये मैंने इस कमेटी को डिजाल्व किया था और यह धारणा बनायी थी कि इस मंदिर को तिरुपति या काशी विश्वनाथ मंदिर के आधार पर बनाया जाय। इसीलिये हमारे विभागीय अधिकारियों ने तिरुपति और काशी-विश्वनाथ मंदिर की समीक्षा कर चुके हैं। माननीय गुप्त जी ने केरल की कमेटी का उदाहरण दिया। अगर वह इसकी मुझे जानकारी करा देंग तो वहां से वस्तुस्थिति मंगाकर उससे भी अवगत हुआ जायगा। मेरा मत है कि इसको तिरुपति के आधार पर बनाया जाय तो इस मंदिर का सुधार होगा और तीर्थ यात्रियों को सुविधा मिलेगी तथा इस मंदिर से देश की एकता और अखंडता को बढ़ावा मिलेगा। इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि हमें 30 जून, 1989 तक इसकी तारीख बढ़ाने की अनुमति दे दें।

श्री अधिष्ठाता--

क्या आप वापस लेते हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि अधिकारियों की गलती से कमेटी भंग किया लेकिन फिर उन्हें यही काम सौंपा जा रहा है। इसलिये अगर आप इसको प्रवर समिति में भेजने की बात मान लेत है तो वापस ले लूंगा वरना मैं वापस लेने के लिय तैयार नहीं हूं।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश श्री बैद्रीनाथ तथा श्री केदार नाथ मंदिर (संशोधन) विधेयक, 1989 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुद कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रसतुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथमंदिर (संशोधन) विधेयक, 1989 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2, खण्ड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1989

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर अधिनियम, 1939 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मन्दिर (संशोधन) अधिनियम, 1989 कहा जायगा।

(2) यह 31 दिसम्बर, 1988 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन 1939 की धारा 11 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर अधिनियम, 1939 की धारा 11 में,—

(क) उपधारा (2-क) में, शब्द और अंक "ऐसे विघटन क दिनांक स 31 दिसम्बर, 1988 तक" निकाल दिय जायेंगे;

(ख) उपधारा (3) में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्—

"प्रतिबन्ध यह है कि जह i तक हो सके दूसरी समिति का पुन:संघटन ऐसे विघटन या अवक्रमण क दिनांक से छ: मास की अवधि के भीतर किया जायगा:

अग्रतर प्रतिबन्ध यहहै कि राज्य सरकार द्वारा 3 जून, 1986 का सामात का विघटन करने के परिणामस्वरूप दूसरी समिति का संघटन 30 जून, 1989 तक किया जा सकता है।"

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड–2, –1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(मद सं 0–11 पुकारे जाने पर।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वा ा, मरचहता हत्याकाण्ड के संबंध में मुख्य मंत्री द्वारा जनपद के सदस्यों के ाथ अपने कक्ष में बैठक करने का आश्वासन दिये जाने के संबंध में उठाया गया व्यवस्था का प्रश्न

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मेरा ए क व्यवस्था का प्रश्न है। आज प्रश्नोत्तरकाल क बाद एक बड़े गम्भीर मामले पर माननीय सदस्यों ने जिज्ञासा प्रकट की। जो दुघटना मरचहवा में हुई उसके दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ क्या कायवाही हुई इस बारे में माननीय सदस्य जानना चाहते थे। इस संबंध में माननीय सदस्यों में आक्रोश था और सदन की कार्यवाही भी स्थगित हुई थी। माननीय संसदीय कार्य मंत्री आये थे और उन्होंने घोषणा की थी कि साढ़े 4 बजे के आसपास माननीय मुख्य मंत्री जी यहां आ जायेंगे, और इस संबंध में कार्यवाही जो की गयी है उससे अवगत करायेंगे।

श्री अधिष्ठाता—

जब आप यहां नहीं थे तो यह प्रश्न ओझा जी ने उठाया था और उस समय यह गृह राज्य मंत्री जी यहां पर मौजूद थे। मैन कहा था कि आप जाकर देखें कि मुख्य मंत्री जी आ गये है या नहीं। वह गये थे।

*वक्ता ने भाषण पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

आपने तो कृपा की थी, उसके लिये मैं आभारी हूं लेकिन अब जो काज आफ ऐक्शन बनता है, उसको देखने की जरूरत है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने यह भी कहा था कि गोरखपुर और देवरिया के माननीय सदस्यों से परामर्श करेंगे । मान्यवर, आप साफ निर्देश दें कि माननीय मुख्य मंत्री जी को बतावें और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को बतावें ।

श्री अधिष्ठाता---

ठीक है, आपकी बात ।

उर्जा राज्य मंत्री (श्री राम औतार दीक्षित)---

मान्यवर, सईदुज्जमा साहब को भेज दिया है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

मान्यवर, यह सरकार झूठ बोलने की आदी हो गयी है । ऐसा कहा गया था कि 4 बजे के आस-पास माननीय मुख्य मंत्री गोरखपुर और देवरिया के माननीय सदस्यों से बातचीत करेंगे, इस समय सवा 5 हो रहा है, ...

श्री अधिष्ठाता---

जो आपने सवाल उठाया है, उसके आधार पर ही तो माननीय मंत्री जी को अभी भेजा गया है । अभी राज्य मंत्री (गृह) गये हैं, वह देख कर आते हैं ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

वह आयेंगे ही नहीं, मान्यवर, उन्हें आना तो कभी नहीं है ।

उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदार नाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1989 (क्रमागत)

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री राम औतार दीक्षित)---

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदार नाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1989 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदार नाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1989 जैसा उत्तर प्रदेश विधान, परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, 1989

गन्ना विकास राज्य मंत्री (श्री संकठा प्रसाद शास्त्री)---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, 1989 पर विचार किया जाय ।

[श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—]

यह मान्यवर, बहुत मामूली सा संशोधन है। यह उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत रु0 1.25 गन्ना क्रय-कर के रूप में लगाया जाता है, जिससे 65 पैसा शक्कर विशेष निधि में जमा होता है, शेष में से .51 पैसे राजस्व में तथा .9 पैसे गन्ना बोर्ड में जमा किया जाता है। रु0 0.65 प्रति कुन्टल की दर से जो धनराशि शक्कर विशेष निधि में जमा होती है, वह 3 निधियों में जमा होती है। (1) रु0 0.25 उ0 प्र0 गन्ना मूल्य भुगतान निधि में जमा होता है। (2) रु0 साढ़े 13 प्रति कुंटल की दर से उ0 प्र0 गन्ना अनुसंधान एवं विकास निधि में जमा होता है। (3) रू0 0.26 1/2 प्रति कुंटल की दर से उ0 प्र0 शक्कर फैक्ट्रियों पुनः स्थापन आधुनिकीकरण तथा स्थापना निधि में जमा होता है इस प्रकार यह .65 पैसा जो जमा होता है, इसमें से यह मिल के मजदूरों के लिये, गन्ना किसानों के लिये तथा कृषकों के लिये कोई कल्याण कारी कार्यक्रम नहीं हो पाता, यह 1.25 पैसे जो परचेज टैक्स के रूप में लिया जाता है, यह पैसा बहुत कम है, इसमें थोड़ी सी धनराशि बढ़ाने का प्रस्ताव है, जिसके लिये यह विभिन्न कार्य में खर्च किया जाय। (1) चीनी मिल मजदूरों को आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु ऋण। (2) चीनी मिल मजदूरों में सामूहिक बीमा की व्यवस्था। (3) सहकारी समितियों के कर्मचारियों के आवास हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाना। (4) गन्ना खेतिहर मजदूरों हेतु सामूहिक बीमा और आवास हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाना। (5) श्रमिकों तथा कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित भी अन्य कर। (6) गन्ना दुकानों के लिये ग्राम हितकारी कार्यक्रम, ग्रामों में सुलभ शौचालय आदि निर्मित करना। इस तरीके के कल्याणकारी कार्यक्रम के लिये धन की व्यवस्था नहीं है इसी कार्य को करने के लिये यह सदन से अनुज्ञा मांगी जा रही है कि क्रयकर में कुछ बढ़ोत्तरी करने का अधिकार दिया जाय। यह मैं आपके माध्यम से सदन से अनुरोध करना चाहता हूं और यह बहुत आवश्यक कार्य हैं इसके लिये अपनी अनुमति प्रदान करें।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना क्रयकर (संशोधन) विधेयक, 1989 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

श्रीमन्, आज आदरणीय सदन में मंत्री जी जो यह संशोधन विधेयक लाये है उससे लग रहा है कि चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं यह अगले चुनाव में धन उगाही का घृणित प्रयास..... है। मान्यवर, सरकार और चीनी मिल मालिकों के रिश्तेकितने मधुर हैं कितने पुराने हैं, प्रगाढ़ हैं इसके सम्बन्ध में आदरणीय सदन में कई बार चर्चा हो चुकी है। यह जो छोटा सा देखने में माननीय मंत्री जी ने भी कह दिया कि छोटा सा संशोधन विधेयक, है, इस छोटे से संशोधन की गहराई में अगर आप जाय, मैने एक मिनट में कलकुलेशन किया है 50 करोड़ रूपये आता है।

श्रीमन्, सामान्य रूप से 15 लाख कुन्तल हर मिल पेर रहा है 100 फैक्ट्रिया इस प्रदेश में, जोड़ लिया जाय तो सीधा सीधा 45 करोड़ रूपया सरकार को सीधा-सीधा मिल जायेगा अगर 10 प्रतिशत वसूली करते हैं तो यह 45 करोड़ रुपया कहां खर्च होगा। इसके सम्बन्ध में मंत्री जी का दिमांक साफ नहीं है, गोलमोल उत्तर हैं। श्रीमन्, वह रुपया प्रकारान्तर में इलेक्शन फंड में जायेगा। जिन मजदूरों की बता आपने करी गन्ना किसानों की बात आपने की। मैने तो अपने कटमोशन में आपसे कहा था क्या आप गन्ना

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किसानों को बोनस देने जा रहे हैं ? प्रीटेक ओवर तो देखिये जो दिखायें हैं निगमों पर, क्या उसकी वसूली करने जा रहे हैं ? हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया कि प्रीटेक ओवर का जो जैसा है वह मजदूर को दिया जाय । शासन की यह जिम्मेदारी ह । माननीय मंत्री जी मेरी बात सुने ।

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो पैसा आप इकट्ठा कर रहे हैं इससे किसानों को बोनस देगें यह जो पैसा 50 करोड़ इकट्ठा करने जा रहे हैं क्या इससे जो निगम की फैक्ट्रियां हैं जो प्रीटेक ओवर पीरिएड का बकाया है क्या उस बकाये का भुगतान करेंगे ? अगर बकाये का भुगतान नहीं करेंगे किसानों को बोनस नहीं देगें तो यह पैसा कहां जायगा ? सीधे सीधे यह पैसा चुनाव के लिये हो रहा है । पिछले चुनाव के पहले आदरणीय सदन की प्रोसीडिंग को देखें हमारा आरोप था कि 15 करोड़ रूपया इस सरकार ने चुनाव के काम पर इकट्ठा मिल मालिकों से लिया और प्रकारान्तर में यह मिल मालिकों को धमकी देने की बात है यह धमकी देकर 10प्रतिशत वसूल करेंगे । यह सरकार उनसे चन्दा वसूल करना चाहती है । मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी 31 इकाइयां जो निगमों की हैं 30 इकाइयां कोआपरेटिव सेक्टर की हैं जो घाटे में चल रही हैं 2345 करोड़ रूपया निगमों पर कर्जा है । निगम की इकाई, कोआपरेटिव सेक्टर में काम करने वाली इकाई क्या उनसे भी वसूली करेंगे एक तरफ घाटे में जा रही हैं और एक तरफ किसानों से रूपया दिये चले जा रहे हैं उसका कोई एकाउन्ट नहीं है । आप खोज डाले लाइब्रेरी को उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम में देनदारी कितनी है जब फैक्ट्री का टेकओवर किया उस समय कितनी देनदारी थी और आज कितनी देनदारी है । यह देख रहे हैं और न बता रहे हैं । मेरी निजी जानकारी है कि 55 लाख के बकाये में हुगली में आज उस पर 8 करोड़ रूपया बकाया है और छितौनी 53 लाख की देनदारी में टेकओवर हुई थी और अब 13करोड़ रूपया बकाया है फैक्ट्री खोखली होती जा रही है इसलिये मैं विनम्रा पूर्वक कहना चाहता हूं । कि वास्तव में अगर आप किसान के हितैषी हैं । गन्ना किसानों को कुछ देना चाहते हैं, वैसे तो आप कुछ नहीं देना चाहते हैं, यह सरकार गन्ना किसानों के साथ पिक-पाकेटिंग का काम कर रही है, इस पाकेटमारी का जबाब किसान अगले चुनाव में देगा ।

मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री जी स्पष्ट घोषणा करें कि गन्ना किसानों को बोनस देंगे । घोषणा करें कि जो प्रिटेक ओवर की इकाइयां हैं, बकाया कौन देगा, आप कहें कि गन्ना किसानों का बकाया मिल मालिक नहीं देते हैं तो उनको कानून के हवाले करेंगे । लेकिन आपमें इतनी क्षमता नहीं है । मिल मालिकों को सीधा फायदा देकर किसानों को भूखा मार रहे हैं । मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री जी की नीयत और नीति स्पष्ट है तो इसको प्रवर समिति को भेज दिया जाय । एक महीने का समय बहुत ज्यादा नहीं है । आसमान नहीं टूट पड़ेगा । इलेक्शन 9 माह के बाद आने वाले हैं । आप परेशान क्यों हैं ? पैसा इतना है कि एक नहीं अनेक चुनाव लड़ सकते हैं । बोफोर्स का पैसा है । पता नहीं कहां कहां विदेशों में पैसा जमा कर रखा है । कहां छोटे मोटे मामलों में, 10–20 करोड़ के मामले में पड़ हैं । आप इसको या तो वापस ले लें और अगर वापस नहीं लेते हैं तो प्रवर समिति को भेज दें, इस निवेदन के साथ कि यह पैसा किसानों को बोनस के रूप में मिलना चाहिये । इसका उपयोग किसानों के, मजदूरों के विकास के लिये होना चाहिये ।

*श्री सूर्य प्रताप शाही--

मान्यवर, यह विधेयक अत्यंत ही अपरिपक्व है और किसान के हित में नहीं है। वैसे मंत्री जी कहेंगे कि गन्ना मालिकों से पैसा लेगे लेकिन मिल मालिकों द्वारा जो किसानों को पैसा मिलना है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उसके बारे में कहीं भी कोई चर्चा नहीं की गयी है। मूल अधिनियम में यह व्यवस्था है कि गन्ना किसानों को 15 दिन के अंदर गन्ने के मूल्य का भुगतान नहीं होता है तो ब्याज सहित वह पैसा मिल मालिकों को देना होता है। आपको किसान की चिन्ता नहीं है। मालिक किसान के पैसे के भुगतान करता है, नहीं करता है, ब्याज सहित कब तक करेगा, इसकी चर्चा नहीं की गयी है। मैं दूसरे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शुगर निधि का भारी दुरुपयोग कर रहे हैं। विकास का काम नहीं हो रहा है। मजदूरों के लिये कल्याणकारी योजनाएं नहीं ला रहे हैं। सरकार अपने लिये, पार्टी के लिये इस धन का व्यापक दुरुपयोग करती है। जहां तक गन्ना सहकारी संघ का सवाल है, वहां पचासों लोगों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। वे हाई कोर्ट से स्टे ले आए तो उनको वेतन का भुगतान किया जा रहा है लेकिन उनसे काम नहीं लिया जाता है। सन्तजी के जमाने में कर्मचारियों के लिये मंत्री जो ने घोषणा की। वे कर्मचारी 4-5 वर्षों से काम कर रहे थे। सन्त आए विभागाध्यक्ष होकर, उन्होंने निकाल दिया। वे लोग हाईकोर्ट गय। उसके आदेश से काम कर रहे हैं लेकिन उनको नियमित नहीं किया जा रहा है। वेतन का भुगतान किया जा रहा है। ये कह रहे हैं कि कल्याणकारी योजनाएं लागू करेंगे.....

परिवहन राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)--

मान्यवर, अभी माओझा जी,वे वरिष्ठ सदस्य हैं, उन्होंने बोलते हुए कुछ अप्रासंगिक आरोप लगाए जो इस सदन की गौरवमय परम्परा के अनुरूप नहीं हैं, जैस विदेशी बैंकों के खाते में जमा है। कृपया देख लें और अप्रासंगिक हो तो निकलवा दें। ओझा जी बोलते समय आरोप लगा गये हैं कि खाते में जमा है, चुनाव के लिये पैसा है।

श्री अधिष्ठाता--

इसके लिये आप क्यों परेशान होते हैं ?

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, सत्य से परे है इसलिये कह रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता--

देख लूंगा। अगर कुछ असंसदीय होगा तो देख लूंगा।

श्री प्रमोद कुमार--

अगर अप्रासंगिक हो तो निकलवा दें।

श्री अधिष्ठाता--

अप्रासंगिक का सवाल नहीं, असंसदीय हो तो देख लूंगा।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी को तो यह सब अच्छा लगता है। एक्यूरेट कम्पनी गाजियाबाद से कल [× × ×] और बिजली बोर्ड के अध्यक्ष दावत खाये हैं। यह हम लोगों की जानकारी में है।

(समय 5 बजकर 30 मिनट)

नोट-[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, कल मैंने घर में खाना खाया है शाही जी सपना देख रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मंत्री जी बैठें।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, मेरे ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाया है।

श्री अधिष्ठाता--

उसे देख लेंगे।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, पंडित जी लोगों को जजमान बनादें तो दो दो बार खा लेते हैं।

*श्री सूर्य प्रताप शाही--

मान्यवर, गन्ना मूल्य का भुगतान किसानों को किया जाय। गन्ने मूल्य के पैसे का दुरूपयोग किया जाता है दूसरी मदों में खर्च किया जाता है। वित्तीय अनुशासन हीनता विभाग में हो रही है। मैं समझता हू कि उसे रोकने के लिये प्राविधान होना चाहिये, नहीं किया है। चूंकि इसमें किसानों के हित का ध्यान नहीं रखा गया है कि क्या क्या करेंगे कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। एक लगभग भारी रकम ओझा जी ने तो 50 करोड़ की रकम बतायी, 100 करोड़ से भी ज्यादा पैसा आयेगा। चुनावी वर्ष है। एक रु0 पच्चीस पै0 के हिसाब से प्रति कुंटल का लिया जाता था, तीन रु0 कुछ पैसे कुंटल हो गया है। ऐसे हालात में मैं चाहूंगा कि इसे प्रवर समिति को सुपुर्द कर दें, गहन अध्ययन कर जो चीजें छूट गयी हैं उसमें समाहित करके पूरी चीजें इसमें आ जाय उसमें किसानों का हित मजदूरों का हित लोगों का हित प्रदेश का हित आ जाये उसकी फिर से रचना की जाय इसलिये आवश्यक है कि इसे प्रवर समिति में भेज दिया जाय।

(श्री राम गोविन्द चौधरी के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता--

कोई नयी बात कहना चाहते है?

*श्री राम गोविन्द चौधरी--

मान्यवर, माननीय ओझा जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं प्रवर समिति का जो उन्हों ने दिया है। मैं 2-3 बातों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं। मंत्री जी बिल ले आये पैसा अधिक लगाया लिखा है कुछ कल्याणकारी योजनाओं हेतु यह पैसा ले रहे हैं। यह योजनायें क्या हैं? न तो आपने भाषण में ही उनका जिक्र किया और न इसमें ही दर्शाया है सड़क के निर्माण में पुल बनाने में कौन सी योजनायें है? वह बताया नहीं। या अपनी तरह से खाद की निःशुल्क व्यवस्था करेंगे किस मद में यह पैसा खर्च होगा? न तो वह अपने भाषण में कहा न विधेयक में कोई चीज रखा है। यह बिल्कुल आदेश है जैसा माननीय ओझा जी ने भी कहा, निश्चित रूप से पहले से ही इस बात का यह रहा होगा। मायवर, गांवों में यह कहावत है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार हर चुनाव में चीनी मिल मालिकों से करोड़ों रु0 वसूल करके--अपने चुनाव में खर्च करती है उसी पर यह सरकार चलती

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम गोबिन्द चौधरी--]

है। मान्यवर, उसी का अन्देशा है, चीनी मिल मालिकों पर इनकी कृपा है, किसानों पर इनकी कृपा नहीं है। इसलिये चूंकि यह असंगतियों से भरा हुआ है, इसलिये तमाम विसंगतियों को दूर करना यह आवश्यक है कि इसे प्रवर समिति के पास भेजा जाय। माननीय ओझा जी के प्रस्ताव का माननीय मंत्री जी भी समर्थन कर लें, प्रवर समति में इसे भेज दें।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

आप यह जो बढ़ा रहे हैं टैक्स, उस में अनुरोध है आपकी जो समतियों को धन आबंटन की व्यवस्था है, वह मात्रा कम है। आपके पूरे प्रदेश में काफी सहकारी समितियां हैं उनमें जो वेतन दिया तथा कमीशन कम होने के नाते आय उतनी नहीं है जिससे वेतन दिया जा सके। गन्ना मूल्य भुगतान के लिये जाता है, उसमें से वेतन के लिये ले लेते हैं। पूरे प्रदेश के आंकड़े आप देख लें। 7- 8 सोसाइटियां ऐसी हैं जिनमें इसका रुपया कर्मचारियों के वेतन में दिया जा रहा है। धनराशि रख रहे हैं समितियों के लिये यह कम है। इसकी मात्रा इस स्तर से बढ़ानी चाहिये कि 2-1 कल्याणकारी योजनाओं में कमी हो जाय, समितियों के कर्मचारियों को वेतन दिया जा सके। किसान को गन्ना मूल्य समितियों में आता है वह सही समय से किसानों को दिया जाय।

यदि आप यह नहीं कर सकते तो कम से कम इतना सुनिश्चित कर दीजिये कि गन्ना किसानों का मूल्य आप कभी भी, कर्मचारियों के वेतन में खर्च नहीं करेंगे। मान्यवर, इतना ही मुझे कहना है, इस पर आप गम्भीरता से विचार करें।

*श्री अशोक बाजपेयी--

मान्यवर, मुझे यह कहना है इस सरकार से कि यह नये कर लगाने में बड़ी जागरूक है जब कि गन्ना किसानों का करोड़ों रुपया बकाया रहता है। हरदोई की जो चीनी मिल है, उसके ऊपर 2 करोड़ रुपया गन्ना मूल्य बकाया है। इसी प्रकार पिछले वर्ष का 3 करोड़ रुपया बकाया है। जब कभी भी समितियों को पैसा जाता है, तो यह लोग अपने बकाये वेतन का भुगतान कर देते हैं और गन्ना किसानों का मूल्य बकाया रह जाता है। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह आश्वासन चाहूंगा कि हरदोई की चीनी मिल के गन्ना किसान का जो इस वर्ष और पिछले वर्ष का बकाया है, उसका तत्काल भुगतान करा दें। साथ ही मैं इस प्रस्ताव पर बल देता हूं और अनुरोध करता हूं कि इसे गम्भीरतापूर्वक विचार करते हुए प्रवर समिति को भेज दिया जाय, जो एक महीने में अपनी रिपोर्ट दे दे, उसके बाद इसे पास करा लें।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, इस सरकार को शमशान घाट जाने का ज्ञान हो गया है। जब अन्तिम समय में किसी को घाट की ओर जाने का पता हो जाता है, तो जाने वाले को यह ज्ञान होता है कि वह कुछ अच्छा कार्य कर जाये। तो मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह भी कुछ किसानों, मजदूरों के लिये कर जायें, क्योंकि उन्हें दुबारा लौटकर नहीं आना है। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं और अनुरोध भी करना चाहता हूं कि इस पैसे को यह दुरुपयोग करेंगे, क्या इसे समितियों को देना चाहते हैं? एक मैं उदाहरण दे दूं, जिससे यह आपको [×] कर देगा, आपकी सरकार को [×] कर देगा तथा आपकी नीति को [×] कर देगा। मान्यवर, हमारे यहां घुघली की समिति के जो अध्यक्ष, वहां के चेयरमैन साहब हैं, उनके ऊपर एक लाख 85 हजार रुपया बकाया है। मान्यवर,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट--[××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

और कोई खास बात नहीं है सिर्फ इतना अनुरोध करना चाहता हूं कि इसे प्रवर समिति को भेज दीजिये, उसकी एक महीने में रिपोर्ट आ जायगी, और जब रिपोर्ट आ जाय, तो उसे हम भी मानेंगे और आप भी मानियेगा । मान्यवर, इससे लोगों को अपनी बात कहने का मौका मिलेगा वैसे तो आप इसे अपने बहुमत से पास करा ही लेंगे साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आप प्री टेकओवर मजदूरों का पैसा दिलाने की कृपा करें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पर बल देता हूं।

गन्ना विकास राज्य मंत्री (श्री संकठा प्रसाद शास्त्री)--

मान्यवर, माननीय ओझा जी ने अपने भाषण में कहा कि यह जो क्रय कर बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है, जिसके लिये अनुज्ञा मांगी जा रही है, वह पैसा चुनाव खर्च में जायगा । मान्यवर, इस पैसे का चुनाव खर्च से कोई संबंध नहीं है । आपने यह भी कहा कि सरकार ने चुनाव के लिये चीनी मिलों से 15 करोड़ रुपया लिया, इसमें भी कोई सत्यता की बात नहीं है और यह सत्य से बिल्कुल परे है । यह केवल सरकार पर एक आरोप है । मान्यवर, जहां तक गन्ना किसानों का मूल्य भुगतान का सवाल है, गन्ना किसानों का भुगतान चीनी मिलों के द्वारा गन्ना विकास समिति के द्वारा कराया जाता है । यह पिछले साल का जो बकाया रहा है, उसका करीब-करीब पूरा-पूरा भुगतान करा दिया गया है और केवल .20 प्रतिशत ही रह गया है । दो-तीन चीनी मिलें हैं, जिनकी हालत खराब है, उसके लिये यह प्रयास किया जा रहा है कि कोई उपाय निकाल कर उनका भी भुगतान करा दिया जाय । मान्यवर, इस सीजन का गन्ना मूल्य का काफी भुगताल किया जा चुका है और यह बराबर प्रयास है कि गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य किसी भी कीमत पर अवशेष न रह जाय । मान्यवर, यह जो क्रय कर बढ़ाने सिलसिले में जो प्रस्ताव किया गया है, उसके सम्बन्ध में राम गोविन्द चौधरीजी ने कहा कि इसमें कुछ उल्लेख नहीं है । मान्यवर, मैंने पहले ही बता दिया था कि उल्लेख किया गया है और यह पैसा कल्याणकारी योजनाओं में खर्च होगा । इसका एक हिसाब-किताब है । मैं इसका किसी दूसरी जगह जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है । किसानों के हित के लिये यह किया जा रहा है । जो कमजोर व साधारण तबके के कृषक व मजदूर हैं और जो मिलों में काम करने वाले साधारण तबके के मजदूर हैं, उनके कल्याण के लिये बा।मा योजना और सुलभ शौचालय बनाने का इसमें मामला है । यह बहुत ही आवश्यक है, इसलिये इसे पास किया जाना चाहिये । मैं माननीय श्री ओझा जी से अनुरोध करूंगा कि वह अपने संशोधन को वापस ले लें और इसे पास करने की कृपा करें ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, 1989 को इस सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, 1989 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना एवं शीर्षक
उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, 1989

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, 1961 का अग्रतर संशोधन करने के लिए विधेयक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

भारत गणराज्य के चालसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय कर) (संशोधन) अधिनियम, 1989 कहा जायगा।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत करें।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 1961 की धारा 3 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, 1961 की धारा 3 में, उपधारा (1) में, खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्—

"(क) यदि यह फैक्टरी के स्वामी द्वारा हो तो गन्ने के प्रति क्विंटल मूल्य के दस प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर से जो राज्य सरकार इस निमित्त अधिसूचित करे, और"

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

गन्ना विकास राज्य मंत्री (श्री संकठा प्रसाद शास्त्री)—

माननवर, मैं आपकी आज्ञा प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, 1989 पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, 1989 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

चीनी उद्योग के संबंध में एक रूप नीति को अपनाने तथा गन्ना उत्पादकों, उपभोक्ताओं एवं श्रमिकों के शोषण को समाप्त करने हेतु केन्द्रीय सरकार से अविलम्ब आवश्यक कानून बनाकर चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करने की सिफारिश के प्रस्ताव पर चर्चा का स्थगन

(श्री अधिष्ठाता द्वारा मद संख्या—14 पर श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी जी का नाम पुकारे जाने पर श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी जी सदन में उपस्थित नहीं थे।)

श्री अधिष्ठाता—

नियम 103 के अन्तर्गत श्री तिवारी जी इस सदन में प्रस्तुत कर चुके हैं इसलिय यह अगले दिन जारी रहेगा।

मण्डल आयोग की संस्तुतियों को जनहित में तुरन्त लागू किये जाने के प्रस्ताव पर चर्चा का स्थगन

श्री अधिष्ठाता—

माननीय श्री वर्मा जी आप केवल अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर दें श्री तिवारी जी की तरह आपके प्रस्ताव पर भी अगले दिन चर्चा जारी रहेगी।

श्री रघुबर दयाल बर्मा—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन का निश्चित मत है कि मण्डल आयोग की संस्तुतियों को जनहित में तुरन्त लागू किया जाय। मान्यवर, इस समय एकमिनट में अपनी बात कह लूंगा।

श्री अधिष्ठाता—

जिस तरह श्री तिवारी जी यहां पर नहीं है, उन्होंने अपनी बात नहीं रखी, उसी प्रकार आप भी इस समय कुछ न कहें। चर्चा आगे जारी रहेगी।

[(श्री अधिष्ठाता द्वारा मद संख्या–16 पर श्री सूर्य प्रताप शाही जी का नाम पुकारे जाने पर वह सदन में उपस्थित नहीं थे।]

राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन सरकारी वाहनों के दरुपयोग के प्रस्ताव पर चर्चा का स्थगन

श्री अधिष्ठाता—

श्री धनराज यादव जी आप भी अपना केवल प्रस्ताव रख दें, चर्चा आगे जारी रहेगी

श्री धनराज यादव—

मान्यवर मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सरकारी वाहनों के दुरुपयोग पर चिन्ता व्यक्त करता है।

तम्बाकू विरोधी उपायों को व्यापक रूप से लागू करने और उस निमित्त संसद द्वारा विधि बनाने के लिए संस्तुति का संकल्प

[श्री अधिष्ठाता द्वारा मद संख्या–18 पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को पुकारे जाने पर वह सदन में उपस्थित नहीं थे। माननीय अधिष्ठाता ने कहा कि दूसरे मंत्री तो होंगे किन्तु थोड़ी देर बाद तक कोई खड़ा नहीं हुआ।]

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी नहीं है, दूसरे मंत्री रख नहीं रहे है, इसलिये एजेन्डे के आगे के विषय को ले लीजिये।

[इस बीच श्री अरुण कुमार सिंह, दुग्ध विकास, पशुधन व मत्स्य मंत्री जी द्वारा संकल्प पढ़े जाने पर।]

श्री अधिष्ठाता—

जब मद संख्या–18 पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का नाम पुकारा गया था वह उपस्थित नहीं थे, किन्तु उनकी जगह पर दूसरे मंत्री जी को उठना चाहिये था। खैर, अब माननीय मंत्री जी संकल्प को पढ़ रहे हैं, किन्तु भविष्य में इसका ख्याल रखा जाय।

दुग्ध, पशुधन एवं मत्स्य विकास मंत्री (श्री अरुण कुमार सिंह)—

मान्यवर, ध्यान रखा जायेगा। मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि चूंकि केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद् के प्रथम सम्मेलन में तम्बाकू विरोधी उपायों को व्यापक रूप से लागू करने और उस निमित्त संसद द्वारा विधि बनाने के लिये संस्तुति की है। और चूंकि इस सदन के विचार में यह वांछनीय है कि संघ सरकार तम्बाकू उपायों को व्यापक रूप से लागे करने और उससे सम्बद्ध या आनुषंगिक विषयों के लिये विधि बनाये;

और चूंकि ऐसी विधि की विषय वस्तु "भारत का संविधान" की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची (सूची दो) की प्रविष्टि 26 और समवर्ती सूची (सूची तीन) की प्रविष्टि 33 में प्रगणित विषयों से मुख्यतया सम्बन्धित है ;

और चूंकि संसद को, राज्य सूची की प्रविष्टि 26 में प्रगणित विषयों के सबन्ध में राज्यों के लिये "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 249 और 250 में जैसा उपबन्धित है, उसके सिवाय, ऐसी विधि बनाने की शक्ति नहीं है;

और चूंकि इस सदन को यह वांछनीय प्रतीत होता है कि संसद उत्तर प्रदेश राज्य के लिये तम्बाकू विरोधी उपायों को व्यापक रूप से लागू करने और उससे सम्बद्ध और सहायक विषयों के लिये विधि बनायें ;

अतएव, अब, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके यह सदन संकल्प करता है कि संसद उत्तर प्रदेश राज्य के लिये तम्बाकू विरोधी उपायों को व्यापक रूप से लागू करने के लिये विधि बनाये जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित सम्मिलित किये जा सकते हैं :—

(एक) सिगरेट (उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) अधिनियम, 1975 (अधिनियम संख्या 49 सन 1975) के अधीन सिगरेट के पैकेटों विज्ञापनों विज्ञापन पट्टों पर वर्तमान वैधानिक चेतावनी का कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है, विस्तार ऐसे अन्य प्रभावकारी नारों को सम्मिलित करने के लिये किया जाय, जिन्हें प्रस्तावित विधायन में विनिर्दिष्ट किया जा सकता है,

(दो) वैधानिक चेतावनी का विस्तार तम्बाकू के अन्य उत्पादों जैसे खाने की तम्बाकू और तम्बाकू निर्मित पान मसाला/गुटका पर होना चाहिये और यह चेतावनी विक्रय-स्थान पर हिन्दी और अंग्रेजी में या क्षेत्रीय भाषा में होनी चाहिए,

(तीन) सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू मिश्रित पान मसाला और तम्बाकू के अन्य उत्पादों पर विज्ञापन का निषेध,

(चार) सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों और परिवहन के साधनों में धूमपान न करने से संबंधित वर्तमान नियमों और विनियमों को दृढ़ता से प्रवृत्त किया जाय और उनका विस्तार अन्य क्षेत्रों जैसे सरकारी कार्यालयों, शिक्षा संस्थाओं, सरकारी सम्मेलनों, सरकारी बैठकों, रेलवे स्टेशनों और हवाई पत्तनों (एयरपोर्ट) पर भी किया जाय,

(पांच) सिनेमा हाल में प्रत्येक प्रदर्शन, आकाशवाणी के कार्यक्रमों में भी तम्बाकू के सेवन का हानिकारक प्रभाव चित्रित करने वाले स्लाइडों का प्रदर्शन और

(छः) उससे सम्बद्ध और आनुषंगिक कोई अन्य विषय ।

श्री माता प्रसाद पांडेय—

यह तो इन्होंने पढ़ दिया, कुछ बोल तो दें ।

श्री अरुण कुमार सिंह—

यह तो संकल्प में स्वयं स्पष्ट है । इसमें यही है कि तम्बाकू स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है, इसे प्रतिबन्धितकिया जाय ।

श्री हृदय नरायन दीक्षित—

आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मा0 मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प के प्रस्तर (दो) में दूसरी पंक्ति वाला शब्द "तम्बाकू मिश्रित पान मसाला" के स्थान पर "तम्बाकू मिश्रित या बिना तम्बाकू वाला पान मसाला" कर दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता---

आप कार्यसूची में छपा हुआ संशोधन पढ़ें।.....

पहले आप अपना संशोधन पढ़िये।

श्री हृदय नरायन दीक्षित---

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस संकल्प के प्रस्तर 6 के उप प्रस्तर (तीन) के अन्त में शब्द "और निषेध के बावजूद किसी प्रकार ऐसे उत्पादों का विज्ञापन करने, विज्ञापन छापने अथवा उसे प्रकाशित करने वालों के विरुद्ध दण्डात्मक व्यवस्था" बढ़ा दिये जाय।

श्रीमन, उत्तर प्रदेश सरकार जो नशीले और जहरीले पदार्थ हैं इसके संबंध में इसकी कोई सुस्पष्ट नीति नहीं है। चाहे शराब का व्यापार हो, चाहे तम्बाकू हो या उससे संबंधित पदार्थ हों, सरकार एक तरफ तो यह मत व्यक्त करती है कि यह पदार्थ जहरीले हैं, हानिकारक हैं, उनका प्रयोग करना वर्जित कर दिया जाय और दूसरी तरफ उन्हीं चीजों के विषय में विज्ञापन समाचार-पत्रों के माध्यम से तथा अन्य सभी मीडिया के माध्यम से उनका प्रचार और प्रसार को प्रोत्साहित करती है। तम्बाकू मिली हुई जो वस्तुयें हैं जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी न जो कि मा0 स्वास्थ्यमंत्री जी की ओर से यहां संकल्प प्रस्तुत कर रहे थे, पढ़ा कि सरकार ने इसके प्रयोग को हतो साहित करने के लिये प्रस्ताव किया है। लेकिनमान्यवर पान मसाला तम्बाकू मिला हुआ भी होता है और बिना तमबकू मिला हुआ भी होता है तो सरकार ने जिन तथ्यों को माना है इस संकल्प से बिना तम्बाकू वाले पान मसाला को क्यों निकाल दिया गया है ?

इस सदन के सभी सम्मानित सदस्य इस तथ्य से अवगत हैं कि पान मसाला जो बाजार में आ रहा है उसमें तरह तरह के पदार्थ मिले हैं जो कि गले को जाम कर देते हैं और हानिकारक है। इसलिये इस संकल्प में बिना "तम्बाकू वाले पान मसाला" को भी जोड़ दिया जाय। जब सरकार ने सदन में इस आशय का संकल्प प्रस्तुत कर दिया है तो इसके विज्ञापन के लिये भी इसमें निषेध करने का प्रस्ताव जोड़ दिया जाय तो वास्तव में निषेध हो जायगा। तमाम औद्योगिक सस्थायें तम्बाकू के उत्पाद बनाती हैं, किसी न किसी रूप में वे उसका विज्ञापन करते रहेंगे। यह संस्थायें इस संकल्प के बावजूद भी विज्ञापन करें तो उनके लिये इसमें सरकार दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने की व्यवस्था की भी सिफारिश करे।

मैं जानता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार को इस आशय की विधायन शक्ति प्राप्त नहीं है, इसलिये मेरा प्रस्ताव है कि उस संकल्प में यह शब्द जोड़ दिया जायं कि "यदि विज्ञापन कोई कम्पनी करे तो उसे दण्डित किया जायेगा।"

(श्री प्रमोद कुमार के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता---

नहीं, जिन्होंन इसे रखा है, वही मंत्री इसका जवाब देंगे।

(कोई मंत्री बोलने के लिये नहीं खड़ा हुआ)

श्री अधिष्ठाता---

माननीय मंत्री जी, आप मा0 सदस्य का संशोधन स्वीकार करते हैं या नहीं ?

(श्री प्रमोद कुमार अपने स्थान पर खड़े हुए)

श्री अधिष्ठाता---

माननीय दीक्षित जी या आप अपने संशोधन को वापस ले रहे हैं ?

श्री हृदय नरायन दीक्षित--
जी नहीं।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--
माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं, खड़े हुए हैं।

श्री अधिष्ठाता--
अगर माननीय तिवारी जी, अपने संशोधन पर बोलना चाहते है तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर इसका जवाब देने के लिये बोलना चाहते हैं तो वह अनुचित है,यह व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। अब मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं।

प्रश्न यह है कि संकल्प के प्रस्तर 6 के उप प्रस्तर (तीन) के अन्त में शब्द "और निषेध के बावजूद किसी प्रकार ऐसे उत्पादों का विज्ञापन करने, विज्ञापन छापने अथवा उसे प्रकाशित करने वालों के विरुद्ध दण्डात्मक व्यवस्था" बढ़ा दिये जांय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता--
प्रश्न यह है कि माननीय जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है, इसे स्वीकार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनायें

श्री अधिष्ठाता--
आज नियम 51 के अन्तर्गत 12 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें से सर्वश्री रघुबर दयाल वर्मा, शिव बख्श सिंह राठौर, राम चन्द्र बख्श सिंह, किशन लाल दिलेर तथा कौशिक रमाशंकर दूसरी सूचना श्री राजेन्द्रकुमार गुप्त, तीसरी श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा सर्वश्री प्रकाशसिंह, राय लक्ष्मी नारायण सिंह, चन्द्र सेन सिंह तथा श्री निहाला सिंह की सूचनाओं पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दिया गया है तथा शेष सूचनाएं अस्वीकृत की जाती हैं।

जनपद जौनपुर के अपराधिक चरित्र के व्यक्ति द्वारा फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन प्राप्त करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में वक्तव्य

एक सदस्य--
मान्यवर, वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अधिष्ठाता-- वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाये ?

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

पेंशन व जेल राज्य मंत्री (श्री मान पाल सिंह)---
[माननीय सदस्य के द्वारा सदन को यह सूचना दी गयी है कि प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण फर्जी प्रमाण-पत्रों और अभिलेखों के आधार पर अपराधिक व्यक्ति स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, जैसे जौनपुर निवासी श्री केदार नाथ मिश्र पुत्र श्री भागीरथी मिश्र को चोरी की सजा हुई थी तथा उनके विरुद्ध थाना बक्शा, जौनपुर में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 457, 395/397, 325/323/504, 434/430, 379/380 के मामले दर्ज किये गये। थाना बक्शा में उनके अपराधों के संबंध में एक हिस्ट्रीशीटर भी खोली गयी थी। उन्हें 500-500 रु0 की दो जमानतें, 500 रु0 मुचलका के साथ 3 साल नेक चलन रहने या 6 महीने की सख्त सजा दी गयी थी। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जौनपुर के यहां इनके द्वारा जिला जज के निर्णय की फर्जी नकल दाखिल की गई थी, जिसके संबंध में शक होने पर जांच कराई गई तो वह जिला न्यायाधीश के यहां से निर्गत होना नहीं बतायी गयी। पुलिस-अधीक्षक और जिला जज की रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी की जांच आख्या पर उनकी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन शासनादेश दिनांक 23-7-84 के द्वारा निरस्त की गयी एवं वसूली के भी आदेश हुये किन्तु पुन: बिना जांच कराये दिनांक 1-10-87 से पेंशन फिर चालू कर दी गयी।

इस सम्बन्ध में निवेदन है कि श्री केदार नाथ मिश्र निवासी ग्राम-कूल्हनमऊ थाना-बक्शा जौनपुर को उनके द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 1942 में भाग लेने के फलस्वरूप यातनाएं भोगने के आधार पर 1972 में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन स्वीकृत की गई थी।

वर्ष 1981 में श्री केदार नाथ मिश्र को स्वीकृत पेंशन के संबंध में शासन को शिकायतें प्राप्त हुईं जिनमें यह कहा गया था कि ये फर्जी ढंग से पेंशन ले रहे हैं। यह एक आपराधिक व्यक्ति हैं। इनके विरुद्ध कई फौजदारी के मामले 1950 से 1980 के मध्य दज हुये थे। अत: इनकी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन निरस्त की जाय और आहरित की गई पेंशन की वसूली की जाय। शासन द्वारा इन शिकायतों की जांच जिलाधिकारी जौनपुर से कराई गई। पेंशन को पात्रता हेतु निर्धारित सजा की अवधि व उन्हें आपराधिक व्यक्ति होने के बारे में स्थिति जांच के बाद स्पष्ट नहीं हो सकी। क्योंकि कुछ संबंधित सरकारी अभिलेख अनुपलब्ध रहे। स्वतंत्रता संग्राम पेंशन हेतु उनकी पात्रता उनके द्वारा अपील सं0 105/55 की फर्जी नकल दाखिल करने तथा उनकी हिस्ट्रीशीट खुलने आदि की शिकायतों के कारण उनकी नैतिकता एवं सत्य निष्ठा संदिग्ध पाई गई। अत: दिनांक 23-7-84 को उनकी पेंशन को निरस्त करने के आदेश जारी किए गए तथा आहरित पेंशन की वसूली के भी आदेश दियें गये।

तत्पश्चात श्री सूर्यनाथ उपाध्याय शास्त्री, एम0 एल0 ए0, मड़ियाहूं, जौनपुर ने श्री मिश्र की पेंशन पुन: बहाल करने एवं वसूली रोकने के लिये शासन को अपने पत्र के दिनांक 12-9-84 में संस्तुति की और बताया कि श्री मिश्र स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में दिनांक 9-8-42 से 15-10-42 तक फरार रहे तथा 16-10-42 से 31-12-42 तक उनके साथ जौनपुर जेल में रहे तथा उनके विरुद्ध चलाये गये आपराधिक मामले निष्प्रभावी हैं। अत: इस मामले में पुन: जिलाधिकारी जौनपुर के द्वारा जांच कराई गई। जिलाधिकारी जौनपुर की रिपोर्ट के अनुसार श्री केदारनाथ मिश्र की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित उक्त सजा-याबी का उल्लेख संबंधित सरकारी अभिलेखों में अंकित है। इसके अतिरिक्त इनका चाल चलन सदा अच्छा रहा बताया गया है। श्री मिश्र की पट्टेदारी तथा पड़ोस के कुछ झगड़ों के कारण उन्हें चोरी तथा डकैती के कुछ मामलों में अभियुक्त बनाया गया था। इसी कारण उनकी हिस्ट्रीशीट भी खोली गई थी जो बाद में बन्द कर दी गई। धारा 457 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत दायर मुकदमे में न्यायालय जुडीशियल मजिस्ट्रेट द्वारा यह आदेश दिया गया था कि प्रतिवादी केदारनाथ मिश्र रु0 500-500 की दो जमानतें और रु0 500 का मुचलका 3 वर्ष तक नेकचलन के लिये अदा करें तथा अथवा 6महीने कैद सख्त रहें। दोष सिद्धि पंजिका में तथा जेल के रिकार्ड में सजा भोगने के विषय में कोई अंकन नहीं है। चूंकि उनके द्वारा उक्त मुचलके जमा किये गये, अत: न्याय विभाग का परामर्श दिनांक 3-7-87 का इस बिन्दु पर प्राप्त किया गया कि क्या उक्त दण्ड के आधार पर स्वतंत्रता संग्राम पेंशन निरस्त किये जाने का औचित्य है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को अनुदान तथा पेंशन दिये जाने सम्बन्धी नियमावली के नियम-7 (2) के अनुसार ऐसे किसी अपराध के कारण पेंशन निरस्त की जा सकती है। श्री केदारनाथ मिश्र की पेंशन के संबंध में न्याय विभाग ने यह परामर्श किया कि चूंकि श्री केदार नाथ मिश्रा को धारा 457 भारतीय दण्ड सं0 के अन्तर्गत दोषी पाते हुये 3 वर्ष की नेकचलनी पर रु0 500-500 की दो जमानतों एव रु0 500 क मुचलक पर छोड़ा गया था अत: इससे यह ज्ञात

होता है कि उन्हें धारा-4 प्रोबेशन ऐक्ट का लाभ दिया गया था। विविध दृष्टिकोण से जिन मामलों में दण्ड देने के स्थान पर धारा-3 व 4 प्रोबेशन ऐक्ट के अधीन नेकचलनी पर छोड़ा जाता है तो उस व्यक्ति पर जो दोषी पाने के आदेश के कारण कोई अयोग्यता नहीं आयेगी। अत: प्रोबेशन पर छोड़े जाने के उपरान्त यह कहना कि अपराध में दोषीपाये जाने के कारण वे अयोग्य हो गये है, सही नहीं होगा। इस मामले में श्री केदार नाथ मिश्र को धारा 4 प्रोबेशन ऐक्ट का लाभ दिया गया था, अत: उनका मामला नियम 7 (2) के अन्तर्गत नहीं आता है और उनकी पेंशन समाप्त करना न्यायोचित न होगा।

न्याय विभाग के उक्त परामर्श के आधार पर श्री केदारनाथ मिश्र की पूर्व में रोकी गयी पेंशन शासनादेश दिनांक 31-10-87 क द्वारा दिनांक 1-10-1987 से पुन: चालू की गयी है। वर्णित तथ्यों के अनुसार उक्त स्वतंत्रता संग्राम पेंशन गलत ढंग से स्वीकृत की गई सिद्ध नहीं होती है।

इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि इस विषय पर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष श्री श्याम नारायण पाण्डे, सम्पादक, जनसत्ता हिन्दी दैनिक, जौनपुर के द्वारा वर्ष 1988 में एक रिट याचिका भी दायर की गयी है जिसमें अभी निर्णय नहीं हुआ है। इस प्रकार यह प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।]

*श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य के पृष्ठ 2 में कहा है कि शासन द्वारा इन शिकायतों की जांच जिलाधिकारी, जौनपुर से कराई गयी और उसके आगे इन्होंने कहा कि कुछ संबंधित सरकारी अभिलेख अनुपलब्ध रहे, इसलिये पेंशन रद कर दी गयी और यहआदेश दे दिये गये थे कि आहरित पेंशन की वसूली कर ली जाये तो मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि वह कौन से अभिलेख अनुपलब्ध थे, जिसके न होने के कारण पेंशन वापसी के आदेश किये गये ?

श्री मानपाल सिंह--

जिलाधिकारी की दिनांक 16-2-82 की रिपोर्ट में यह आया है कि संबंधित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के कुछ सरकारी अभिलेख अनुपलब्ध थे इसलिये इस रिपोर्ट के आधार पर यह आदेश हुए थे। फिर दो एम0एल0ए0 श्री एस0एम0 जाफर और श्री सूर्य नाथ उपाध्याय शास्त्री ने 12-9-84 को लिखकर दिया कि श्री मिश्र स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में दिनांक 9-8-42 से 15-10-42 तक तथा 16-10-42 से 31-12-42 तक उनके साथ जौनपुर जेल में रहे। तथा इनके ऊपर चलाये गये मामले आपसी रंजिश जमीन जायदाद के पट्टों आदि पर आधारित हैं इसलिये उन्हें अभियुक्त बनाया गया था। इसी कारण उनकी हिस्ट्रीशीट भी खोली गयी जो बाद में बन्द कर दी गयी।

*श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, कुछ पट्टेदारी तथा पड़ोस के कुछ झगड़ों के कारण उन्हें चोरी तथा डकैती के कुछ मामलों में अभियुक्त बनाया गया और इससे फिर उनकी पेंशन बन्द कर दी गयी दूसरी तरफ कहा गया कि दो एम0एल0ए0 की संस्तुति कि वह हमारे साथ जेल में रहे, फिर उन्हें पेंशन स्वीकृत कर दी गयी इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि सदन के सामने कुछ स्पष्ट बातें आयें कि जब श्री मिश्र के बारे में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने साफ कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन पाने हेतु उनकी पात्रता उनके द्वारा फर्जी नकल दाखिल करने तथा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

हिस्ट्री शीट खुलने आदि की शिकायतों के कारण दिनांक 23-7-84 को उनकी पेंशन निरस्त करने के आदेश हो गये, परन्तु फिर दो एम0एल0ए0 की संस्तुति के कारण दुबारा जो आदेश किये गये मैं जानना चाहूंगा इस सम्बन्ध में कि कौन से अभिलेख मिल गये, किस दफा में और किस तारीख को और किस आन्दोलन में उनकी गिरफ्तारी की गयी थी और वह कहां की जेल में रहे और किस अदालत द्वारा उनको सजा मिली ।

श्री मानपाल सिंह---

मान्यवर, जो पेंशन स्वीकार की गयी, उसकी पूरी पोजीशन स्पष्ट करना होगा । 1972 से पहले जब कोई दो विधायक लिख देते थे कि अमुक व्यक्ति जेल गया था, तो उसको पेंशन स्वीकार हो जाती थी । दुबारा फिर जब सूर्यनाथ उपाध्याय शास्त्री ने लिखकर दिया तो उनकी जांच जिलाधिकारी जौनपुर द्वारा करायी गयी और जब उन्होंने कहा कि उनको पार्टी बन्दी के कारण चोरी तथा डकैती के कुछ मामलों में अभियुक्त बनाया गया है, वह अच्छे व्यक्ति हैं तब उनकी पेंशन चालू की गयी ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी---

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में यह बताया है कि इस विषय पर माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष श्री श्याम नारायण पान्डे, सम्पादक, जनसत्ता हिन्दी दैनिक जौनपुर ने एक रिट याचिका दायर की है, तो वह किस आधार पर दायर की है और उसमें क्या याचना की गयी है और उस रिट का क्या हुआ है ?

श्री मान पाल सिंह---

जिन बिन्दुओं को माननीय तिवारी जी ने उठाया है, उन्हीं बिन्दुओं पर की गयी है । हाई कोर्ट में मामला लम्बित है, और जो फैसला हाई कोर्ट का होगा, उसके अनुसार कार्यवाही की जायगी ।

जनपद गोरखपुर में पुलिस कर्मियों द्वारा शासकीय आदेशों एवं सदन में मुख्य मंत्री द्वारा की गयी घोषणा के विरुद्ध कार्य करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में वक्तव्य का स्थगन

श्री अधिष्ठाता---

माननीय गृह मंत्री जी के अनुरोध पर मद संख्या-21 को स्थगित कर दिया गया है ।

ग्राम शेखपुर, थाना छतारी, जिला बुलन्दशहर में दिनांक 15 फरवरी, 1989 को दो व्यक्तियों की हत्या किये जाने के संबंध में वक्तव्य

गृह राज्य मंत्री (श्री सईदुज्जमा)

मान्यवर प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक.....

एक सदस्य---

मान्यवर, वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता---

वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाय ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

श्री सईदुज्जमा---

[दिनांक 15-2-89 की प्रातः को ग्राम शेखपुर थाना छतारी जनपद बुलन्दशहर में एक मारपीट की घटना घटित हुई थी, जिसमें लाठी, बल्लम व फरसों आदि का प्रयोग किया गया तथा दोनों पक्षों की ओर से फायर भी किए गए। इस घटना में वादी श्री मोहम्मद सफीक के पक्ष के दो व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा अलीशेर सहित चार व्यक्ति घायल हुए थे। वादी की सूचना के आधार पर 17 नामजद तथा कुछ अन्य नाम, पता अज्ञात के विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 147/148/149/307/302 के अन्तर्गत एक मुकदमा पंजीकृत किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्तों में से तीन अभियुक्तों को दिनांक 16-2-89 को बन्दी बना लिया गया तथा शेष अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 82/83 सी0 आर0 पी0 सी0 की कार्यवाही करने के लिये रिपोर्ट न्यायालय भेजी गयी है। अभी तक की जांच से अभियुक्तों को किसी प्रकार का कई राजनैतिक संरक्षण प्राप्त होने की बात प्रकाश में नहीं आयीहै। श्री खामिस अली खां की मृत्यु इस घटना में उनके पुत्र श्री नसीम साहिद के घायल होने की सूचना पाकर सदमें से हृदय गति रुक जाने के कारण स्वाभाविक रूप से हुई है। गांव में किसी प्रकार का कोई रोष व्याप्त नहीं है फिर भी एहतियातिक तौर पर शान्ति एव व्यवस्था बनाये रखने के लिये ग्राम शेखपुर में पुलिस तथा पी0ए0सी0 की समुचित व्यवस्था की गयी। वर्तमान में स्थिति शान्त तथा पूर्ण नियन्त्रण में है]।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क---

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य में बताया है, वह बिल्कुल सत्य से परे है। बड़े अफसोस की बात है कि दो आदमी मारे गये और 4 आदमी जख्मी हुये और रिपोर्ट में 17 आदमियों को नामजद किया गया। 15-2-1989 की घटना है और आज तक सिफ तीन मुल्जिमान गिरफ्तार किये गये हैं और 82/83 की कार्यवाही भी नहीं की गयी है।

श्री सईदुज्जमा---

मान्यवर, बड़ी ही दुखद घटना है इसको पुलिस देख, रही है। जो 17 नाम आपने बताये हैं, उससे अधिक नाम पुलिस के सामने विवेचना में आये हैं। मैं कहना चाहता हूं कि 87/88 की कायवाही 4-3-1989 को भेज दी गयी है, जो कोर्ट में लम्बित है। पुलिस की ओर से कोई लापरवाही नहीं है।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय---

मान्यवर, माननीय मंत्र जी ने बड़ी चतुराई से कह दिया है कि कुर्की की कार्यवाही न्यायालय को भेज दी गयी है, यह घटना है, 15-2-1989 की और मार्च बीत गया है, अप्रैल चल रहा है। कुर्की के मामले में न्यायालय स्वयं संवेदनशील रहता है। ऐसे मामलों में जब रिपोर्ट हो जाती है तो गिरफ्तारी न होने के नाते व्यवधान हो जाता है। हो सकता है इस बीच अभियुक्त देश (इस समय 6 बजकर 5 मिनट पर अधिष्ठाता श्री भगवती सिंह विशारद पीठासीन हुये।) से बाहर चला जाय तो न्यायालय से कुर्की का आदेश मिलने में एक घंटे से ज्यादा का समय नहीं लगता है। इसका मतलब यह हुआ कि पुलिस स्वतः इसमें संरक्षण दे रही है। अगर नहीं दे रही है तो 15-2-89 की घटना पर आजतक कुर्की के आदेश न्यायालय से क्यों नहीं मिले। हमारे यहां तो तीन दिन में हो जाता है। जिसमें इन्टरेस्ट होता है उसमें तीन-पांच 6 दिन में ले आते हैं और जिसमें इन्टरेस्ट नहीं होता है तो इस तरह का विलम्ब किया जाता है। विवेचना के आधार पर अभियुक्तों का पता लगायें। इसलिये इन सभी कारणों का आप पता लगा लें। यह बतायें कि वे कौन है से कारण है जिनसे आज तक कुर्की के आदेश नहीं मिल पा रह हैं?

नोट---[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सईदुज्जमा--

इसमें पुलिस की तरफ से गैर जिम्मेदारी की बात मैं नहीं समझता । इसमें 17 लोगों के नाम लिखवाया गया था जब कि उसमें और लोगों के नाम भी आये हैं । 4 तारीख को यह कोर्ट में दिया गया है जब वह आर्डर करेंगे, तब कुर्की करेंगे । मैंने कहा कि दोनों पक्षों की एक कमेटी बन गई है जो जांच कर रही है । पुलिस की तरफ से किसी किस्म की लापरवाही की बात नहीं है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि दोनों पक्षों की एक कमेटी बन गई है । राज्य सरकार को अगर यह पता चल जाय कि वादी और प्रतिवादी सुलह करना चाहते हैं तब तो वह कम्पाउनडेबिल केस है । यह वैसा तो है नहीं । कानून मंत्री हैं, यह कम्पाउनडेबिल केस तो है नहीं । मेरा स्पष्ट आरोप है कि इस गम्भीर मामले में आपकी पुलिस उदासीन रही है । आप यह बता दें कि पहली पर्ची, दसरी पर्ची, आपकी जी0 डी0 में यह होगा कि वह कितना सही पाया गया और किन-किन के विरुद्ध आपने कुर्की की कार्यवाही कोर्ट में भेजी है ?

श्री सईदुज्जमा--

मान्यवर जो 3 हमने अरेस्ट किये हैं और इनके अलावा बाकी जो 14 थे उनके खिलाफ हमने कार्यवाही न्यायालय में भेज दी है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

प्रथम दृष्टया कौन दोषी पाया गया । केस डायरी में क्या 17 लोग थे आपके पुलिस दरोगा मौके पर जाकर तफतीश किये होंगे । यह छानबीन करके कौन-कौन प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये ? क्या इसमें 17 लोग दोषी पाये गये ?

श्री सईदुज्जमा--

17 दोषी पाये गये । 3 अरेस्ट किये गये हैं और 14 और पाये गये हैं । इनके अलावा भी और लोग प्रकाश में आये हैं ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क--

मैं जानना चाहता हूं कि अभी तक कुर्की के आदेश क्यों नहीं दिये गये ? पहली मार्च को श्यामलाल और उसके भाई ने पी0 ए0 सी0 के सिपाहियों पर हमला किया और दोनों मुल्जिमान पुलिस के हवाले कर दिये गये लेकिन सियासी दबाव होने के कारण उनको छोड़ दिया गया । शेखपुरा थाने के सी0 ओ0 और दरोगा दोनों दबाव डाल रहे हैं कि वह मुकदमा वापस ले लें, सुलह कर लें । यदि यह संरक्षण नहीं है तो क्या वजह है कि अभी तक उनकी कुर्सी का आर्डर नहीं लिया गया और कुर्की का आर्डर किस तारीख को न्यायालय में भेजा गया ?

श्री सईदुज्जमा--

4-3-89 को भेजी गई । मैं आपको सुनिश्चित तौर पर बताना चाहता हूं कि पुलिस की तरफ से कोई लापरवाही नहीं होगी । पुलिस इसमें सतर्कता से कार्यवाही कर रही है ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क-

पैसा खा गये हैं और सियासी दबाव पड़ रहा है ।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, जो बातें माननीय बर्क साहब ने और पाण्डेय जी ने उठाई हैं उनको देखने से और वक्तव्य पढ़ने से मालूम होता है कि इसमें पुलिस लापरवाही बर्त रही है इसलिये इसको आप स्वयं दिखवा लें कि क्यों उदासीनता बर्ती जा रही है और उसे दूर करें ।

श्री सईदुज्जमा--

मैं यकीन दिलाता हूं कि कोई लापरवाही नहीं वर्तने दी जायेगी ?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

एक महीना हो गया कुर्की के आदेश क्यों नहीं हो रहे हैं,

श्री शफीकुर्रहमान बर्क--

मान्यवर, शेखुपुरा के 30 खानदान अपना घर छोड़ कर चले गये हैं उनकी खेती काटने वाला कोई नहीं है क्योंकि पुलिस मुलजिमों को संरक्षण दे रही है जिसकी वहज से वे गांव में नहीं आ रहें हैं। तो उनकी सुरक्षा का कोई इन्तजाम हो ताकि वह अपनी खेती काट सकें इसके लियेकोई इन्तजाम करेंगे और हां पुलिस चौकी कायम करेंगे?

श्री सईदुज्जमा--

सुरक्षा की व्यवस्था कर दी गयी है पुलिस को गश्त के लिये हिदायत कर दी गयी है।

श्री मुहम्मद आजम खां--

इस मामले में हुआ यह कि जो कातिल है वे असरदार लोग हैं और उन्हें मंत्रियों का संरक्षण प्राप्त है इसलिये सही कार्यवाही नहीं हो रही है। अगर सही कार्यवाही नहीं हुई तो यह साम्प्रदायिक मामला हो सकता है। यह कतई न्याय संगत नहीं है कि 302 आई0 पी0 सी0 में जैसे ही कुर्की के लिये मांग की जाती है उसके दो तीन दिन में आदेश हो जाते हैं। तो यह कुर्की न होने से लगता है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। मैं यह चाहता हूं क्योंकि यह असरदार लोग हैं तो इनके खिलाफ गैंगस्टर ऐक्ट या नासा के तहत इनको गिरफ्तार सरकार करेगी।

श्री सईदुज्जमा--

मा यवर, नियम के अन्तर्गत जो कार्यवाही होगी उसे सुनिश्चित किया जायेगा।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी से वार्ता करने के लिये माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ले गये हैं और मेरा 103 का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हो पाया। मैं सदन की सेवाओं के दौरान ही वहां गया। इसलिये मुझे प्रस्ताव रखने की अनुज्ञा दे दें।

श्री अधिष्ठाता--

अब तो हम बहुत आगे आ गये हैं।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मुझे माननीय संसदीय कार्यमंत्री ही बुलाने गये थे।

श्री अधिष्ठाता--

ठीक है फिर देख लेंगे अब आगे बढ़ने दीजिये।

(व्यवधान)

श्री सूर्य प्रताप शाही--

खाली प्रस्ताव प्रस्तुत करवा लें।

जनपद फैजाबाद की टाउन एरिया, गोसाईगंज के कर्मचारियों के वेतन का भुगतान समय से न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में वक्तव्य का स्थगन

श्री अधिष्ठाता--

इसमें माननीय मंत्री जी ने स्थगित करने के लिये पत्र दिया है। वक्तव्य सदन के पटल पर आ गया है लेकिन उसे स्थगित किया जा रहा है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

श्रीमन्, यह भी निर्देश दे दीजिये कि कल ले लिया जायेगा वर्ना कल के बाद तो यह लैप्स हो जायेगा। कल के लिये स्थगित कर दें।

श्री अधिष्ठाता--

ठीक है कल ले लिया जायगा।

श्री मुहम्मद आजम खां--

कल कैसे ले लेगें क्योंकि एजेंडा छप गया होगा ?

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

नहीं आज छपेगा।

गाजियाबाद में डा0 महेन्द्र सिंह राका की हत्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में वक्तव्य

गृह राज्य मंत्री (श्री सईदुज्जमा)--

प्राप्त सूचना के अनुसार गाजियाबाद नगर में दिनांक 8-3-89 ....

श्री विजय सिंह राणा--

पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अधिष्ठाता--

ठीक है पढ़ा हुआ माना जाये ?

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सईदुज्जमा--

[...की रात्रि को लगभग 9 बजे डा0 महेन्द्र सिंह राका की, उनके निवास स्थान पर दो व्यक्तियों द्वारा गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी। इस घटना के संबंध में मृतक के भाई श्री प्रेमराज सिंह की सूचना के आधार पर उसी दिन थाना कविनगर पर एक मुकदमा अन्तर्गत धारा 302 भा0 दं0 वि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत करके विवेचना प्रारम्भ की गयी। विवेचना से अभी तक अभियुक्तों का कोई पता नहीं चल पाया है। वकील श्री श्रद्धानन्द की दिनांक 4-7-88 को हत्या हुई तथा श्री ऋषभ कुमार जैन व्यापारी की लूट के प्रयास में दिनांक 9-3-89 को गोली मारी गयी, जिसके फलस्वरूप उनकी मृत्यु हो गयी। श्री श्रद्धानन्द की हत्या से संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित सभी तीन अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 82/83 दं0 प्र0 सं0 की कार्यवाही करके, उनका चालान मफरूरी में न्यायालय किया जा चुका है। श्री ऋषभ कुमार जैन को कथित है हत्या से संबंधित जांच के दौरान प्रकाश में आये दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेजा जा चुका है। दिनांक 30-10-88 को श्री सुरेश चन्द्र शर्मा, अवर अभियन्ता, जल निगम के घर में लूट की एक घटना घटित हुई

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

[श्री सईदुज्जमा--]

थी । जांच के दौरान इस घटना में 4 अभियुक्त प्रकाश में आये, जिन्हें दिनांक 6-12-88 को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है । जांच के दौरान श्री रमेश चन्द्र, जल निगम के इंजीनियर के साथ कोई घटना घटित होना प्रकाश में नहीं आयी है ।

उक्त घटनाओं के अतिरिक्त गाजियाबाद नगर में वर्ष 1988 से अब तक किसी अन्य डाक्टर, इंजीनियर, वकील, व्यापारी, आर्टिस्ट अथवा राजनैतिक कार्यकर्ता की हत्या, अपहरण अथवा उनके घरों में हुई लूट/डकैती की कोई घटना घटित होना प्रकाश में नहीं आयी है । जनपद गाजियाबाद में बढ़ते हुये अपराधों पर नियन्त्रण पाने के लिये जिला प्रशासन निरन्तर प्रयत्नशील है ।]

*श्री महेन्द्र भाटी--

मान्यवर, 8 मार्च की रात 9 बजे डा0 महेन्द्र सिंह राका की हत्या करा दी गयी । गाजियाबाद का सारा बाजार दो दिनों तक बन्द रहा । इतिहास में इससे बड़ी शोक सभा नहीं हुई । आज मंत्री जी का बयान है कि उसकी जांच की जा रही है, तो मंत्री जी बतायें कि उसमें क्या प्रोग्रेस अभी तक हुई है ?

श्री सईदुज्जमा--

मान्यवर, बड़ा दुख है कि डाक्टर साहेब सम्मानित आदमी थे गाजियाबाद के लेकिन अथक प्रयासों के बावजूद अभी तक कोई मुल्जिम गिरफ्तार नहीं किय जा सके हैं ।

श्री महेन्द्र भाटी--

क्या इंवेस्टीगेशन में कोई ऐसे तथ्य सामने आये हैं जिससे पुलिस इंवेस्टीगेशन आगे बढ़ायेगी ?

श्री सईदुज्जमा--

जो सूचना थी उसे उपलब्ध करा दिया लेकिन कुछ रंजिश के कारण, बढ़ती ख्याति के कारण रंजिश से यह किया गया है, यह सूचना आयी थी जिससे सदन को अवगत करा दिया ।

*श्री राम शरण दास--

मैं जानना चाहता हूं कि उनकी शोक सभा में कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, श्री के0 एन0 सिंह, एम0 पी0 शरीक हुये और उन्होंने वहां जनता को विश्वास दिलाया कि हम इसकी सी0 बी0 आई0 से जांच करा रहे हैं और यह भी कहा कि आदेश दे दिया गया हैं तो क्या यह बात सही है कि इसकी सी0 बी0 आई0 से जांच करा रहे हैं ?

*श्री सईदुज्जमा--

इसकी सूचना मुझे उपलब्ध नहीं है ।

*श्री राम शरण दास--

मान्यवर, मंत्री जी असत्य बोल रहे हैं कि 1988 में इनके अलावा कोई घटना नहीं हुई है । जनवरी 1989 में सफदर हाशमी की गाजियाबाद में हत्या हुई और कह रहें हैं कि कोई घटना नहीं हुई । अप्रैल में बयान दे रहें हैं, इसलिये ऐसा आपको नहीं कहना चाहियें । मायवर, बयान आया है कि अपराध बढ़ रहे हैं जो इसमें लिखा है, तो वहां की स्थिति इनके कन्ट्रोल में नहीं है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

डा0 राका प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, क्या उनके घर वालों से पूछताछ की गयी है कि कौन उनसे रंजिश रखते थे, क्या ऐसे तथ्य सामने आय है ?

श्री सईदुज्जमा--

यह तो जांच की बात है, ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

श्री लक्ष्मी नारायण--

मुझे मंत्री जी की निरीह स्थिति पर दया आती है । क्योंकि न इनके कहने से सिपाही का ट्रान्सफर होता है और न इनकी बात कोई मानता है । इसलिये क्या सदन को आप आश्वस्त करेंगें कि इतने निश्चित समय में इस अपराध का पता लगायें और हत्यारों को गिरफ्तार करें ?

श्री सईदज्जमा--

मान्यवर, अभी आप ट्रांसफर कराने के लिये मेरे पास आये थे और अब इस तरह की बात कर रहे हैं कि मेरा हुक्म नहीं चलता है । दूसरे मुझे खुद डाक्टर साहब की हत्या का बहुत दुख: है, बहुत सम्मानित आदमी थे । मैं आपसे खुद मिलकर जो भी प्रयास हो सकेंगे, भरसक प्रयास किये जायेंगे ।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, अभी आपने देखा, मंत्री जी ने अभी घटना के पूर्व में कहा था, उन्होंने जो यह कहा था कि पुलिस व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त है, तो आपने देखा है 15-2-89 की घटना है और मुलजिमों की गिरफ्तारी का वारेन्ट 4-3-89 को दिया था, किन्तु कुर्की नहीं हुई । अब तीन दिन बाद इसमें एक माह हो जायगा तो अब तक कोई मुल्जिम गिरफ्तार नहीं हो सका है । इसका मतलब यह है कि इनकी पुलिस और अधिकारी निष्फल और निष्प्रभावी हैं । इसको देखते हुए कि गाजियाबाद की पुलिस इस मामले में को वर्क आउट करने में असफल और अक्षम है, इसको आप सी0बी0 आई0 को सौपने का कष्ट करें ?

श्री सईदुज्जमा--

अभी उत्तर प्रदेश पुलिस देख रही है, उसको मौका दे रहें हैं । फिर समय आने पर जो कार्यवाही होगी, उसको देख लेंगे ।

जनपद आगरा के थाना मलपुरा की पुलिस चौकी ककुआ की पुलिस द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में वक्तव्य

गृह राज्य मंत्री (श्री सईदुज्जमा)--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 13-2-1989 को....

एक सदस्य--

मान्यवर वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाये ?

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री सईदुज्जमा--

[....वादी कानिस्टेबिल राम नरेश शर्मा चौकी ककुआ न थाना मलपुरा पर सूचना अंकित कराई कि वह दिनांक 13-2-89 को चौकी ककुआ पर मय कानिस्टेबिल श्याम सिंह के मौजूद था व निगरानी ड्यूटी पर होमागार्ड भगवान सिंह सशस्त्र था। करीब रात्रि 8.30 बजे ग्राम ककुआ के मुन्ना, तुल्ली व एक अन्य व्यक्ति चौकी पर आये और चौकी में बैठकर कानिस्टेबिल श्याम सिंह के साथ ताश खेलनेल गे। ताश खेलने क दौरान ही हारजीत के बिना पर कानिस्टेबिल श्याम सिंह व मुन्ना में झगड़ा हो गया तथा मुन्ना गालियां देन लगा। जब मुन्ना व उसके साथियों को चौकी से बाहर किया तो वह शोर मचाकर अपनें घरवालो को बुलाने लगा। शोर सुनकर करीब 100-150 व्यक्ति चौकी पर आ गये और ईट पत्थर फेंककर मारने लगे जिससे उसके तथा अन्य कर्मचारीगण के चोटें आयीं। बलवाइयों ने चौकी के लम्प, वायरलस सेट व बटरियों की ईट पत्थर स तोड़फोड़ की। इनके साथ ही उसको व होमगार्ड भगवान सिंह को धमका कर असलाह वाले कमरे में बन्द कर दिया और पेट्रोल डालकर कमरे में आग लगा दी। इस पर उसने व होमगार्ड ने अपनी जान व सरकारी सम्पत्ति की रक्षा हेतु सरकारी रायफल से 6 हवाई फायर किये जिससे बलवाई इधर-उधर हो गये। कमरे से बाहर आने पर देखा कि बलावाइयों ने रोजनामचा आदि भी जला दिया है। उक्त सूचना के आधार पर थाना मलपुरा पर अपराध संख्या-29/86 अन्तर्गत धारा 147/148/307/395/397/427/436/336/342/332 भा0 दं0 वि0 तथा धारा-7 क्रिमिनल ला एमेन्डमन्ट ऐक्ट के अन्तगत 12 नामजद तथा 100-150 अन्य नाम पता अज्ञात पंजीकृत हुआ। उक्त अभियोग की विवेचना स्थानीय पलिस के विवेचक श्री ओमपाल सिंह राणा थानाध्यक्ष मलपुरा द्वारा की गयी। विवेचक द्वारा उक्त अभियोग के 9 नामजद अभियुक्तों को 13 व 14-2-89 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा उनके विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किये गये। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। इसी घटना के सम्बन्ध में दिनांक 22-2-1989 को उक्त अभियोग के अभियुक्त मन्ना की मां सिंगारादेवी ने थाना मलपुरा पर सूचना अंकित करायी कि उसका लड़का मुन्ना दूध का काम करता है तथा काश्त करके परिवार का भरण-पोषण करता है। ककुआ पुलिस चौकी के पुलिस दल ने दिनांक 13-2-89 को रोजाना की भांति मुन्ना को जुआ खेलने को बुला लिया तथा जुआ में मुन्ना जीत गया। इसी बात पर पुलिसकर्मी अपनी हार में बौखला गये तथा मन्ना को मारपीट कर रायफल की नोंक पर उससे रुपया आदि छीन लिया तथा जान से मारने की धमकी दी। उक्त घटना मुन्ना ने गांव वालों से बतायी तो गांव वाले पुलिस वालों को समझांने चौकी पहुंचे। पुलिस ने मामले को बढ़ते देख कर तथा अपने पाप को उजागर होते हुए जानकर अपने बचने के लिये खुद ही कागजात फाड़कर तथा तोड़ फोड़कर चौकी के फर्नीचर में आग लगा दी। उक्त सूचना के आधार पर थाना मलपुरा पर अपराध संख्या 29 ए/89 अन्तर्गत धारा 394 भा0 द0 वि0 चौकी ककुआ पर तैनात पुलिस कर्मियों के विरुद्ध पंजीकृत हुआ।

क्षेत्राधिकारी की प्रारम्भिक जांच के उपरान्त कानिस्टेबिल श्याम सिंह तथा कानिस्टेबिल रामनरेश शर्मा को निलम्बित किया जा चुका है तथा होमगाड भगवान सिंह के विरुद्ध आवश्यक कायवाही करने के लिये भी संबंधित अधिकारी को निर्देश दे दिये गये हैं कि उनको होमगार्ड ड्यूटी से पृथक कर दिया जाय।

मामले की गम्भीरता को देखते हुए थाना मलपुरा पर पंजीकृत उक्त अ0 सं0 29/89 तथा 29ए/89 की विवेचना अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, को अभिदिष्ट कर दी गयी है।

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

यह सही नहीं है कि संपूण गांव की क्षेत्रीय जनता में भारी रोष व क्षोभ व्याप्त है तथा जनता विद्रोह पर उतारू है ।]

*श्री विजय सिंह राणा--

यह पूर का पूरा जो उत्तर आया है , यह सब बिलकुल झूठ हैं । वास्तव में इस पुलिस चौकी पर जुआं हो रहा था, जिसमें एक आदमी गांव का और बाकी सब पुलिस वाल थे और जब जुवें में गांववाला आदमी जीता, तो पुलिसवाले उस पर चढ़ गये और उसने जो रुपया जीता था, उसको लूटकर ले लिया । जो गांव में संयोग से उस समय बारात आई थी, वह पुलिस चौकी पहुंच गई । इसमें आपने जो कहा है---जब मुन्ना व उसके साथियों को चौकी से बाहर किया गया तो वह शोर मचाकर अपने घरवालों को बुलाने लगा । शोर सुनकर करीब 100-150 व्यक्ति चौकी पर आ गये तो मैं इसके संबंध में मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि दो बातें वह बता दें कि चौकी से मुन्ना का और उसके साथियों का जो उसक परिवार वाले बचाने आये, उनका घर कितनी दूर है और यह घटना कितने बजे शुरु हुई और कितने बजे आदमी आय ?

श्री सईदुज्जमा--

मान्यवर, यह 13-2-89 की घटना है इसमें जो कांस्टेबिल थे, उसको सस्पेंड कर दिया गया है । हमें फासला की सूचना नहीं है, इसके लिये सूचना की जरूरत पड़ेगी ।

*श्री विजय सिंह राणा--

यह बात इनको मालूम नहीं है, जानकारी नहीं है, नहीं तो फंस जाते । क्योंकि पुलिस चौकी से मुन्ना का घर कम से कम 2 फर्लांग दूर है और चौकी से गांव भी इतनी ही दूर होगा । इसलिये वहचौकी में से चिल्लाये, तो दो फर्लांग दूर के गांव के आदमी ने बात सुन ली, यह संभव नहीं है । यह छिपाने की बात थी, वहां पर बारात जा रही थी, जो चौकी के पास जा रही थी, लेकिन इन्होंने पूरे गांव को इसमें फांस दिया है । इन्होंने वक्तव्य में आगे लिखा --इसके साथ ही उसकी व होमगार्ड भगवान सिंह को धमका कर असलहा वाले कमरे में बन्द कर दिया और पेट्रोल डालकर कमरे में आग लगा दी । इस पर उसने व होमगार्ड ने अपनी जान व सरकारी सम्पत्ति की रक्षा हेतु सरकारी रायफल से 6 हवाई फायर किये जब वह कमरे में बन्द हो गया और उसके बाद फायर भी करने लगा और उसने और गांव के लोगों ने चौकी में आग लगा दी ? मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं आप ही बताइये होमगार्ड को कमरे में बन्द कर दिया फिर पेट्रोल डालकर आग लगाई, जब कमरा खुला मिल गया, उन्होंने खुद बन्द किया लूटा नहीं तो बाद मे आग लगाने की क्या जरुरत थी । कमरे मे आदमी को बन्द कर दिया फिर उसके बाद फायर करने के लिये आता है, तो बन्द कमरे स वह कैसे आ गया ?

श्री सईदुज्जमा--

इसमे दो तथ्य सामने आये हैं । इसमें इन सब बातों को देखते हुये सी0आई0 डी0 की जांच के आदेश दिये गये हैं । यह आदेश 4-3-89 को दे दिये गये हैं । बाकी दोनों पक्षों की बातें सामने आ जायगीं, तो जो लोग इसमे दोषी होंगे । उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ।

*श्री बदन सिंह---

वास्तव में बात यह है कि पुलिस चौकी ककुआ और थाना मलपुरा भ्रष्टाचार का केन्द्र रहा है । इस घटना से पहले जब आगरा शहर की एक पार्टी इस गांव में सम्वेदना प्रकट करने के लिये आई थी टैम्पो में, इससे रिश्वत लेने के लिये उस टम्पो में बैठी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

औरतों और बालकों को बन्द कर दिया । जब एक छोटा बच्चा अपनी मां के पास जाने लगा तो उसका एक्सीडेंट हो गया । जिसकी वजह से भीड़ लग गई और पूरा रास्ता जाम हो गया । मान्यवर, उन्होंने न तो कुछ देखा है और न ही इनको कुछ जानकारी है । यह कह रहे हैं कि अपराध अनुसंधान शाखा से जांच मुकर्रर कर दी है । मैं जानना चाहता हूं कि इस जांच से पूर्व आप इस पुलिस चौकी पर तैनात पूरे स्टाफ को बदल देंगे ।

श्री सईदुज्जमा--

जो दोषी होगा उनको दंडित किया जायगा और जो दोषी थे उनको लाईन हाजिर कर दिया गया है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, यह वक्तव्य जो है इसकी पहली और अन्तिम लाईन देखने की कृपा करें- "विवेचक द्वारा उक्त अभियोग के नौ नामजद अभियुक्तों को 13 व 14-2-89 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा उनके विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित कर दिया गया । शेष अभियुक्तों को गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं । एक तरफ तो आप यह देखें और दूसरी चीज यह देखें कि उक्त अ0 सं0 29/89 तथा 29 ए/89 की विवेचना अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ को अभिदिष्ट कर दी गयी है । इनका मान्यवर, अपराध अनुसंधान विभाग का कार्यालय लखनऊ में ही है वहां इन्होंने जांच सौंप दी । आरोप-पत्र भेज दिये और गिरफ्तारियों की कोशिश कर रहे हैं उसकी विवेचना सी0 आई0 डी0 को चली गई, तो आप कहां गिरफ्तारी कर रहें हैं किसी अपराध में, इन मंत्री जी की कुछ समझ में बात नहीं आती है ।

श्री सईदुज्जमा--

जिस तारीख से आर्डर होता है उस तारीख से आदेश प्रभावी होता है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

यह पिछली बार वक्तव्य आया था इसमें उन्होंने बता दिया कि सी0 आई0 डी0 को आदेश पहुंचे हैं, तो वह कब भेजे ?

श्री सईदुज्जमा--

विवेचना दिनांक 4-3-89 को अभिदिष्ट कर दी गई है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

आज जो तारीख है वह 5-4-89 है तो एक महीना हो गया ।

आज जो वक्तव्य मिला है उसमें है कि गिरफतारी जारी है । 4-3 को आपने सी0 आई0 डी0 को आदेश किये और फिर कह रहे हैं कि गिरफ्तारी जारी है तो कौन सी बात सही है ?

(समय 6 बजकर 30 मिनट)

परिवहन राज्य मंत्री--(श्री प्रमोद कुमार)--

मान्यवर, संभवतः माननीय सदस्य को मालूम नहीं है । माननीय सदस्य आगरा के हैं इनकी समझ में बात नहीं आ सकती है । आगरा में इतने दिन रहकर नहीं समझे तो अब क्या समझेंगे । मान्यवर, जब से सी0 आई0 डी0 की जांच के आदेशदे दिये गये तो उसी दिन से जांच प्रभावी हो गयी । सी0 आई0 डी0 जैसे जैसे जिसको दोषी पायेगी उसकी सूचना पुलिस को देगी और पुलिस कार्यवाही करेगी ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

अधिष्ठाता महोदय, मंत्री जी ने आरोप लगा दिया हम आगरा के हैं समझते नहीं हैं। मेरा कहना है किमाननीय मत्री जी को कानून की जानका ी नहीं है। मैं निवेदन करूगा कि जब सी0आई0डी0 को जांच सौंपो गयी और वह अभी मौके पर नहीं गयी तो कहां से आरोपपत्र भेज दिया कि गिरफ्तारी करो। यह झूठी सूचना दे रहे हैं।सी0 आई0 डी0 ने क्या गिरफ्तारी के लिये वारेन्ट भेजे हैं ?

श्री सईदुज्जमा--

मान्यवर, 13-14 तारीख के बाद कोई अरेस्ट नहीं हुयी है। सी0 आई0 डी0 जांच कर रही है, जिसको दोषी पायगी उसको अरेस्ट किया जायगा।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, परिवहन मंत्री जो की योग्यता के बारे में कोई संदेह नहीं है। वह हाईकोर्ट में वकालत करते हैं, क्रिमिनल केसेज को जानते हैं। हमारे गृह मंत्री जी की विद्वता में कोई कमी नहीं है। सी0 आई0 डी0 की जो प्रक्रिया है वह यह है कि जब कोई जांच उसको दी जाती है तो वह पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखती है कि इसको विवेचना मुझे मिल गयो है आप अग्रिम कायेवाही न करें। सी0 आई0 डी0 प्रथम दृष्टया केस डायरी आगे बढ़ाती हैं और आश्यकता समझती है तो पुलिस ने जो गिरफ्तारी की है उसको वैसे रखती है अन्यथा वह उसको काट भी सकती है। इस मामले में मैं यह जानना चाहता हूं कि जब आपने सी0 आई0 डी0 को जांच सपुर्द की तो क्या उसके अधिकारी ने कोई पत्र स्थानीय पुलिस अधीक्षक को लिखा कि इसकी जांच उन्हें मिल गयी है, आपको आगे कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री सईदुज्जमा--

मान्यवर, 13-14-2-89 के बाद कोई अरेस्ट नहीं हुई है। आप क्यों हाउस को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं ?

श्री विजय सिह राणा--

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। हमारें सिचाई मंत्री जी बैठे हैं यह बहुत सीयिनर आदमी हैं। संसदीय कार्य मंत्री जी भी बहुत सीनियर आदमी है और प्रमोद कुमार जी हाई कोर्ट के वकील हैं। मैंने शुरू में जब यह प्रश्न आया था, तो यह कहा था कि चौंकी में बैठ कर कांस्टेबिल श्याम सिह के साथ मुन्ना ताश खेलने लगा और ताश खलने के दौरान ही कांस्टेबिल श्यामसिह और मुन्ना में झगड़ा होने लगता है। चौकी केअन्दर जुआ खेलने की बात थी.....

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार--

जुआ नहीं, ताश।

श्री विजय सिह राणा--

मान्यवर, आप संरक्षण दें और माननीय सिचाई मंत्री जी बैठे हुए हैं,

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता--

जो विरोधाभास आपको मालूम पड़ रहा है, उसका स्पष्टीकरण ले लीजिए।

श्री विजय सिंह राणा--

आप मेरी बात सुन लीजिए। इसमें मान्यवर, जनता को झूठा फंसाया जा रहा है। ये मान्यवर, कह रहे हैं कि ताश खेलने लगे और हार-जीत की बिना पर सिपाही और उस जनता के आदमी में झगड़ा हो गया है, वह जुआ तो हो ही गया अपने-आप। मान्यवर चौकी के अन्दर जुआ हो रहा था, जब मुन्ना जीत गया, तो पुलिस वालों ने मुन्ना को दबोच लिया, वह चिल्लाने लगा तो पुलिस वालों ने फूस जला दिया। इससे मान्यवर, यह बात साबित है कि चौकी के अन्दर जुआ हो रहा था।

श्री अधिष्ठाता--

यह तो आप वाक्या का बयान कर रहे हैं। कोई स्पष्टीकरण, कोई सवाल करना चाहें तो आप कर लीजिए।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, इस वक्तव्य में पूराका पूरा बयान झूठा लिखा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि जो ग्रामवासियों के खिलाफ केस रजिस्टर्ड किया गया है, वह बिलकुल झूठा है, इसलिये आप उस केस को वापस लेंगे ? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि पुलिस के खिलाफ जुआ खेलने का, चौकी के अन्दर सरकारी धन का दुरुपयोग करने का, अपने-आपने ईटा-पत्थर फेंकने का केस पुलिस वालों के खिलाफ बनता है, इसलिये आप उनके खिलाफ केस रजिस्टर करके और चार्जशीट लगा कर, उन्हें गिरफ्तार करने की कृपा करेंगे ?

(श्री प्रमोद कुमार के खड़े होने पर)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

अब तक यह परम्परा रही है कि जब संबंधित मंत्री उपस्थित रहते हैं, तो वह अपने सवाल का जवाब देते हैं और यदि वह नहीं उपस्थित रहते हैं, तो वह स्वत: लिखकर दूसरे मंत्री को दे देते हैं कि उनके विभाग से संबंधित प्रश्न का उत्तर वह मंत्री दे देंगे। माननीय तिवारी जी परिवहन विभाग के मंत्री हैं, यह कौन सी परम्परा बन गयी है कि वह जवाब देने के लिये बार-बार खड़े हो रहे हैं ?

(कई सदस्यों के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

जब उस विभाग के मंत्री जी मौजूद हैं, तो वह उसका जवाब दें।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, संयुक्त जिम्मेदारी के तहत उत्तर दिया जा सकता है। मैं मान्यवर, दो बातें स्पष्ट करना चाहता हूं। इसमें लिखा है कि ताश खेलने के दौरान ही हारजीत के बिना पर कांस्टेबिल श्यामसिंह व मुन्ना में झगड़ा हो गया। सिर्फ दो बातों के ऊपर माननीय राणा जी जोर दें रहे हैं, मान्यवर, इसमें कहीं नहीं लिखा है कि ताश खेलत

हुए जुआ खेल रहे थे और हार जीत का मतलब यह कहीं नहीं कि पैसे की हारजीत हुई। अगर इन्होंने कभी ताश खेला हो तो कोटपीस में भी हारजीत होती है जो हारता है वह पीसता है और जो जीतता है वह काटता है। मान्यवर, 13 गैम्बलिंग ऐक्ट में दो चीजे होनी चाहिये एक तो पब्लिक व्यू होना चाहिये और दूसरे नाल निकलनी चाहिये तभी वह जुआ होगा, अन्यथा नहीं।

श्री विजय सिंह राणा---

सवाल इस बात का नहीं है।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, सी0 आई0 डी0 की जांच हो रही है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता---

आप एक घटना का वर्णन कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे हुआ एक तरफ मंत्री जी का वक्तव्य आया है दोनों में कोई विरोध अगर मालूम पड़ता है तो इस विरोधाभास को स्पष्ट करने के लिये आप कोई प्रश्न करना चाहे तो कर लें अन्यथा आगे बढ़ेंगे।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय---

मान्यवर, माननीय गृह राज्यमंत्री जी सक्षम न हों तो आप उनके सभी वक्तव्य को स्थगित कर दीजिए ।

(व्यवधान)

श्री सईदुज्जमा---

मान्यवर, मैंने पूरी बात का जबाब दे दिया है। मैंने कहा इसमें सी0 आई0 डी0 की जांच हो रही है। दोषी पाये जाने पर कार्यवाही की जायेगी । जो सिपाही थे उनको सस्पेन्ड कर दिया गया है इसके बाद सी0 आई0 डी0 जांच में देखेंगे दोष है तो मुकदमा कायम किया जायगा।

(व्यवधान)

श्री बदन सिंह--

मान्यवर, पुलिस ने कोई धारा छोड़ी नहीं है सम्पूर्ण धाराएं लगा दीं और ग्रामीणों की अनधिकृत रूप से गिरफ्तारी की गयी। गिरफ्तारी के सिलसिले में एक हरिजन दहशत खाकर मर गया ।

(व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि जिस आदमी की मृत्यु हुई है क्या आप उसको मुआवजा दिलवायेंगे और केस को वापस लेंगे ?

(मद संख्या 26 पुकारे जाने पर व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, हमारे प्रश्नों का उत्तर क्या दिलवाया ?

श्री अधिष्ठाता---

आपके प्रश्नों का उत्तर आ गया आप जैसा चाहते हैं वैसा उत्तर नहीं आया लेकिन माननीय मंत्री जी ने जो भी प्रश्न आपने किये उसका उत्तर दे दिया ।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, जैसा मैं चाहता हूं वैसा भी नहीं होगा और जो यह चाहते हैं वैसा भी नहीं होगा, जो न्याय की बात है वही होगी।

(व्यवधान)

मान्यवर, यह झूठा इल्जाम लोगों के ऊपर लगाया गया है मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि झूठा केस है,इस पूरे बयान से साबित है कि केस झूठा है तो यह केस वापस होगा या नहीं ? डेढ़ दो सौ आदमियों के ऊपर आई0 पी0 सी0 और सी0 आर0 पी0 सी0 की सारी धाराएं लगायी गया है।

श्री अधिष्ठाता-- (व्यवधान)

यह सारी बातें आप कह चुके हैं और उसका उत्तर आ गया है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मेरा अनुरोध है कि वह कृपया स्पष्टीकरण मांगे, डांटें नहीं अगर यह ऐसे जोर से डाटेंगे तो हम चले जायेंगे।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा--

इसमें आप देख लें मान्यवर, मैं यह चाहता हूं कि इसमें ताजीराते हिन्द की कोई दफा बकाया नहीं छोड़ी है।

मान्यवर, 100-150 आदमियों को झूठा मुकदमा बनाकर फंसाया, झूठ साबित हो गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो उनको झूठा मुलजिम बनाकर झूठे मुकदमें दायर किये गये हैं, उनको वापस लेने की कृपा करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता--यह प्रश्न पहले भी आप कर चुके हैं। अब मैं आगे बढ़ चुका हूं।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, जब केस साबित हो गया तो केस को वापस लेने की कार्यवाही करावें।

श्री अमिताभ लवानियां--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह सदन नियमों और कानून के अन्तर्गत चलेगा या गैर कानूनी रूप से चलेगा।

श्री अधिष्ठाता--

नियम से।

श्री विजय सिंह राणा--

बता दें कि गैर कानूनी क्या है। [××]आ गये। नियमावली मालूम नहीं, संविधान मालूम नहीं। कौन सा कानून भंग हो गया है ?

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

मंत्री जी को जवाब देने लिये बाध्य नहीं कर सकते हैं

(व्यवधान)

नोट :-(××) को अध्यक्षता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री हरदेव--

इन्होंने संसदीय बात कही है ये खुद [×××] हैं।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

राणा जी, मंत्री जी ने अपने हिसाब से उत्तर दिया, जो आप चाहते हैं, वह उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो उनको बाध्य नहीं किया जा सकता।

श्री पुरुषोत्तम लाल--

मान्यवर, यह सदन अपने आप में गरिमामय है। [××] शब्द असंसदीय है। ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता

जो असंसदीय शब्द होगा उसे देख लिया जायगा।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, मेरे सवाल का जवाब दिलवाएं।

श्री अधिष्ठाता--

अब मैं मद संख्या 26 ले रहा हूं।

श्री पुरूषोत्तम लाल-

मान्यवर, असंसदीय शब्दों का प्रयोग उचित नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

सत्य असत्य का निर्णय हम नहीं करेंगे।

जनपद बांदा के सम्भाग कर्वी को जिला बनाये जाने हेतु भूतपूर्व विधायक श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा के आमरण अनशन के फलस्वरूप उनकी स्थिति चिन्ताजनक होने के संबंध में वक्तव्य

एक सदस्य--

मान्यवर, वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाय।

श्री अधिष्ठाता--

वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाये ?

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

राजस्व राज्य मंत्री (श्री सीताराम निषाद)--

जिलाधिकारी बांदा प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद बांदा में कर्वी को पृथक जिला बनाये जाने के संबंध में कर्वी क्षेत्र के अधिवक्ता संघ के नेतृत्व में दिनांक 24 दिसम्बर, 1988 से आन्दोलन चलाया जा रहा है। दिनांक 9 जनवरी, 1989 को आन्दोलनकारियों द्वारा

नोट:--(××) यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

[श्री सीताराम निषाद—]

कर्वी में सम्पूर्ण बन्द रखने का आवाहन किया गया। बंद के दौरान लगभग 1,000 आन्दोलनकारी रेलवे स्टेशन कर्वी पर एकत्रित हो गये। करीब 10 बजे 522 अप इलाहाबाद झांसी पैसेंजर ट्रेन को रोका, लगभग 50 आन्दोलनकारी रेलवे लाइन पर लेट गये। पुलिस क्षेत्राधिकारी कर्वी एवं परगना मजिट्रेट कर्वी द्वारा लगातार अनुरोध करने पर भी जब आन्दोलनकारी नहीं हटे तो उन्हें बल पूर्वक हटा दिया गया। आन्दोलनकारी पुनः एकत्रित हो गये और उन्होंने रेलवे सिगनल के पास रेल पटरी पर पत्थर तथा लोहे की छड़े व स्लीपर डालकर लाइन को अवरुद्ध कर दिया। सिग्नल के तार काटकर सिग्नल को गिरा दिया। पुलिस ने रेलवे लाइन से अवरोधों को हटाना प्रारम्भ किया, तो आन्दोलनकारियों ने उन पर पत्थरों की वर्षा की। पुलिस ने आन्दोलनकारियों को तितर-बितर करने के लिये साधारण केन चार्ज किया। एक छोटी पुलिस पार्टी जो आन्दोलनकारियों के बीच घिर गयी थी, उसने पत्थर फेकने वाली हिंसक भीड़ को हटाने हेतु 3 हवाई फायर किये जिससे कोई घायल नहीं हुआ। 30 आन्दोलनकारियों को गिरफ्तार किया गया। आन्दोलनकारियों द्वारा की गयी पत्थर वर्षा से पुलिस/पी0 ए0 सी0 के 15 कर्मचारी घायल हो गये, जिनमें पुलिस इन्सपेक्टर कर्वी तथा थानाध्यक्ष जी0 आर0 पी0, मानिकपुर भी शामिल हैं। इसके अलावा पत्थर वर्षा से 4 होमगार्डस् तथा 2 अन्य कर्मियों को भी चोटें आयी पत्थर वर्षा से घायलों में से एक सब इन्सपेक्टर तथा 2 कान्सटेबुलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके अतिरिक्त जनता के 9 व्यक्तियों ने भी अपनी डाक्टरी परीक्षा कराई, जिसमें से 8 को प्राथमिक चिकित्सा के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गयी, एक छात्र सुरेश कुमार को कर्वी से लेकर बांदा अस्पताल में दाखिल किया गया और उसे दिनांक 10 जनवरी, 1989 को छुट्टी दे दी गयी। बन्द के दौरान दिनांक 9 जनवरी, 1989 को कर्वी रेलवे स्टेशन पर एक मालगाड़ी के गाड का कुछ सामान भी आन्दोलनकारियों द्वारा लूट लिया गया। विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत आन्दोलनकारियों के विरूद्ध थाना कर्वी एवं जी0 आर0 पी0 में केस दर्ज किये गये।

कर्वी के जिला बनाओं मांग के समर्थन में भूतपूर्व विधान सभा सदस्य श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा दिनांक 20 फरवरी, 1989 से तथा श्री उमाशंकर तिवारी दिनांक 21 फरवरी, 1989 से आमरण अनशन पर बैठें। दिनांक 26 फरवरी, 1989 को इन दोनों व्यक्तियों की स्थिति चिन्ताजनक महसूस हुई। अतः 26/27 फरवरी, 1989 को इन्हें संयुक्त चिकित्सालय कर्वी में दाखिल करा दिया गया और दोनों व्यक्तियों ने स्वेच्छा से ही शांतिपूर्वक अपना अनशन समाप्त कर दिया। पूरी स्थिति पर प्रशासन द्वारा कड़ी दृष्टि रखी जा रही है।

3—जिलों के क्षत्रफल, जनसंख्या, भौगोलिक, सामाजिक तथा आद्योगिक विकास की स्थिति का परीक्षा करते हुए प्रभावी प्रशासन हेतु नये जिलों के सृजन पर विचार करने हेतु अध्यक्ष, राजस्व परिषद् की अध्यक्षता में 1976 में जिला पुनर्गठन समिति का गठन किया गया था। समिति ने बस्ती, मेरठ, मिर्जापुर, आगरा, गोरखपुर को विभाजित कर नय जिलों के सृजन की संस्तुति की थी। समिति ने बांदा को विभाजित कर कर्वी में नया जिला स्थापित करने की संस्तुति नहीं की थी।

4—समिति की संस्तुति के अनुसार मेरठ को विभाजित कर गाजियाबाद में, बस्ती को विभाजित कर सिद्धार्थनगर में, आगरा को विभाजित कर फिरोजाबाद में, मिर्जापुर को विभाजित कर सोनभद्र में नये जिलों की स्थापना की जा चुकी है, तथा महाराजगंज (गोरखपुर) में नया जिला स्थापित करने का मामला विचाराधीन है। इसके

नोट—[ ] यह अश पढ़ा हुआ माना गया।

अतिरिक्त प्रशासनिक आवश्यकता को देखते हुए मऊ, तथा हरिद्वार में नये जिलों की स्थापना की गयी है। आजमगढ़ की जनसंख्या 35,44,000 तथा सहारनपुर की जनसंख्या–2,67,400 है, जबकि बांदा की जनसंख्या 15,34,000 है।

5––कर्वी में प्रशासनिक व्यवस्था बनाये रखने के लिये अपर जिलाधिकारी संयुक्त पुलिस अधीक्षक तथा अपर जिला जज नियुक्त है। अतः जिला स्तरीय अधिकांश कार्य कर्वी में सम्पन्न हो जाते हैं।

6––नये मंडलों/जिलों/तहसीलों के सृजन पर विचार कर संस्तुति देने हेतु अध्यक्ष राजस्व परिषद् की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है जिसकी संस्तुतियां प्राप्त होने पर यथा-समय यथोचित निर्णय लिया जायेगा।

वर्णित परिस्थिति में कर्वी में नया जिला स्थापित करना संप्रति संभव नहीं है।]

श्री पुरुषोत्तम लाल––

माननीय, जो असंसदीय शब्दों का प्रयोग सदन में किया गया है, क्या उनको कार्यवाही से निकाल दिया गया है और क्या उन्होंने माफी मांग ली है ?

श्री अधिष्ठाता––

देख लिया जायगा और असंसदीय शब्दों को निकलवा दिया जायगा।

श्री विजय सिंह राणा––

बता तो दें कि इसमें क्या असंसदीय है। ऐसे ही थोड़े हो जायगा कि चाहे जो कह देंगे। क्या असंसदीय है ? ..... (व्यवधान)

श्री हरदेव––

मा0 राणा जो खुद असंसदीय हैं। ..... (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता––

जो वक्तव्य चल रहा है, उसके सम्बन्ध में अपनी बात है।
(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता––

आप लोग बैठें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)––

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय राणा जी जिस जगह के रहने वाले हैं मैं सोचता था कि सोचते कुछ और तरह के होंगे, मान्यवर यह पता चला है कि वहां एक बड़ा अस्पताल है, हम सदस्यगण न दिखकर इनको चूजे दिख रहे हैं। हम लोग सम्मानित सदस्य हैं इसी तरह से वे हम लोगों को देखें नहीं तो किसी दिन इनको कुछ और दिखायी देंगे।

श्री अधिष्ठाता––

जो हैं वही देख जायेंगे, वही देखना होगा।

श्री रघुबर दयाल वर्मा––

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी 5 बजे के बाद कहां जाते हैं उसको भी स्पष्ट कर दें।

नोट:–– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

क्षेत्रफल, भौगोलिक स्थिति सामाजिक मानक में जो दूसरे जिले नये बनाये गये हैं उनसे किन प्रकरण में किन मायने में बांदा कम है कि कर्वी को जिला नहीं बनाया जा रहा है।

श्री सीताराम निषाद--

मान्यवर, बांदा जनपद की आबादी 15 लाख 34 हजार है उसका क्षेत्रफल 7624 वर्ग कि0मी0 है। मान्यवर, जिला बनाने में केवल क्षेत्रफल ही नहीं बल्कि और भी उसमें बिन्दु होते हैं जिनको विचार किया जाता है जो जिले बनाये गये हैं, वह सन् 1976 में एक समिति बनायी गयी थी और उस समिति ने जो संस्तुति किया था जिले बनाने के सम्बन्ध में उसी के अनुसार वह जिले बनाये गये हैं। कर्वी को जिला बनाने के सम्बन्ध में मान्यवर कोई संस्तुति नहीं की गयी थी इसलिये कर्वी को अभी तक जिला नहीं बनाया गया है। मान्यवर, पुनः इसी वर्ष फरवरी में एक नयी समिति बनायी गयी है राजस्व परिषद् के अध्यक्ष की अध्यक्षता में उसमें जिन जिन की मांग है जिला बनाने के सम्बन्ध में वह मामला उस समिति को सौंप दिया गया है वह समिति उस पर सभी बिन्दुओं पर विचार कर रही है और जो संस्तुति होगी उस समिति की उसके अनुसार नये जिले बनाये जायेंगे।

श्री राम शरण दास--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, अभी राजस्व राज्य मंत्री अपना वक्तव्य पढ़ रहे थे। यह मान्यवर, हमारे दूसरे राज्य मंत्री बैठे हैं परिवहन के यह बिल्ली की बोली बोल रहे थे इनसे पूछ लीजिये कि बिल्ली की बोली क्यों बोलते हैं जब माननीय राजस्व राज्य मंत्री बोलते हैं?

श्री अधिष्ठाता--

न यहां कुछ सुनाई पड़ा है न किसी ने बोला है।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, इन चूहों को हमेशा बिल्ली दिखायी पड़ती है यहां कोई बिल्ली नहीं बोल रही थी।

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

कर्वी को नया जिला बनाने के सम्बन्ध में जो राजस्व परिषद् की समिति गठित की गयी है उसको दिया गया विचार करने के लिये तो मान्यवर यह समिति जिसको जो यह जिला बनाने के लिये प्रकरण दिया गया है राजस्व परिषद् की यह कब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी?

श्री सीताराम निषाद--

समिति की रिपोर्ट आयेगी तब शासन उस पर विचार करेगा।

श्री सीतराम निषाद--

माननीय सदस्य ने हाथरस के सबंध में जानने की इच्छा की है। मान्यवर, यह जो समिति बनी है, उसके सामने हाथरस को भी जिला बनाने का प्रश्न विचाराधीन है।

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

मान्यवर, मंत्री जी ने यह नहीं बताया कि यह समिति अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर देगी। कोई सन् बता दें, समय बता दें?

श्री सीताराम निषाद--

मान्यवर, इसका कोई समय निर्धारित नहीं है, जितनी जल्दी समिति की रिपोर्ट आ जायगी, उतनी जल्दी इस पर निर्णय लिया जायगा।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

माननाय अध्यिष्ठाता जी, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में बताया कि जिला पुनर्गठन समिति, 1976 की जो सस्तुतियां थी, उस आधार पर जिले का गठन किया गया। मैं जानना चाहता हूं कि उसमें बस्ती के नाम भी था और जिला पुर्नगठन समिति ने यह रिकमेन्ड किया था कि बस्ती जनपद के 3 तहसील डुमरियागंज, बासी और नोगढ़ तीनों को मिलाकर, बासी को मुख्यालय बनाते हुये एक अलग जिले का निर्माण किया जायगा। मैं जानना चाहता हू कि किन परिस्थितियों में आपने उन संस्तुतियों को नहीं माना ?

श्री सीताराम निषाद--

मान्यवर, जो समिति की संस्तुति थी, जिन जिलों में नया जिला बनाने के संबध में, उसी के अनुसार जिलों का गठन किया गया है। मान्यवर, बस्ती जिले के संबंध में भी समिति ने रिपोर्ट दी थी, उस पर शासन ने विचार करके सिद्धार्थ नगर को नया जिला, बस्ती जिले में बनाया है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, यह कह रहे हैं कि संस्तुति की थी तो क्या मैं इनके खिलाफ प्रिविलेज की नोटिस दे दूं ? यह बता दें कि जिला बनाने की बात कही थी या नहीं ?

श्री सीताराम निषाद--

मान्यवर, समिति की संस्तुति, शासन में विचार की जाती है और शासन सभी बिन्दुओं पर विचार करके, और किस तरीके से प्रशासन को वहां अधिक सुदृढ़ बनायाजा सकता है, सभी भौगोलिक सामाजिक तथा औद्योगिक विकास की स्थिति चीजों को दृष्टिगत रखते हुये, उसके क्षेत्रफल जनसंख्या आदि को देखकर विचार करते हुये देखती, शासन अपने निर्णय लेते है और शासन का निर्णय अन्तिम होता है उसके अनुसार जिला बनाया जाता है। शासन में समिति की जो संस्तुति आती है, उस पर विचार होता है और उसके अलावा और भी जो जानकारी आती हैं, शासन द्वारा उस पर भी विचार किया जाता है।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

मान्यवर, कर्वी में जो घटना घटी, इसका कारण कर्वी को जिला बनाये जाने का आन्दोलन है। इसी तरह का आन्दोलन हमीरपुर जिले के महोबा में भी चल रहा है। मान्यवर, इसमें मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि उन स्थानों पर अपर जिलाधिकारी का कार्यालय है, संयुक्त पुलिस अधीक्षक और अपर जिला जज रहते हैं। जब इतने बड़े-बड़े अधिकारयों कों दफ्तर हैं, जेल भी है, तो ऐसी चीजों को भी ध्यान में रखते हुये केवल जनसंख्या कर मानक न मानक माननीय मंत्री जी आप राजस्व परिषद् को सिफारिश कर दें, अपनी तरफ से कि इन स्थानों कर्वी एवं महोबा को जिला बना दिया जाय, वरना इस तरह के आन्दोलन और धरने होते रहेंगे, इस पर स्पष्टीकरण दिला दें।

श्री सीताराम निषाद--

मान्यवर, कर्वी की जनता को सुविधा देने के लिये वहां पर अपर जिलाधिकारी और संयुक्त पुलिस अधीक्षक को नियुक्त किया गया है और अपर जिला जज न्यायालय की भी वहां पर स्थापना की गई है, जिससे वहां के लोगों को कठिनाई न हो साथ ही सुलभ न्याय उन्हें मिल सके और प्रशासनिक कार्य भी वहां से उनके पूरे हो सकें। जहां तक नय जिले बनाने का संबंध है, जैसे ही समिति की संस्तुति प्राप्त हो जायेगी, उस पर विचार कर लिया जायेगा।

[श्री सीताराम निषाद--]

प्रदेश के लाखों बीड़ी मजदूरों को सरकारी नीति के विपरीत मजदूरी मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में वक्तव्य

श्री अधिष्ठाता--

वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

(सदन की सहमति वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया गया।)

श्रम राज्य मंत्री (श्री बृजेन्द्र पाल सिंह)--

[माननीय सदस्यों द्वारा शासन के समक्ष उनकी सूचना दिनांक 14-3-89 में यह इंगित किया है कि शासन द्वारा जो मजदूरी निर्धारित की जाय उसको प्रदेश के हर जिले, तहसील, ब्लाक एवं गांव में लागू करायी जाय। माननीय सदस्यों ने यह सूचित किया है कि तहसील बिलग्राम जिला हरदोई जायस-अमठी आदि में बीड़ी बनाने की मजदूरी मात्र रुपये 5 से रुपये 10 प्रति हजार ही दी जाती है जिससे वहां के मजदूरों में काफी रोष व्याप्त है। बीड़ी मालिकों द्वारा उक्त क्षेत्रों से बीड़ी बनवाई जाती है जहां उन्हें केवल 5 रुपये ही देना पड़ता है। माननीय सदस्यों द्वारा बीड़ी मजदूरों को दूसरी रियायतें तथा सहुलियतें श्रम विभाग द्वारा जो तय करायी गयी थी, पर कार्यवाही भी कराने का अनुरोध किया गया है।

मान्यवर इस बारे में सूचित करना है कि शासन ने बीड़ी मजदूरों के कल्याण के लिये अधिसूचना दिनांक 11-8-87 द्वारा, दिनांक 14-5-87 से, एक हजार बीड़ी बनाने पर रुपये 11.50 पैसे निर्धारित किया है। कई स्थान एसे भी हैं जहां रुपये 11.50 पैसे से भी अधिक मजदूरी दी जाती है जिसे माननीय सदस्यों ने अपनी सूचना द्वारा स्वीकार किया है। शासन द्वारा अधिसूचित मजदूरी से कम मजदूरी देने पर सेवायोजकों के विरुद्ध श्रम विभाग द्वारा तत्परता से कार्यवाही की जाती है। जहां तक तहसील बिलग्राम जिला हरदोई, जायस अमेठी आदि जगहों पर कार्यरत बीड़ी श्रमिकों को कम मजदूरी दिय जाने की बात कही गई है, इस बारे में अधिकारियों को त्वरित आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दे दिये गये हैं।]

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने सूचना दी है कि सरकारी बीड़ी का 11.50 रुपय प्रति हजार का रेट तय किया है। यह सही है। हमारा आक्षेप यह नहीं है कि जो बीड़ी मजदूरों को दिया जा रहा है। वह कम है। हमारा कहना तो इसके बिल्कुल बरखिलाफ है। सरकार ने पहली बार बीड़ी मजदूरों की मजदूरी 7.50 रुपये तय की थी। होता यह है कि बीड़ी मालिकों और मजदूरों के बीच कोई समझौता हो जाता है तो वह लबर लाज के एकोर्डिगली लागू हो जाता है और श्रम विभाग का उसके बीच आड़े नहीं आता। मालिक और मजदूर के बीच उजरत का समझौता बढ़ता चला गया और सरकार उसे मानती चली गई। पहले यह 7.50 रुपये प्रति हजार था और आज यह बढ़कर रुपये 11.50 पैसे तक पहुंच गई। यही उजरत कुछ जिलों में रुपये 12.50 पैसे प्रति हजार है और सरकार को इस पर कोई एतराज नहीं है।

श्री अधिष्ठाता--

आप स्पष्टीकरण कर लीजिए।

श्री मुहम्मद आजम खां--

माननीय नेता जी जब आप प्रश्न करते हैं तो हम ध्यान से सुनते हैं। अब हम प्रश्न कर रहे हैं और आप हंस रहे हैं।

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री जगदम्बिका पाल--

अभी आप बीड़ी तक ही सीमित हैं जब आप आगे बढ़ेंगे तो तब उन्हें म

श्री मुहम्मद आजम खां---

मेरा कहना यह है कि क्या श्रम विभाग के पास कोई ऐसा कानून है कि जो बीड़ी मालिक मजदूरों को कम उजरत देता है, उस सख्ती से सजा दे सकता हो। मैंने नियम-56 में इसे उठाया था। और कहा था कि बीड़ी मजदूर सबसे कमजोर मजदूर है, मशीनों की दशा और समाज को नुकसान पहुंचाने के लिये उसके पास कुछ नहीं उसके पास सिफ पत्ता होता है और कैंची होती है। वह आपके वाहनों को नहीं रोक सकता, रेल-पटरियों को नहीं तोड़ सकता। हम चाहते हैं कि जिन जिलों में बीड़ी मजदूरों को 5 या 6 रुपये प्रति हजार के हिसाब से मजदूरी दी जा रही है। मैं कुछ जिलों के मजदूरों की दस्तखत की हुई फोटो कापी आपके पास भेज रहा हूं। हमारे यहां रुपये 12.50 पैसे प्रति हजार हिसाबसे दिया जा रहा है, माननीय सदस्य अमरोहा के यहां बैठे हैं। वहां रुपये 11.50 के पैसे प्रति हजार के हिसाब से मजदूरी दी जा रही है। हम यह चाहते हैं कि इसमें एक समानता हो। एक जगह तो 5 रुपए, एक जगह 6 रुपए एक जगह 8 रुपए और हमारे यहां रुपए 12.50 पैस के हिसाब से मजदूरी दी जा रही है, इसलिये हम चाहते हैं कि जो सरकारी रेट रुपए 11.50 पैसे प्रति हजार के हिसाब से मजदूरी है, वही सब जगह लागू की जाय। यह कहना कि सरकार द्वारा ऐसे बीड़ी मालिकों के खिलाफ जो उजरत कम देते है, कार्यवाही करेगी। आप पहले यह सुनिश्चित करें कि श्रम विभाग के वे कौनसे ऐसे कानून है जिसके तहत ऐसे बीड़ी मालिक जो 20-20 करोड़ तक बीड़ी बनाते है और मजदूरों का इस तरह से खून पी रहे हैं और शोषण कर रहे है, यह प्रार्थना पत्र मैं आपकेपास भेज रहा हूं, इसमें सारे मजदूर महिलायें हैं, इनमें एक भी मर्द काम करने वाला नहीं है, बिलग्राम तहसील के ये हैं मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां 5 रु0 और 6 रु0 हजार बीड़ी की मजदूरी मिल रही हैं। बिलग्राम में जहां की यह एम्लीकेशन आयी है, कितने ऐसे बीड़ी मालिकों के खिलाफ आपने कार्यवाही की है ? अगर नहीं की है तो कौन सी कार्यवाही करने जा रहे है ? यह कौन सा कानून है जिसकी बात कर रहे हैं कौन सी जगह है जहां उजरत 12.50 रु0 प्रति हजार हो गयी है। पूरे उत्तर प्रदेश के बीड़ी मजदूर इस बात के लिये तैयार हैं कि 11 रु0 प्रति हजार उजरत पर बीड़ी बनवाये लेकिन पूरे प्रदेश की उजरत एक होनी चाहिये। 11 रु0 प्रति हजार की दर है अमरोहा में और 5 रु0 प्रति हजार जायस में। अमलन होता यह है कि अमरोहा का बीड़ी मालिक जायस से जाकर बीड़ी बनवाता है, खर्च मिलाकर उसे 7 रु0 प्रति हजार पड़ता है पांच रुपये हजार उसके बचता है। पैसा कमाता है अमरोहा वाला शोषण होता है जायस वालों का और काम मारा जाता है अमरोहा मजदूर का।

श्री बृजेन्द्र पाल सिंह---

जैसा माननीय सदस्य ने कहा, जो सरकार ने निर्धारित किया है उससे कम अगर कही मिल रहा है, बतायेंगे, तो कार्यवाही करेंगे।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मैं जानना चाहता हूं कि क्या सजा है ऐसे बीड़ी मालिकों की जो उजरत कम देते हैं ? ऐसी जगहों पर जिनकी मिसाल दी है आप कहिए कि कहां 11-50 रु0 प्रति हजार मिलता है ? आप बता दें कि श्रम विभाग ने कितने केसज में चालान किया है ? बीड़ी मालिकों के खिलाफ क्या सजा हुई है ?

श्री बृजेन्द्र पाल सिंह---

कामंल लेबर एक्ट के अन्तर्गत 80 हजार मुआयने ग्रामीण क्षेत्रों में किये गये हैं। जहां पर कम पाया गया है तुरन्त कायवाही की गयी है।

श्री मुहम्मद आजम खां--

कहां और क्या कार्यवाही की है ? तकरीवन 12 लाख बीड़ी मजदूर है जो कि शोषित वर्ग है। लड़कियां अपनी शादी के लिये दहेज तैयार करती है बीड़ी बनाकर, घर चलाती हैं बीड़ी बनाकर। ऐसे वर्ग के साथ, जो मशीनें नहीं तोड़ सकते, चक्का नहीं जाम कर सकते, आग नहीं लगा सकते, इसलिये आप उनकी सुनते नहीं हैं। मेरा आरोप है कि बीड़ी मालिक श्रम विभाग के साथ मिल कर सारा रेट तय करते हैं और उनका शोषण करवाते हैं। आप ही बता दें कि श्रम विभाग के पास कौन सा कानून है ? क्या सजा दी गयी है बीड़ी मालिकों को ?

श्री बृजेन्द्र पाल सिंह--

जहां भी संज्ञान में इस तरह की बात आयी है, कार्यवाही हुई है। इस बात की सूचना इस समय नहीं है कि कहां-कहां कार्यवाही की गयी है।

श्री मुहम्मद आजम खां--

न तो मंत्री जी के पास सूचना है न जबाव दे पायेंगे, इसलिये मैं एक आखिरी सवाल और कर लूं।

(श्री माता प्रसाद पाण्डेय के खड़े होने से व्यवधान)

आखिरी सवाल है। मुझे मालूम है कि बीड़ी मजदूरों के खिलाफ श्रम विभाग जिन मालिकों का चालान करता है उसमें 10 रु0, 20 रु0 और 50 रु0 के पनिशमेंट के अलावा कुछ नहीं है। अगर एक हजार रु0 चालान कर दिये जायें तब भी उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। न उनका लाइसेंस कैन्सिल होता है न उनके मुर्ग और शराब पर असर पड़ता है। मेरा सुझाव है कि सदन की एक समिति बना दी जाय जो तीन महीने, छः महीने में अपनी रिपोर्ट तैयार कर दे कि कौन से ऐसे जिले है जहां असमानता है कौन मुजरिम हैं कहां और ज्यादा शोषण हो रहा है। सरकार के निर्धारित 11.50 रु0 प्रति हजार उजरत देने के लिये भी अगर बीड़ी मालिक तैयार हों जायें और असमानता खत्म हो जाये तो बड़ी मदद होगी इस गरीब वर्ग की।

श्री बृजेन्द्र पाल सिंह--

मान्यवर, वर्ष 1988 में 324 मामलों में न्यूनतम वेतन भुगतान के दावे दायर किये हैं और दस गम्भीर मामलों में प्रासीक्यूशन दायर हुआ है।

आबकारी विभाग के अधिकारियों एवं शराब के ठेकेदारों की मिली भगत से शराब के ठेकेदारों से लगभग 70 करोड़ रुपये की वसूली न किये जाने के संबंध में वक्तव्य

वित्त राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने नियम 56 के अन्तर्गत सूचना देकर शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि आबकारी विभाग के अधिकारियों एवं शराब के ठेकेदारों की मिली भगत से लगभग 70 करोड़ रु0 की वसूली नहीं हो रही है।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मंत्री जी, इसको हुआ पढ़ा मान लिया गया है।

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

[....और इसके लिये जिम्मेदार अधिकारियों को दण्डित करने के बजाय पदोन्नति किया जा रहा है। ऐसा ही एक समाचार कुछ दिन पूर्व दैनिक जागरण में प्रकाशित हुआ था। तदोपरान्त इस सदन में दिनांक 9 मार्च, को आबकारी विभाग की वर्ष 1989-90 की कार्यपूर्ति

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दिग्दर्शिका वितरित हुई थी। इस, कार्यपूर्ति दिग्दर्शिका के पृष्ठ 91–92 की ओर मैं माननीय सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। 31 मार्च, 88 तक की स्थिति के अनुसार आबकारी राजस्व का कुल बकाया लगभग 66.58 करोड़ रु0 है जिसमें से लगभग 54.49 करोड़ रु0 विभिन्न न्यायालयों द्वारा स्थगित है। माननीय सदस्य अवगत है कि न्यायालयों द्वारा स्थगन आदेश होने पर प्रशासन द्वारा वसूली की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। परन्तु न्यायालयों में लम्बित ऐसे सभी मामलों में शीघ्र निस्तारण और स्थगन आदेशों को न्यायालय से वैकेट कराने के प्रति शासन सजग है। यह सदन के सूचनाथ है कि उक्त स्थगित धनराशि में से लगभग 42 करोड़ की धनराशि केवल वेण्डफीस सम्बन्धी है जिसके अन्तर्गत अनेक रिट याचिकायें संकलित रुप में माननीय उच्चतम न्यायालय में संवैधानिक पीठ के विचाराधीन है। वेण्ड फीस का आरोपण औद्योगिक अलकोहल की बिक्री पर होता है।

जिन मामलों में न्यायालय के स्थगन आदेश नहीं है, उनमें से लगभग 93 लाख रु0 की वसूली 1–4–1988 से 31–12–1988 तक की अवधि में की गई है। सरकारी बकाये की वसूली जहां सम्भव नहीं होती उसे बट्टे खाते में डालने के लिये एक प्रक्रिया निर्धारित है। उसी के अनुरुप कार्यवाही करने पर लगभग 53 लाख रु0 की धनराशि बट्टे खाते में डालने के लिये संस्तुति की गई है।

जहां तक आबकारी दुकानों के ठेकेदारों पर लाइसेंस आदि बकाया का प्रश्न ह, यह अधिकतर बकाया 1984 के पहल का है, उससमय की आबकारी व्यवस्था में कतिपय दोष थे जिनका निराकरण उत्तर प्रदेश आबकारी प्रथम संशोधन नियमावली, 1984 के द्वारा किया गया है। पहले यह पाया जाता था कि तहसीलदार द्वारा जारी हैसियत प्रमाण-पत्र अनेक मामलों में फर्जी निकल आत थे अथवा कभी-कभी केवल चल सम्पत्ति पर आधारित होते थे जो वसूली के समय उपलब्ध नहीं हो पाती थी। अब यह व्यवस्था की गई है कि हैसियत प्रमाण-पत्रों पर जिलाधिकारी अथवा अपर जिलाधिकारी के प्रति-हस्ताक्षर होने पर ही वे आबकारी दुकानों की नीलामी में भाग लेने के लिये मान्य समझे जायेंगे। यह भी व्यवस्था की गई है कि हैसियत आंकलन में चल सम्पत्ति 50 प्रतिशत से अधिक न हो। अब नीलामी वाले जनपद के निवासियों को भी हैसियत प्रमाण-पत्र लेना अनिवार्य कर दिया गया है। नीलामी का 1/6 भाग सिक्योरिटी के अलावा 1/12 भाग की बैंक गारन्टी ठेकेदारों से जमा कराई जाती है। इस नई व्यवस्था स आबकारीदुकानों के ठेकेदारों पर बकाया हो जाने की घटनाओं में कमी आई है। कभी-कभी ठेकेदार जब वर्ष के बीच में ठेका छोड़ देते है तब उसके जोखिम पर पुर्ननीलामी की व्यवस्था है। ऐसी पुर्ननीलामी में जो घाटा होता है उसकी वसूली पूर्व ठेकेदारों से आबकारी बकाये के रुप में की जाती है। परन्तु वष 1987–88 में निर्गम मूल्य के विरुद्ध कतिपय ठेकेदारों ने माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिकायें दायर कर स्थगन आदश प्राप्त कर लिये। विभाग के अनेक प्रयासों के बावजूद इन स्टि याचिकाओं का निस्तारण वष 1987–88 की समाप्ति के बाद ही हो सका। अतः वर्ष 1987–88 में आबकारी के ठेकेदारों पर निर्गम मूल्य का बकाया हो गया। इसकी वसूली का पूरा प्रयास किया जा रहा है।

वर्ष 1988–89 में आबकारी बकाया मुख्यत: दो जनपदों में क्रमश: कानपुर नगर तथा लखीमपुर खीरी सम्बन्धी है। इस बारे में जांच कराई जा रही है और जो भी अधिकारी अथवा कर्मचारी इसमें दोषी पाया जायेगा उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी।

जहां तक जनपद बरली के बकाय का प्रश्न है, कायपूर्ति दिग्दर्शिका के पृष्ठ 91 पर रु0 30.46 करोड़ बकाया अंकित है। परन्तु इसमें से लगभग 30.43 करोड़ रु0 न्यायालय द्वारा वष 1980 से स्थगित है और लग भग 33000 बट्टे खात में डालने योग्य है। इस प्रकार केवल रु0 2.79 लाख वसूली योग्य अवशष है, जिसकी वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

जहां तक संयुक्त आबकारी आयुक्त बरेली की सेवा में विस्तार दिये जाने का प्रश्न है, श्री आर0 के 0 भारद्वाज, तत्कालीन उप आबकारी आयुक्त बरेली चार्ज जो उस पद पर दिनांक 25–2–1984 से कार्यरत थे और सेवानिवृत्ति के दिनांक 31–7–1988 से दो दिन पहले ही संयुक्त आबकारी आयुक्त के पद पर पदोन्नति हुये थे, को इसी पद पर 6 माह अथवा उप आबकारी आयुक्त के रिक्त पद पर व्यवस्था होने तक, जो भी पहले हो, के लिये शासकीय कार्यहित में पुनर्नियुक्ति किया गया था। परन्तु बाद में 5 माह बाद ही उप आबकारी आयुक्त की व्यवस्था हो जाने पर श्री भारद्वाज की 29–12–1988 को पुनर्नियुक्ति समाप्त कर दी गई।

जहां तक पिलखुआ जनपद गाजियाबाद की घटना का प्रश्न है, जांच से प्राप्त सूचना अनुसार दिनांक 30–31 दिसम्बर, 1987 को पिलखुआ में विषाक्त पेय पीने से 4 व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा कुछ व्यक्तियों की आंखों की रोशनी प्रभावित हुई। यह विषाक्त पेय मिथाईल युक्त था। मैं सदन की जानकारी के लियें यह बताना चाहूंगा कि मिथाईल पर आबकारी विभाग का नियंत्रण नहीं है और वह टैक्सटाइल तथा उर्वरक आदि उद्योगों का वाई प्रोडक्ट है जिसका अनेक औद्योगिक कार्यों में उपयोग होता है। यह देखने में अल्कोहल जैसा लगता है परन्तु इतना विषैला है कि इसकी थोड़ी सी मात्रा का सेवन भी मनुष्य को अन्धा बना सकता है अथवा उसकी मौत का कारण बन सकता है। ऐसी और भी कुछ घटनायें शासन के संज्ञान में आने पर गृह विभाग ने अधिसूचना दिनांक 3–4–1989 द्वारा मिथाइल अल्कोहल को विष घोषित करते हुये इस बारे में आपत्तियों और सुझाव आमन्त्रित किये हैं।

माननीय सदस्य का यह कहना सही नहीं है कि उक्त पिलखुआ कान्ड के संबंध में तत्कालीन राज्य मंत्री, आबकारी ने उप आबकारी आयुक्त, मेरठ चार्ज के विरुद्ध जांच के आदेश दिये थे और माननीय सदस्य का यह कहना सही नहीं है कि उक्त पिलखुआ कान्ड के संबंध में तत्कालीन राज्य मंत्री आबकारी ने उक्त उप आबकारी आयुक्त मेरठ चार्ज के विरुद्ध जांच के आदेश दिये थे और पत्रावली गायब है। यह कहना भी सही नहीं है कि वर्तमान उप आबकारी आयुक्त, मेरठ चार्ज के अधीन मेरठ तथा गाजियाबाद जनपदों में आबकारी के ठेकेदारों पर 9 करोड़ रु0 बकाया हुआ है। वस्तुतः वर्तमान उप आबकारी आयुक्त मेरठ चार्ज इस पर दिनांक 4–6–1987 से कार्यरत है और इनके कार्यकाल में जनपद गाजियाबाद तथा मेरठ में शराब के ठेकेदारों पर कोई नया बकाया नहीं हुआ है।

माननीय सदस्य ने जनपद कानपुर में वर्ष 75–76 में 36 लाख रु0 बकाया हो जाने का उल्लेख है। माननीय सदस्य का तात्पर्य कदाचित वर्ष 77–78 से है। इस बारे में तत्कालीन जिला आबकारी अधिकारी, कानपुर के विरुद्ध कार्यवाही की गई और उनकी दो वेतन वृद्धियां रोकने तथा एक प्रतिकूल प्रविष्टि का दण्ड दिया गया।

प्रदेश के विकास कार्यों में राजस्व संसाधनों का विशेष महत्व है अतः राजस्व वसूली के प्रति शासन पूर्णतः सजग है। सभी जनपदों को कड़े निर्देश भेज दिये गये हैं कि शराब के ठेकेदारों से नीलामी का 1/6 नकद प्रतिभूति तथा 1/12 बैंक गारन्टी जमा कराने में सख्ती करें। इनके तथा अन्य देयों की वसूली का प्रतिमास अनुश्रवण करने की व्यवथा की गई है। बाकीदार को नीलामी में भाग लेने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। औद्योगिक इकाइयों के मामलों में यदि उसका विस्तार अथवा नया प्रोजेक्ट लगाने का प्रस्ताव प्राप्त होता है तो उन्हें बुलाकर बात चीत की जाती है और न्यायालय द्वारा स्थगित मामलों में भी वसूली का प्रयास किया जाता है।

शासन की यह भी नीति है कि अलकोहल का अधिक से अधिक उपयोग प्रदेश में अलकोहल पर आधारित उद्योगों के विकास में हो। इसके लिये उद्योगों को आकर्षित करने एवं बढ़ावा देने के लिये सभी सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं।]

जनपद हरदोई के 10 लाख गन्ना किसानों के गन्ने के मूल्य का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में वक्तव्य

गन्ना विकास राज्य मंत्री (श्री संकठा प्रसाद शास्त्री)--

मान्यवर, माननीय विधायक का श्री राम आसरे वर्मा श्री अशोक बाजपेयी ने उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की हरदोई इकाई.....

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मंत्री जी यह वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया गया।

(पढ़ा हुआ वक्तव्य माना गया।)

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

[..ने पेराई सत्र 1988-89 में दिनांक 17-11-1988 से पेराई कार्य प्रारम्भ किया। मिल को दिनांक 31-3-1989 तक इस पेराई सत्र में चीनी मिल ने कुल 16.46 लाख कुन्टल गन्ने की खरीद की जिस पर रु0 478.63 लाख गन्ना मूल्य का देय हुआ। दिनांक 28-2-1989 तक रुपये 337.94 का भुगतान किया जा चुका है। अवशेष धनराशि रु0 140.69 का भुगतान शेष है। अशेष गन्ना मूल्य का भुगतान एक सप्ताह के अन्दर करा दिया जायगा। इस प्रकार लगभग 70 प्रतिशत गन्ने के मूल्य का भुगतान किया जा चुका है। इस वर्ष के गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर गन्ना कृषकों में किसी प्रकार का कोई असन्तोष नहीं है। उक्त ने यह भी स्पष्ट है कि चीनी मिल ने 20 लाख कुन्टल गन्ने की पेराई नहीं की है और न ही 6 करोड़ रु0 गन्ना मूल्य का देय हुआ है।

2--यह कहना सही नहीं है कि हरदोई के किसानों का सट्टा भी अब तक नहीं बनाया गया है। वास्तविकता यह है कि हरदोई चीनी मिल क्षेत्र के कृषकों का कुल 26.54 लाख कुन्टल का सट्टा किया गया है। अब मिल क्षेत्र में लगभग 1.5 लाख कुन्टल गन्ना और मिलने की सम्भावना है जो मिल की वर्तमान पेराई गति के देखते हुये, आशा की जाती है कि 15-4-89 तक समाप्त हो जायेगा।

3--इस चीनी मिल के विरुद्ध वर्ष 1988-89 से पूर्व वर्षो का 82.81 लाख रु0 बकाया है जिसमें 179.92 लाख रुपये अधिग्रहण के पूर्व वर्षों का है जिसका भुगतान उ0 प्र0 चीनी उपक्रम (अर्जन) अधिनियम, 1971 प्राविधानों के अन्तर्गत होता है तथा अधिग्रहण के बाद के वर्षों के अवशेष 2.89 लाख रुपये का भुगतान खुला हुआ है जिसे कृषक किसी भी समय प्राप्त कर सकता है। गन्ना मूल्य भुगतान के विषय को लेकर हरदोई जनपद में जगह-जगह आन्दोलन एवं प्रदर्शन होने के अधिकृत सूचना उपलब्ध नहीं है अधिग्रहण के बाद के वर्षों के भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित करा दी गयी है और आशा की जाती है कि वर्तमान पेराई सत्र के अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान चीनी मिल बन्द होने के 15 दिन के अन्तर्गत पूर्ण हो जायगा।

4--इस प्रकार जनपद हरदोई के गन्ना कृषकों के उनके गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर न तो कोई कठिनाई और न कोई समस्या है।]

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*श्री अशोक बाजपेयी--

माननीय, माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में सूचना दी है कि 31-3-89 तक हरदोई चीनी मिल पर हरदोई के गन्ना किसानों का रु0 140.69 की धनराशि भुगतान के लिये अवशेष है। जबकि उत्तर प्रदेश शुगर केन परचेज एक्ट में प्राविधान है कि अगर 14 दिनों तक गन्ना किसानों को भुगतान न किया जाय तो उसको उस धनराशि के साथ उसके ब्याज का भी पैसा दिया जायेगा। आपने आदेश तो जारी कर दिये लेकिन वास्तव में वहां पर जनवरी माह तक का ही अभी तक किसानों को पेमेन्ट हुआ है। तीन करोड़ रु0 किसानों का बकाया है उस चीनी मिल पर। मैंने कार्यस्थगन प्रस्ताव में भी स्पष्ट रुप से आरोप लगाया था कि इसमें शासन ढिलाई कर रही है। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 140.69 रु0 बकाया है और जबकि पिछला बकाया ही 1 करोड़ 82 लाख रु0 का शेष है। तो माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस बकाये की धनराशि का भुगतान आप कब तक सुनिश्चित करा देंगे ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

माननीय, इसके लिये यह नियम है कि 15 दिन के अन्दर गन्ना किसानों को रुपये का भुगतान कर दिया जाय। जिन किसानों का मूल्य अवशेष है उनको 15 दिन के अन्दर भुगतान करने के प्रयास जारी रहते हैं। चीनी मिल बन्द होने पर 15 दिन के अन्दर पैसे का भुगतान कर दिया जाता है, यह नियम है।

श्री अशोक बाजपेयी--

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में अन्तिम पक्ष में कहा है कि 179.92 लाख रु0 मिल के अधिग्रहण के पूर्व वर्षों का है मैं जानना चाहता हूं कि जब असेट्स को सरकार अधिग्रहीत करती है तो किसानों ने क्या गुनाह किया है कि आप उसकी लाईबिलिटी लेने में हिचकते हैं ? क्या माननीय मंत्री जी सदन को आश्वस्त करेंगे कि अधिग्रहण के पूर्व का बकाया पैसा मिल बन्द होने के पूर्व किसानों को भुगतान करा दिया जायगा ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

लेकिन मैं माननीय, माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जैसा कि उन्होंने कहा कि लाईबिलिटीज के बार में, यह लाईबिलिटीज हों या न हों, सरकार का क्या कर्त्तव्य था यदि सरकार यह चाहती है कि किसानों ने जो गन्ना सप्लाई किया है, उसके एक-एक पैसे का भुगतान हो जाना चाहिये लाईबिलिटीज का कोई माननीय विवाद नहीं है। इसलिये मैं जानना चाहूंगा कि किसानों व मजदूरों का जो पैसा बकाया है, उसे भुगतान किया जाना चाहिये अधिग्रहण से पहले का जो धन हैं, इस प्रकार का पैसा किसानों का हर जगह चाहे वह सीतापुर हो, हरदोई हो, बकाया है, उस पैसे को दिलाने के लिये सरकार क्या सोच रही है ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

माननीय, अभी तक तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो व्यवस्था है अधिनियम के अन्तर्गत उसी के अनुसार इस पर कार्यवाही होती है और जो पहले का भुगतान बकाया होता है, उसे पैसे को मिल मालिक ही देते हैं.....

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय, यह सरकार लोक कल्याण की बात करती है लेकिन किसानों पर हो रहे अन्याय की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है जबकि सारी जिम्मेदारी सरकार पर ही आती है

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय मंत्री जी ने नियमों का हवाला दे दिया, जिससे साफ जाहिर होता है कि इन्हें जनता के दुख दर्द का कोई वास्ता नहीं है, माननीय लोकपति त्रिपाठी जी यहां पर बैठे हैं इनसे ही मान्यवर पूछ लीजिए कि इस पर किसकी जिम्मेदारी आती है। यह बात सदन में तो कहकर मुंह काला किया जा सकता है, लेकिन बाहर जनता क समक्ष क्या मुंह दिखाऐंगे.....

(व्यवधान)

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

मान्यवर, निजी क्षेत्र की चीनी मिलों का मामला यह होता है कि जब वह चल नहीं पाती है और काफी बकाया किसानों व श्रमिकों का हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में सरकार उस मिल को अधिग्रहण कर लेती है किसानों व मजदूरों के हित में ही यह किया जाता है, लेकिन यह जो बकाया अधिग्रहण के पहले का होता है उसके भुगतान की जिम्मेदारी तो उन निजीमिल मालिकों पर ही होती है, इस पैसे के भुगतान की जिम्मेदारी सरकार पर होगी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।.....

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर माननीय मत्री जी ने यह कहा कि अधिग्रहण अर्जन अधिनियम 1971 के प्राविधानों के अन्तर्गत इनका भुगतान होना है और जिन मिलों पर अधिग्रहण के पहले का पैसा बकाया है, उसके बारे में क्या प्राविधान है। नियमों के अन्तर्गत एक बात यह बता दें और दूसरी बात यह कि सरकार किसानों का पैसा मिल मालिकों से या निगमों से दिलाए। सरकार की यह जिम्मेदारी है कि किसानों के पैसों का भुगतान कराये जबकि काफी दिन हो गये हैं अधिग्रहण के बाद तो कौन-कौन से प्रयास सरकार की तरफ से अब तक इस ओर किये गये हैं वह बात बता दें।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

मान्यवर, यह जैसा कि स्वयं माननीय सदस्य ने अर्जन अधिनियम 1971 की बात कही उसके प्राविधान की। तो मान्यवर वास्तव में प्राविधान तो यही है कि प्रेस्क्राइब अथारिटी द्वारा जो मुआवजा निर्धारित किया जाता है और इनके अनुसार जो क्लेम बनता है,उसके अनुसार जितना शेयर बनता है, वह दे दिया जाता है.....

श्री हरेन्द्र सिंह—.....

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का जबाव नहीं आया। हमारा प्रश्न यह था कि जब सरकार जिम्मेदार है कि वह किसान के पैसे का भुगतान करवाये, चाहे मिल मालिकों द्वारा या निगम से, तो मान्यवर, इस अधिग्रहण की कार्यवाही हुए आज कई साल बीत गये परन्तु आज तक भुगतान नहीं कराया गया तो मैंने यह जानना चाहा था कि सरकार की तरफ से क्या क्या कार्यवाही की गयी और यदि यह कार्यवाही अब तक नहीं की गयी तोसाफ-साफ यह कहा जायेगा कि यह सरकार किसानों व मजदूरों के साथ खिलवाड़ कर रही है यह बता दें कि क्या-क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

मान्यवर, माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि अधिग्रहण के पूर्व गन्ना मूल्य के भुगतान क सिलसिले में क्या-क्या कार्यवाही की गयी तो मैं बताना चाहता हूं कि जिन जिन मिलों का मामला होता है, वहां के गन्ना विकास अधिकारी और सम्बन्धित अधिकारी उसके मूल्य के भुगतान का प्रयास करते हैं।

श्री हरेन्द्र सिंह---

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता है कि मुजफ्फरनगर की मंसूरपुर चीनी मिल का 97 लाख रुपया बकाया है और जिसके सम्बन्ध में जिला गन्ना विकास अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों के मध्य एक समझौता हुआ, लेकिन उसका पालन अभी तक नहीं किया गया है, तो उसके अनुसार जो बकाया धनराशि है, उसके भुगतान की व्यवस्था करेंगे, उसे किसानों को दिलवायेंगे ।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री---

इस वक्तव्य से इस प्रश्न का कोई सम्बन्ध नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जो धनराशि बकाया होगी और देय होगी, उसका भुगतान अवश्य किया जायगा ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय---

माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में बताया है कि कुछ का भुगतान किया गया है और कुछ अभी शेष है, तो मान्यवर, आपको जानकारी होगी कि मिलों में टैगिंग की व्यवस्था होती है, तो क्या इस मिल में टैगिंग की व्यवस्था है, वह नियमित करायी जाती है ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री---

मान्यवर, इसकी सूचना नहीं है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय---

अगर मान्यवर इसकी सूचना है नहीं तो इसका उत्तर पूरा नहीं आ सकता है । मान्यवर, बैंकों से रुपया मिलता है तो मिल मालिक उस रुपये को दूसरे कामों में लगा देते हैं । मान्यवर, टैगिंग के द्वारा इसका परीक्षण होता था, यह 15 दिनों में होती थी । अगर टैगिंग होती रहे तो रुपया बकाया नहीं रहने पायेगा, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि भविष्य में प्रत्येक मिलों में टैगिंग की व्यवस्था कराने की कृपा करेंगे ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री---

मान्यवर, अगर उसकी व्यवस्था पहले से है, तो जरुर करायी जायेगी ।

श्री राम आसरे वर्मा---

मान्यवर, मेरा प्रश्न है कि अधिग्रहण के पहले जो बकाया है, उसके भुगतान के सम्बन्ध में है, तो उसको भुगतान कराने की शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी और नहीं की गयी तो क्यों नहीं की गयी और किस तरह की कार्यवाही करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता---

इसका तो उत्तर आ चुका है, आप दुबारा प्रश्न कर रहे हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा---

मान्यवर, इसी का तो उत्तर देने से माननीय मंत्री जी मुकर रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता---

आप बैठिये, आपने कई प्रश्न कर लिये ।

श्री राम आसरे वर्मा---

मान्यवर, हरदोई की मिल से संबंधित प्रश्न है और मेरा प्रश्न वक्तव्य से सम्बन्धित है ।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री---

मान्यवर, मैंने निवेदन कर दिया है कि.....

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, यह एक स्पेसिफिक सवाल पूछा गया है कि गन्ने का जो बकाया है उसके भुगतान की क्या व्वयस्था की गई है ?

श्री अशोक बाजपेयी--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी यह बतायें कि हरदोई के गन्ना किसानों का बकाया इस पिराई सत्र की किस तिथि तक भुगतान सुनिश्चित कर दिया गया है ? दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने अपने उत्तर में कहा कि 26,54,000 क्विंटल गन्ने की खरीद का सर्वे हुआ था और अब तक केवल 16 लाख क्विन्टल ही खरीद हुई है और आपने कहा है कि 15 अप्रैल तक चीनी मिल बन्द कर दी जायेगी। किसानों का अभी 10 लाख क्विंटल गन्ना खड़ा है उसका अभी सर्वे नहीं किया गया है, किसानों को परची नहीं मिल पाई है। इसलिये क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जब तक किसानों के इस गन्ने की पूरी पिराई नहीं होजाती तब तक वे इस मिल को चलाते रहेंगे ? दो करोड़ रुपया किसानों का पहले का बाकी है। इसमें किसानों का कौन सा कसूर है जिसके कारण उनके बकाये का भुगतान नहीं हो रहा है ? जब यह मिल अधिग्रहीत हो गई तो उसके भुगतान का दायित्व शासन का हो जाता है। मान्यवर, इसका उत्तर दिला दें।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय गन्ना विकास मंत्री जी, आप कृपा करके माननीय वर्मा जी, माननीय राणा जी और माननीय अशोक बाजपेयी जी के प्रश्नों का उत्तर सम्मिलित रूप से दे दीजिये।

श्री विजय सिंह राणा--

उनको याद ही नहीं होगा।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

मान्यवर, अशोक बाजपेयी जो ने जो पूछा है कि कब तक का भुगतान हो चुका है तो मान्यवर 28-2-89 तक का भुगतान हो चुका है किसानों के गन्ना मूल्य का और जो अवशेष है उसका भुगतान करने का प्रयास किया जा रहा है। 70 प्रतिशत गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया गया है और अवशेष के भुगतान की कोशिश की जा रही है। मिल बन्द होने के 15 दिन केअन्दर जो गन्ना क्रय किया गया है उसका भुगतान कर दिया जायेगा।

श्री अशोक बाजपेयी--

मान्यवर, हरदोई चीनी मिल 15 अप्रैल को बन्द करने जा रहें हैं। छोटे काश्तकारों को पर्ची नहीं मिली है। क्या माननीय मंत्री जी घोषणा करेंगे कि इसका वे री-सर्वे करायेंगे और जिन गन्ना किसानों की गन्ने की पिराई पूरी नहीं हुई है, जब तक वह नहीं हो जाती है तब तक यह चीनी मिल बन्द नहीं होगी ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

जैसी कि सूचना मिली हैउसके अनुसार जो यह मिल बन्द करने की बात कही गई है तो यदि किसान गन्ना देंगे तो उसकी क्षमता के अनुसार गन्ने की पिराई निश्चित रूप से होगी।

श्री अशोक बजपेयी--

मान्यवर, मैंने यह भी पूछा था कि क्या आप इसका सर्वेक्षण करायेंगे कि अभी छोटे किसानों का गन्ना खड़ा है उसको देखते हुये जब तक उनके इस गन्ने की पिराई नहीं हो जाती तब तक आप उस मिल को बन्द नहीं करायेंगे ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

मैं कह रहा हूं कि जितना गन्ना उपलब्ध होगा और जितनी मिल की क्षमता होगी उसके अनुसार जरुर पिराई की जायेगी। जो क्रय केन्द्र स्थापित किये गये हैं जब गन्ने की कमी पड़ती है तो उसकी छूट करा दी जाती है। अगर यह स्थिति होगी तो गन्ने की पिराई होगी और मिल जरूर चलाई जायेगी।

श्री अशोक बाजपेयी--

मान्यवर, छोटे काश्तकारों को सट्टा नहीं मिल पा रहा है इसलिये उसका गन्ना नहीं लिया जा रहा है। बड़े काश्तकारों को ही सट्टा दिया गया है। इसलिये क्या आप इसका सर्वेक्षण करायेंगे और छोटे काश्तकारों का गन्ना लेकर उसकी पिराई के बाद ही आप इस चीनी मिल को बन्द करायेंगे ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

मान्यवर, सट्टे को आप बात कर रहे हैं। सट्टा 26.54 लाख क्विंटल किया गया था और उसके मुताबिक जो गन्ना आयेगा वह लिया जायेगा। उसके अनुसार यह अनुमान है कि 1.5 लाख क्विंटल गन्ना और मिल जायेगा उसके अनुसार जितनी क्षमता होगी, पिराई की जायेगी। मैं कह रहा हूं कि गन्ना यदि किसान देंगे और जितनी क्षमता चीनी मिल की है गन्ना उपलब्ध होने पर मिल जरूर चलाई जायेगी।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने आपके आदेशों की अवहेलना करादी आपने निर्देश दिया था कि मेरे माननीय अशोक बाजपेयी तथा अन्य सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर एक साथ दे दें लेकिन मंत्री जी ने केवल अशोक बाजपेयी जी के प्रश्नों का जवाब दे दिया बाकी का नहीं। मेरा सीधा सवाल है अधिग्रहण से पहले जो बकाया किसानों का पड़ा है उसके भुगतान के सिलसिले में क्या प्रयास किया गया अगर कोई प्रयास नहीं किया गया तो क्यों ?

(समय 7 बजकर 30 मिनट)

श्री द्वारिका प्रसाद--

मान्यवर, खलीलाबाद शुगर मिल पर करोड़ों रुपया किसानों का बकाया है....

श्री अधिष्ठाता--

यह खलीलाबाद का कहां से आ गया। इस परिधि में यह नहीं आ रहा है जिसमें माननीय मंत्री जी ने वक्तव्य दिया है। इस तरह से तो सभी मिलों पर चर्चा शुरु हो जायेगी यह हरदोई का मामला है।

श्री राम आसरे वर्मा--

मेरे प्रश्न का जवाब दिलवा दें।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मंत्री जी ने इसको सुन लिया है जिस चीज का उत्तर उनको देना था दे दिया है जो चीज आप कहलवाना चाहते हैं वह मंत्री जी नहीं कह रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूं।

श्री राम आसरे वर्मा--

मैं आपका संरक्षण चाहता हूं आप इस तरह से मंत्री जी को बचायेंगे तो हम संरक्षण नहीं मिलेगा। मेरा सीधा प्रश्न है कि अधिग्रहण से पहले का जो किसानों का बकाया है उसके भुगतान के लिये शासन क्या कर रहा है ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

मैंने जवाब दिया कि निजी चीनी मिलों के गन्ने के भुगतान के मामले में हमारे विभाग के अधिकारी बराबर प्रयास करते है कि गन्ना मिलें भुगतान कर दें, यदि किन्हीं कारणों से, विषम परिस्थितियों में भुगतान नहीं करते हैं और किसान का नुकसान होता है और मिल बन्द होती है तो फिर अधिग्रहण किया जाता है और अधिग्रहण से किसानों को नुकसान न हो ।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा--

यह सरकार किसानों को मरवाना चाहती है ।

(व्यवधान)

श्री अशोक बाजपेयी--

मान्यवर, यह सरकार किसान विरोधी है, गन्ना किसानों को उनका मूल्य नहीं दिला सकती है, इस सरकार के रहते किसानों का भला नहीं हो सकता है । मैं इसके विरोध में सदन त्याग करता हूं ।

(श्री अशोक बाजपेयी सदन त्याग कर चले गये)

श्री रामआसरे वर्मा--

मैं बाजपेयी जी की बात से सहमत हूं इसलिये मैं उनके साथ बहिर्गमन करता हूं ।

(श्री रामआसरे वर्मा भी सदन त्याग कर चले गये ।)

सहकारी आवास समितियों द्वारा अनियमित और अवैधानिक रूप से आवास हेतु भूमि क्रय कर लाभ कमाने तथा निबन्धक सहकारी समितियों को वार्षिक लेखा-जोखा न भेजने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में वक्तव्य

आवास राज्य मंत्री (श्री श्रीनाथ सिंह) मान्यवर, माननीय सदस्य श्री रघुबर दयाल वर्मा जी ने . . .

श्री रघुवर दयाल वर्मा:- -पढ़ा हुआ माना जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

ठीक है । पढ़ा हुआ मान लिया जाये ?

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

श्री श्रीनाथ सिंह--

[. . . दिनांक 14-3-89 को नियम-56 के अधीन जो सूचना दी है उसमें मुख्य रूप से निम्न तीन बिन्दु उठाये गये हैं :--

(i) प्रदेश के हर नगर क्षेत्र में सहकारी आवास समितियां ऐसे स्वार्थी तत्वों ने बना रखी हैं जो शासन द्वारा सहकारी आवास समितियों को प्रदत्त सुविधा का दुरुपयोग कर रहे हैं ।

(ii) सहकारी आवास समितियां अपना वार्षिक लेखा आय-व्यय का हिसाब-किताब नियमानुसार निबन्धक सहकारी समितियों को नहीं प्रस्तुत किया और न ही लेखों की सम्परीक्षा आडिट विभाग से करायी है जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश भर में सहकार आवास

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

समितियों में बड़े पैमाने पर सरकारी शुल्क की चोरी हुई है। फलस्वरूप समिति के सदस्यों और अनेक लोगों को भारी क्षति पहुंची है।

(iii) फिरोजाबाद तथा आगरा में इसी प्रकार की अनेक समितियां हैं जिन्होंने काश्तकारों से फर्जी तौर पर बैनामें में लिखा कर बिना रुपये दिये कब्जा कर रखे है।

2--जहां तक उपरोक्त बिन्दु (1) का संबंध है वस्तुस्थिति यह है कि सरकार की ओर से सहकारी आवास समितियों को किसी प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं कराई जाती है, परन्तु राज्य सरकार ने इन सहकारी आवास समितियों द्वारा भूमि क्रय किये जाने पर इन्हें स्टैम्प ड्यूटी से मुक्त कर रखा है अर्थात् जब किसी भू-स्वामी से कोई सहकारी आवास समिति भूमि क्रय करती है तो समिति के नाम पर भूमि के रजिस्ट्री कराये जाने पर कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती है। परन्तु जब उक्त समिति उस भूमि के भूखण्ड बनाकर अपने सदस्यों को बिक्रय हेतु रजिस्ट्री करती है तो केवल 5,000 रुपये मूल्य तक के भूखण्ड स्टैम्प ड्यूटी से मुक्त होते हैं उस और उससे अधिक मूल्य के भूखण्डों के बिक्रय पर सदस्य को लगभग आधी स्टैम्प ड्यूटी देनी होती है। जहां तक स्टैम्प ड्यूटी के दुरुपयोग का प्रश्न है इस संबंध में जिला प्रशासन द्वारा हर क्षेत्र का सर्किल रेट निर्धारित किया जाता है जिसके आधार पर भूमि की रजिस्ट्री करते समय सब रजिस्ट्रार स्टैम्प ड्यूटी लेते हैं। उल्लिखित छूट चूंकि किसी व्यक्ति विशेष को न प्राप्त होकर समिति के सदस्यों को सामान्य रूप से प्राप्त होती है और भू-खण्डों की रजिस्ट्री सब रजिस्ट्रार के कार्यालय में होती है अतः स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस से दी गई छूट का दुरुपयोग समितियों के सभापति द्वारा किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

3--जहां तक उल्लिखित बिन्दु (ii) का सम्बन्ध है, शहरी आवास समितियों के आडिट के संबंध में यह प्रक्रिया निर्धारित है कि शहरी आवास समितियों की सूची जिला आडिट आफिस, जो कि चीफ आडिटर पंचायत एवं सहकारी आवास समितियों के संगठन के अंग हैं, को भेज दी जाती है, जिनके द्वारा शहरी आवास समितियों का आडिट वर्ष में एक बार सामान्यतः किया जाता है। वर्तमान में प्रदेश में कुल 2313 सहकारी आवास समितियां पंजीकृत हैं जिनमें से केवल 1450 सहकारी आवास समितियां सक्रिय हैं और शेष 863 समितियां निष्क्रिय है। उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार सक्रिय समितियों की सूची सम्बन्धित आडिट विभाग को भेज दी जाती है जो उस सूची के आधार पर समितियों का आडिट करती हैं और आडिट में पाई जाने वाली गम्भीर त्रुटियों की सूचना आवास आयुक्त/निबन्धक/सहकारी आवास समितियों/को भेजते हैं। इन त्रुटियों के निराकरण की कार्यवाही आवास आयुक्त कार्यालय द्वारा व्यवहारित करायी जाती है। जो समितियां नियमानुसार न तो अपनी प्रबन्ध समिति का निर्वाचन कराती हैं और न तो विभाग को अपने परिलेख्य प्रस्तुत करती हैं और न ही अपना आडिट कराती हैं ऐसी समितियों का रजिस्ट्रेशन समाप्त करने के लिये सहकारी अधिनियम, 1965 की धारा 72 के अन्तर्गत अखबार में विज्ञप्ति प्रकाशित कर नोटिस दी जाती है और उनके परिसमापन के कार्यवाही की जाती है। इस समय उल्लिखित कार्यवाही 859 समितियों के विरुद्ध चल रही है।

4--जहां तक उपरिलिखित बिन्दु (iii) का संबंध है, फिरोजाबाद और आगरा में सहकारी आवास समितियों द्वारा काश्तकारों से फर्जी बैनामें में लिखाकर बिना रूपये दिये कब्जा किये जाने का कोई शिकायत आवास आयुक्त के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है।]

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सहकारी आवास समितियां जिनका पंजीयन लखनऊ में होता है। ऐक्ट के मुताबिक पजीयन के बाद

प्रतिवर्ष उन समितियों का आडिट प्रति वर्ष होना चाहिये । जिन समितियों का आडिट नहीं होता है उनको अगले वर्ष काम करने से रोक दिया जाता है । यह आवास समितियां बड़े-बड़े लोगों ने बना रखी हैं जो किसानों से बड़े कम दाम पर जमीन लेती हैं और फिर दूसरों को बढ़े हुये दामों पर बेचती है....

श्री अधिष्ठाता--

आप तो स्पष्टीकरण दे रहे हैं उनसे स्पष्टीकरण कीजिये ।

श्री रघुबीर दयाल वर्मा --

मान्यवर, मेरा प्रश्न है कि क्या आप बता सकते हैं कि इन सहकारी आवास समितियों जिनका आडिट नहीं हुआ है, उनका आडिट कराने के आदेश देंगे और जिन्होंने आडिट रिपोर्ट नहीं भेजा है, उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री श्रीनाथ सिंह--

शिकायत होने पर आडिट कराया जायेगा और कोई उसमें त्रुटि होगी तो कार्यवाही की जायेगी ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जिन समितियों ने वार्षिक लेखा जोखा की आपके यहां रिपोर्ट नहीं भेजा है उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे और लेखा जोखा की रिपोर्ट मंगायेंगे ?

दूसरा प्रश्न है आगरा में ग्राम मनोहरपुर के लोगों ने शिकायत किया कि उनका बैनामा एक सहकारी समिति ने जबरन करा लिया है और उनकी रिपोर्ट दर्ज कराने का आदेश गृह मंत्री ने एस0 पी0 आगरा को दिया है कि थाना न्यू आगरा में रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही की जाये : फिरोजाबाद में ग्राम टापा की एक महिला ने शिकायत किया कि एक सहकारी आवास समिति में फर्जी बैनामा कराकर उसका जमीन को हड़पने का प्रयास किया है जिसकी रिपोर्ट सी0 ओ0 के यहां हुई, सी0 ओ0 ने आदेश दिया कि अपराध धारा 420 में अपराध को दर्ज कर विवेचना की जाय । यह आदेश थाना फिरोजाबाद को दिये गये हैं । मैं चाहता हूं कि इन दोनों थानों से रिपोर्ट मंगाकर देखा जाय कि क्या कायवाही उन लोगों के खिलाफ की जा रही है ?

श्री श्रीनाथ सिंह---

जब कोई शिकायत आवास आयुक्त के पास होती है तो उसका परिसमापन और दंडित करने की कार्यवाही होती है । आगरा और फिरोजाबाद के संबंध में आवास आयुक्त को कोई शिकायत नहीं मिली है । आप लिखकर शिकायत कर दें तो आडिट कराया जायगा जिनका नहीं हुआ है उसकी कार्यवाही भी की जायगी ।

श्री विजय सिंह राणा---

प्रदेश में कितनी ऐसी सहकारी आवास समितियां हैं जिनका आडिट नहीं हुआ है और जमीन क्रय का काम अभी भी कर रही हैं ?

श्री श्रीनाथ सिंह--

मान्यवर, 1450 सोसाइटीज हैं जिसमें 859 निष्क्रिय हैं और उनके खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

मान्यवर, मेरी जानकारी है कि एक भी निष्क्रिय नहीं है , सब काम कर रही हैं, क्या इसकी जांच करायेंगे ?

श्री श्रीनाथ सिंह--

शिकायत होने पर जांच करा लेंगे, आप लिखकर दे दें ।

प्रदेश में बढ़ रहे शिक्षित बेरोजगारों की संख्या और कार्य के अवसर की कमी को देखते हुये सरकारी नौकरियों के लिये आयु सीमा 35 वर्ष कर दिये जाने संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा का स्थगन

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश में बढ़ रहे शिक्षित बेरोजगारों की संख्या और कार्य के अवसर की कमी को देखते हुए सरकारी नौकरियों के लिये आयु सीमा 35 वर्ष कर दी जाय ।" अब समय नहीं है, इसलिये इसकी चर्चा आगे सत्र में जारी रखी जाये ।

श्री अधिष्ठाता--

ठीक है, जारी रहेगी ।

जनपद बाराणसी के थाना सुरियावां, पुरानी बाजार में दिनांक 3 मार्च, 1989 को पड़ी डकैती एवं एक व्यक्ति की मृत्यु होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में वक्तव्य

गृह राज्य मंत्री (श्री सईदुज्जमा)--

मान्यवर, प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 3-3-89 का.....

एक सदस्य--

मान्यवर, वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाये ।

श्री अधिष्ठाता--

वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाये ?

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

श्री सईदुज्जमा--

[....रात्रि में लगभग सवा आठ बजे 15-20 डकैतों ने श्री कृष्ण प्रसाद ठठेर निवासी पुरानी बाजार थाना सुरियावां की जेवर की दूकान पर डकैती डाली । डकैत कट्टा, बन्दूक तथा बम आदि लिये हुए थे । डकैतों ने लाल जी वैश्य, शीतला प्रसाद, आत्मा राम मौर्य तथा अक्षय लाल हलवाई की दूकान में भी लूटपाट की । डाकुओं द्वारा किये गये फायर की आवाज सुनकर श्री अलगू राय, मुन्ना लाल गुप्त, पारसनाथ मौर्य तथा अन्य बहुत से लोग घटनास्थल पर आ गये । डकैतों द्वारा चलायी गयी गोली तथा बम से मुन्नीलाल की मृत्यु हो गयी तथा श्री पारसनाथ घायल हो गये । श्री मौर्य को अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां से अब वे स्वस्थ होकर घर आ गये हैं ।

इस घटना की सूचना रात्रि में लगभग 9.15 बजे श्री कृष्ण प्रसाद द्वारा थाना सुरियावां पर दी गयी । सूचना के आधार पर एक अभियोग अन्तर्गत धारा 396 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत किया गया । सूचना प्राप्त होते ही पुलिसदल घटनास्थल पर पहुंच गया था । अभियोग की विवेचना प्रचलित है तथा एक अभियुक्त को दिनांक

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

18-3-89 को गिरफ्तार किया जा चुका है शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं ।

थानाध्यक्ष द्वारा लापरवाही बरतन तथा घटना में पुलिस की मिली भगत होने आदि के आरोप सही नहीं है ।

इस घटना के विरोध में दिनांक 4-3-89 को सुरियावां बाजार बन्द रहा । थानाध्यक्ष श्री लल्लन मिश्र का स्थानान्तरण कर दिया गया है तथा कस्बा सुरियावां में सुरक्षा हेतु एक सशस्त्र गार्ड की नियुक्ति कर दी गयी है । इसके अतिरिक्त स्थानीय पुलिस द्वारा भी बराबर गश्त व पिकेट की जा रही है]

श्री मूल चन्द्र---

मान्यवर, दिनांक 3-3-89 को 8 बजे रात्रि को डकैती हुई थी और डकैतों ने जब फायरिंग बम, कट्टा और बन्दूक से की तो उस समय उस टाउन एरिया का बाजार था और उसमें बहुत से लोग वहां थे । मुन्नी लाल और अलगू राय आदि तमाम लोग चले आये थे और मुन्नी लाल ने ललकारा इन डकैतों को डकैतों ने उसको गोली मार दी, इसकी थाना में खबर हुई, थाने की पुलिस मार्केट में घूम रही थी, तो वह पुलिस वहां से सीधे घटनास्थल पर न आकर बाईपास से आ रही थी और उन्होंने बाईपास पर अपनी गाड़ी खड़ी करके पान भी खाया . . .

श्री अधिष्ठाता---

यह तो आप घटना का विवरण दे रहे हैं । मंत्री जी के वक्तव्य के संबंध में आपको कोई प्रश्न या स्पष्टीकरण करना हो तो कर लें ।

श्री मूल चन्द्र---

वही कह रहा हूं । मंत्री जी यह बता दें कि घटनास्थल से थाने की दूरी कितनी है और पुलिस के लोग गये तब कितनी फायरिंग की, जबकि मौके पर 32 फायरिंग हुई है ?

श्री सईदुज्जमा---

मान्यवर, थाने की दूरी अन्दाजन डेढ-दो किलोमीटर है । घटना होते ही जैसे ही सूचना मिली पुलिस वहां पहुच गयी, लेकिन वहां बदमाश भाग चुके थे, और इसमें मान्यवर, हमने थानेदार को भी वहां से हटाया है । इसमें एक आदमी मारा गया और एक घायल हुआ है, इसमें जो भी कार्यवाही है, पुलिस सतर्कता से कर रही है ।

*श्री यदुनाथ सिंह---

मंत्री जी के वक्तव्य से स्पष्ट होता है कि थानेदार पर मुकदमा चलना चाहिये । इसमें मुन्नीलाल और पारसनाथ ने बहादुरी का कार्य किया है, तो क्वा उसके आश्रितों को आप मुआवजा देने की चेष्टा करेंगे ? पुलिस तो आपकी बहादुरी दिखा नहीं सकी है । दरोगा के केवल स्थानांतरण की आपने बात कही , पुलिस की मिलीभगत से ही यह डकैती होती है . . . . . (व्यवधान)

श्री सईदुज्जमा---

मान्यवर, इस पर सहानुभूतिपूर्वक बिचार कर लेंगे ।

श्री मोहम्मद आजम खां---

मंत्री जी ने खुद ही बताया कि लगभग 2 फर्लांग पर थाना था और 15-20 आदमी थाने के सामने से गुजरे थे, क्या तो यह संभव है कि पुलिस को इसकी जानकारी नहीं हो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सकी ? सवा 8 बजे की यह घटना है और सवा 9 बजे पुलिस वहां पहुंची और जब एस0पी0 आये तो उन्होंने फौरन थानाध्यक्ष का ट्रांसफर कर दिया । लिहाजा उसके ट्रांसफर से यह साबित हो गया कि इसमें थानेदार की लापरवाही थी । ट्रांसफर कोई पनिश्मेंट नहीं है, यह तो मात्र स्थानीय लोगों को बेवकूफ बनाने का तरीका है । इस थानाध्यक्ष की वजह से इतना बड़ा कांड हुआ, तो इसमें सरकार क्या कार्यवाही करेगा ? दूसरी बात मरने वाले ने जिस बहादुरी से दूसरों को लूटने से बचा लिया उसको सरकार मुआवजा देने और उसको वीरता पुरस्कार देने की कृपा करेंगी ?

श्री सईदुज्जमा--

इसके लिये मैं पहले आपको अवगत करा चुका हूं । इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर लिया जायगा ।

श्री मुहम्मद आजम खां--

थानाध्यक्ष के बारे में सहानुभूतिपूर्वक कार्यवाही होगी तब तो यह सरकार चल चुकी, और सारी कार्यवाही हो चुकी ।

श्री अधिष्ठाता--

अभी 19 वक्तव्य पड़े हैं अगर दस-दस मिनट लगाये गये तो भी तीन घंटे लगेंगे ।

श्री शारदानन्द अंचल--

मान्यवर, सवा आठ बजे डकैती की घटना होती है । डकैत पौन घंटे तक कई घरों को लूटते हैं--

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न करें ।

श्री शारदानन्द अंचल--

पूरे नगर में कोहराम मच जाता है पुलिस वहां रहती है और उसके बाद भी नहीं जाती है गृह स्वामी और लोग जब कहते हैं तो बाईपास से पुलिस जाती है, तो थानाध्यक्ष की वजह से यह घटना हुई है, तो आप थानाध्यक्ष के बारे में प्रतिकूल प्रविष्टि करेंगे ?

श्री सईदुज्जमा--

इस संबंध में जांच हो रही है कोई ऐसा तथ्य सामने आयेगा तो कार्यवाही होगी ।

श्री मुहम्मद आजम खां--

सरकार की नीति रही है इस तरह के जितने हादसे होते हैं उसमें सरकार मुआवजा देती है । एक गरीब आदमी ने डकैतों से लोगों को लूटने से बचाया, तो क्या सरकार उस गरीब, निर्धन आदमी को मुआवजा देने पर विचार करेगी ।

श्री अधिष्ठता--

माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दे दिया है कि सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे ।

श्री सईदुज्जमा--

वह कह दिया है कि सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे ।

*श्री अनुग्रह नारायण सिंह---

यह तो गृह विभाग के मंत्री जी हैं इन्होंने स्वीकार किया कि दरोगा का स्थानान्तरण कर दिया। जब डकैतों से पुलिस की मुठभेड़ होती है, चाहे वास्तविक हो, चाहे फर्जी हो, उसमें कोई पुलिस वाला घायल होता है तो उसको तुरन्त वीरता पुरस्कार देते हैं शहीद होता है तो वीरता पुरस्कार और मुआवजा दिया जाता है। इस मामले में थाने की पुलिस निष्क्रिय रही, लोगों ने डकैतों का मुकाबला किया। इसमें मुन्नीलाल शहीद हुए तो नागरिक को प्रोत्साहित करने के लिये क्या यह वीरता पुरस्कार की संस्तुति करेंगे और मुआवजा देंगे।

श्री सईदुज्जमा---

मान्यवर, इसमें जिन्होंने ऐसी बहादुरी का कार्य किया है उनको हम इज्जत की नजर से देखते है। इसमें कार्यवाही की जाएगी।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय---

मान्यवर, मुझे एक प्रश्न करने दें। हम मंत्री जी की कलई खोल देगें।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह---

मान्यवर, शासन की यह नीति होनी चाहिये कि अगर कोई नागरिक अपराधियोंका मुकाबला करता है या अपराधियों से जनता को बचाने में शहीद हो जाता है तो उसको वीरता पुरस्कार दिया जाना चाहिये लेकिन सरकार वीरता पुरस्कार देने में शरमा रही है। मान्यवर, आपकी पीठ से निर्देश हो जाने चाहिये कि जो नागरिक ऐसे लुटेरों का विरोध करते करते शहीद हो जाते हैं उनको वीरता पुरस्कार दिये जाय।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय---

मान्यवर, जिस समय यह डकैती पड़ रही थी तो उस समय थाने की जनरल डायरी में थानाध्यक्ष की उपस्थिति कहां पर दर्शायी गयी है यह बताने का कष्ट करेंगे।

श्री सईदुज्जमा---

इसक लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय---

तो इसको स्थगित कर दीजिये अगर सूचना नहीं है। आपने दरोगा का स्थानान्तरण किया इसका मतलब है कि यह उस समय थाने पर उपस्थित थ। उनको सस्पेंण्ड करना चाहिये और लाइन हाजिर करना चाहिये।

श्री मूल चन्द्र---

मान्यवर, दो महीने में वहां पर कई घटनायें हो चुकी है। अभिलहरा में 7 घर में डकैती हुयी। मतेश्वर में 10 हुयीं सुरियावां में 2 घटनायें हुयीं। वहां दर्जनों कत्ल और डकैतियां पड़ीं हैं। थाने के एक फलांग के अन्दर कत्ल हुआ है डकैती पड़ी जिसमें पुलिस खुद शामिल थी और अपना हक लेती थी। एस0पी0 ने कहा था कि लाइन हाजिर किया जायगा लेकिन लाइन हाजिर नहीं किया गया। चौकी के इंचार्ज पाली ने 6 हजार रुपये क्रिमिनलों से लिये। लेकिन उक्त इंचाज के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

श्री अधिष्ठाता---

आप प्रश्न करें।

श्री मूल चन्द्र---

मान्यवर, हरिजनों के घर लूटे गये। जनता की मांग के मुताबिक थाने के जो लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ 120-बी की कार्यवाही करेंगे? जिन लोगों के घर लूटे गये हैं उनको असलहा देने की व्यवस्था करेंगे? हृदय हरिजन के यहां ग्राम हरिकरन बायुरन के यहां डकैती पड़ी तो उन लोगों को लाइसेंस देंगे?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—

इतनी बातें मंत्री जी को याद नहीं रहेंगी। आप प्रश्न करें।

श्री मूल चन्द्र—

मान्यवर, जब डकैती पड़ती है तो जिनके पास बदूक होती हैं उनको फायर करना चाहिये, जो फायर नहीं करते हैं उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाना चाहिए। पुलिस के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करनी चाहिये।

श्री सईदुज्जमा—

मैं मान्यवर इसका क्या उत्तर दूं, माननीय सदस्य ने खुद स्पष्टीकरण दे दिया है। मान्यवर, अभी तक जो देखा गया है कि उसमें पुलिस की तरफ से कोई लापरवाही या उदासीनता नहीं बरती गयी है। अगर जांच से ऐसा पता चलेगा कि तो निश्चित रूप से कार्यवाही की जायगी।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

जनरल डायरी का पता नहीं है कि कौन कौन लोग थाने पर थे और कह रहे हैं कि पुलिस की लापरवाही नहीं थी।

श्री शारदानन्द अंचल—

मान्यवर, पुलिस कर्मियों के खिलाफ 120–बी का मुकदमा चलाया जाना चाहिये। मान्यवर, मेरी बात को सही मानते हुए कि वह डकैती काण्ड, जो कई परिवारों का एक साथ हुआ है, उस डकैती काण्ड में स्थानीय पुलिस मिली हुई थी और इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या थानाध्यक्ष लल्लन मिश्रा और स्थानीय पुलिस के खिलाफ 120–बी का मुकदमा चलाया जायगा और पीड़ित परिवार को असलहा देने की कृपा करेंगें ?

श्री सईदुज्जमा—

मान्यवर, माननीय सदस्य पुलिस की उदासीनता की बात कर रहे हैं। पुलिस ने मुलजिम को पकड़ा है। चार मुलजिम पकड़े जा चुके हैं और जो सख्त से सख्त कार्यवाही होगी, की जायगी।

बांदा जनपद के बदौसा थाना के अन्तर्गत ग्राम तुर्रा में शराब के नशे में धुत्त पुलिस कर्मियों द्वारा हरिजनों पर फायरिंग करने के फलस्वरुप एक हरिजन की मृत्यु तथा दो के घायल होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में वक्तव्य

गृह राज्य मंत्री (श्री सईदुज्जमा)—

प्राप्त सूचनानुसार जनपद बांदा के थाना बदौसा के अन्तगत . . .

श्री अधिष्ठाता—

इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये ?

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया गया।)

श्री सईदज्जमा—

[. . .ग्राम तुर्रा में दिनांक 21/22–3–89 की रात्रि में होलिका दहन के लिये एकत्र लोगों पर लगभग एक बजे रात्रि में किसी ने पीछे से फायर किया, जिससे श्री लाला कहार की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई और वहां मौजूद श्री भइयन हरिजन व बहोरा निवासीगण ग्राम तुर्रा को भी छर्रे लगे। घटना के बाद उक्त तिथि को 3–30 बजे रात्रि में ही मृतक के भाई श्री राम दुलारे की लिखित सूचना पर थाना बदौसा पर अ0सं0–53/89 अन्तर्गत धार

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना जाय।

304/307 भा० द० वि० बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। दोनों घायलों को तत्काल पुलिस द्वारा सदर अस्पताल बांदा भेजा गया। डाक्टरी रिपोर्ट के अधार पर दोनों घायलों को साधारण चोटें पायी गयीं। पुलिस अधीक्षक, बांदा के अनुरोध परघायल भइयनका एक्सरे किया गया है और सदर अस्पताल बांदा में भर्ती है और उसका इलाज सुचारु रूप से किया जा रहा है जिससे दूसरे घायल बहोरा को सिर्फ एक चोट खरोंच की थी, जो वर्तमान में स्वस्थ है।

ग्राम तुर्रा में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु दिनांक 28-2-89 से एक सशस्त्र गार्द तैनात थी। गार्द द्वारा गश्त के समय एक आरक्षी 169 ए0पी0 कौशल किशोर तिवारी ने उसके कथनानुसार कहीं से दो फायर होने की आवाज सुनकर और मुख्य आरक्षी के आदेश के दो फायर कर दिये। उक्त आरक्षी क अतिरिक्त अन्य किसी पुलिस कर्मी द्वारा गोली नहीं चलाई गई।

दिनांक 22-3-89 को ही क्षेत्राधिकारी कर्वी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और ग्राम में अनेक व्यक्तियों से पूछताछ की गई। वादी द्वारा प्रारम्भ में पुलिस कर्मियों द्वारा शराब पीकर फायर करने के संबंध में कोई आरोप नहीं लगाया गया था अतएव पुलिस कर्मियों का डाक्टरी परीक्षण नहीं कराया जा सका, जिससे घटना के समय पुलिस कर्मियो के शराब पिये होने के बिन्दु की जांच नहीं हो सकी।

प्रारम्भिक जांच से आरक्षी 169 ए0पी0 कौशल किशोर तिवारी कर्त्तव्य पालन में लापरवाही बरतने का दोषी पाया गया है, जिसे पुलिस अधीक्षक बांदा द्वारा निलम्बित कर दिया गया है तथा गार्द कमाण्डर की लापरवाही के संबंध में भी उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है। उपरोक्त आरक्षी की सरकारी रायफल व उसके द्वारा चलाये गये दो खोखे कारतूसों को कब्जे में लिया गया है। घायल भइयन हरिजन के शरीर में परायी जाने वाली गोली को सीलबन्द करने हेतु चिकित्सा अधीक्षक सदर अस्पताल बांदा से अनुरोध किया गया है। रायफल खोखा कारतूस व भइयन के शरीर से निकलने वाली गोली को मिलान हेतु तथा मृतक लाला कहार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को एक्सपर्ट की राय प्राप्त करने हेतु शीघ्र भेजा जायेगा। विवेचना प्रचलित है।

मृतक के परिवार वालों तथा घायलों की आर्थिक सहायता हेतु जिलाधिकारी बांदा द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। दिनांक 29-3-89 को जिलाधिकारी बांदा द्वारा घटना की मजिस्ट्रीरियल जांच के आदेश कर दिये गये हैं।

जनता में रोष एवं आक्रोश की स्थिति तथा क्षेत्र एवं जनपद में इस प्रकरण को लेकर शांति, एवं व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है।]

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

मान्यवर, यह जितना वक्तव्य मंत्री जी ने दिया, यह सत्य से परे। इन्होंने बताया कि घटना स्थल पर लाला कहार की मृत्यु हो गयी और वहां मौजूद श्री भइयन हरिजन व बहोरा निवासी गण ग्राम तुर्रा को गोली लगी। घटना के बाद उक्त तिथि को 3-30 बजे रात्रि में मृतक के भाई श्री राम दुलारे की लिखित सूचना पर थाना बदौसा पर अभियोग संख्या 53/89 धारा 304/307 भा0 दि0 वि0 का मुकदमा पंजीकृत किया गया। दोनों घायलों को तत्काल पुलिस द्वारा सदर अस्पताल बांदा भेजा गया। डाक्टरी रिपोर्ट के आधार पर दोनों घायलों के साधारण चोटें पाई गयीं। मान्यवर, इसमें कहा गया है कि लाला कहार की घटना-स्थल पर मृत्यु हो गयी, लेकिन मान्यवर, 304 का मुकदमा थाने में दर्ज किया गया है, जबकि 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिये था। मान्यवर, इन्होंने कहा कि घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, मान्यवर, सत्यता यह है

नोट---[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

[श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--]

कि बालों को अस्पताल से भगा दिया गया। मान्यवर, भइयन व बहोरा को गोली लगी, जो कि अभी तक नहीं निकाली गयी है। मान्यवर, घटना के दो दिन बाद वे लोग मुझसे मिले थे।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आप प्रश्न करें।

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

मान्यवर, मैं प्रश्न ही कर रहा हूं। मान्यवर, जो वक्तव्य माननीय मंत्री जी ने दिया है, वह एक दम सत्य से परे और झूठ का पुलिंदा है।मान्यवर, जो घायल हुए हैं, उनकी दवा नहीं हो रही है और न उसकी गोली निकाली जा रही है, वह भी मरणासन्न है। इसमें इन्होंने कहा कि मृतक के परिवार वालों को तथा घायलों को आर्थिक सहायता हेतु जिलाधिकारी बांदा द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। मान्यवर, यह बहुत गम्भीर मामला है। जो मृतक हैं, जिसकी हत्या हो गयी है,वह अपने परिवार का अकेला था, जिलाधिकारी, बांदा जो हैं, वह एक हजार, दो हजार रुपया दे देंगे। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मृतक के परिवार के आश्रितों को 25-25 हजार रुपया तथा घायलों को 10-10 हजार रूपया क्या माननीय मंत्री जी मोआवजा के रूप में देंगे ?

श्री सईदुज्जमा--

मान्यवर, सहानुभूतिपूर्वक विचार कर लेंगे।

श्री शारदा प्रताप शुक्ल--

मान्यवर, मृतक के परिवार को 25 हजार रू0 और जो घायल हैं, उनको 10-10 हजार रूपये देने की कृपा करेंगे। मान्यवर, इसका स्पष्ट उत्तर दिला दें।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय गृह मंत्री जी फिर से उत्तर दे दीजिये।

श्री सईदुजज्मा--

मान्यवर, मैंने कह दिया कि इस पर विचार करेंगे।

(व्यवधान)

श्री राज किशोर सिंह--

मान्यवर, यह जो वक्तव्य दिया गया है इससे स्पष्ट है कि जो किशोरी तिवारी ने फायर किया उसकी गोली से लाला कहार मरा, कहार भी हरिजन में आता है और भइयन और बहोरा हरिजन है दोनो घायल हुए हैं। मान्यवर, आप जानते हैं कि हरिजन को अगर सवर्ण मार डाले तो फौरन 10 हजार रूपये दिये जाते हैं यही नियम है अगर जानकारी नहीं है तो इसको कर लीजिये। अगर यह रिपोर्ट हो जाय कि सवर्ण ने हरिजन को मारा है तो फौरन उसके परिवार वाले को 10 हजार रुपये दिये जाते हैं और अगर बलात्कार की घटना होती है हरिजन महिला के साथ तो 5 हजार रुपये दिये जाते हैं इसमें एक सवर्ण सिपाही ने उस हरिजन को मारा है और 2 उसमें घायल हुए हैं इसलिये मंत्री जी स्पष्ट रूप से बतायें कि उन हरिजनों के परिवार को कितनी क्षतिपूर्ति के रूप में धनराशि देने जा रहे हैं जैसा कहा गया है कि कम से कम 25 हजार रुपये उस हरिजन को जो मरा है और जो घायल हुए हैं उनके परिवारों को 10, 10 हजार रुपये बतौर क्षतिपूर्ति आप देने की कृपा करेंगे।

श्री सईदुज्जमा--

मान्यवर, पूरी हमदर्दी है जो भी नियमानुसार कार्यवाही है वही की जायेगी। उनके आर्थिक सहायता के मामले में डी0 एम0 स्तर पर कार्यवाही की जा रही है।

कुवर मानवेन्द्र सिंह--

मान्यवर' मत्रीजी नें पुलिस को भी दोषी मान लिया है और उसके खिलाफ कार्रवाई कर दो है उसकी रायफल जमा करा दी जो खोखा खालो निकला उसको ल लिया परीक्षण कराने कें लिये भेज भी रहे हैं । मैं माननीय मत्री जी से जानना चाहता हूं कि पुलिस की गोली से एक व्यक्ति मरा और उसी गोली से 2 व्यक्ति घायल हुए हैं तो माननीय मंत्री जी को मुआवजा देने में क्या आपत्ति है। हरिजन का मामला है अगर इसमें कुछ नहीं होगा तो ऐसे ही रोज होगा। (व्यवधान) मान्यवर, अभी देवरिया की घटना में माननीय मुख्य मंत्री जी ने 25 हजार रुपये मृतकों के परिवारों के देने के आदेश दिये हैं उनका अनुसरण करेंगे कि नहीं आप तो माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रिय मत्री हैं जब देवरिया के मामले में मृतक हरिजन के परिवारों को 25 हजार रुपये दे सकते हैं तो इसमें आप क्यों 25 हजार रूपये नहीं दे सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री शारदा प्रताप--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में यह तशलीम कर लिया कि कांस्टेबिल की गोली से लाला नामक व्यक्ति मर गया और 2 व्यक्ति घायल हुये हैं माम्यवर, शासन की स्पष्ट नीति है कि जो व्यक्ति मरता है हरिजन लो उसको 10 हजार रू0 शासन तुरन्त देता है अभी जो देवरिया में घटना हुई है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी गये थे उसमें उन्होंने स्पष्ट घोषणा की कि 25 हजार रूपये देंगे। जब रक्षक ही भक्षक बन जाय उसकी रायफल जमा करा ली जाय तो उसके मामले में मंत्री जी क्या विचार कर रहे हैं ? मैं चाहता हूं कि इस तरह की जो घटना हुई है इसमें माननीय मंत्री जी स स्पष्ट उत्तर दिला दें कि जो हरिजन मर गया है उसके परिवार को 25 हजार रूपया और जो घायल है उसको 10-10 हजार रुपया दिया जायेगा ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय गृह राज्य मंत्री जी कुंवर मानवेन्द्र सिंह और श्री शारदा प्रताप ने जो प्रश्न किया है उसका मिला जुला उत्तर दे दें।

(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र कुमार सिंह--

मान्यवर, यह तो पुलिस की गोली से मरा है इसमें तो 30-40 हजार रूपया मिलना चाहिये।

श्री हरदेव--

मान्यवर, सरकार की नीति के अनुसार उनको देना अनिवार्य है, चाहे पुलिस ने मारा हो या सवर्ण ने मारा हो। मा0 मंत्रीजी तत्काल घोषणा कर दें, देर करने की आवश्यकता नहीं है। घोषणा कर दें कि जो नियम है, उसके अनुसार पैसा दिया जायगा।

श्री अधिष्ठाता--

मा0 मंत्री जी ने स्पष्ट बता दिया है कि आप लोगों ने जो बात कही उस पर सहानुभूति-पूर्वक विचार करेंगे। इसके बाद कोई उत्तर वह नहीं देना चाहते ?

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, उत्तर नहीं, देना चाहते हैं, वह उनकी इच्छा की बात नहीं है। आपके निर्देशों पर यह निर्भर करता है।

(व्यवधान)

कुंवर महेन्द्र सिंह--

मान्यवर, मा0 मंत्रीजी, जैसा सुन पाया हूं, हम लोगों की बात से सहमत हैं।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, सत्ता और विपक्ष दोनों पक्ष की ओर से यह भावना व्यक्त की है कि मृतक को 25 हजार और घायलों को 10-10 हजार रुपये देने की घोषणा मंत्रीजी करें। मान्यवर इसमें विवाद की बात नहीं है। जब सत्ता और विपक्ष दोनों ओर से बात उठने लगे तो इस पर मा0 मंत्री जी को घोषणा करनी चाहिये।

श्री हरदेव--

वैसे ही मिलेगा, गृह मंत्री जी की ओर से। मने स्वयं कह दिया है।

श्री शारदा प्रताप--

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री कुछ घोषणा करना चाहते हैं।

श्री शारदा नन्द अंचल--

मान्यवर, हरिजनों की हत्या का ममला है। पूरे प्रदेश में जिस जिले में देखें हरिजनों की हत्यायें हो रही हैं। ऐसी स्थिति में यह सही है कि ये कांग्रेस के वोटर भी कहे जाते थे, चूंकि अब वे कांग्रेस से हट गये हैं, उनका मोह भंग होता है इसलिये हरिजनों की हत्या के बाद हृदयहीनता देखा रहे हैं। मंत्री जी से उत्तर दिलवायें।

श्री अधिष्ठाता--

मंत्री जी उत्तर नहीं देना चाहते। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस मामले में सहानुभूति-पूर्वक विचार करेंगे। अब इसके बाद कोई उत्तर नहीं देना चाहते।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मैं व्यवस्था चाहता हूं कि अभी तमाम प्रश्न हुए, मा0 सदस्यों ने अपनी भावनाएं व्यक्त कीं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से भावनाएं व्यक्त की गयीं, आपने कई बार चाहा भी कि मा0 मंत्री जी इसका जवाब दें लेकिन मंत्रीजी बिलकुल मुखातिब नहीं हुए। अगर इस तरह से प्रश्न होते रहे और सत्ता पक्ष और मंत्री जी की ओर से जवाब नहीं आया तो सदन चलाने का क्या फायदा है। आप निर्देशित करें कि जो प्रश्न जहां पर उठ रहे हैं, उनका स्पष्ट उत्तर मा0 मंत्रीजी दें।

श्री अधिष्ठाता--

मा0 मंत्री जी ने स्पष्ट उत्तर दिया है कि हम सहानुभूतिपूर्वक इस मामले में विचार करेंगे। यह बहुत ही स्पष्ट उत्तर है। अब इससे ज्यादा स्पष्ट उत्तर क्या होगा।

श्री राम आसर वर्मा--

मान्यवर, यहां पर मा0 सदस्यों ने जो भावना व्यक्त की है दोनों पक्षों की ओर से, यह भावना व्यक्त की गयी कि मृतक को 25 हजार रुपए और घायलों को 10-10 हजार रुपये देने की घोषणा करें या तो मंत्री जी मजबूरी बतायें कि किस मजबूरी के तहत घोषणा नहीं कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री हरेन्द्र सिंह---

मुआवजे के लिये निर्देश दे दीजिये ।

श्री अधिष्ठाता---

वह कह तो रहे हैं कि सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे ।

श्री यदुनाथ सिंह---

मान्यवर, यहां आधे दर्जन केबिनेट मंत्री हैं, केबिनेट मिशन होता है इनका कोई केबिनेट मिनश हरिजनों के प्रति है या नहीं ।

श्री अधिष्ठाता---

व्यवस्था तो बतायें आपकी क्या है ?

श्री यदुनाथ सिंह---

सहानुभूतिपूर्वक विचार की बात गांधी जी की मूर्ति के नीचे बैठकर करा रहे हैं इनको पीठ से निर्देश दें कि 25-25 हजार का मुआवजा है,जिन हरिजनों का मामला है, दिया जाय जायेगा ।

श्री अधिष्ठाता---

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं हुआ ।

श्री मूलचन्द्र---

वहां के हरिजन की हत्या की गयी, उसको 302 के अन्तर्गत जेल में बन्दकर दिया गया यदि हां तो कब बन्द किया गया यदि नहीं तो क्यों नहीं बन्द किया गया ?

श्री सईदुज्जमा---

जो एफ0 आई0 आर0 दर्ज की गयी उसमें भी कोई पुलिस कर्मी दोषी नहीं बताया इसके बाद सी0 ओ0 ने जांच की है ।

श्री अधिष्ठाता---

अब आप लोग बठें, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं ।

श्री सईदुज्जमा---

मैजिस्ट्रियल जांच हो रही है जांच के बाद जो दोषी पाये जायेंगे उनके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

श्री मूलचन्द्र---

जांच क्या हो रही है ?

श्री अधिष्ठाता---

मूलचन्द्र जी बैठें ।

श्री सईदुज्जमा---

मुद्दई ने कहा है कि पीछे से गोली आयी है एफ0 आई0 आर0 में किसी का नाम या है ।

जनपद उन्नाव के बाना पुरवा में एक हरिजन की हत्या तथा एवं अन्य गांवों में हरिजनों को उत्पीड़ित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में वक्तव्य

एक सदस्य---

मान्यवर, वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाये ।

श्री अधिष्ठाता---

वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाये ?

(सदन का सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

गृह राज्य मंत्री (श्री सईदुज्जमा)---

[प्राप्त सूचनानुसार ग्राम पारा में स्थानीय बाजार की तहबाजारी के मुद्दे को लेकर थाना मौरावां में दिनांक 15-2-89 को डकैती का अभियोग दर्ज हुआ, जिसकी विवेचना से मामला डकैती का नहीं, अपितु मार-पीट का पाया गया एवं अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया । एक अभियुक्त माजिद अली, जो 90 वर्ष का नितान्त असहाय वृद्ध हैं की नामजदगी झूठी पायी गयी । जोगेश्वर धानुक की किसी के द्वारा पिटाई नहीं की गयी है ।

ग्राम कुशली खेड़ा थाना सोहरामऊ के सत्य नारायण (हरिजन) श्री सुमन चन्द्र (हरिजन) की नियमानुसार आवंटित भूमि पर अनधिकार दीवाल बनाकर कब्जा कर रहे थे, अतएव परगनाधिकारी, पुरवा, उन्नाव ने उक्त अनधिकार कब्जे को हटाकर श्री सत्यनारायण के विरुद्ध अ0 स0-60/89 धारा 198-ए (3) जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत थाना सोहरामऊ पर प्राथमिकी दर्ज करायी । विवेचना प्रचलित है ।

थाना मौरावां में ग्राम निरही खेड़ा के राम आसरे पासी का मकान किसी के द्वारा गिरवाया नहीं गया है । राम आसरे पासी के मकान के उत्तरी तरफ एक छोटा सा भूखण्ड है, जो भूप कोरी का है, उसे हथियाने की नियत से श्याम लाल यादव एव राम आसरे पासी में विवाद चल रहा है । श्री राम आसरे की पत्नी श्रीमती मैकावती की रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा तुरन्त कार्यवाही न करने तथा सही धाराओं में मुकद्दमा पंजीकृत तरमीम न करने के कारण प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये हल्का इंचार्ज उप निरीक्षक श्री गोकुल प्रसाद शुक्ला तथा सहायक लेखक राजेन्द्र पाल सिंह को लाइन हाजिर करके उनके विरुद्ध प्रारम्भिक जांच के आदेश दे दिये गये हैं तथा जांचो के उपरान्त थानाध्यक्ष, मौरावां द्वारा उक्त रिपोर्ट के आधार पर मु0 अ0 स0-53/89 धारा 147/148/149/323/426/342/504/ भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत एव 7 पी0 सी0 आर0 अधिनियम का मुकदमा कायम किया गया है और मुख्य अभियुक्त श्याम लाल यादव को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है ।

थाना सोहरामऊ के उमरी ग्राम में बाबू पासी को पुलिस द्वारा पीटे जाने का कथित आरोप जांच से प्रमाणित नहीं हुआ ।

असोहा थाना के ग्राम शाहपुर में पूर्वी पासी के पुत्र की हत्या के सम्बन्ध में थाना पुरवा पर पंजीकृत अ0 स0-31/89 धारा 302/201 भा0 द0 वि0 बनाम अज्ञात के विवेचक ने दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से मृतक की घड़ी और साइकिल बरामद हुई है । शेष एक अभियुक्त की गिरफ्तारी का प्रयास जारी हैं ।

श्री हृदय नरायण दीक्षित---

मान्यवर, डी0 आई0 जी0 मौके पर जांच करने गये थे और पीड़ित हरिजनों ने जिन्होंने एफ0 आई0 आर0 करायी थी डी0 आई0 जी0 के सामने बयान दिये लूट हुई । क्या मंत्री जी के पास डी0 आई0 जी0 जांच की आख्या है ? जिस अभियुक्त को उससे निकाल दिया गया है रिपोर्ट से क्या वह बी क्लास का हिस्ट्रीशीटर है ?

नोट---[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री सईदुज्जमा--

इसमें एक मुल्जिम निर्दोष पाया गया इसमें जांच में इसलिये उसको निकाल दिया गया है। झगड़ा तहबा जारी का है 395/427 का घटना लिखायी है जो कि नहीं पायी गयी बाकी मुल्जिम चार हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की गयी।

श्री हृदय नरायन दीक्षित--

डी0 आई0 जी0 मौके पर गये उनके सामने बयान हुई उन्होंने क्या निष्कर्ष दिया जो अभियुक्त निकाल दिया गया है वह बी क्लास का हिस्ट्रीशीटर है ?

श्री सईदुज्जमा--

इसकी सूचना उपलब्ध नहीं।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

इसकी सूचना मंगवाथा जाय।

श्री हृदय नरायन दीक्षित--

डी0 आई0 जी0 की रिपोर्ट आ गयी है वह पढ़ नहीं रहे हैं। जिस अभियुक्त को निकाला गया है थाना मौरावां में लाल अक्षरों से उसका नाम लिखा हुआ है बी क्लास के हिस्ट्रीशीटर हैं। डी0 आई0 जी0 के बाद हरिजन सेल के एस0 पी0 गये जिन लोगों के विरुद्ध जांच हुई थी उन्हीं लोगों ने फायरिंग किया कई हरिजनों को विभिन्न चोटें आ गयी। इस प्रश्न का उत्तर दिलवा दें डी0 आई0 जी0 की रिपोर्ट आयी है। वह क्या है ?

श्री सईदुज्जमा--

इसकी सूचना नहीं है।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, इस पर संरक्षण दें। कहते हैं कि सूचना नहीं है। यह मात्र कोरा वक्तव्य रह जाता है और सदन को गुमराह करने की नीयत से कागज का पेट भरने के लिये यह वक्तव्य दे दिया गया है। मान्यवर, वैसे तो मैं।

श्री अधिष्ठाता--

आप कोई प्रश्न करना चाहें, तो कर लें, अन्यथा बैठें।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, प्रश्न ही कर रहा हूं। जब मंत्री जी के पास वक्तव्य के सिलसिले में कोई अनुपूरक सामग्री नहीं है, ऐसी स्थिति में आप इसे कल के लिये स्थगित कर दें।

श्री अधिष्ठाता--

स्थगित करने से यह रह जायगा, इसलिये जो प्रश्न आप करना चाहें, वह कर लें।

श्री हृदय नरायन दीक्षित--

मान्यवर, जो प्रश्न पूछा जा रहा है, उसका मंत्री जी जवाब नहीं दे रहे हैं, हम लोगों को इसमें स्थगित कराने में कोई रुचि नहीं है।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मैं दूसरी घटना की तरफ जिक्र करना चाहता हूं। ग्राम कुस्ली खेड़ा, थाना सोहरामऊ के सत्य नारायण हरिजन, सुमन चन्द्र हरिजन को नियमानुसार आवंटित भूमि पर अनाधिकार दीवाल बनाकर कब्जा करने पर, परगनाधिकारी, उन्नाव ने उसे गिरवा दिया और सत्य नारायण के विरुद्ध 7/89 धारा 198-ए(3) जमींदारी विनाश एवं भूमि

व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत थाना सोहरामऊ पर रिपोर्ट दर्ज कराई। तो मान्यवर, यह बतानें की कृपा करें कि उसका मकान गिराने की घटना किस तारीख की है और मुकदमा दर्ज कराये जाने की तारीख कौन सी है ?

श्री सईदुज्जमा---

मान्यवर, मकान गिराने की कोई बात नहीं है। यह दीवार थी जो यह पहले हरिजन को एलाट की गयी थी, उस पर कब्जा कर लिया गया था, जिसे परगनाधिकारी ने हटवाया और एस0डी0एम0 ने 198ए(3) जमीदारी विनाश अधिनियम में रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद 16-3-89 को कब्जा दिलाया।

श्री राम आसरे वर्मा---

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह था कि जो हरिजन था, उसने नसबन्दी इस लालच में कराई थी कि जहां पर उसकी दीवार या मकान बना था, उसको वह भूमि एलाट कर दी जायगी और उसी दीवार को एस0डी0एम0 द्वारा गिरवा दिया गया। मैंने यह प्रश्न किया कि एस0डी0एम0 ने किस तारीख को दीवार को गिरवाया और मुकदमा किस तारीख को कायम किया गया। जबकि परगनाधिकारी ने अपने बचाव के लिये बाद में मुकदमा कायम किया। चूंकि उन्होंने अनधिकृत रूप से दीवार गिराने के लिये आदेशित किया था, इसका मान्यवर, जवाब दिलवा दें।

श्री सईदुज्जमा---

मान्यवर, यह सब कार्यवाही नियम के अन्तर्गत की गयी थी मान्यवर, जबरदस्ती उस पर कब्जा किया गया था, इसलिये जिसको यह भूमि एलाट थी, उसको कब्जा दिलाने के लिये यह कार्यवाही की गयी।

श्री हृदय नरायन दीक्षित---

मान्यवर, तारीख पूछी जा रही है, वह नहीं बता रहे हैं। मान्यवर, जब 3-4 दिन पूर्व उस हरिजन का मकान सोहरामऊ की पुलिस द्वारा गिरा दिया गया, तो मैंने आई0जी0 रन्ज को फोन किया और सी0ओ0 हसनगंज द्वारा इसकी जांच की गयी। उसके बाद वह मामला विधान सभा में आया। तो मान्यवर, एस0डी0 एम0 ने रिपोर्ट कब करायी तथा मकान कब गिराया गया, यह बता दें ?

श्री सईदुज्जमा---

मान्यवर, 16-3-89 को कब्जा दिलाया गया और 5-3-89 को मुकदमा दर्ज हुआ। वैसे मान्यवर, पहले भी 5-3-1989 को कब्जा वह कर चुके थे, इस पर दुबारा कार्यवाही की गई और दुबारा कब्जा दिलाया गया।

श्री हृदय नारायन दीक्षित---

जिस तारीख को मकान गिराया गया क्या उससे पहले रिपोर्ट होनी चाहिये या फिर गिराने के बाद मुकदमा कायम होना चाहिये ?

श्री सईदुज्जमा---

मान्यवर, 5-3-89 को कब्जा हो चुका था, उस पर दुबारा कार्यवाही की गई, फिर दुबारा कब्जा दिलाया गया।

श्री अधिष्ठाता---

किस तारीख को मकान गिराया गया और किस तारीख को मुकदमा दर्ज किया गया यह आप बता दें?

श्री सईदुज्जमा—

5—3—1989 को कब्जा हो चुका था।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, प्रश्नकर्ता ने जो सवाल किये, उसमें आरोप लगाये गये हैं, एस0 डी0 एम0 ने कदाचार किया है। इन सारे आरोपों के प्रकरण में क्या इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण मामले की जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी, कमिश्नर या उसके समकक्ष अधिकारी से कराने की कृपा करेंगे?

श्री सईदुज्जमा—

मान्यवर, वैसे तो बिन्दु बिल्कुल साफ है। हरिजन को एलाट किया गया था और दूसरे ने उस पर कब्जा कर लिया। इस पर विधिवत कायवाही की गई और उसे कब्जा दिया गया। इन्क्वायरी का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

(श्री राजेन्द्र गुप्ता के पुनः खड़े होने पर)

सदन में कोरम का अभाव

श्री कृष्ण कुमार शर्मा—

मान्यवर, सारी कार्यवाही अवैधानिक हो रही है। कोरम पूरा नहीं है।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, यह सरकार की साजिश है। सरकार सदन की कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती है।

(श्री शारदानन्द अचल, श्री राम आसरे वर्मा, श्री देवेन्द्र कुमार सिंह आदि माननीय सदस्यों के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आप लोग आसन ग्रहण कीजिये।

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

चूंकि कोरम का प्रश्न उपस्थित कर दिया गया है, इस लिये घण्टी बजायी जाय गी उसके बाद कोरम की गिनती की जायगी।

(कोरम के लिये घण्टी बजायी गयी)

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता—

इस समय कोई व्यवस्था नहीं सुनी जायगी। कुछ नहीं लिखा जायगा, पांच मिनट तक घण्टी बजेगी इसके बाद कोरम की गणना होगी तब कार्यवाही प्रारम्भ होगी।

(कोरम के लिये 5 मिनट तक घण्टी बजती रही और गणपूर्ति न होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

अब हम उठते हैं कोरम के अभाव में, कल 11 बजे फिर मिलेंगे।

(समय 8 बजकर 30 मिनट)

(इसके बाद सदन 8 बजकर 30 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गयी।)

लखनऊ

5 अप्रैल, 1989।

भाल चन्द शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

परिशिष्ट 'क'

[देखिये नियम 29(4)के ता0 प्र0 सं0 3 का उत्तर पीछे पृष्ठ.....पर[

क्रम-संख्या	नलकूप संख्या तथा ग्राम का नाम	शिकायत का विवरण	जांच एवं कृत कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4
1	नलकूप संख्या 160 ए0 जी0 बोरे	इसका डिस्चार्ज बहुत ही कम है जिसके कारण सिंचाई बिलकुल नहीं हो पा रही है	निकास बढ़ाने हेतु नया 20 अश्व शक्ति का पम्प सेट लगाया गया परन्तु निकास फिर भी 15,000 गैलन प्रति घंटा है।
2	28 ए 0जो0 पमोली	यह नयी बोरिंग है इसकी नाली नहीं बनी है। पाइप भी कम गलाई गई है जिसके कारण पानी कम देती है	इनका पुन: निर्माण किया गया है इस पर 522 फिट 3 इंच पाइप असेम्बली डाली गई है। डिस्चार्ज 15982 गैलन प्रति घंटा है। क्षति-ग्रस्त गूल की मरम्मत कर दी गई है।
3 4	220 ए0जी0 दहेमा 143 ए0जी0 बिछुटी	इन दोनों नलकूपों की नालियां नहीं बनी हैं	नलकूप सं0 220 ए0 जी0 ग्राम दहेमा पर 700 मीटर पक्की गूल बनी है। नलकूप सं0 143 ए0 जी0 ग्राम बिछुटी पर भी 700 मीटर पक्को गूल बनी है।
5	367 ए0 जी0 कोर डिढवा	इस नलकूप को बने दो साल हो गये हैं बिजली लग गयी है लेकिन आज तक मोटर नहीं लगा है।	नलकूप को दिनांक 29-9-88 को चालू कर दिया गया था परन्तु दिनांक 24-12-88 से विद्युत दोष से बन्द है।
6	335 ए0जी0 आद्योभारी	इसकी केबिल 28 मार्च से कटी है।	विद्युत विभाग द्वारा पुन: केबिल लगाकर दिनांक 7-6-88 को नलकूप चालू कर दिया गया है।
7	185 ए0 जी0 महापारा	इसका पम्प पहली अप्रैल से खुला है आज तक नहीं बना है	नलकूप दिनांक 29-9-88 को चालू करा दिया गया था परन्तु अत्यधिक बालू देने के कारण 63 घंटे चलकर बन्द हो गया है। नलकूप से बालू की सफाई का कार्य कराया जा रहा है

नत्थी 'ख'

(देखिये अता0 प्र 0सं0 37 का उत्तर पीछे पृष्ठ.....पर)

परिशिष्ट "क"

सीमेन्ट निगम में घाटा कम करने हेतु प्रयास

उत्पादन क्षमता उपयोग में वृद्धि एवं सयत्रों की कार्य क्षमता में सुधार लाने के लिये मशीन निर्माताओं, परामर्शदाताओं एवं तकनीकी निदेशकों की सलाह के अनुसार निगम द्वारा कई कदम उठाये गये हैं, यथा सामयिक प्रतिरक्षणात्मक अनुरक्षण को नियोजित आधार पर करना, एन0 सी0 बी0 के सहयोग से उत्पादकतावर्धन कार्यक्रम का लागू करना, लाइमस्टोन की क्वालिटी को बढ़ाने हेतु स्वीटनर का प्रयोग ई0 एस0 पी0 के अनुरक्षण हेतु सलाहकारों की नियुक्ति, चुनार इकाई में मोटरों के बार-बार खराब होने के कारणों को पता लगाने हेतु पूरे विद्युत प्रणाली का अध्ययन आदि ।

अन्तर्राष्ट्रीय संस्था युनिडो ने भी उत्पादन क्षमता में वृद्धि हेतु तकनीकी सहयोग प्रदान करने का प्रस्ताव निगम के सामने रखा है जो विचाराधीन है ।

उत्पादन क्षमता उपयोग में पर्याप्त वृद्धि होने पर उत्पादन लागत में भी काफी कमी आने की सम्भावना है । इसके अतिरिक्त निगम द्वारा निर्माण में काम आने वाले विभिन्न सामग्रियों के उपयोग की मात्रा का राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् द्वारा निर्धारित मानकों के सदर्भ में निरन्तर समीक्षा एवं जांच की जाती रहती है । प्रयास यह है कि धीरे धीरे उत्पादन कार्य राष्ट्रीय मानक स्तर पर लायें जा सकें । नयी नियुक्तियां भी सामान्यत: बन्द हैं केवल अति आवश्यक एवं विशेष परिस्थितियों में ही नयी नियुक्ति की जाती है । यह भी अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 राज्य सीमेन्ट निगम के स्तर पर मानिटर की जाती है ।

इसके अतिरिक्त निगम के उत्पादन की समीक्षा तथा इकाई द्वारा अनुभव की जा रही तकनीकी कठिनाइयों/अवरोधों के निराकरण क लिय मार्गदर्शन हेतु निगम के निदेशक मण्डल द्वारा एक उत्पादन एवं तकनीकी समिति का भी गठन किया गया है ।

पी0एस0यू0पी0—ए0 पी0 19 विधान सभा—22—8—89—(2144)—1989—813

(मैग0(1

1	2	3	4
8	239 ए 0जी 0 जैतपुर	इसकी पहली बोरिंग फेल हो गई। दूसरी बोरिंग हटकर कराने के बजाय बगल में कराई गई और वह भी फेल हो गई। पिछले चार माह से बन्द है	पहली बोरिंग से 30 मीटर की दूरी पर दूसरी बोरिंग कराई गई जो अब असफल हो गई। पुनः निर्माण पर पूर्ण विचारोपरान्त निर्णय लिया जायगा।
9	352 ए 0जी 0 चन्दापुर	इसकी सर्विस रोड ही नहीं बनाई गई है	1500 मीटर लम्बी सर्विस रोड चकरोड पर प्रस्तावित है। परन्तु कृषकों के अवरोध, के कारण पूरी नहीं हो सकी है।
10	222 एज 0जी 0 सरखते	इसकी नाली अपूर्ण है और जो बनी है वह बहुत खराब है	इस नलकूप पर 1100 मीटर गूल बनी है। नलकूप की खराब नाली की मरम्मत करा दी गई है।
11	362 एज 0 जी 0 सेहरा, जलालपुर	नाली बनी ही नहीं है	इस नलकूप पर 2 कि 0मी 0 पाइप लाइन प्रस्तावित है। जिसमें से माह 2/89 तक 1.00 कि 0 मी 0 पाइप लाइन का निर्माण किया जा चुका है।
12	363 ए 0जी 0 सुकईपुर	तदेव	इस नलकूप पर 2 कि मी 0 पाइप लाइन प्रस्तावित है, जिसे वर्ष 1989–90 में निर्मित किया जाना प्रस्तावित है।